लोक सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

दसवां सत्र

Tenth Session

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
03.2.84
Parliament Library

(खंड 40 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XL contains Nos. 41 to 50)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 45, सोमवार, 27 अप्रैल, 1970/7 वैशाख 1892 (शक)

No. 45, Monday, April 27, 1970/Vaisakha 7, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
अ० प्र० संख्या S. Q. No.		
1232 स्टैंडर्ड ड्रम एन्ड बेरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई	Standard Drum and Barrel Manufacturing Co., Bombay	1-4
1233 भारत में एल० एस० डी० औषधि के प्रयोग पर रोक	Ban on use of LSD medicine in India . . .	4-6
1235 मुस्लिम उलेमाओं द्वारा परिवार नियोजन के विरुद्ध प्रचार	Muslim Ulemas' preaching against Family Planning .	6-10
1237 शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में सुझाव	Suggestions regarding fixing a ceiling on urban property	10-12
1238 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को चण्डीगढ़ प्रतिकर भत्ता	Chandigarh Compensatory Allowance to Central Government Employees .	12-14
1239 दिल्ली में सप्लाई किये जाने वाले पेय जल के शुद्ध करने के बारे में एक चिकित्सा विशेषज्ञ की राय	Opinion of a Medical Expert to process drinking water supply in Delhi .	14-16
1242 बजट प्रस्तुत करने और वित्तीय-वर्ष के आरम्भ के बारे में प्राक्कलन समिति की सिफारिशें	Recommendations of Estimates Committee in regard to presentation of Budget and commencement of financial year .	16-17

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर/*Written Answers to Questions*			
1231	ओखला पम्पिंग स्टेशन से पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिये नलकूप	Tube-wells for augmenting water supply from Okhla Pumping Station . .	17-18
1234	चौथी पंचवर्षीय योजना के आकार के बारे में वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग के बीच मतभेद	Difference between Ministry of Finance and Planning Commission regarding size of Fourth Five Year Plan . . .	18-19
1236	भारत को अमरीकी सहायता	U. S. Aid to India . .	19
1240	भारत के दौरे के समय बादशाह खां को भेंट की गई थैलियों की राशि को विदेश भेजा जाना	Remittance abroad of Amount of purses presented to Badshah Khan during his visit to India .	19-20
1241	तीसरे वेतन आयोग के निदेश पद	Terms of Reference of Third Pay Commission . .	20
1243	लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों के कर्मचारियों के लिये मकानों का अलग कोटा	Separate quota of houses for Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats . .	20-21
1244	केन्द्रीय होमियोपैथी अनुसंधान संस्था की स्थापना	Setting up of a Central Research Institute of Homoeopathy . .	21
1245	तीसरे वेतन आयोग को निर्दिष्ट किये बिना केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत की अदायगी	Payment of interim relief to Central Government Employees without any reference to Third Pay Commission	21
1246	चौथी पंचवर्षीय योजना में कमी वाले राज्यों को "विशेष सहायता"	Special assistance to deficit states in Fourth Five Year Plan	22
1247	इंडियन आयल कारपोरेशन के लिये स्टैंडर्ड ड्रम एन्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी और हिन्द गैल्वेनाइजिंग एन्ड इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा बैरलों का निर्माण	Manufacture of Barrels by Standard Drum and Barrel Manufacturing Company and Hind Galvanising and Engineering Company for Indian Oil Corporation . . .	22-23
1248	अफीम का निर्यात	Exports of Opium	23

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1249	केन्द्रीय राजस्व नियन्त्रण प्रयोगशाला में रासायनिक परीक्षण के लिये प्राप्त नमूनों का विश्लेषण	Analysis of samples received for Chemical Examination in the Central Revenue Control Laboratory .	24
1250	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली में असफल गर्भपात के कारण मृत्यु	Death due to unsuccessful abortion at A. I. Ms., New Delhi . . .	24-25
1251	भारत के रिजर्व बैंक द्वारा विशेषज्ञ दल की नियुक्ति	Expert Group appointed by Reserve Bank of India	25
1252	आर्थिक-विकास पर करारोपण नीति का प्रभाव	Impact of taxation policy on Economic Growth .	25-26
1253	हल्दिया बरौनी पाइप लाइन के सम्बन्ध में नेतुर श्रीनिवास राव समिति की स्थापना	Setting up of Nettur Srinivas Rao Committee on Haldia Barauni Pipe Line . .	26-27
1254	भारत में यूनेस्को मिशन द्वारा कदाचार	Malpractices by UNESCO mission in India . .	28
1255	तपेदिक और कुष्ट रोग का उन्मूलन	Eradication of T. B. and Leprosy . . .	28
1256	राष्ट्रीयकृत बैंकों के गुप्त निक्षेप	Secret reserves of Nationalised Banks . . .	28-29
1257	मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को जीवन बीमा निगम ऋण देने के लिये बंधक पत्र का भरा जाना	Execution of Mortgage deed for grant of loan by LIC to Madhya Pradesh electricity board . . .	29
1258	करों की चोरी तथा तस्करी के आरोप में सजा पाये व्यक्तियों की सूची	List of persons convicted on charges of tax evasion and smuggling . . .	29-30
1259	बम्बई की बेकर्स फैडरेशन द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum from Baker's Federation of Bombay .	30
1260	नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी द्वारा नगर को सुन्दर बनाने का अभियान	Beautification drive by NDMC . . .	30-31

अ० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7518	राज्यों को सहायता	Assistance to States .	31
7519	वर्ष 1969 में पकड़ा गया सोना तथा घडियां	Seizure of Gold and Watches in 1969 . .	32
7520	केन्द्रीय करों की वसूली	Collection of Central Taxes	33
7521	राष्ट्रीयकरण से पूर्व लोगों को उपलब्ध कराया गया धन	Finance made available to people before Nationalisation of Banks . . .	34-35
7522	हैदराबाद स्थित संश्लिष्ट औषधि निर्माण कारखाने (सिन्थैटिक ड्रग्स प्लांट) में चोरी की घटनायें	Pilferage in Synthetic Drugs Plant, Hyderabad . .	35
7523	मध्य प्रदेश में लोगों से आय कर की वसूली	Recovery of Income tax from persons in Madhya Pradesh	36
7524	सब्जी की फसलों पर कीटनाशक दवाओं के उपयोग से मानव स्वास्थ्य पर कुप्रभाव	Ill effect of insecticides used on vegetable crops on human health . .	36
7525	दिल्ली में अमाशय (गैस्ट्रिक) रोग के मामले	Cases of Gastric trouble in Delhi. . . .	36-37
7526	भारत में सोने का उत्पादन	Production of Gold in India	37
7527	गुजरांवाला गृह निर्माण सहकारी संस्था	Gujranwala House Building Cooperative Society .	38
7528	दिल्ली में गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं को भूमि का आवंटन	Allotment of land to House Building cooperative societies in Delhi .	38-39
7529	भारतीय उर्वरक निगम को हुई हानि	Losses suffered by fertilizers corporation of India .	39
7530	दिल्ली के सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वसूली विभाग में सतर्कता के मामले	Vigilance cases in collectorate of Customs and Central Excise, Delhi	39-40
7531	दिल्ली के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क वसूली विभागों में निलम्बित किये गए अधिकारी	Officials under suspension in Central excise and customs collectorate, Delhi	40-41
7532	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में नेपाल जोन की स्थापना के बाद कर्मचारियों की नियुक्ति	Posting of staff after formation of Nepal Zone in C. P. W. D. . . .	41-42

अ० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7533	राष्ट्रीयकृत बैंकों में भर्ती करने के लिये बनाये गये नये नियम	New Rules for recruitment in Nationalised Banks .	42
7534	दिल्ली में मेडिकल कालेज	Medical colleges in Delhi .	42-43
7535	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में निरीक्षक ग्रेड में पदोन्नति के लिये आयु सीमा	Age limit for promotion to inspectors in Department of Central Excise .	43-44
7536	सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, दिल्ली में संगठन तथा पद्धति एकक	O & M Unit in customs and Central Excise Department, Delhi	44-45
7537	भारत में औषधियां बनाने के लिये अमरीका की "नो" औषधि निर्माता कम्पनी को लाइसेंस देना	Grant of licence to US "Know" Company for manufacturing Drugs in India	45
7538	गुजरात में भूकम्प	Earthquake in Gujarat .	46
7539	हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, नई दिल्ली के कर्मचारियों के विरुद्ध मामले	Cases against workers of Hindustan Housing Factory, New Delhi . .	46
7540	नई दिल्ली में विनय मार्ग तथा एम० ऐवेन्यु को मिलाने के लिये ऊपरी अथवा निचले पुल	Over bridge or under bridge for connecting Vinay Marg with M. Avenue, New Delhi	46-47
7541	सेक्रीन के प्रयोग पर प्रतिबन्ध	Ban on use of Saccharin	47
7542	1969-70 में स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री के विवेकाधीन निधि से दिया गया अनुदान	Grants given from Discretionery fund of Minister of Health and family Planning and Works, Housing and Urban Development during 1969-70 .	47-48
7543	संश्लिष्ट औषधि संयंत्र, हैदराबाद से पारे की चोरी	Mercury stolen from Synthetic drugs Plant, Hyderabad	48
7544	एक मंत्रिमंडलीय मंत्री द्वारा कर का भुगतान किये बिना विदेश से टेलीविजन सेट लाया जाना	T. V. Set brought by a Cabinet Minister from Abroad without paying any tax	48-49
7545	केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा विदेश से प्राप्त स्वामित्व	Royalty received by Union Ministers from abroad	49

अ० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7546	डिस्टिलरी के वेस्ट वाटर से आवश्यक तत्वों का निकालना	Extraction of necessary contents from distillery waste water . . .	49
7548	ट्रावनकौर कोचीन के एफ० ए० सी० टी० कारखाने में अनुसूचित जातीयों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	Scheduled castes and Scheduled Tribes in FACT Factory Travancore-Cochin	50
7549	सरकार द्वारा गर-सरकारी निगमित निकायों के प्रबन्ध को अधिकार में लेना	Take over of Management of Private Corporate Bodies	50-51
7550	पंजाब के लिये पोलिस्टर फाइबर प्लांट	Polyster Fiber Plant for Punjab. . . .	51
7551	प्रधान मंत्री के लिये नया निवास स्थान	New House for the Prime Minister . . .	51-52
7552	राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिय क्षेत्रीय समितियां	Regional committees for Nationalised Banks .	52
7553	राज्यों को दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में केन्द्रीय ऋण आयोग	Central debt commission on loans given to States	52
7555	भारतीय उर्वरक निगम के गोरखपुर स्थित एकक में उर्वरकों का उत्पादन	Production of fertilizers at Gorakhpur Unit of Fertilizers Corporation of India	52-53
7557	दिल्ली में शराब की दुकानों की निलामी	Auction of liquor shops in in Delhi . . .	53
7558	दिल्ली में अवैध शराब के गोदाम पर छापे	Raid on an illicit liquor manufacturing warehouse in Delhi . .	53
7559	सिक्योरिटी पेपर मिल कर्मचारी समिति	Security paper Mills worker's Committee . .	54
7560	सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद में ड्यूटी रोस्टर	Duty Roster in Security paper Mill, Hoshangabad	54
7561	सिक्योरिटी पेपर मिलों के कर्मचारियों के मामले में उपस्थिति नियमों में भेदभाव	Discrimination in Attendance Rules for workers of Security paper Mill, Hoshangabad . .	55

अ० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7562	सिक्योरिटी पेपर मिल्स, होशंगाबाद के श्रमिकों को बोनस	Bonus to workers of Security paper Mill, Hoshangabad	55
7563	सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद के लिये श्रम कल्याण समिति	Labour welfare committee for security paper Mill, Hoshangabad . .	56
7564	देश में तपेदिक के रोगी	T. B. patients in the country	56
7565	सरकारी उपक्रमों में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति लाभ	Retirement benefits to Government Employees absorbed in public undertakings	57
7566	चलचित्र उद्योग के व्यक्तियों द्वारा सीमा शुल्क नियमों का उल्लंघन	Violation of Customs Rules by Film Industry people	57-58
7567	"मेरा नाम जोकर" नामक फिल्म तैयार करने की लागत	Cost of producing films "Mera Nam Jokar" .	58
7568	परिवार नियोजन के लिये आयुर्वेदिक यूनानी तथा सिद्ध उपचार परीक्षण	Experiments with Ayurvedic, Unani and Sidha recipes for family planning	58-59
7569	व्याज की दरों का अध्ययन करने संबंधी समिति	Committee on study of Rates of Interest . .	59-60
7570	कृषि ऋणों के बारे में राष्ट्रीयकृत बैंकों के संरक्षकों की स्टेट बैंक आफ इण्डिया से भेंट	Meeting of custodians of nationalised Banks with Chairman of State Bank of India regarding Agricultural loans . .	60-61
7571	एल्यूमीनियम की कमी तथा उसका निर्यात	Shortage of Aluminium and Export thereof .	61
7572	विश्व बैंक से परियोजना सहायता	Project Assistance from World Bank . .	62-63
7573	सरकार द्वारा डा० जोशी स्मारक अस्पताल तथा नर्सिंग होम, दिल्ली का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना	Taking over of Dr. Joshi's Memorial Hospitals and and Nursing Home, Delhi	63
7574	कृत्रिम रबड़ तथा एक्रिलोनीट्रायल मोनोमर परियोजनायें।	Synthetic Rubber and Acrylonitrile Monomer Projects	63-64

अ० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7575	गुजरात में कास्टिक सोडा क्लोरिन प्लांट स्थापित करने के बारे में निर्णय	Decision regarding setting up caustic soda chlorine plant in Gujarat . .	64
7576	नैपथा क्रैकर प्लान्ट सहित गुजरात पेट्रो रसायन उद्योग समूह को पूरा करने के बारे में विलम्ब	Delay in completion of Gujarat Petro-Chemical Complex including Naptha Cracker Plant . .	64-65
7577	कालोल तेल क्षेत्र से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अहमदाबाद विद्युत कम्पनी को गैस की सप्लाई	Supply of Gas from Kalol Oil Fields to Ahmedabad Electricity Company by ONGC	66
7578	कटिहर कस्बे का दर्जा बढ़ाकर उसे 'सी' श्रेणी का नगर बनाना	Upgrading of Kathihar 'C' Class city . . .	66
7579	मेडीकल स्टोर्स आरगेनाइजेशन की कार्य प्रणाली	Working of Medical Stores Organisation . .	66-67
7580	नारायणा कालोनी नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय	C. G. H. S. Dispensary in Naraina Colony, New Delhi	67
7582	पंडारा रोड, नई दिल्ली कालोनी में सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of Amenities in the colony at Pandara Road, New Delhi . .	67-68
7583	अल्प बचत योजनायें	Small Savings Schemes .	69
7584	अफीम का अवैध निर्यात	Illegal Export of opium	69
7585	ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सुविधाओं के विस्तार के लिये दीर्घावधि कार्यक्रम	Long Term programme for extension of Banking facilities in Rural Areas .	70
7586	कोयला उद्योग की प्रगति के बारे में भारतीय खनन के अध्यक्ष का सुझाव	Suggestion by Chairman Indian Mining Federation for uplift of coal Industry . . .	70
7587	रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली के सरकारी आवास प्राप्त व्यक्तियों को होने वाली असुविधाएं	Inconvenience faced by allottees of Government accommodation in R. K. Puram Delhi . .	71

अ० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7588	विभिन्न अस्पतालों में मानसिक रोगियों के लिये अधिक पलंग	More beds for mentally sick in various Hospitals	71-72
7589	निरीक्षण उपनिदेशक के विरुद्ध शिकायत	Complaint against Deputy Director of Inspection .	72
7590	देश में लेखाबाह्य धन	Unaccounted Money in the country . . .	72-73
7591	विदेश निवासी भारतीयों द्वारा धन प्रेक्षण	Remittances by Indians living abroad . . .	73
7592	दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या	Increasing population of Delhi	73
7593	पंडारा रोड डी-2 फ्लैट की सड़कों पर बिजली की व्यवस्था	Street lighting in Pandara Road, D-II, Flats . .	73-74
7594	विदेशों को प्रतिवर्ष धन का प्रेषण	Annual Remittances to Foreign Countries . .	74
7595	अमरीका तथा रूस से ऋण	Loans from USA and USSR	74-75
7596	राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा स्टेट बैंक द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को ऋण दिया जाना	Advance of Credit to Small Scale Industries by Nationalised Banks and State Bank	75-76
7597	हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by workers of the Hindustan Housing Factory, New Delhi .	76
7598	रामकृष्णपुरम दिल्ली के सैक्टर आठ में खुला प्लाट में स्कूल का निर्माण	Construction of School on open plot in Sector VIII of R. K. Puram, Delhi	77
7599	दिल्ली में सरकारी भूमि पर नये अनधिवासी	New Squatters on Public Land in Delhi . .	77
7600	पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to West Bengal . . .	78
7601	दिल्ली में अस्पतालों में अत्यधिक भीड़ भाड़	Overcrowding in Hospitals in Delhi.	78-79
7602	दक्षिण बम्बई में सोने का पकड़ा जाना	Seizure of Gold in South Bombay.	79
7603	रिजर्व बैंक आफ इंडिया पद का अनुवाद	Translation of the Term Reserve Bank of India	79

अ० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7604	विकास कार्यक्रम के लिये पंजाब को केन्द्रीय अनुदान तथा ऋण	Central Grants and Loans to Punjab for Development Programmes . .	80
7605	विकास कार्यक्रमों के लिये हरियाणा को ऋण	Loans to Haryana for Development programmes	81
7606	विकास कार्यक्रमों के लिये राजस्थान को केन्द्रीय अनुदान तथा ऋण	Central Grant and Loan to Rajasthan for Development Programmes .	81-82
7607	चौथी योजना में तेल निकालने का कार्यक्रम	Oil Drilling Programme during Fourth Plan .	82
7608	सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता	House Rent Allowance to Government Employees .	83
7609	जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की मजूरी में विषमताऐं	Disparities in Wages of LIC	83
7610	हल्दिया तेल शोधन परियोजना	Halda Refinery project	83-84
7611	आवास के लिये वर्ष 1970-71, 1971-72 के लिये आवर्तक निधि	Revolving fund for Housing for the Year 1970-71, 1971-72 . . .	85
7612	राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को हुआ लाभ	Advantages to Employees serving in Nationalised Banks . . .	85
7613	सरकारी बस्तियों के टाइप तीन के क्वार्टरों में अतिरिक्त पखों की व्यवस्था	Provisior of additional fans in type III quarters in Government Colonies .	85-86
7614	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात में तेल युक्त क्षेत्र में कार्य आरम्भ करना ।	Opening of New Oil Bearing Structure in Gujarat by ONGC . . .	86
7615	तनाव तथा दंगों का मूल करण व्यापक आर्थिक विषमता	Wide Economic disparity root cause of tension and disturbances . .	86-87
7616	खान अब्दुल गफ्फार खां को दी गई राशि	Amount presented to Khan Abdul Ghaffer Khan .	87
7617	व्याधिकीय (पेथोलोजीकल) सुविधाओं की सस्ती दरों पर उपलब्धता के लिये क्लिनिकल परीक्षण केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Clinical Test Centres for cheap pathological facilities .	88

अ० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7619	उत्तर प्रदेश के पौडी गढ़वाल में परिवार नियोजन केंद्र	Family Planning centres in Pauri Garhwal of Uttar Pradesh . .	88
7620	चलचित्र कलाकारों की ओर आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax outstanding against Film Stars	88
7621	चलचित्र निर्माताओं की ओर आयकर की बकाया राशि	Outstanding amount of Income Tax against Film Producers . . .	89-90
7622	5 लाख से अधिक रुपयों की आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax Outstanding above Rs. 5 Lakhs	90-92
7623	ट्राम्बे उर्वरक कारखाना विस्तार परियोजना में प्रगति	Progress at Trombay Fertilisers Factory Extension project . . .	92
7624	मेडिकल कालेजों में अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में परिवार नियोजन	Family planning as compulsory curriculum in Medical Colleges . .	92
7625	भड़ौच के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों को जीवन बीमा निगम द्वारा वित्तीय सहायता	Financial Assistance by Life Insurance Corporation to Earthquake victims of Broach . .	93
7626	दिल्ली में मलेरिया फैलना	Outbreak of Maleria in Delhi	93
7627	वर्ष 1974 तक देश में दस मेडिकल कालेज की स्थापना	Setting up of Ten Medical Colleges in the country by 1974 . . .	94
7628	चौथी योजना में विश्व बैंक तथा विदेशों से ऋण	Loans from World Bank and Foreign Countries during Fourth Plan .	94
7629	भारत-पाकिस्तान सीमा पर तस्कर व्यापार	Smuggling on Indo-Pak border	94-95
7630	मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा देने तथा प्रशिक्षण योजना के लिये निधियों का नियतन	Allocation of funds for imparting Medical Education and Training Scheme in Madhya Pradesh . . .	95
7631	श्री वी० के० कृष्ण मेनन को दो बंगलों का अलाट किया जाना	Allotment of two bungalows to Shri V. K. Krishna Menon . . .	95
7632	दिल्ली में मुस्लिम क्षेत्र बनाना	Formation of Muslim Zones in Delhi . .	96
7633	मद्रास तेल शोधक कारखाने को अपरिष्कृत तेल की सप्लाई के लिये ईरान के साथ करार	Agreement with Iran for supply of Crude oil to Madras Refinery . .	96

अ० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7634	जनहित ट्रस्ट, लखनऊ	Janhit Trust, Lucknow	96-97
7635	कृष्णराम बलदेव बैंक से भूतपूर्व ग्वालियर महाराज के अंशों का हस्तांतरण	Transfer of shares of former Maharaja of Gwalior from Krishanram Baldev Bank	97
7636	कृष्णराम बलदेव बैंक में ग्वालियर के भूतपूर्व महाराजा के अंश	Shares held by former Maharaja of Gwalior in Krishanram Baldev Bank	97-98
7637	विदेशों से मांगे गये तकनीकी सलाहकार	Technical consultants requisitioned from foreign countries . . .	98
7638	भारत के रूस्तम अशोधित तेल खरीदने का रूमानिया का प्रस्ताव	Offer by Rumania to purchase rostam Crude from India	98-99
7639	मितव्ययता तथा कार्यकुशलता लाने के लिये सरकारी कार्यालयों में पायलट योजना आरम्भ करना	Introduction of Pilot scheme in Government to effect economy and efficiency . . .	99-100
7640	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दुकानों के लिये निर्मित चबूतरों (प्लेटफार्मों) का आवंटन	Allotment of platforms constructed by DDA for shops	100
7641	नई दिल्ली के तेल भवन मार्किट में अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये दुकानों का आवंटन	Allotment of shops to scheduled castes and scheduled tribes in Tel-Bhawan Market, New Delhi	100-01
7642	दिल्ली विकास प्राधिकार के इंजीनियरों को तदर्थ वेतन वृद्धियां	*Ad hoc* increments to Engineers of Delhi Development Authority . .	101
7643	नई दिल्ली के नार्थ तथा साउथ ऐवेन्यू के फ्लैटों में रहने वालों से बाजार दर पर लिया गया किराया	Market rent charged from occupants of North and South Avenue flats, New Delhi . . .	101-02
7644	जीवन बीमा निगम के डाक्टरों द्वारा डाक्टरी परीक्षा शुल्क में वृद्धि	Increase in Medical Examination by Doctors of LIC	102-03

अ० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7645	मनीपुर में किसानों और छोटे व्यापारियों को ऋण की उपलब्धता	Credit made available to farmers and small businessmen in Manipur .	103-04
7646	भूतपूर्व स्वास्थ्य तथा चिकित्सा निदेशक, मनीपुर के मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	CBI probe into the case of former Director of Health and Medical Services, Manipur . . .	104
7647	इम्फाल नगरपालिका को अनुदान	Grant to Imphal Municipality	105
7648	मनीपुर सरकार द्वारा आवास ऋण	Housing loans by Manipur Government . . .	105-06
7649	सैन्ट्रल अस्पताल, मनीपुर में आपरेशनों पर प्रतिबन्ध	Restrictions on operations in the General Hospital, Manipur . . .	106
7651	साम्प्रदायिक दंगों में मारे गये व्यक्तियों के लिये गुजरात को सहायता	Assistance to Gujarat for the victims of communal riots	106
7652	कलकत्ता नगर की दयनीय दशा और उसका विकास	Deplorable plight of Calcutta city and its development.	107
7653	कलकत्ते में मच्छरों की समस्या	Mosquito problem in Calcutta . . .	108
7654	बैंकों में 'हार्ड एकाउन्ट्स'	Hard Accounts in Banks	108-09
7655	पश्चिम बंगाल में कोयला संसाधन	Coal resources in West Bengal	109
7656	सेंट्रल रेवन्यू कन्ट्रोल प्रयोगशाला में नमूनों की जांच	Examination of sample in Central Revenue Control Laboratory . .	110
7657	स्टट बैंक आफ इंडिया में अनुसूचित जातियों के लोगों की नियुक्ति	Appointment of scheduled castes in State Bank of India	110-11
7658	युनाइटिड कमर्शियल बैंक, जनपथ, नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये पदों का आरक्षण	Posts reserved for scheduled castes and scheduled tribes in United Commercial Bank, Janpath, New Delhi	111-12

अ० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7659	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति	Appointment of scheduled caste candidates by Central Bank of India, New Delhi . . .	112
7660	दिल्ली के फिल्म वितरकों के विरुद्ध आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax against Film Distributors of Delhi . . .	113
7661	राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रचार तथा आपरेशनों पर व्यय	Expenditure on Family planning propaganda and operations in States .	113-14
7662	चौथी योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण	Construction of quarters for Central Government Employees under Fourth Plan	114-15
7663	अनुचित श्रमिक प्रथाओं के बारे में तेल और प्राकृतिक गस आयोग का मजदूरों के संघ से करार	ONGC Agreement with Workers organisation over unfair Labour Practices	115
7664	राजस्थान के उदयपुर जिले में सरकारी भूमि से निकाली गई मरकतमणि के बारे में विवाद	Dispute re-Emerald Extracted from Government land in Udaipur District, Rajasthan . . .	116
7665	मदुरै जिले में पलानी के निकट मोलिडेंनाइट खनिज का पाया जाना	Molydenite mineral found near Palani in Madurai District	116
7666	पेट्रो कैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बड़ौदा द्वारा ब्रिटेन के सहयोग से नाफ्था क्रकर प्लांट की स्थापना	Setting up of Neptha Cracker Plant by Petro Chemical Corporation Ltd., Baroda with British Collaboration . .	116-17
7667	टाटा कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा मीठापुर में उर्वरक कारखाने की स्थापना की पुनरीक्षित योजना	Revised scheme of setting up of Fertilizer plant at Mithapur by Tatas	117
7668	200 करोड़ रुपये की आवर्तक निधि के लिये धन जुटाना तथा इसका वितरण	Raising the amount for Revolving fund of Rs. 200 crores and its distribution	117
7669	चौथी योजना में स्नेहक तेल मिश्रित करने की क्षमता को बढ़ाना	Raising of Blending capacity of Lubricating oil during Fourth Plan . . .	118

अ० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7670	केरल में लघु बचत योजना	Small Savings scheme in Kerala	118-119
7671	किलाचन्द फर्म समूह बंबई पर आय कर की बकाया राशि	Outstanding amount of income tax against Kilachand Group of Firms Bombay . . .	119
7672	दिल्ली में दुकानों का अनुसूचित-जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्तियों को आवंटन	Allotment of shops to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Delhi .	119
7674	वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि के लिये वित्तीय सहायता देने के संबंध में पटना में हुई विचार गोष्ठी	Seminar on Agricultural Financing by Commercial Banks held in Patna .	120-121
7675	दवाइयों की चोरी रोकने संबंधी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on Prevention of pilferage of drugs . . .	121
7676	वैनाड क्षेत्र तथा नीलगिरी तमिलनाडु में स्वर्ण शिलाओं के लिये सर्वेक्षण	Survey of gold lodes in Wynad Region and Nilgiris (Tamil Nadu) . .	121-122
7677	भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् से कर्मचारियों का सेवाओं की समाप्ति	Termination of Services from Indian Council of Medical Research . . .	122
7678	सहकारी समितियों के संघों अथवा अन्य संयुक्त निकायों का पंजीकरण	Registration of Federation or other joint bodies of co-operative Societies . .	122
7680	छोटे सिक्कों को ढालकर उन्हें बरतन निर्माताओं को बेचना	Selling of Small Coins after Melting to Utensils Manufacturers . .	123
7681	दिल्ली में मकानों के निर्माण के लिये भूमि के मूल्य	Prices of land for houses in Delhi. . . .	123
7682	राजस्थान के जेसलमेर जिले में पुलिस द्वारा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों को परेशान किया जाना	Alleged harassment of ONGC and GSI Scientists by Police in Jaisalmer District of Rajasthan .	123

2—7 L. S./70

अ० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7683	कलकत्ता में सड़कों के रख रखाव के लिये कलकत्ता निगम को देय राशि का भुगतान तथा अनुदानों का दिया जाना	Payment of dues and release of Grants to Calcutta corporation for Maintenance of Roads in Calcutta	124
7684	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा कोरबा की कैप्टिव जाट राज परत का खनन कार्य	Mining operations of captive Jat Raj Seam of Korba by NCDC .	124-125
7685	पेट्रोलियम उत्पादों सम्बन्धी शान्तिलाल शाह समिति की सिफारिश	Recommendations of Shantilal Shah Committee on Petroleum Products .	125
7686	क्लोरोटेट्रासाइक्लीन का पशुओं के आहार के रूप में उपयोग	Use of Cholorotetracycline as Animal Feed .	125-126
7687	अलीपुर टकसाल कर्मचारी संघ, अलीपुर कलकत्ता द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन	Memorandum submitted by Alipore Mint Employees Federation, Alipore, Calcutta . . .	126
7688	उत्पादन शुल्क के स्थान पर बिक्री कर	Replacement of Excise Duty by Sales Tax .	126-127
7689	बम्बई में फर्मों द्वारा नायलोन के धागे का आयात	Import of Nylon Yarn by Bombay firms . .	127
7690	नायलोन के धागे को चोरी छिपे लाना	Smuggling of Nylon Yarn	128
7691	भारतीय उर्वरक निगम का नाम रूप एकक	Namrup unit of fertiliser Corporation of India .	128-129
7692	मैसूर सरकार द्वारा बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी रियायत देने से इंकार	Educational concessions to children denied by Government of Mysore .	129
7693	दिल्ली विकास प्राधिकार में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों का आरक्षण	Reservation of vacancies for S. C. and S. T. in DDA	129-130
7694	ऋणों को ईक्विटी शेयरों में बदलना	Conversion of loans into equity shares . . .	130-131
7695	सरकारी उपक्रमों के जन सम्पर्क लक्ष्यों संबंधी समिति	Committee on public Relations objectives of public undertakings . . .	132-133

अ० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7696	भारत की विदेशी सहायता संबंधी आवश्यकता	India's requirement of foreign aid . . .	133
7697	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को रात्रिड्यूटी भत्ता	Night duty allowance to Central Government employees . . .	133-134
7698	धूम्रपान पर प्रतिबन्ध	Ban on smoking . . .	134-135
7699	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य चालन	Working of public sector undertakings. . .	135
7700	आयकर अधिकारियों द्वारा किये गये कर निर्धारण के मामलों के लिये लेखा-परीक्षा अभिकरण	Audit agency for cases assessed by Income Tax officers	136-137
7701	जनांकिकी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र बम्बई द्वारा गोआ में आरम्भ किया गया सर्वेक्षण कार्य	Survey work undertaken in Goa by Department of Demographic Training and Research Centre Bombay . . .	137-138
7702	पागलपन के मामलों की वृद्धि	Increase in cases of Insanity	138
7703	रति रोगों के मामलों में वृद्धि	Increase in cases of Veneral Diseases . . .	138-139
7704	टैस्ट ट्यूब से बच्चों की उत्पत्ति	Production of Test tube babies	139
7705	राजस्थान में पेट्रोलियम की खोज	Exploration of petroleum in Rajasthan . . .	139
7706	राष्ट्रीय पेट्रोलियम आयोग की स्थापना	Setting up of National Petroleum Commission .	140
7707	उर्वरक परियोजनाओं के निर्माण के लिये जानकारी	Know how for construction of fertilizer Projects . .	140
7708	पेट्रो रसायन निगम की एरोमेटिक परियोजनाओं के लिये पश्चिम जर्मनी की सहायता	West German Assistance for Aromatic Projects of Perto-chemicals Corporation	141
7709	बांसवाड़ा का खनिज सर्वेक्षण	Mineral surveys of Banswara	141
7710	उड़ीसा में कोलार नदी के निकट पाये गये स्वर्ण कण	Gold particles found near Kolar river in Orissa .	141-142
7711	मैसूर के कुद्रेमुख के खनन क्षेत्रों में सड़कों का विकास	Development of roads in Mining areas of Kudremukh, Mysore . .	142

म० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7712	आन्ध्र प्रदेश में अग्निगुन्टाला सीसा खानों के लिये निगम स्थापित करना	Setting up of a corporation for Agniguntala Lead mines in Andhra Pradesh .	142
7713	आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा जिले में भूगर्भीय सर्वेक्षण के द्वारा खनिज संसाधनों का पता लगाया जाना	Establishment of mineral resources through Geological Survey in Rayalseema District of Andhra Pradesh . . .	143
7714	भारत के भूगर्भीय विभाग द्वारा दक्षिणी क्षेत्र के कठोर चट्टान वाले क्षेत्रों के नक्शों का तैयार किया जाना	Preparation of Maps of Hard Rock areas of Southern region by Geological Survey of India . .	143-44
7715	ग्रामीण क्षेत्रो में स्वास्थ्य केन्द्र	Health centres in rural areas	144
7716	राष्ट्रीकृत बैंकों से संथाल परगना और छोटा नागपुर के किसानों को फायदा	Benefit to peasants of Chhotanagpur and Santhal parganas from Nationalised Banks .	144-45
7717	1969-70 में गुजरात में खनिज उत्पादन	Mineral production in Gujarat during 1969-70 .	145
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—		Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
	राज्य सशस्त्र पुलिस और दुर्गापुर इस्पात कारखाने के सुरक्षा कर्मचारियों के बीच मुठभड़ का समाचार	Reported clash between State Armed Police and Security Staff of Durgapur Steel Plant . .	146-47
सभा पटल पर रखे गये पत्र		Papers Laid on the Table .	148-49
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति—		Joint Committee on Offices of Profit— . . .	
	पांचवां प्रतिवेदन	Fifth Report . . .	149
	लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
	98 वां, 102 वां, 104 वां, 105 वां तथा 116 वां प्रतिवेदन	Ninety-eight, Hundred and Second, Hundred and Fourth, Hundred and fifth, Hundred and Sixteenth Reports . . .	149-50

अ० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक—		Taxation Laws (Amendment) Bill—	
	प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय का बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of report of Select Committee .	150-51
अनुदानों की मांगें, 1970-71—		Demands for Grants 1970-71—	
	श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय—	Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation	151-64
	श्री बे० कृ० दासचौधरी	Shir B. K. Daschowdhury . . .	152-54
	डा० सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayyar .	154-55
	श्री शिवचरण लाल	Shri Shiv Charan Lal .	155-56
	श्री संजीवैया	Shri D. Sanjivayya .	156-64
	प्रतिरक्षा मंत्रालय	*Ministry of Defence*	165-196
	डा० द० स० राजू	Dr. D. S. Raju	174-77
	श्री सीताराम केसरी	Shri Sitaram Kesri	177-78
	श्री प्र० क० देव	Shri P. K. Deo .	178-81
	श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	18 -82
	श्री जय सिंह	Shri Jai Singh . .	182-85
	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi . . .	185-86
	श्री फ्रैंक एन्थनी	Shri Frank Anthony .	186-89
	श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan .	189-92
	श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	192-93
	श्री ल० नो० मिश्र	Shri L. N. Misra .	193-95
	श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhongendra Jha .	195-96
	आधे घंटे की चर्चा	*Half-an-hour Discussion* .	196-98
	भारत में विदेशी बैंक	*Foreign Banks in India* .	196-98
	श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	196-97
	श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi .	198

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 27, अप्रैल, 1970/7 वैशाख, 1892 (शक)

Monday, April 27, 1970/Vaisakha 7, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
[MR. SPEAKER IN THE CHAIR]

श्री लोबो प्रभु : पटना में बम-विस्फोट में श्री रंगा की जीवन-रक्षा के लिये मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं ।

श्री रणधीर सिंह : हम सभी को इस बात की खुशी है कि श्री रंगा बच गये हैं ।

वित्त मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र०के०खाडिलकर) : हम सभी को इस बात की खुशी है कि वह बच गये हैं ।

श्री रंगा : श्री खाडिलकर और अन्य मित्रों का धन्यवाद ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

स्टैंडर्ड ड्रम एन्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई

*1232. **श्री सीता राम केसरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी, बम्बई, के निदेशकों, साझेदारों के नाम क्या है और क्या यह एक लिमिटेड कंपनी है और इसके शेयरधारियों की सूची क्या है;

(ख) इस फर्म पर/इसके साझेदारों पर वर्ष 1966–67 से लेकर अब तक कितना आयकर निर्धारित किया गया और निर्धारित राशि में से कितनी राशि का उनके द्वारा वर्षवार भुगतान किया गया;

(ग) क्या इस फर्म से इन सारे वर्षों का पूर्ण आयकर वसूल कर दिया गया है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को कापड़िया ब्रदर्स द्वारा नेशनल रेयन, किल्लिक निक्सन, ब्रिटिश वर्मा पेट्रोलियम तथा कुछ अन्य कपड़ा मिलों के शेयर खरीदे जाने के बारे में जानकारी है जो कि उन्होंने 1959–60 से लेकर स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी बम्बई, की कमाई से खरीदे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उन्होंने ये शेयर किस प्रकार प्राप्त किये थे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मेन्यूफैक्चरिंग कंपनी न तो फर्म है और न लिमिटेड कम्पनी, बल्कि एक नाम है जिससे मैसर्स मगनलाल छगनलाल (प्राइवेट) लिमिटेड, अपना ड्रम और बैरल बनाने का कारोबार करते हैं; इस कम्पनी के निर्देशकों तथा भागीदारों के नाम ये हैं :—

1. श्री मगनलाल छगनलाल कापडिया, निर्देशक ।
2. श्री पोपटलाल छगनलाल कापडिया, निर्देशक ।
3. श्री मोहनलाल छगनलाल कापडिया, निर्देशक ।
4. श्री कान्तिलाल मगनलाल कापडिया, निर्देशक ।
5. श्री नगिनदास मगनलाल कापडिया, भागीदार ।
6. श्री रसिकलाल मगनलाल, भागीदार ।
7. श्री मनहरलाल लालजी, भागीदार ।

(ख) और (ग) : मैसर्स मगनलाल छगनलाल (प्राइवेट) लिमिटेड पर, कर निर्धारण वर्ष 1966–67 तथा उसके बाद के वर्षों का कर निर्धारण कार्य अभी पूरा होना है । इसलिये, उन वर्षों में निर्धारण किये गय करों में से उनके द्वारा अदा किये गये करों का ब्यौरा देना सम्भव नहीं है । करों की वसूली का प्रश्न तो कर निर्धारण का कार्य पूरा हो जाने के बाद ही उठेगा ।

जहां तक उक्त कम्पनी के भागीदारों के कर-निर्धारण का संबंध है, कर निर्धारण वर्ष 1966–67 और बाद के वर्षों के पूरे किये गये कर निर्धारण के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

(घ) और (ङ) : सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त कम्पनी के शेयर कापडिया ओं ने ले लिये हैं । आलोच्य शेयरों को प्राप्त करने के लिये धन किस स्रोत से आया, इसकी जांच की जा रही है । फिर भी, जो तथ्य अब तक सामने आये है उनसे पता चलता है कि कुछ शेयर मैसर्स मगनलाल छगनलाल (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा अर्जित धन से प्राप्त किये गये हैं और शेष धन ब्रिटिश वर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड से और शेयर के दलालों, बैंकों तथा कम्पनीयों आदि विभिन्न पार्टियों से ऋण लेकर जुटाया गया है ।

Shri Sita Ram Kesari: The hon. Minister has stated that the Standard Drum and Barrel Mfg. Co. was floated by M/s. Magan Bhai Chhagan Bhai in 1956 with a small amount. But in 1967-68 they made a voluntary disclosure of Rs. 60 lakhs and this showed that their income was much more than this. May I know whether it is a fact that this firm had made a direct disclosure to the Government of Rs. 60 lakhs in 1967-68 and if so, the action taken thereon by the Government?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक मगनलाल छगनलाल (प्राइवेट) लिमिटेड का सम्बन्ध है यह कम्पनी 1955 में स्थापित की गई थी । यह सच है कि वित्त अधिनियम, 1965 की धारा 68 के अन्तर्गत उन्होंने तीन राशिया स्वेच्छा से प्रकट की –(1) वित्त अधिनियम 1965 की धारा 68 के अन्तर्गत 30 लाख रु० की राशि; (2) वित्त (2) अधिनियम 1965 की धारा 24 के अन्तर्गत 12,69,773 रु० की राशि; (3) आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 271 (4) (क) के अस्तर्गत 17,30,502 रु० की राशि जो कुल मिलाकर 59,90,295 रु० बनते है । इसके अतिरिक्त परिवार ने भी वित्त अधिनियम, 1965 की धारा 24 के अन्तर्गत कुछ राशियों के बारे में बताया है । जिनका जोड़ 6,33,000 रु० है।

Shri Sita Ram Kesari: As I have submitted the capacity of the Standard Drum Manufacturing Company was very low. But they misrepresented before the Government and showed excess capacity and got the steel quota for the manufacture if bitumen drum and earned Rs. 2 crores from that. You have stated that the investigation is going on. Just to corroborate my points. I would like to say that in 1956 the financial solution of this drum was very poor, but take on they made this disclosure and purchased the shares of various Superiors—Clique, Burma Petroleum, National Rayon etc. Do Government propose to have this matter investigated by the C. B. I. so that the facts may be known?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक मैसर्स स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी को इस्पात के कोटे के नियतन का सम्बन्ध है, यह सच है कि वर्ष 1967–68 में उनके पास उनकी निर्माण क्षमता से अधिक इस्पात था और कम्पनी विधि बोर्ड और उद्योग मंत्रालय उनकी जांच कर रहे है। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है कि इतने अंश खरीदने के लिये उनके पास इतना पैसा कहां से आया आयकर विभाग इसकी जांच कर रहा है। बम्बई में इसके लिये एक केन्द्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है और इन सब मामलों की जांच कर रहा है।

श्री स०मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री सम्पूर्ण मामलें में केन्द्रीय जांच ब्यूरो, अथवा प्राक्कलन समिति, अथवा लोन लेखा समिति अथवा सरकारी उपक्रम समिति द्वारा जांच कराने के लिये तैयार है?

श्री प्र० चं० सेठी : इस कम्पनी की लेखा पुस्तके केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास पहले से ही हैं। वह भी इसमें जांच कर रहा है।

Shri George Fernandes: The hon. Minister is misleading the House. The original share capital of this Company was Rs. 10 lakhs, but now it has taken over the Klick Nixon Company worth 50 crores of rupees and apart from that this Company purchased shares of National Rayon Company of the value of three and a half crores of rupees. Where from did this Company get all this money? Why the Government is not prepared to hold an immediate enquiry into the whole amount of things?

श्री प्र० चं० सेठी : माननीय सदस्य ने कहा कि मैं सभा को गुमराह करने का प्रयत्न कर रहा हूं अथवा गलत जानकारी दे रहा हूं। जहां तक इस बैरल कम्पनी का सम्बन्ध है मैं अपनी याद में पहली बार इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। अत: इस कम्पनी के बारे में मैं ने पहले कभी उत्तर नहीं दिया . .

Shri George Fernandes: If the Minister change, what can we do?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक इस कम्पनी की मूल अंशपूंजी का सम्बन्ध है, इसके पास सौ सौ रुपये के 10,000 अंश है और इसलिये इस कम्पनी की कुल अंशपूंजी निश्चित रुप से 10 लाख रुपये है। आज कम्पनी की कुल पूंजी 3,73,87,157 रु० के लगभग है न कि 15 करोड़ रुपये के लगभग जहां तक क्लिक कम्पनी का सम्बन्ध है, 1,24,924 रु० की कुल अंश पूंजी में से इस कम्पनी के पास 24,000 अंश है। इस प्रश्न की जांच की जा रही है कि इस कम्पनी के पास इतना पैसा कहां से आया, किन बैंकों से लिया।

भारत में एल० एस० डी० औषधि के प्रयोग पर रोक

*1233. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिप्पियों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली एल० एस० डी० औषधि अब भारत में भी उपलब्ध है और क्या कुछ भारतीय, विशेषकर विद्यार्थी, इसके अभ्यस्त हो गये है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान ब्रिटेन में विशेषज्ञों की समिति द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में से इस निष्कर्ष की ओर दिलाया गया है कि एल० एस० डी० के प्रयोग से मस्तिष्क की स्थिति ऐसी हो जाती है जिसमें सम्बन्धित व्यक्ति हत्या करने को उत्सुक हो जाता है; और

(ग) यदि हां, तो भारत में एल० एस० डी० के प्रयोग पर रोक लगाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ग) शिक्षण संस्थानों से सम्बद्ध मनोवैज्ञानिकों द्वारा वैज्ञानिक अध्ययनों के लिये बहुत ही सीमित मात्रा में एल० एस० डी० के आयात की अनुमति दी जाती है। हम इस बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे है कि क्या कुछ भारतीय विशेष रुप से विद्यार्थी इसके आदि हो गये हैं।

(ख) जी हां। एल०एस०डी० के प्रयोग से कभी कभी मस्तिष्क की स्थिति ऐसी हो जाती है कि इससे प्रभावित व्यक्ति आत्महत्या तक कर सकता है या आपराधिक कृत्य कर सकता है।

Shri Raghuvir Singh Shastri: May I know whether it is a fact that an organisation by the name of Pakistan Press International has, on the basis of a survey conducted by it, stated that L. S. D. and other narcotics are stored in large quantities in Pakistan and from there they are smuggled into the neighbouring Countries—countries on the Persian Gulf, Afghanistan and India—and that many such cases have been detected, if so, the steps being taken by the Government in this regard?

श्री ब० सू० मूर्ति : हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान में इसे जमा करके पड़ौसी देशों को भेजा जाता है। अन्य अभिकरणों द्वारा इसके निर्यात की हमारे पास जानकारी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया मनोवैज्ञानिक प्रयोजनों के लिये बहुत कम मात्रा में इसका आयात किया जा रहा है।

Shri Raghuvir Singh Shastri: May I know whether it is a fact that the Hippies coming to India from abroad bring with them large quantities of L. S. D. and other narcotics and our students and youngmen are contracting this evil from them and if so, whether it can be hoped that like Pakistan, the entry of Hippies will be banned in our Country?

श्री ब०सू० मूर्ति : यह जानकारी सीमायुक्त अधिकारियों को दे दी जायेगी और वे आवश्यक कार्यवाही करेंगें।

श्री रंगा : क्या यह सच है कि एल० एस० डी० और अन्य मादक पदार्थ बड़ी मात्रा में आयात किये जा रहे हैं और पंजाब में काफी लोग इनका प्रयोग करते हैं और वहां पर एक नियमित व्यापार चल रहा है जिसका विद्यार्थियों सहित सभी वर्गों में लोगों पर बुरा असर पड़ रहा है? क्या सरकार

जांच करेगी कि कितनी मात्रा में उनका आयात किया जा रहा है और पंजाब और उसके पड़ौसी क्षेत्रों में उनके प्रयोग के बारे में भी और क्या सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

श्री ब० सू० मूर्ति : यह एक अच्छा सुझाव है। किन्तु जहां तक हमें पता है विद्यार्थियों के किसी शिक्षा संस्थान ने इस बारे में राज्य के अधिकारीयों को या हमकों इसकी सूचना नहीं दी है। (व्याधन)

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के०शाह) : मैं समझता हूं माननीय सदस्य बारबीट्यूरेटस् का जिक्र कर रहे हैं, कुछ दुरुपयोग की सूचना मिली है और हम इसकी जांच कर रहे है।

डा० राराने सेन : माननीय मंत्री के उत्तर से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या कुछ ऐसी फर्में हैं जो विदेशों से एल० एस० डी० मंगाने के लिये आयात लाइसेंस प्राप्त कर रहे है।

दूसरे यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या सरकार को पता है कि इस विशेष मादक पदार्थ के सम्बन्ध में बड़े पैमाने पर तस्कर व्यापार हो रहा है। यदि हां तो इसको रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री के० के० शहा : उल्लिखित समिति, जिसे ब्रिटेन में स्थापित किया गया था, इस नतीजे पर पहुंची है कि एल० एस० डी० मुख्यतः अमरिका से लाई जाती है।

श्री उमानाथ : माननीय मंत्री ने कहा कि उन्हे इस एल० एस०डी० और ऐसे अन्य मादक पदार्थों के आयात अथवा तस्कर व्यापार की जानकारी नहीं है। राजधानी में ही कई समाचार पत्रों में यह खबर छपी है कि ऐसे बहुत से अभिकरण है, जिनमें विदेशी और स्वदेशी शामिल है, जहां पर उन्हे बेचा जा रहा है। उन्हे पुराने होटलों और रसपान की दुकानों में बेचा जाता है, और समाचारपत्रों में खुले आम कहा जाता है कि इतने अड्डे संगठित किये गये और स्वयं दिल्ली शहर में इसके साथ हिप्पियों का सम्बन्ध है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की कोई सूचना नहीं है। किन्तु इसके तथा अन्य पदार्थों के प्रयोग के लिये विद्यार्थियों को गुमराह किया गया था। यह सब हो रहा है। क्या सरकार को समाचार पत्रों में छपे इस समाचार का पता है कि एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस देश में इसके वास्तविक परिचालन की केवल 2 प्रतिशत मात्रा ही वसूल की जाती है और यदि हिप्पियों के इस देश में आने पर पूर्ण ऐक लगा दी जाती है तो आधा काम हो जायेगा ? इसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री के० के० शाह : यह सच है कि कभी कभी ये समाचार छपे हैं कि गोआ, नेपाल और अन्य स्थानों में हिप्पियों से एल० एस० डी० बरामद की गई। प्रश्न हिप्पियों के बारे में नहीं हैं; प्रश्न यह है कि क्या विद्यार्थियोंको इसकी आदत पड़ती जा रही है। जैसा कि मैं ने कहा हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जहां तक हिप्पियों का सम्बन्ध है कुछ हिप्पियों को एल० एस० डी० के साथ गिरफ्तार किया गया है।

श्री उमानाथ : हिप्पियों के आने पर रोक लगाने के बारे में क्या विचार है ?

श्री के० के० शहा : संयुक्त राष्ट्र संघ की सामाजिक तथा आर्थिक परिषद ने एक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन का उद्देश्य, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर एल० एस० डी० सहित मानसिक रोगों की औषधियों के निर्माण, आयात, विवरण और प्रयोग विनियमीत करना है। वित्त मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श से अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिये एक प्रारूप तैयार कर रहे हैं।

श्री उमानाथ : मेरा प्रश्न यह था कि हिप्पियों के आने पर शेक लगाने के सम्बन्ध में एक पुलिस अधिकारी का जो सुझाव था उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री के० के० शाह : कार्यवाही के लिये यह एक अच्छा सुझाव हैं ।

मुस्लिम उलेमाओं द्वारा परिवार नियोजन के विरुद्ध प्रचार

*1235. **श्री बलराज मधोक** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुस्लिम उलेमा धर्म के नाम पर परिवार नियोजन के विरूद्ध प्रचार कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बंगलोर की एक उर्दू साप्ताहिक पत्रिका 'फील्ड मार्शल' के मार्च के एक संस्करण में प्रकाशित एक लेख में भारत के मुसलमानों को आह्वान किया गया है कि 'चार बार विवाह करके अपनी संख्या बढ़ाओ । यह कुरान का आदेश हैं' ;

(ग) क्या यह भी सच है कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए देश में मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो मुसलमानों में परिवार नियोचन के विरूद्ध चलाये जा रहे ऐसे अभियान के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसके बृहत्तर परिणाम क्या होंगे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चद्रशेखर) : (क) अभी तक मुस्लिम उलेमाओं का हाल में कोई संगठित विरोध नहीं पाया गया है । परन्तु देववन्द के चार उलेमाओं ने दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम द्वारा नसबन्दी के समर्थन में जारी किए गए फतवे के प्रत्युत्तर में नसबन्दी के विरुद्ध एक फतवा जारी किया था ।

(ख) और (ग). जैसा भाग 'क' में उल्लिखित है इस प्रकार का परिवार नियोजन विरोधी अभियान व्यापक रूप में नहीं है । हम ऐसी इक्की दुक्की घटनाओं का प्रत्युत्तर प्रचार द्वारा सामना करते रहे है ।

(घ) इस विभाग का इस ओर पूरा ध्यान है और इस बात से सन्तुष्ट है कि सभी समुदाय लगभग अपनी जनसंख्या के अनुरूप ही परिवार नियोजन को अपना रहे हैं ।

Shri Balraj Madhok: Sir, the population has its own importance in a democracy based on adult franchise and in this Country the family planning is being opposed with this political motive. An Urdu weekly "Field Marshal" Published from Bangalore says :

"चार बार विवाह करके अपनी संख्या बढ़ाओं ; यह कुरान का कानून है ।" . . . "हम एक समय में चार पत्नियों से विवाह कर के संख्या में पड़ोसियों, अर्थात, हिन्दुओं अपने के समान हो सकते है ।" इसका उद्देश्य जनसंख्या को बढ़ाना है । सरकार इस प्रकार के प्रचार को रोकने के लिये क्या कर रही है जिसका कि जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है ? परिवार नियोजन पर चतुर्थ योजना में 100 करोड़ रू० खर्च किया जा रहा है । परिवार नियोजन की उचित क्रियान्विति के लिये सरकार इस प्रचार को रोकने के लिये क्या कर रही है ?

डा० श्रीपति चंद्रशेखर : यह सही है कि बंगलौर के एक पत्र ने मुस्लिम धर्म से सम्बन्ध रखने वालों के लिये इस प्रकार की बात लिखी है, क्योंकि, पत्र लिखता है, हमारे सदस्य हमारी राजनीतिक शाक्ति हैं और लोकतंत्र में संख्या का महत्व है और इसलिये हमें अधिक संख्या में व्यक्तियों की आवश्यकता है। किन्तु अकेला यह तमिल समाचार पत्र इस से सहमत है। अतः हमें इसको अधिक गंभीरता से नहीं लेना चाहिये।

श्री बलराज मधोक : क्या यह सच है कि उसी नीति के अनुसरण में, एक फतवा दिया गया है और उसे क्रियान्वित किया जा रहा है ? काश्मीर में और अन्य कई स्थानों में महिलाएं लूप लेती हैं और उन्हें 10 रू० दिये जाते हैं। तब वे दाई के पास जाती हैं और उन्हें हटवा देती हैं। इस प्रकार परिवार नियोजन का उद्देश्य विफल हो रहा है और सरकार का पैसा खराब हो रहा है। क्या सरकार इन सब बातों के बारे में जांच करेगी और यदि हां, तो ऐसी चीजों को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

डा० श्रीपति चंद्रशेखर : यह सच नहीं है कि परिवार नियोजन कार्यक्रमों के अपनाए जाने के बारे में समुदायवार हमारे पास काश्मीर के विश्वसनीय आंकड़े हैं। और एक लम्बी सारणी उपलब्ध है जिसे मैं सभापटल पर रखना चाहता हूं जिसे माननीय सदस्य शायद देखना चाहें। मैं ने अनेकों-बार रिकार्डों की जांच की है और काश्मीर में महिला जातिके $\frac{1}{2}$ प्रतिशत ने भी लूप नहीं लगवाये हैं।

श्री बलराज मधोक : क्या आप जांच करेंगे ?

डा० श्रीपति चंद्रशेखर : मैं करुंगा।

Shri Randhir Singh : Sir, under the Muslim personal law polygamy is permissible. The Shariat permits it. Is the hon. Minister in a position to give an assurance that no such thing will be done in the name of family planning as would offend the religious susceptibilities of the Muslims and also against the Preamble of the Constitution ?

डा० श्रीपति चंद्रशेखर : हम मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। ारी नीति यह है कि यदि मुस्लिम स्वयं आगे आकर यह कहते है कि हम एक समान धर्म निरपेक्ष कानून के अन्तर्गत आना चाहते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि हम इस समुदाय के बहुसंख्यक लोगों को मना सकते हैं।

श्री लोबो प्रभु : मैं श्री मधोक का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यह कहा कि मुसलमानों के साथ साथ कैथोलिक भी परिवार नियोजन का विरोध करते हैं। मैं माननीय मंत्री से विशिष्ट रुप से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस बात पर विचार किया है कि वह कैथोलिकों को, परिवार नियोजन अपना कर, अपने धर्म की उपेक्षा करने के लिये क्यों बाध्य कर रहे हैं ? क्या यह अनुच्छेद 26 के विरुद्ध नहीं है ? क्या चौथे बच्चे के लिये शिक्षा सम्बन्धी रियायतों का बन्द कर दिया जाना अनुच्छेद 14 से संगत है जिसमें प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिये गये है जबकि उस बालक ने परिवार नियोजन के विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया है ?

डा० श्रीपति चंद्रशेखर : माननीय सदस्य का प्रश्न कुछ गलतफहमी पर आधारित है। यह पूर्ण रुप के एक स्वेच्छात्मक प्रयत्न है। केरल में कैथोलिक बिना किसी दबाव के परिवार नियोजन केन्द्रों में गये हैं। माननीय मंत्रीने, जो एक ऊंचे दर्जे के कैथोलिक हैं, कल तक यात्रा की है और सभाओं में भाषण भी दिये हैं। यदि वे अपनी धार्मिक भावनाओं का उल्लंघन करना चाहते है तो कोई कारण नहीं है कि सरकार उनको सुविधाएं न दे।

माननीय सदस्य जानते हैं कि देश भर के मुसलमानों ने और लेटिन अमरिका के मुसलमानों ने इस हद तक परिवार नियोजन को अपनाया है। कुछ लोगों का ख्याल है कि पोप की ओर से एक पत्र भेजा जाने वाला है। स्वयं पोप की ओर से यह पुष्टि की गई है कि इस सम्बन्ध में लोगों को पूरी स्वतन्त्रता है, वे उस तरीके को अपना सकते हैं।

श्री लोबो प्रभु : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। आप किसी समुदाय पर इसको नहीं लाद सकते।

डा० श्रीपति चंद्रशखर : हम किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध इसे उसपर नहीं लाद सकते। विशेष रूप से महाराष्ट्र और मैसूर में ऐसे कुछ मामले है।

श्री लोबो प्रभु : वास्तव में कैथोलिक इस तरीके को नहीं अपनाते। कृपया सही उत्तर दीजिये।

डा० श्रीपति चंद्रशेखर : मुझे कई कैथोलिक पादरी मिले हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि वे शादी करना चाहते हैं और परिवार नियोजन भी करना चाहते हैं।

जहां तक चौथे बच्चे से सम्बधित मांग का सम्बन्ध है, कुछ राज्य सरकारों ने प्रोत्साहन और दुरुत्साहन की पद्धति लागू की है जो तीसरे बालक के बाद लागू होती है। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का प्रत्येक अधिकार है कि उन्होंने जिस नीति का अनुसरण किया है वह क्रियान्वित हो।

श्री लोबो प्रभु: किन्तु यह संविधान के विरुद्ध है।

डा० श्रीपति चंद्रशेखर : तो इसे न्यायालय के समक्ष ले जाया जाये और फिर देखते हैं कि क्या फैसला होता है।

श्री हेम बरूआ : क्या यह सच है कि वे मुसलमान नेता, जिन्होंने कुरान और अन्य स्रोतों से उद्धरण दे कर बंगलौर से प्रकाशित एक पत्र में परिवार नियोजन का समर्थन किया है। एक से अधिक पत्नियां रखने वाले व्यक्तियों द्वारा चुप कर दिये जाते हैं।

डा० श्रीपति चंद्रशेखर : एक प्रमुख इस्लामी नेता ने लिखा है कि कुरान में परिवार नियोजन की अनुमति दी गई है और दूसरे लोगों ने इसका विरोध किया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने से रोक न जाय।

श्री हेम बारूआ : उसको चुप कर दिया गया है।

डा० श्रीपति चंद्रशेखर : नहीं, वह अब भी लिख रहा है।

Shri M. A. Khan: May I know whether Government have made a survey to ascertain as to the people belonging to which religion practice polygamy and their percentage and if not, whether Government propose to do so? Is it not a fact that the latest statistics published in the press make it amply clear that the percentage of Muslims practising polygamy is higher than those of the people belonging to other religions?

डा० श्रीपति चंद्रशेखर : मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है। 21-12-1969 को भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता ने, हमारे देश में बहुविवाह के सम्बन्ध में नमूने के आधार पर किये गये एक सर्वेक्षण के परिणामों को प्रकाशित किया है। परिणाम बड़े रुचिकर हैं। अध्ययन के अनुसार कुल बहु-विवाहों में से 72 प्रतिशत हिन्दुओं में हैं और 15 प्रतिशत मुसलमानों में। भारत में किसी धर्म चाहे कुछ भी हो, बहुविवाह की प्रथा शहरी लोगों में आम तौर पर है। उड़ीसा में बहुविवाह बहुविवाह की दर सब से अधिक है जो कि 19.59 प्रति हजार विवाहित पुरुष है और उसके बाद आन्ध्र है जहां पर यह दर 18.21 प्रति हज़र विवाहित पुरुष है। अतः बहुविवाह की प्रथा मुसलमानों में ही नहीं हिन्दुओं में भी है।

Shri Arjun Singh Bhadoria: Sir, it is not correct to say that Muslims do not go to the family planning centres. I have personally seen the Family Planning Centres being run by the Muslim women in Udaipur. May I know whether Government have information of this type in relation to such work of family planning in other parts of the Country?

डा० श्रीपति चंद्रशेखर : भारत के कुछ भागों में, विशेष रूप से भोपाल, औरंगाबाद, श्रीनगर में, मुसलमान एक बड़ी संख्या में परिवार नियोजन से लाभ उठा रहे हैं। माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं वह सही है। यदि आप नसबन्दी को छोड़ कर लूप या परम्परागत निरोध को लें, तो भारत के कुछ भागों में, तो मुसलमान एक बड़ी संख्या में उनसे लाभ उठाने के लिये आगे आये हैं।

Shri Ram Sewak Yadav: Hindu religion permitted more than four marriages and the Government interfered in it and restricted it to one. But in the case of Muslims a man can have four wives at a time. A Hindu, in Government service is prosecuted if he has more than one wife, but not a Muslim. Will Government make an effort to bring under the purview of the Family Planning all people irrespective of their religious affinities?

डा० श्रीपति चंद्रशेखर : मुझे दोहराना होगा कि आदर्श तो एक समान व्यवहार संहिता है, किन्तु मैं संविधान के रचयिताओं को चुनौती देने के लिये यहां नही हूं।

डा० सुशीला नायर : यह सर्वविदित है कि अन्य समुदायों की अपेक्षा मुसलमान परिवार नियोजन का अधिक विरोध करते हैं, किन्तु क्या यह सही नहीं है कि परिवार नियोजन के लिये विरोध धर्म पर आधारित नहीं है, अपितु विशेष रुप से स्त्रियों में शिक्षा की कमी और पिछड़ेपन पर आधारित है, दुर्भाग्य से मुस्लिम समुदाय अन्य समुदायों की अपेक्षा अधिक पिछड़ा है। मैं जानना चाहती हूं कि परिवार का आकार का सम्बन्ध मां के शिक्षा स्तर से सम्बन्धित है। क्या मंत्री महोदय, अधिक बच्चे पैदा करने के लिये मातापिता को दण्ड देने का और तरीका ढूढेंगे बजाय इसके कि छात्रवृत्तियां न देकर बच्चा को दण्ड दिया जाय?

डा० श्रीपति चंद्रशेखर : परिवार के आकार तथा परिवारों के शिक्षा स्तर, पिछड़ेपन, आप और विशेष रुप से सम्बन्धित माताओं और पत्निओं की शिक्षा के बीच परस्पर सम्बन्ध के बारे में माननीय सदस्य का कथन बिल्कुल सही है। जहां तक प्रश्न के दुसरे भाग का सम्बन्ध है, अर्थात हमें बच्चों को नहीं अपितु मातापिता को दण्ड देने के लिये कुछ करना चाहिये, हम इसकी जांच करेंगे ।

Shri Shashi Bhushan: May I know whether Government propose to take any action against the persons indulging in preaching against family planning, whether those persons be Shankaracharya or Shrimati Sindhia?

Shri Ram Gopal Shalwale: Why the Shankaracharya is being dragged in; he is Sanyasi and has nothing to do with it?

डा० श्रीपति चंद्रशेखर : हम नहीं जानते कि हम क्या कर सकते हैं; सरकार की नीति के विरुद्ध बोलने वाले व्यक्तियों को हम किसी प्रकार भी रोक नहीं सकते हैं, किन्तु जो व्यक्ति सरकार की सेवाओं से लाभ उठाना चाहते हैं, हम उनके कार्य में अन्य व्यक्तियों को हस्तक्षेप नहीं करने देंगे .... (**व्यवधन**)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप संसद सदस्यों के लिये भी परिवार नियोजन की बात सोच रहे हैं ? अगला प्रश्न ।

शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में सुझाव

+

*1237. **श्री राम किशन गुप्त :**
श्री अदिधन :
श्री देवराव पाटिल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने भूमि तथा भवनों के रूप में शहरी सम्पत्ति की अधिक तम सीमा निर्धारित करने के बारे में अपने सुझाव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी जांच की गयी है ; और

(ग) यह अधिकतम सीमा निर्धारित करने का प्रश्न इस समय किस स्थिति में है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) राज्यों से अब तक जो उत्तर प्राप्त हुए हैं वे, बहुत कुछ अन्तरिम प्रकार के हैं और उनके जरिये यह सूचना दी गयी है कि वे इस मामले की जांच करा रहे हैं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) शहरी सम्पत्ति की उच्चतम सीमा के प्रश्न के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए दिसम्बर, 1969 में एक कार्यकारी दल की नियुक्ति की गयी थी। इस कार्यकारी दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और सरकार इस पर विचार कर रही है।

Shri Ram Kishan Gupta: The hon. Minister has said that the Report of the Study Group is under consideration. May I know the main recommendations of that Report and when a final decision is likely to be taken thereon since the present Government have declared in its ten-point programme that expeditious steps would be taken?

श्री प्र० चं० सेठी : हमें कार्यकारी ग्रुप से हाल ही में एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और वह मंत्रिमण्डल के विचाराधीन है। जब तक सरकार इस पर विचार नहीं कर लेती कार्यकारी दल के ब्यौरे को बताना कठिन होगा।

Shri Ram Kishan Gupta: May I know which of the States have sent their suggestions, which of them have liked and which of them disliked this?

श्री प्र० चं० सेठी : इस मामले में प्रधान मंत्री ने 20 फरवरी, 1970 को सभी मुख्य मंत्रियों को एक पत्र लिखा था और अभी तक हमें 11 राज्यों से उत्तर प्राप्त हुए है। जम्मू तथा कश्मीर, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरल, मैसूर, त्रिपुरा के मुख्य मंत्रियों ने प्रधान मंत्री के पत्र की प्राप्ति की सूचना देते हुए अन्तरिम उत्तर भेजे हैं। उत्तर प्रदेश और गोआ के मुख्य मंत्रियों ने इस योजना का समर्थन किया है। अन्य राज्यों ने अभी तक पत्र का उत्तर नहीं दिया है।

Shri Deo Rao Patil: In the villages, ceiling has been imposed on property. It implies that people have more land. There Agriculture Income Tax and Wealth Tax on Agriculture has also been imposed. May I know whether the Chief Ministers, who have not recommended the imposition of ceiling, have declined to give any recommendation because it involves the abridgement of Fundamental Rights?

Shri P. C. Sethi: The Chief Ministers who have sent interim replies in this regard have stated that they are getting this question studied in detail and that they have to obtain the views of the working groups of the State. Hence it is not proper to say that the Chief Ministers have opposed it.

श्री स० कण्डप्पन : चूंकि शहरी सम्पत्ति पर उच्चतम सीमा लागू करने हेतु विधेयक लाने के लिये सरकार पहले से ही वचनबद्ध है, क्या सरकार ने अध्ययन दल के प्रतिवेदनों को, जो उसके पास है सभी राज्य सरकारों को भेज दिया है ताकि वे उस प्रतिवेदन की सहायता से समस्या का अध्ययन कर सकें और सरकार को अपनी सिफारिशें भेज सकें?

श्री प्र० चं० सेठी : अध्ययन दल के प्रतिवेदन पर मंत्रिमंडल द्वारा विचार कर लिये जाने के पश्चात् हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे।

श्री इ० के० नायनार : क्या ग्यारह राज्य सरकारों ने प्रधान मंत्री के सुझाव पर अपनी प्रतिक्रिया भेज दी है? क्या सरकार शहरी सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकतम सीमा को क्रियान्वित करने हेतु योजना लागू करने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित कर रही है क्योंकि भूमि सुधार विधान पिछले 20 वर्षों से चल रहा है। इसी प्रकार से यह भी सरकार की एक ढुलमुल नीति रहेगी।

श्री प्र० चं० सेठी : हमने इस विषय पर राज्य सरकारों से लिखापढ़ी की है और इससे यह सिद्ध होता है कि हम इस विधान को यथाशीघ्र पारित कराना चाहते हैं, किन्तु इस मामले में कोई निश्चित तिथि निर्धारित करना कठिन है।

श्री हेम बरूआ : विशेष रूप से प्रादेशिक असंतुलन को ध्यान में रखते हुए स्थिति एक राज्य से दुसरे राज्य में भिन्न है। उदाहरणार्थ एक बात जो एक नगर पर लागू होती है, बम्बई जैसे नगर पर लागू नहीं होगी। इसलिये, क्या सरकार शहरी सम्पत्ति के बारे में विधान बनाने के लिये निर्णय करते समय इस पहलू को ध्यान में रखेगी?

श्री प्र० चं० सेठी : यह एक विस्तार का मामला है और प्रतिवेदनों के प्राप्त होने पर निर्णय करते समय इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री बी० कृष्णामूर्ति : शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करना केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य है और प्रधान मंत्री ने, मूल अधिकारों के सम्बन्ध में संविधान में संशोधन किये बिना ही, इसे क्रियान्वित करने के लिये मुख्य मंत्रियों को एक पत्र लिखा है । मैं प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं कि शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिये राज्य के मुख्य मंत्रियों या राज्य सरकारों से कैसे आशा की जा सकती है ।

श्री प्र० चं० सेठी : हमें इस मामले को राज्य सरकारों को भेजना होगा और प्राप्त कानूनी राय के प्रकाश में इस मामले पर संविधान के अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत कानून बनाने के बारे में कार्यवाही करनी होगी । हमें राज्य सरकारों से उनकी राय लेनी होगी । राज्य सरकारों ने एक अध्ययन दल नियुक्त किया है । वे इसकी आगे जांच कर रहे हैं, और उनकी राय प्राप्त होने के पश्चात और कार्यकारी दल के प्रतिवेदन की जांच करने के पश्चात् ही हम इसपर कोई अन्तिम निर्णय करेंगे ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या प्रतिवेदन के प्राप्त होने के पश्चात या राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात भारत सरकार ने संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से इस समस्या की जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैं ने कहा कि हमारे द्वारा प्राप्त कानूनी राय के अनुसार इस मामले पर संविधान के अनुच्छेद 252 के अनुसार विचार करना होगा ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यह अच्छा है कि केन्द्रीय सरकार इसे क्रियान्वित करने के लिये गंभीर कार्यवाही कर रही है । क्या राज्य सरकारों से प्राप्त अन्तरिम उत्तरों में उन्होंने किसी अधिकतम सीमा का सुझाव दिया है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जैसा कि मैं ने बताया कुछ राज्य सरकारों ने अन्तरिम उत्तर भेजे हैं; कुछ ने कार्यकारी दल नियुक्त किये हैं और कुछ इसकी और जांच करने जा रहे हैं । केवल दो राज्य सरकारों ने मोटे तौर पर इस योजना पर सहमति प्रकट की है । मुख्य मंत्रियों से प्राप्त पत्रों का ब्यौरा देना मेरे लिये संभव नहीं है । अलबत्ता उत्तर प्रदेश और गोआ, दो राज्य सरकारों ने योजना पर मोटे तौर से सहमति प्रकट की है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को चण्डीगढ़ प्रतिकर भत्ता

*1238. **श्री श्री चन्द गोयल :** क्या वित्त मंत्री बह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कुछ वर्ष पूर्व चण्डीगढ़ प्रतिकर भत्ता दिया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि यह भत्ता इस आधार पर समाप्त कर दिया गया है कि राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए इसे समाप्त कर दिया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकारों ने अब चण्डीगढ़ प्रतिकर भत्ते को बहाल कर दिया है और यदि हां, तो क्या इस भत्ते को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये भी बहाल किया जायगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां। चंडीगढ़ में तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को, मूल वेतन के 12.5 प्रतिशत की दर से विशेष प्रतिपूर्ति भत्ता 1 दिसम्बर, 1954 से मंजूर किया गया था।

(ख) जी नहीं। चंडीगढ़ में तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का यह भत्ता, 1-1-62 से 1-1-64 तक की अवधि के बीच शनैः शनैः बन्द किया गया था। ऐसा इसलिय किया गया था कि आरम्भ में जिन परिस्थितियों में यह भत्ता मंजूर करने की आवश्यकता पड़ी थी, वे परिस्थितियां समाप्त हो चुकी थीं।

(ग) और (घ). पंजाब सरकार ने इस प्रकार का भत्ता 1-4-63 से बन्द करने के आदेश जारी किये थे, परन्तु बाद में उसने उन्हें रद्द कर दिया था। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विशेष प्रतिपूर्ति भत्ता फिर से मंजूर करने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि आरम्भ में जिन परिस्थितियों में कर्मचारियों को यह भत्ता मंजूर करने की आवश्यकता उपस्थित हुई थी, उनकी समीक्षा के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि चंडीगढ़ के विकास और सुविधाओं की वृद्धि के कारण यह भत्ता बन्द किया जा सकता है। अपने कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता मंजूर करने की सरकारी नीति के अनुसार चंडीगढ़ 'सी' श्रेणी के नगरों में आता है और महंगाई वेतन को मिलाकर 620/- रु० प्रतिमास से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 7.5 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता दिया जाता है और 665/- रुपये वेतन तक उसका सीमान्त समायोजन किया जाता है।

Shri Shri Chand Goyal : Whether it is not a fact that firstly the Government of Punjab had granted this special allowance to its employees in view of higher cost of living in Chandigarh and afterwards the Government of India agreed to give this allowance to Central Government employees on the similar scale. Later on after the Chinese aggression the Government of India appealed to all Government employees to sacrifice something in view of emergency. Because of that the allowance of both Punjab Government and Central Government employees was stopped. However, after the lifting of emergency the Government of Punjab again sanctioned this allowance for her employees. I would like to know whether it is not a discrimination against Central Government employees ? What are the reasons for such a discrimination ?

Shri P. C. Sethi : This allowance began to be paid in 1954 because Chandigarh was then undergoing development, as a result of which the cost of living was higher there. The situation has improved there now. The Government of Punjab had also discontinued this allowance. We had also decided to reduce the allowance from 12½ per cent to 8 per cent from January 1, 1962 to December 31, 1962 and to 4 per cent from January 1, 1963 to December 31, 1963 and to discontinue it from 1st January, 1964. Later on, for certain reasons the Government of Punjab again started paying this allowance to her employees. We have, however, decided to stick to the decision already taken that is why this allowance has not been given.

Shri Shri Chand Goyal: I would like to know whether there has been any change in the circumstances due to which this special allowance was given and if so, the nature thereof? Is it not a fact that Chandigarh is costlier than all other cities in India? In view of the higher cost of living the Government of Punjab have resumed the payment of this allowance. What are the reasons for your not paying the allowance? The review committee had given its decision after considering the whole matter. I would like to know whether the representatives of employees were also associated with the review committee or not? Who were the members of the committee and what was the basis for their recommendation?

Shri P. C. Sethi : As I have told at the outset, the payment of this allowance was started because Chandigarh was not developed then. Now it is a fully developed city. The allowance has been stopped because the conditions which led to the starting of the allowance have improved. I do not have the information regarding the representatives of employees or the Review Committee at present and I will inform the Member after I collect the information.

श्री स० मो० बनर्जी: माननीय मंत्री ने कहा है कि जब चंडीगढ़ अविकसित था तब वे भत्ते दिये गये थे। परन्तु यह पूरी तरह सिद्ध हो गया है कि जब वह अविकसित था तब मूल्य कम थे परन्तु उसके विकसित होने पर मूल्य बढ़ गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रश्न भी वेतन आयोग को सौंपा जायगा और उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत होने तक यह भत्ते जारी रखे जायेंगे ?

श्री प्र० चं० सेठी : जैसा कि मैंने बताया है, यह भत्ता निर्माण या परियोजना भत्ता के रूप में दिया गया था। अब निर्माण या परियोजना भत्ते का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि परियोजना पूरी हो चुकी है और नगर पूर्णतया विकसित है। यह भत्ता महंगाई को देखते हुए नहीं दिया गया था। संघ राज्यक्षेत्रों में काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का प्रश्न भी वेतन आयोग को सौंपा गया है।

Shri A. B. Vajpayee: The Minister has stated that this allowance was given as a construction allowance. Does the hon. Minister admit that Central employees working in Chandigarh have to suffer financial loss as a consequence of this allowance being discontinued? Will the Central Government consider the matter sympathetically in view of the resumption of this allowance by Government of Punjab?

Shri P. C. Sethi: It is a fact that they suffered financial loss on the allowance being stopped. It cannot be denied but the question is whether the purpose for which the allowance was sanctioned still exists or not? The purpose does not exist and that is why the allowance is not being paid.

दिल्ली में सप्लाई किये जाने वाले पेय जल को शुद्ध करने के बारे में एक चिकित्सा विशेषज्ञ की राय

*1239. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने कहा है कि जल में क्लोरीन मिलाने से सभी प्रकार के जीवाणुओं पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं होता है; और

(ख) क्या चिकित्सा विशेषज्ञ की राय को देखते हुए सरकार ने दिल्ली में सप्लाई, किये जाने वाले पेय जल को, जो दूषित हो सकने वाले क्षेत्रों से लिया जाता है, अन्य रसायनों के साथ शुद्ध करने के लिए कार्यवाही की है जिससे जल दूषित करने वाले तत्व पूरी तरह से नष्ट हो जायें और लोग जीवाणु के सक्रमण से बच सकें ?

स्वास्थ तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने बताया कि पानी में क्लोरीन मिलाने से हो सकता है सभी कीटाणुओं और जीवाणुओं पर नियन्त्रण न हो और अतिरिक्त सावधानी के लिये उन्होंने पीने वाले जल को उबालने की सलाह दी थी । दिल्ली में पानी को आधुनिक द्रुत धनत्व के शोधक संयंत्रों में शुद्ध करने और शुद्ध करने से पहले एवं बाद में क्लोरीन को अतिरिक्त मात्रा देकर सभी सम्भव एहतियात बर्ते जाते हैं । ओखला पर जहां कच्चा जल इतना अच्छा नहीं है, क्लोरीनीकरण का ब्रेकप्वाइण्ट तरीका अपनाया जाता है और अन्तिम शुद्ध जल में बची हुई क्लोरीन को मैट्रापोलिटन वाटर बोर्ड, लन्दन के डा० टेलर की सिफारिशों के अनुसार, 1.5 से 2.0 भाग प्रति 10 लाख के बीच रखा जाता है ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : दिल्ली में दूषित जल का सम्भरण मुख्यत: ओखला से होता है क्योंकि ओखला से जल सम्भरण पर्याप्त नहीं है और वहां हर समय जल की कमी रहती है, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ओखला से पानी बंद करने और दिल्ली में जल सम्भरण के वैकल्पिक साधन बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री ब० सू० मूर्ति : जी हां । ओखला स्रोत सितम्बर, 1970 से बन्द करने की योजना बनाई गई है, वजीराबाद से जल की सप्लाई बढ़ाने की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : 1 अप्रैल, 1970 से विभिन्न नहरों से पाकिस्तान को 4,000 क्यूसेक पानी बन्द किया जा रहा है । मैं जान सकता हूं कि क्या उस पानी में से थोड़ा पानी दिल्ली को देने के लिये सरकार विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है ।

श्री म० ला० सोंधी : क्या सरकार ने दिल्ली में पानी के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियों का सर्वेक्षण किया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार भविष्य के लिये इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण करेगी ?

श्री ब० सू० मूर्ति : यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है ।

श्री म० ला० सोंधी : सरकार ने सर्वेक्षण किया है अथवा नहीं किया, इसके बारे में यह एक प्रश्न है । आप उन्हें 'हां' या 'नहीं' में उत्तर देने के लिये कहें ।

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं 'हां' अथवा 'नहीं' कहने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री म० ला० सोंधी : जब इस प्रश्न की सूचना दे दी गयी थी तो मंत्री जी को अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देने के लिये तैयार होकर आना चाहिये था ।

स्वास्थ तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : पूरे प्रश्न की जांच करने के लिये डा० विंडाल टेलर को नियुक्त किया गया था तथा जो सुझाव दिये गये, वे ये हैं : अपरिष्कृत मलमूत्र जैसी सकल प्रदूषण की जोखिम से पानी के संसाधन की सुरक्षा करना ; रुके हुये पानी को पर्याप्त पानी से हटाना तथा अवशिष्ट क्लोरीन के भाग को स्थायी तथा सारवान बनाने के लिये क्लोरीन डालना । विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यकृत शोध जैसी संक्रामक बीमारी का विश्व व्यापी अध्ययन करने के लिये गठित की गई विशेषज्ञ समिति का यह विश्वास है कि एक लिटर पानी में एक मिलिग्राम क्लोरीन डाली जाती है तो उसका असर 30 मिनट तक रहता है और वह पानी पीने लायक रहता है बशर्ते कि फिटकरी डाल कर उस पानी की गंदगी को नीचे जमने दिया गया हो तथा उसे साफ कर लिया गया हो ।

श्री म० ला० सोंधी : इस बात से मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं बनता है । यह प्रासंगिक नहीं है । मैंने उनसे पानी के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियों के बारे में पूछा था तथा वह डा० टेलर की जीवनी का उल्लेख कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर दे चुके हैं ।

श्री म० ला० सोंधी : यह बहुत ही गलत बात है । मंत्री जी का उत्तर प्रश्न से कहां तक संबंध रखता है ।

अध्यक्ष महोदय : आप कभी संतुष्ट नहीं होते हैं ।

श्री बलराज मधोक : जब मंत्री जी उचित उत्तर नहीं देते हैं तो वह कैसे संतुष्ट हो सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : तब आपको श्री मूर्त्ति द्वारा दिये गये पहले उत्तर से संतुष्ट होना चाहिये था । जब कोई उत्तर दिया गया है तो आप संतुष्ट नहीं होते हैं ।

श्री उमानाथ : वह प्रश्न नहीं पूछा गया था । जो प्रश्न पूछा गया था वह पानी के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियों का दिल्ली में सर्वेक्षण किये जाने के बारे में था ।

श्री के० के० शाह : इस प्रश्न का मैं कई बार उत्तर दे चुका हूं । पानी के कारण जो बीमारी उत्पन्न होती है वह केवल यकृत शोथ है तथा सरकार वर्ष प्रति वर्ष, मास प्रति मास तथा दिवस प्रति दिवस इस पर ध्यान दे रही है तथा यह मालूम हुआ है कि 1963 के पश्चात् पानी के कारण उत्पन्न होने वाली कोई बीमारी नहीं हुई है ।

Recommendations of Estimates Committee in Regard to Presentation of Budget and Commencement of Financial Year

*1242. **Shri Mohan Prashad :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Estimates Committee had recommended in 1958 that the budget should be presented in the first-half of August and the financial year should commence from the 1st October; and

(b) if so, the reasons given by the staid Committee for this recommendation and the action taken by Government in this regard?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति ने अपनी बीसवीं रिपोर्ट (दूसरी लोक-सभा) में जो कारण बताये थे वे मुख्य रूप से इन बातों के संबंध में थे :–

(1) राजस्व के पूर्वानुमान की संभाव्यता और मौनसून से उसका संबंध ;

(2) कार्यों की पूर्ति के लिए कामकाज के पूरे मौसम की उपलब्धि ; और

(3) विधायकों/संसद सदस्यों की सुविधा की दृष्टि से उपयुक्तता ।

इन सिफारिशों की जांच की गयी थी और समिति को सूचित कर दिया गया था कि इस समय इस प्रकार का परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता ।

वित्तीय वर्ष में परिवर्तन करने के प्रश्न पर पहले भी कई बार विचार किया जा चुका है । इस मामले को और प्रशासनिक सुधार आयोग की वित्त, लेखा और लेखा-परीक्षा संबंधी रिपोर्ट में इस विषय में की गयी सिफारिशों को, अप्रैल, 1969 में राष्ट्रीय विकास परिषद के सामने रखा गया था । सामान्यतः परिषद् की यह राय थी कि वित्तीय वर्ष में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है । इस पर सरकार ने भी विचार किया था और राष्ट्रीय विकास परिषद के विचार को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया कि इस स्थिति को ज्यों की त्यों बनाये रखा जाय ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है । आज पहला दिन है जब हमने 10 प्रश्न पूरे कर लिये हैं, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : कितने सदस्य अनुपस्थित थे ?

श्री उमानाथ : इसका आंकड़ा तो भ्रान्तिजनक है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी तरफ से इतना करने की पूरी कोशिश करता हूं । यह केवल आप लोगों के सहयोग से ही संभव है ।

श्री सु० कु० तापड़िया : महोदय, इतने सदस्य अनुपस्थित होने के बावजूद भी 10 प्रश्नों के पूरे किये जाने का आंकड़ा देकर आप मंत्री जी की तरह बात कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अधिक सदस्य अनुपस्थित नहीं थे, केवल एक या दो थे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ओखला पम्पिंग स्टेशन से पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिये नलकूप

*1231. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री बाल्मिकी चौधरी :

क्या **स्वास्थ तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओखला पम्पिंग स्टेशन से दक्षिण दिल्ली में मालवीय नगर तथा सफदरजंग एनक्लेव को पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिये जो नलकूप लगाये गय थे वे पिछले चार महीनों से बन्द पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है ;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली के उप-महापौर के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि इन नलकूपों को पुनः चालू करने के लिये कुछ मामूली त्रुटियों को दूर करने जैसे नट बोल्ट आदि लगाने की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ङ) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

दिल्ली नगरपालिका ने निम्नलिखित सूचना दी है :—

मालवीय नगर के 'एफ' ब्लाक में स्थित केवल एक ट्यूब वैल जो ओखला से होने वाली जल की सप्लाई को बढ़ाता है, 6-2-70 से 13-3-70 तक बन्द रहा ।

मालवीय नगर के 'एफ' ब्लाक का यह ट्यूब वैल 6-2-70 को खराब हो गया था । 10-2-70 के लगभग निर्माताओं ने पम्प की मरम्मत करने के लिये उसे निकाल लिया था । क्योंकि इसको मरम्मत होने में कुछ समय लगने की सम्भावना थी, इसलिये किसी सप्लायर से एक दूसरे पम्प की व्यवस्था कर दी गई थी । नया पम्प लगाने के लिये निर्माण कार्यों में थोड़ा संशोधन अपेक्षित था । पम्प लगाने का काम फरवरी, 1970 के अन्त तक पूरा कर दिया गया । तथापि परीक्षण के दौरान मोटर टूट गई थी और जब फर्म उसकी मरम्मत करने में सफल न हो पाई तो उन्हें 12-3-70 को किसी दूसरे कार्य के लिये प्राप्त नये पंम्पिग सेटों के भण्डार में से मोटर बदलने की अनुमति दे दी गई थी । एक नई मोटर लगा दी गई और 13-3-70 को पंम्पिग सेट चालू कर दिया गया था जो सन्तोषजनक कार्य कर रहा है ।

पम्प में खराबी छोटी मोटी खराबियाँ नहीं थी बल्कि इसमें खड़ा डण्डा बदला जाना था तथा मोटरों और पम्पों में मरम्मत की जानी थी, पम्पों और मोटरों की मरम्मत विशेषज्ञ फर्म द्वारा करवानी पड़ी इसलिए इस पर समय लग गया ।

सफदरजंग एन्क्लेव को पानी वजीराबाद से ही दिया जाता है, ओखला से नहीं, इस क्षेत्र के तीन नलकूपों में से एक नल कूप जो 'बी' ब्लाक में है और मुख्यतः बगीचों को सींचने के लिए है उसे नवम्बर 1969 में बन्द कर दिया गया था क्योंकि इस पंम्पिग सेट को मोहम्मदपुर गांव को पानी देने के लिए उस ग्राम में ले जाना पड़ा । वहाँ जो नलकूप लगा है उसका पम्प खराब हो गया था । 13-3-70 को जब मोहम्मदपुर वाला पम्प बन कर वापिस आ गया तो 15-3-70 को 'बी' ब्लाक का नलकूप फिर से चालू कर दिया गया । 15-3-70 से सफदरजंग एन्क्लेव के 'बी' ब्लाक का नलकूप संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है ।

Difference between Ministry of Finance and Planning Commission regarding Size of Fourth Five Year Plan

***1234 Shri Om Prakash Tyagi**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are some differences between Finance Ministry and the Planning Commission in regard to the size of the Fourth Five Year Plan;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether any progress has been made to remove the said differences; and

(d) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) No, Sir.

(b) to (d). Does not arise.

भारत को अमरीकी सहायता

***1236. श्री चेंगलराया नायडू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका प्रशासन ने भारत सरकार को सूचित किया है, कि भारत को 1 जुलाई, 1970 से आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष 1971 में दी जाने वाली प्रस्ताविक सहायता 276.55 मिलियन डालर होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत की मांग अधिक थी लेकिन अमरीका ने इतनी ही सहायता मंजूर की है;

(ग) क्या भारत सरकार ने अमरीका सरकार से और अधिक सहायता जो कि पहले मांगी जा चुकी है देने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो उन्होंने अपेक्षित सहायता से कितनी कम सहायता दी है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी, नहीं। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशासन ने अमेरिका के राजस्व वर्ष 1971 (जुलाई 1970–जून 1971) के लिये अपनी कांग्रेस के सम्मुख जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से भारत को 2765.50 लाख डालर की आर्थिक सहायता प्राप्त होने का उल्लेख है ।

(ख) भारत ने 1970-71 के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से सहायता के रूप में किसी विशेष रकम की मांग नहीं की है ।

(ग) और (घ). यह सवाल पैदा ही नहीं होते ।

भारत के दौरे के समय बादशहा खां को भेंट की गई थैलियों की राशि को विदेश भेजा जाना

***1240. श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बादशाह खान को भारत में भेंट की गयी थैलियों में से लगभग 32 लाख रुपयों की विदेशी मुद्रा उन्हें अफगानिस्तान भेजने की अनुमति दे दी है ;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि काबुल के 26 फरवरी, 1970 के दैनिक पत्र 'कैरावान" में प्रकाशित समाचार के अनुसार खान अब्दुल गफ्फार खां ने भारत में उनको भेंट की गयी इस थैली में से 7 लाख रुपये 'अल फतह' नाम के आतंकवादी आंदोलन को दान में दिए हैं ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने खान अब्दुल गफ्फार खां को उक्त विदेशी मुद्रा इस आतंकवादी आंदोलन को देने की अनुमति क्यों दी; और

(घ) गत तीन वर्षों में भारत के लोगों से किसी बाहरी उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए धन तथा उसको विदेशी मुद्रा में किसी अन्य देश को भेजने के बारे में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). खान अब्दुल गफ्फार खां की ओर से जारी किये गये एक प्रेस नोट में समाचार पत्रों में छपी इस खबर का खण्डन किया गया है कि 'अल-फतह' को दान के रूप में 7 लाख रुपये दिया गया है ।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा ।

तीसरे वेतन आयोग के निर्देश पद

*1241. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या वित्त मंत्री 30 मार्च, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 661 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए तीसरा वेतन आयोग नियुक्त कर दिया गया है और यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) इस आयोग के निर्देश-पद क्या हैं ; और

(ग) यह आयोग कब तक, यदि कोई समय नियत किया गया है तो, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अस्थायी राहत देने के लिए अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगा ताकि वे बढ़ते हुए निर्वाह व्यय को पूरा करने में समर्थ हो सकें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). तीसरे वेतन आयोग के गठन, कार्यक्षेत्र और निर्देशपदों के संबंध में सरकार का 23 अप्रैल, 1970 का संकल्प संख्या एफ० 7(25)-ई०iii(ए)/69 सभा की मेज पर 23 अप्रैल, 1970 को रख दिया गया था ।

(ग) सरकार के संकल्प के पैराग्राफ 6 से प्रकट है कि आयोग अपनी सिफारिशें, जितनी जल्दी हो सकेगा, दे देगा ।

Separate Quota of Houses for Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats

*1243. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a separate quota of houses has been earmarked for the staff of President Secretariat and this quota is outside the general pool;

(b) whether Government propose to formulate such scheme in the case of the employees of the Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats according to which a fixed quota of houses should be earmarked for the said Secretariats and then these Secretariats might themselves allot houses to their employees;

(c) if so, the outlines thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah): (a) No separate quota of houses as such has been earmarked for the staff of the President's Secretariat from the general pool. There is a certain number of quarters exclusively constructed in the President's Estate Pool for allotment to the staff working in Rashtrapati Bhavan and that staff is not eligible for allotment of accommodation from the general pool.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) In case the general pool accommodation is fragmented into separate pools for employees of various Departments, the very purpose of pooling accommodation at one place will be defeated.

केन्द्रीय होमियोपैथी अनुसंधान संस्था की स्थापना

*1244. **श्री वी० नरसिम्हा राव :**

श्री नि० रं० लास्कर :

श्री दण्डपाणि :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औषधि तथा होमियोपैथी को केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् ने केन्द्रीय होमियोपैथी अनुसंधान संस्था की स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) यह संस्था किस स्थान पर स्थापित की जाएगी और इस पर कितना व्यय होगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय चिकित्सा एवं होमियोपैथी अनुसंधान की केन्द्रीय परिषद् ने चालू वर्ष में होमियोपैथी के लिये केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान चलाने का निर्णय किया है । इस संस्थान का लक्ष्य होमियोपैथी विज्ञान को आगे बढ़ाना, इलाज में इसके क्षेत्र को बढ़ाना, औषधियों का परीक्षण कर उनकी प्रामाणिकता बतलाना, रोगों में होमियोपैथी की औषधियों की गुणकारिता बढ़ाना और होमियोपैथी प्रणाली की प्रगति के लिये सभी अन्य कार्य करना है । यह मौलिक सिद्धान्तों, भेषजों की प्रामाणिकता, अध्ययन के लिये रासायनिक सहसम्बन्ध, साहित्यिक अध्ययन, औषध गुणधर्म सम्बन्धी अध्ययन आदि पर अनुसंधान करेगा ।

(ग) स्वदेशी चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी अनुसंधान की केन्द्रीय परिषद् ने यह निर्णय किया है कि यह संस्थान कलकत्ता में स्थापित हो । उन्होंने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्तर्गत इस संस्थान के लिये 14,65,000 रुपये खर्च करने का विनियोजन किया है ।

तीसरे वेतन आयोग को निर्दिष्ट किये बिना केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत की अदायगी

1245. **श्री स० मो० बनर्जी :**

श्री दे० अमात :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी संघों ने, प्रस्तावित तीसरे वेतन आयोग को निर्दिष्ट किये बिना ही, अन्तरिम राहत दिये जाने की मांग की है ;

(ख) क्या यह मांग अन्य सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में बढ़ी मजूरी को देखते हुए की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतनमान, जिन सेवा शर्तों के अधीन और जिन तथ्यों को ध्यान में रख कर नियत किये जाते हैं, वे अलग किस्म के होते हैं और सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं । अन्तरिम राहत देनी चाहिये अथवा नहीं और यदि दी जानी चाहिये तो किस तारीख से, ये प्रश्न नये वेतन आयोग के निर्देशपदों में पहले ही शामिल किय जा चुके हैं ।

Special Assistance to Deficit States in Fourth Five Year Plan

*1246. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Governments of Gujarat and Maharashtra have opposed the provision of special aid to the deficit States made in the Fourth Five Year Plan;

(b) if so, the reasons and arguments advanced by them for their opposing the said provision; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri R. K. Khadilkar): (a) to (c): The Governments of Gujarat and Maharashtra have expressed the view that the special accommodation recommended by the Planning Commission for certain States should be given not on a selective basis to only those States which had gaps in resources but should be distributed uniformly among all States.

The special accommodation (by way of loans) is intended only for such States which, in the assessment of the Planning Commission, may have inescapable gaps in resources. As such, those States which are not likely to have such gaps, would not be eligible for special accommodation and the question of distributing such accommodation on a uniform basis does not arise.

इंडियन आयल कारपोरेशन के लिये स्टेंडर्ड ड्रम एन्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी और हिन्द गल्वेनाइजिंग एन्ड इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा बैरलों का निर्माण

*1247. **श्री समर गुहा** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री 23 फरवरी, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 40 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टैंडर्ड ड्रम एन्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी और हिन्द गैल्वनाइजिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा बैरलों के निर्माण के लिये टेन्डर संख्या ओ० पी०/टेन–7/65 के सिलसिले में इंडियन आयल कारपोरेशन के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अपने क्रयादेश तथा करार में इस्पात के विभिन्न विशिष्ट विवरणों को स्पष्ट रूप से शामिल न करने की त्रुटियों के लिये उन पर जिम्मेदारी ठहराने में अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या हिन्द गैल्वेनाइजिंग एन्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा होट रोल्ड स्टील चादरों से बनाये गये तथा इंडियन आयल कारपोरेशन को सप्लाई किये गये बैरलों की संख्या तथा उनके लिये किये गये वास्तविक भुगतान के बारे में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा

परीक्षक द्वारा कानूनन जांच पड़ताल नहीं करवायी जा सकती और यदि हां, तो सरकार द्वारा किसी अन्य उचित अधिकारी को इस मामले की पूरी तरह जांच पड़ताल करने के लिये नियुक्त क्यों नहीं किया जा रहा है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) 12-3-70 को लोकसभा में पेश की गई अपनी 115 वीं रिपोर्ट में प्राक्कलन समिति ने हाल ही में इस पहलू पर विचार किया । उक्त रिपोर्ट के अध्याय III के पृष्ठ 10 पर सिफारिश संख्या 6 को देखिये ।

(ख) भारतीय तेल निगम ने मैसर्स हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के विरुद्ध कुछ दिन पहले बम्बई हाई कोर्ट में भारतीय तेल निगम के टैन्डर संख्या ओ० पी०/टैन–7/65 के क्रयादेश संख्या ओ० पी०/3605 (एच० जी०) दिनांक 24-10-1966 के अन्तर्गत बैरलों की सप्लाई के बारे में मुकदमा दायर किया है । चूंकि मामला न्यायालय के समक्ष है, इस विषय पर कोई सूचना देना भारतीय तेल निगम के हित में नहीं हैं ।

अफीम का निर्यात

*1248. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश से प्रति वर्ष कितनी मात्रा में अफीम का निर्यात किया गया ;

(ख) क्या निर्यात से पूर्व कच्चे माल को और अच्छी तरह परिष्कृत करने की कोई मांग की गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले, और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार अफीम का निर्यात करने से पूर्व उसे परिष्कृत करने का है ; और

(घ) गत तीन वर्षों में अफीम की खेती करने वालों के लिये विकास खर्च के रूप में कितनी राशि खर्च की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) वित्तीय वर्ष	निर्यात की गयी मात्रा
	(मीटरी टन)
1967–68	426
1968–69	563
1969–70	694

(ख) जी, नहीं ।

(ग) निर्यात किस्म की अफीम पहले ही 90° घनत्व की बनायी जाती है और इसलिये उसमें अन्य किसी अतिरिक्त प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है ।

(घ) कृषि विकास का कार्य राज्य क्षेत्र में आता है । अफीम की किस्म और उत्पादन में सुधार करने के लिये तथा उसके पौधे को रोग-प्रतिरोध की शक्ति देने के लिये समुचित अनुसंधान योजन चालू करने के प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है ।

केन्द्रीय राजस्व नियन्त्रण प्रयोगशाला में रासायनिक परीक्षण के लिये प्राप्त नमूनों का विश्लेषण

*1249. **श्री सूरज भान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, दिल्ली-12 में रासायनिक परीक्षण के लिये प्राप्त नमूनों की विश्लेषण संबंधी रिपोर्टें कितनी अवधि तक सुरक्षित रखी जाती हैं ;

(ख) 14 अप्रैल, और 1 मई, 1964 को एस० एस० शूगर मिल्स, यमुना नगर (हरियाणा) और ओसवल वूलन मिल्स, लुधियाना (पंजाब) के क्रमश: डायरी संख्या 9663 और 11103 के अधीन रासायनिक परीक्षण के लिये प्राप्त स्क्रेपिंग्स और एस० यार्न नमूनों के विश्लेषण के परिणाम क्या हैं ;

(ग) यदि उपर्युक्त नमूनों की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) प्रयोगशाला में प्राप्त होने के बाद इन नमूनों का निपटारा किस प्रकार किया गया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) पांच वर्ष ।

(ख) एस० एस० शूगर मिल्स, यमुना नगर (हरियाणा) के स्क्रैपिंग्स से संबंधित दिनांक 14 अप्रैल, 1964 की डायरी सं० 9663 के और ओसवाल वुलन मिल्स, लुधियाना के ऊन के रद्दी धागे (shoddy yarn) से संबंधित दिनांक 1 मई, 1964 की डायरी सं० 11103 के जांच (test) मेमो से संबंधित नमूने केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण परीक्षणशाला में नहीं आये थे । इसलिये उनका विश्लेषण किये जाने (अथवा जांच रिपोर्टें जारी किये जाने) का प्रश्न नहीं उठा ।

(ग) तथा (घ). उपर्युक्त (ख) को देखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली में असफल गर्भपात के कारण मृत्यु

*1250. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के कान-नाक-गले के एक डाक्टर द्वारा गर्भपात के लिये असफल आपरेशन किये जाने के पश्चात् किदवई नगर ईस्ट, नई दिल्ली, की एक अविवाहित गर्भवती युवती की 12 मार्च, 1970 को मृत्यु हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो आपरेशन करने वाले डाक्टर का क्या नाम है ;

(ग) गर्भपात किन परिस्थितियों में किया गया था और कान-नाक-गले के विशेषज्ञ द्वारा गर्भपात का आपरेशन किये जाने के क्या कारण थे ; और

(घ) उक्त डाक्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

यह मामला डिफेन्स कालोनी पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-क के अधीन 11 मार्च, 1970 को दर्ज किये गये एफ० आइ० आर० नं० 211 के बारे में है। 11 मार्च, 1970 की करीब 9.25 बजे रात पुलिस स्टेशन को इस आशय की सूचना मिली थी कि सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में एक मरी हुई औरत को लाया गया है। इस सूचना के मिलने पर पुलिस वहां पंहुची तथा उसने मृतक की मां के बयान लिये। शिकायतकर्ता ने बतलाया कि गत पूजा त्यौहार के समय किसी दूर के रिश्तेदार से रति संभोग के कारण मृतक गर्भवती हो पड़ी। जब गर्भवती होने की बात उसके ध्यान में आई तो वह आर० के० डेका नामक एक डाक्टर को मिली। डा० डेका अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में एक स्नातकोत्तर छात्र हैं। वह इस संस्थान अथवा अस्पताल के स्टाफ का सदस्य नहीं है। शिकायत-कर्ता ने बतलाया है कि 10 मार्च 1970 को डा० डेका उसके घर आया और उसने मृत लड़की को एक इन्जेक्शन लगाया और उसे कुछ दवाइयां भी दीं। दवाइयां खाने के बाद मृतक को रक्तस्राव होने लगा। उसकी हालत गिरती गई और 11 मार्च, 1970 की सन्ध्या को उसकी मृत्यु हो गई।

उपर्युक्त शिकायत के आधार पर पुलिस ने मृतक के इस रिश्तेदार के विरुद्ध जिसके कारण उसका गर्भ ठहरा बतलाया जाता है बलात्कार का मामला तथा डा० डेका के विरुद्ध कथित उतावली और लापरवाही का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मृतक के शरीर की शव परीक्षा की गई किन्तु शव परीक्षा की रिपोर्ट अभी पुलिस को नहीं मिली है, मृतक के पेट से निकाला गया पदार्थ भी केन्द्रीय फारेंजिक साइन्स प्रयोगशाला, नई दिल्ली को भेज दिया गया है और विश्लेषण रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। पुलिस इस मामले की अभी छान बीन कर रही है।

भारत के रिजर्व बैंक द्वारा विशेषज्ञ दल की नियुक्ति

*1251. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक द्वारा श्री आर० के० तलवार की अध्यक्षता में नियुक्त विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उस दल ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त रिपोर्ट सरकार को कब तक पेश कर दी जायगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं। जब यह रिपोट अन्तिम रूप से तैयार हो जायेगी, तो भारतीय रिजर्व बैंक को पेश कर दी जायगी।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) इस विशेषज्ञ दल के विचारणीय विषयों को देखते हुए इस बात की संभावना है कि इस दल को अपनी रिपोर्ट पेश करने में कुछ समय और लगेगा।

आर्थिक विकास पर करारोपण नीति का प्रभाव

*1252. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि सरकार की अप्रत्यक्ष करारोपण नीति का विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अप्रत्यक्ष करों के विकास पर होने वाले प्रभाव के बारे में सरकार ने कोई स्वतंत्र अध्ययन किया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या पिछले पांच वर्षों में अप्रत्यक्ष करारोपण के अधिक बोझ को देखते हुए सरकार का विचार ऐसा अध्ययन करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा अध्ययन कब तक किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क), (ख) और (ग). सरकार की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर-नीति का उद्देश्य विकास के लिए साधन जुटाना और विकास-कार्य को बढ़ावा देना है। यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है, फिर भी प्रत्येक योजना को बनाते समय, देश की पंचवर्षीय आयोजनाओं के कार्यों और उनकी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए कराधान के प्रत्येक स्वरूप के सापेक्ष लाभों की विधिवत् जांच की जाती है।

हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन के सम्बन्ध में नेतुर श्रीनिवास राव समिति की स्थापना

*1253. **श्री रवि राय** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन के सम्बन्ध में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की स्वीकृति के बिना नेतुर श्रीनिवास राव समिति की स्थापना की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की स्थापना कब की गई थी तथा इसके निदेश पद क्या थे ; और

(ग) श्री राव कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दग तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) हल्दिया–बरौनी–कानपुर पाइप लाइन से सम्बन्धित विषयों की जांच के लिए, जांच आयोग के तौर पर श्री एन० एस० राव की नियुक्ति का प्रधान मंत्री और पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री द्वारा अनुमोदन हुआ था ।

(ख) 30-6-1969 को जांच आयोग की नियुक्ति हुई थी। इस आयोग के निदेश-पदों का विवरण संलग्न है ।

(ग) श्री एन० एस० राव ने 16-4-1970 को अपनी रिपोर्ट पेश की है। यह अब परीक्षाधीन है ।

विवरण

निदेशपद

उन परिस्थितियों की, (परिस्थितियों) के अन्तर्गत ओण्डल और सलामपुर के बीच पाइप लाइन के सरेखण (जुडाव) के अस्थायी चयन, इस सम्बन्ध में उठाई गई आपत्तियां, भारतीय शोधनशालाओं लि० और भारत सरकार द्वारा इन आपत्तियों पर किये गये विचार, सरेखण की पुष्टि के लिए अप्रैल, 1964 में सरकार का निर्णय 1964 के अन्त तथा 1965 के पूर्व में पाइप लाइन बिछाने के लिए आगामी कार्यवाही तथा मार्ग के घुमाव-समरेखन के लिए अन्तोत्वगत्वा निर्णय की जांच करना तथा उन पर रिपोर्ट पेश करना ।

उपर्युक्त उद्देश्य की सामान्यता को प्रभावित किये बिना, जांच में निम्न मामलों पर विशेष रुप से उल्लेख किया जायेगा ।

(1) क्या पाइपलाइन इन्जीनियरों, स्नाम प्रोगैट्टी द्वारा उचित उद्यमता का प्रयोग हुआ और ओण्डल तथा सलामपुर के बीच पाइपलाइन के सरेखण का प्रस्ताव करने में भारतीय कानून एवं विनियमन को उचित ध्यान दिया गया ।

(2) पश्चिमी बंगाल सरकार की आपत्तियों के प्राप्त होने पर, मामले के विभिन्न पहलुओं पर उचित रूप से तथा कई सम्बद्ध प्राधिकारियों के पूर्ण परामर्श से विचार किया गया था । यदि नहीं, तो कौन सी त्रुटियां पैदा हुई हैं या कौन सी गल्तियां की गई हैं तथा जिनके लिए यदि कोई दोषी है तो क्या उसे उत्तरदायी ठहराया गया है ।

(3) प्रस्तावित सरेखण पर उठाई गई आपत्तियों पर बैकटेल और स्नाम प्रोगैही द्वारा दी गई विशेषज्ञ सलाह के बारे में क्या धारणा बनाई जाए ? भारतीय तेल निगम को अब हो रही हानि के लिए किसी एक या दोनों को कानूनी तौर अथवा अन्यथा रूप में किसी प्रकार जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिये या ठहराया जा सकता है और क्या ऐसी दायिता के बारे में किसी प्रकार की आगामी कार्यवाही की जानी चाहिए ।

(4) अप्रैल, 1964 में भारत सरकार द्वारा संरेखण की अनुमति मिलने पर, क्या भारतीय शोधनशाला लि०/भारतीय तेल निगम ने प्रस्तावित सरेखण पर सुरक्षा के निर्धारण तथा उस पर सम्भावित लागत का उचित रूप से विचार किया था ? क्या इस विषय में किसी प्रकार का बिलम्ब या भूल हुई है ? यदि हुई है, तो कौन इस के लिए उत्तरदायी है ।

(5) खान मालिकों से बहुत अभ्यावदनों की प्राप्ती तथा 1964 के द्वितीयार्ध में कोयला खान प्राधिकारियों के साथ और बातचीत की दृष्टि से ; भारतीय शोधनशाला लि०/भारतीय तेल निगम को सरेखण का परित्याग करने तथा बरौनी शोधनशाला के पूर्ण होने में ज्ञात विलम्ब का भी ध्यान रखते हुए वैकल्पिक तरीके को अपनाने तथा पाइपलाइन को चालू करने की आवश्यकता के बारे में निर्णय लेना चाहिए था या लिया जा सकता था ? इस प्रकार का रास्ता न अपनाने से क्या कम्पनी ने अनुचित या जल्दबाजी या असावधानी पद्धति से कार्यवाही की ।

(6) क्या भारतीय शोधनशाला लि०/भारतीय तेल निगम के निदेशकों के बोर्ड को इस मामले में हुई प्रगति के बारे में सूचित रखा गया था और क्या समय समय पर उठाये गये कदमों के बारे में बोर्ड की मंजूरी प्राप्त की गई थी ? आवश्यक अनुमोदनों तथा मंजूरियों को प्राप्त करने में यदि कोई अनुचित भूलें हुई हैं ; तो वे किस मात्रा तक हुई है ? इस प्रकार की भूलों के लिए किसे उत्तरदायी ठहराया जाय ।

(7) क्या भारतीय शोधनशाला लि०/भारतीय तेल निगम के किसी अधिकारी को सम्बन्धित मामले में अपने उत्तरदायित्वों को निभाने में हुई प्रत्यक्षतः लापरवाही या असावधानी के लिए जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए ? क्या किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए ? यदि होनी चाहिए तो क्या हो।

(8) कोई अन्य सम्बन्धित मामले ।

भारत में यूनेस्को मिशन द्वारा कदाचार

*1254. **श्री मधु लिमये :** क्या वित्त मंत्री 15 दिसम्बर, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 593 उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनयिक विशेषाधिकारों के दुरुपयोग के मामलों तथा भारत में युनेस्को मिशन के नई दिल्ली के एक बैंक में परिवर्तनीय मुद्रा खातों का, अपेक्षित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिये दुरुपयोग करने संबंधी मामलों की जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उनके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) संबंधित व्यक्तियों अथवा मिशन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) इन मामलों की जांच अभी पूरी नहीं हुई है ; वह चल रही है ।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते ।

Eradication of T. B. and Leprosy

*1255. **Shri Mangalathumadam :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether a survey has been made with a view to eradicate TB/Leprosy infection in the most-affected areas in the country ?

(b) whether a deputation of leprosy patients made a demonstration in Kerala recently and whether the State Government has written to the Centre to expedite remedial measures in that direction; and

(c) if so, the steps taken by Government in this regard?

Minister for Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). According to a message received from the Government of Kerala, there was a demonstration of leprosy patients from Cannanore to Trivandrum led by Shri Verghese Koratty on the 11th March, 1970. But no reference has been made to the Central Government for remedial measures. The demands of the leprosy patients have been referred to the Leprosy Committee constituted at State level. The Secretary of the Committee has forwarded his report and has recommended none of their demands.

राष्ट्रीयकृत बैंकों के गुप्त निक्षेप

*1256. **श्री के० रमानी :**
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री प० गोपालन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के गुप्त निक्षेपों का पता लगाने के लिये पर्याप्त कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बैंक के पास कितनी मात्रा में गुप्त निक्षेप हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के परिरक्षकों को उक्त निक्षेपों का पता लगाने के कोई निदेश दिये थे ;

(घ) इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि उक्त बैंकों के भूतपूर्व मालिकों ने वर्तमान परिरक्षकों से सांठ-गांठ कर उक्त निक्षेपों का स्थानान्तरण कर दिया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकृत बैंकों के गुप्त निक्षेपों की पूरी जानकारी है और इसलिये सरकार के दृष्टिकोण से वे निक्षेप गुप्त नहीं हैं। पर, इन बैंकों के गुप्त निक्षेपों को प्रकट करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा। इस संबंध में, माननीय सदस्यों का ध्यान बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 34-क की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अधीन इन निक्षेपों की गोपनीयता की रक्षा की जाती है।

(ङ) बैंकों के भूतपूर्व मालिकों द्वारा अभिरक्षकों (कस्टोडियन) के साथ सांठ-गांठ करके या अन्य किसी प्रकार से इन गुप्त निक्षेपों के अन्तरित किये जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि परिसम्पत्तियों आदि की वे सभी मदें, जिनके अन्तर्गत गुप्त निक्षेप रखे जाते हैं, भूतपूर्व बैंकों के उन उपक्रमों का अंग है, जो राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अपने हाथ में लिये गये हैं।

Execution of Mortgage Deed for Grant of Loan by L. I. C, to Madhya Pradesh Electricity Board

1257. Shri Hukam Chand Kachwai:
Shri A. S. Saigal:
Shri Jagannath Rao Joshi:
Shrimati Minimata Agam Dass Guru:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state

(a) whether the Life Insurance Corporation insists on execution of mortgage deed for grant of loans to the Madhya Pradesh Electricity Board, although the State Government are prepared to give guarantee;

(b) if so, whether this increases the cost of generation of electricity; and

(c) if so, whether Government propose to exempt Madhya Pradesh Electricity Board from execution of mortgage deed?

Minister of State in the Ministry of Finance, (Shri R. K. Khadilkar) : (a) Yes, Sir. Loans to State Electricity Boards are granted by the L. I. C. only under its Mortgage Scheme.

(b) The consequential increase in the cost of generation of electricity is insignificant as the expenditure incurred for execution of Mortgage Deed spread over the twenty year term of the loan is small as compared to the amount of the loan granted.

(c) No, Sir.

List of Persons convicted on charges of Tax Evasion and Smuggling

***1258. Shri Janeshwar Misra:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government has maintained a list of the persons in the country who have been convicted on the charges of tax evasion and smuggling

(b) whether Government propose to circulate that list to all political parties so that these persons may not be able to have any association with the political parties; and

(c) the number of those political parties whose men are associated with such convicts?

Minister of State in the Ministry of Finance, (Shri P. C. Sethi): (a) The concerned agencies of the Government, in the normal course of their duties, keep record of the persons who are convicted in a court of law on charges of tax evasion or smuggling.

(b) No proposal to circulate lists of persons convicted on charges of tax evasion or smuggling to political parties, is under consideration.

(c) The information sought is not available as it is neither the duty of the Revenue Officers nor is it necessary for their work to probe into the political associations of persons who are charged by them with tax evasion or smuggling.

Memorandum from Bakers Federation of Bombay

***1259. Shri Sarjoo Pandey** : Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether the Bakers Federation of Bombay has sent a memorandum to Government to the effect that the proposed excise duty should not be levied on the small factories employing less than ten workers; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) & (b). No such memorandum has been received from the 'Bakers Federation of Bombay'. A memorandum has, however, been received from 'Maharashtra State Bakers' Federation, Bombay-1, wherein it has been urged that bakeries using only 'bread kneading machine' should be exempted from the excise levy on biscuits manufactured with the aid of power. The matter is under examination.

नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी द्वारा नगर को सुन्दर बनाने का अभियान

***1260. श्री रामावतार शर्मा** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये भव्य भवन तथा फव्वारों के निर्माण में अपनी रुचि के कारण नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी अच्छी सड़कें बनाने, वातावरण स्वच्छ रखने जैसे अपने प्राथमिक कर्त्तव्यों तथा ऐसे ही अन्य कर्त्तव्यों की उपेक्षा कर रही है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि यद्यपि नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी तथा कथित नगर को सुन्दर बनाने के अभियान पर भारी धनराशि खर्च कर रही है तथापि स्कूल अब भी तम्बुओं में चलाये जा रहे हैं और गन्दी बस्तियां बढ़ रही हैं, मच्छर बढ़ रहे हैं जिन से मलेरिया तथा इसी प्रकार की बीमारियां फैलती जा रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). यद्यपि नई दिल्ली नगर पालिका नई दिल्ली को एक सुन्दर नगर बनाने का भरसक प्रयत्न कर रही है और वाणिज्यिक परियोजनाओं को भी चला रही है तथापि वह अच्छी सड़कें बनाने, स्वच्छ वातावरण रखने और ऐसे ही अन्य कर्तव्यों को पूरा करने के अपने प्राथमिक कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं कर रही है। नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में कोई स्कूल तम्बू में नहीं है, गन्दी बस्तियों में कोई वृद्धि नहीं हुई है और मलेरिया अथवा किसी महामारी की घटना की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों को सहायता

7518. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से अप्रैल, 1970 के महीनों में अब तक प्रत्येक राज्य को कितनी राशि की सहायता दी गई ;

(ख) किस उद्देश्य के लिय सहायता दी गई ; और

(ग) ऐसी सहायता किस आधार पर दी जाती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है ।[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3316/70]

(ग) राज्यों की आयोजना सम्बन्धी योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार वितरित की जाती है और ये मानदण्ड जनसंख्या, प्रतिव्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति कर-प्रयत्न, सिंचाई और बिजली की चालू बड़ी योजनाओं की आवश्यकता, आदिम जातीय जनसंख्या, महानगरीय क्षेत्रों बहुधा बाढ़ या सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों आदि से सम्बद्ध विशेष समस्याओं पर आधारित हैं । वर्तमान कार्य-प्रणाली यह है कि समूचे वित्तीय वर्ष के लिए, निर्धारित केन्द्रीय सहायता में से राज्यों को, अप्रैल-दिसम्बर की अवधि में प्रतिमास "लेखे पर" अदायगियां की जाती हैं । सहायता की शेष रकम, सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा सूचित राज्यों की आयोजना सम्बन्धी योजनाओं पर हुए व्यय को ध्यान में रखते हुए, वर्ष की अन्तिम तिमाही में दी जाती है ।

योजना-आयोग की सिफारिशों के अनुसार, दस राज्यों को, 1969-70 के लिए उन के आयोजना सम्बन्धी स्वीकृत परिव्यय के संदर्भ में, साधनों की पूरी न की जा सकने वाली कमियों को पूरा करने के लिए, मार्च, 1970 में ऋणों के रूप में विशेष सहायता दी गयी थी । इस सम्बन्ध में विशेष सहायता की आवश्यकता का निर्धारण, पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों और योजना आयोग द्वारा किये गये मूल्यांकन को ध्यान में रख कर किया गया था जो अपरिहार्य आयोजना-भिन्न दायित्वों, आयोजना-भिन्न व्यय में किफायत किये जाने की गुंजाईश, राजस्व और कर-संग्रह में वृद्धि करने और अन्य सामान्य बजट सम्बन्धी साधनों को जुटाने के लिए सम्बद्ध राज्य सरकारों के प्रयत्नों के सम्बन्ध में था ।

वर्ष 1969 में पकड़ा गया सोना तथा घड़ियां

7519. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 में कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का सोना पड़ा गया और कितनी तथा कितने मूल्य की घड़ियां पकड़ी गयीं और वे किन-किन देशों के उत्पादन के तथा उनकी तस्करी किस प्रकार की गयी थी ;

(ख) उक्त अवधि में सोने की तस्करी करने के लिए कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) सोने की तस्करी को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तस्कर-आयात किया गया जो सोना और घड़ियां वर्ष 1969 में पकड़ी गयीं, उनका कुल मूल्य नीचे दिये अनुसार था :

(i) सोना	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा दर पर 530 लाख रुपये
(ii) घड़ियां	भारत में 415 लाख रुपय

सोना जिन देशों में परिष्कार किया हुआ था उनके नाम तथा घड़ियां जिन देशों की बनी हुई थीं उनके नाम नीचे दिय गय हैं :

सोना	ब्रिटेन, फ्रांस तथा स्विटजरलैण्ड
घड़ियां	स्विटजरलैण्ड तथा जापान

सोने और घड़ियों का तस्कर आयात करने के तरीके ये थे :

छिपाकर अपने साथ/असबाब में/डाक पार्सलों में लाया गया था, अथवा जलयानों, हवाई जहाजों तथा मोटर गाड़ियों तथा अन्य सभी प्रकार की सवारियों में छिपा कर लाया गया था, अथवा अनधिकृत मार्गों से भू-सीमा के पार लाया गया था तथा निषिद्ध माल को समुद्रतट पर अनधिकृत स्थलों पर उतार कर लाया गया था ।

(ख) 1969 में सोने का तस्कर आयात करने के अपराध में 294 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत की जाने वाली न्यायनिर्णय की कार्यवाही के अधीन तस्कर आयात किये गये सोने को जब्त कर लिया गया और सम्बन्धित व्यक्तियों पर दण्ड लगाये गये । इसके अलावा, उपर्युक्त मामलों में, न्यायालयों में इस्तगासे की कार्यवाही भी की जाती है ।

(ग) भारत में सोने के तस्कर आयात को रोकने के लिये सरकार ने कई उपाय किये हैं, जैसे स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम लागू करना, सूचना को ठीक ढंग से इकट्ठा करना और उनके पीछे लगा रहना, संदिग्ध तस्करों पर निगरानी रखना, संदिग्ध जलयानों अथवा वायुयानों की तलाशी लेना, समुद्रतट तथा भू-सीमाओं पर सुगमता से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों की गश्त लगाना । केवल तस्कर-विरोधी कार्य को संभालने के लिए ही, सीमाशुल्क के समाहर्ता तथा अतिरिक्त समाहर्ता स्तर के वरिष्ठ अधिकारी तैनात किये गये हैं । इन उपायों की निरन्तर समीक्षा की जाती है ।

केन्द्रीय करों की वसूली

7520. श्री बाबू राव पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर निर्धारण वर्ष 1968-69 के लिए आय, सम्पत्ति उपहार तथा अन्य करों की कुल कितनी धनराशि का निर्धारण किया गया तथा उसी वर्ष कितनी धनराशि एकत्रित की गई और कितनी शेष रही ;

(ख) वर्ष 1969-70 में आय-कर विभाग का कुल वार्षिक व्यय कितना रहा ; और

(ग) गत तीन वर्षों अर्थात् 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 के दौरान लगाये कर की प्रति 1000 रुपये की राशि को वसूल करने पर कितना खर्च आया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) :(क)मांगी गयी सूचना कर-निर्धारण वर्ष 1968-69 के सम्बन्ध में उपलब्ध नहीं होते हुए, वित्तीय वर्ष 1968-69 के सम्बन्ध में उपलब्ध है और वह अनुबन्ध में दी गयी है ।

(ख) आयकर विभाग के, वर्ष 1969-70 में हुए, कुल वार्षिक व्यय के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं । किन्तु उक्त वर्ष के लिये अन्तिम विनियोग की रकम 16.53 करोड़ रुपये है ।

(ग) सामान्यतः कर-संग्रह की लागत का, सभी प्रत्यक्ष-करों की सकल वसूली के संदर्भ में हिसाब लगाया जाता है ; लगाये गये करों के संदर्भ में हिसाब नहीं लगाया जाता । सभी प्रत्यक्ष करों की सकल वसूली के आधार पर, प्रत्येक 1000 रुपये की वसूली की लागत नीचे दिये अनुसार थी :—

1966–67	15.98
1967–68	17.86
1968–69	19.39

विवरण

(आंकड़े लाख रुपयों में)

कर	वित्तीय वर्ष 1968–69 में निर्धारित कर	वित्तीय वर्ष 1968–69 में कुल वसूली	31-3-69 को बकाया कर
आयकर	677,60	678,24	435,49
धनकर	8,61	11,35	7,93
सम्पदा कर	4,14	6,74	8,22
दान-कर	1,70	1,52	1,62
व्यय कर . . .	33	30	30

राष्ट्रीयकरण से पूर्व लोगों को उपलब्ध कराया गया धन

7521. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व इन बैंकों ने पहले ही विभिन्न लोगों को निम्न प्रकार से धन दे रखा था ;

(1) 1,40,000 से अधिक किसानों को 26 करोड़ रुपये ;

(2) 2000 से अधिक टैक्सी, स्कूटर तथा रिक्शा चालकों को 5 करोड़ रुपया ;

(3) 35,000 से अधिक लघु-उद्योगपतियों को 148 करोड़ रुपये ।

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीयकरण के बाद इन बैंकों ने कितना अतिरिक्त धन दिया तथा किस बारे में दिया ;

(ग) क्या इन बैंकों को ऐसे लेखकों को भी ऋण देने के निर्देश दिये गये हैं जो अपनी पुस्तकें प्रकाशित करना चाहते हैं, यदि हां, तो किस व्याज-दर पर ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) उल्लिखित वर्गों को दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में राष्ट्रीयकृत बैंकों में जून, 1969 के अन्तिम शुक्रवार को ऋण खातों की संख्या और इन खातों में बकाया रकमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	खातों की संख्या	बकाया रकम (करोड़ रुपयों में)
किसानों को सीधे वित्त	134,849	26.96
टैक्सी, स्कूटर और रिक्शा वाले .	2,147	4.47
छोटे पैमाने के औद्योगिक एकक . . .	36,301	148.44

(ख) जनवरी, 1970 के अन्त में बकाया रही रकमों के आधार पर, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उपर्युक्त वर्गों को जून 1969 से जनवरी 1970 तक की अवधि में दी गयी अतिरिक्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	31-1-1970 को बकाया		अतिरिक्त वित्त-व्यवस्था	
	खातों की संख्या	रकम (करोड़ रुपये)	खातों की संख्या	बकाया रकम (करोड़ रुपये)
किसानों को सीधे वित्त	2,75,326	65.61	+1,40,477	+38.65
टैक्सी, स्कूटर और रिक्शा वाले	4,869	10.39	+2,722	+5.92
छोटे पैमाने के औद्योगिक एकक	50,960	148.97	+14,659	+36.53

(क) और (घ). राष्ट्रीयकृत बैंकों में सभी उत्पादक उद्‌गमों की सहायता के लिए ऋण देने की योजनाएं तैयार की हैं । किसी लेखक के मामले में, बैंकों के लिए उसकी कृति के स्तर की आँकना और उसकी वाणिज्यिक सफलता की संभावनाओं का अनुमान लगाना कठिन होता है । लेकिन अगर किसी लेखक ने अपनी कृति के प्रकाशन से पहले काफी संख्या में आर्डर प्राप्त कर लिये हों तो बैंकों के लिए ऐसे प्रकाशन की वित्त व्यवस्था करने में सहायता देना संभव हो सकता है ।

हैदराबाद स्थित संश्लिष्ट औषधि निर्माण कारखाने (सिन्थेटिक ड्रग्स प्लांट) में चोरी की घटनायें

7522. श्री बाबू राव पटेल : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद स्थित संश्लिष्ट औषधि निर्माण कारखाने में बार-बार चोरी की घटनायें होती हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया, किस तारीखों को लगाया गया, तथा कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का सामान चोरी गया ;

(ग) उस स्टाक के प्रभारी अधिकारी का क्या नाम है ; और

(घ) इस चोरी को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वा० रा० चव्हाण): (क) और (ख). पिछले साल चोरी माल की कमी के तीन मामलों का पता लगा उनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(1) 17-12-69 को 100 किलो ग्राम तांबे के तुकड़े और छरे, तांबे की 1200 फुट पाइपस और 11 पीतल वाल्वस की चोरी का पता लगा था। कुल मूल्य लगभग 8,500 रुपये था ।

(2) 27-6-69, 2-6-69 और 31-10-69 को की गई प्रत्यक्ष जांचों से, आगे बुझाने वाले उपकरण से सम्बन्धित पीतल एवं तांबे की कई वस्तुओं और विभिन्न आकार के केब्लस की कमी का पता लगा। मूल्य लगभग 12,700 रुपये था।

(3) फरवरी 1970 के अन्त में की गई स्टाक जांच में, 2.2 लाख रुपये मूल्य के पारे के 1500 किलो ग्राम की कमी का पता लगा ।

(ग) स्टोर्स के संरक्षणों अथवा ब्लाकों के कार्य भारी अधिकारियों; जहां से माल की चोरी हुई थी; के नाम निम्न प्रकार हैं :—

(1) श्री नारायणन राव	स्टोर कीपर
(2) श्री कोटेश्वर राव	स्टोर कीपर
(3) श्री संगीत राव	स्टोर कीपर
(4) श्री कृष्ण राव	स्टोर कीपर
(5) श्री जी०के० राजू	उप-अधीक्षक

(घ) संदिग्ध चोरी की पुलिस को आवश्यक कार्यवाही के लिए तत्काल सूचना दी गई थी ।

कारखाने में सुरक्षा-उपाय सख्त कर दिये गये हैं। भारत सरकार के सुरक्षा सलाहकार की सलाह के अनुसार परिधि दिवार को बड़ा करने और निगरानी घण्टाघरों के निर्माण के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है।

Recovery of Income Tax from Persons in Madhya Predesh

7523. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the names of 50 persons in Madhya Pradesh who pay the maximum Income-tax and the amount of Income-tax outstanding against each of them on the 31st March, 1969;

(b) the action taken by Government to recover the outstanding amount and the time by which that amount would be recovered; and

(c) the amount of Income-tax outstanding against the said 50 persons for which they have been prosecuted under Section 277 of Income-tax Act and the outcome in each case?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) to (c). The requisite information in respect of 50 persons who are assessed on the highest total income in the Charge of the Commissioner of Income-tax, Madhya Pradesh is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as early as possible.

Effects of Insecticides used on Vegetable Crops on Human Health

7524. Shri Jageshwar Yadav: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the use of insecticides on the vegetable crops such as cauliflower has proved injurious to the health of the people;

(b) if so, the details of the said insecticides and the extent they have proved injurious to the human health; and

(c) whether the method of production of the said insecticides has now been changed to ensure that no harm is caused in future?

Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Dr. R. Chavan): (a) & (b). Government have no information on the point. Speaking generally, improper use of certain pesticides is likely to prove injurious to public health.

(c) Research is going on to find safe pesticides with low mammalian toxicity, which should be less persistent but highly effective against pests and diseases.

Cases of Gastric Trouble in Delhi

7525. Shri Jageshwar Yadav: Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) the causes for the increasing incidence of gastric trouble in Delhi and whether any special efforts have been made to collect information in this regard;

(b) whether Government have ascertained the number of persons suffering therefrom; and

(c) whether Government have made any special arrangements for treatment of the gastric-trouble and if so, the details thereof?

Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) and (b). The number of admissions in the Infectious Diseases Hospital, Delhi during the year 1969 as compared to the figures in 1968 does not indicate any increase of incidence of cholera and Gastro-Enteritis in Delhi. During January, February and March, 1970, about 88 cases of Gastro-Enteritis were reported to the Infectious Diseases Hospital as compared to about 825 cases during the year 1969. The Municipal Health Authorities in collaboration with the National Institute of Communicable Diseases are carrying out investigation of the cases. It has been found that such cases are more in areas which are inadequately provided with sanitary services.

(c) Arrangements for treatment of Cholera and Gastro-Enteritis (suspected as case of Cholera) exist at the Infectious Diseases Hospital, Delhi, Preventive measures against Cholera are taken and necessary steps to combat the spread of disease are also taken as soon as any case is discovered in any area.

भारत में सोने का उत्पादन

7526. श्री न० रा० देवधरे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वे कौन से स्थान हैं जहां सोना पाया जाता है ;

(ख) गत तीन वर्षों में भारत में प्रति वर्ष कितने सोने का उत्पादन हुआ ; और

(ग) इन स्वर्ण निक्षेपों से लगभग कितने समय तक स्वर्ण प्राप्त होता रहेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सोना मुख्यत: मैसूर राज्य के कोलार जिले में और रायचूर जिले के हट्टी नामक स्थानों पर पाया जाता है। सोना मिलने के अन्य महत्वपूर्ण स्थान आन्ध्र प्रदेश और बिहार में हैं, तथा कई अन्य राज्यों से भी मामूली मात्रा में सोना प्राप्त होने की सूचना मिली है ।

(ख) भारत में सोने का उत्पादन अब कोलार स्वर्ण खनन उपक्रम द्वारा और हट्टी स्वर्ण खान कम्पनी लिमिटेड द्वारा ही किया जाता है। पिछले तीन वर्षों में इन दोनों खानों के वार्षिक उत्पादन की जानकारी नीचे दी गयी है :

	कोलार स्वर्ण खनन उपक्रम	हट्टी स्वर्ण खान कम्पनी लि०
	(लाख ग्रामों में)	
1967–68	23.45	9.21
1968–69	26.38	9.72
1969–70	19.79	7.99*

*केवल ग्यारह महीनों के लिए, अप्रैल, 1969 से फरवरी 1970 तक

(ग) स्वर्ण भण्डार की मात्रा, खनन से होने वाली कमी और अन्वेषण के परिणामस्वरूप नये निक्षेपों में वृद्धि होने के कारण, समय-समय पर घटती-बढ़ती रहती है और इसलिए यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि इन निक्षेपों से कितनी अवधि तक सोना प्राप्त होता रहेगा ।

गुजरांवाला गृह निर्माण सहकारी संस्था

7527. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 6 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5181 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब गुजरांवाला गृह निर्माण सहकारी संस्था, दिल्ली के सभी सदस्य अपने पूर्व-इच्छित माप के प्लाटों को प्राप्त करने के पात्र थे तो उक्त संस्था को उसकी आवश्यकतानुसार भूमि आवंटित न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) उक्त संस्था को कुछ बड़े प्लाटों का विकास करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या प्रशासन ने सभी सदस्यों को प्लाट उपलब्ध कराने के लिये 167 वर्ग गज के छोटे-छोटे प्लाटों का विकास करने के प्रश्न पर कभी विचार किया था, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या शेष सदस्यों को भी प्लाट उपलब्ध कराने के लिये इस संस्था को अतिरिक्त भूमि आवंटित की गई है, और यदि हां, तो कब, कहां तथा उसका कब तक विकास किये जाने की संभावना है ; और

(ङ) क्या यह सच है कि इस संस्था की प्रबन्ध समिति के सभी सदस्यों को प्लाट आवंटित किये जा चुके हैं और यदि हां, तो उनमें से कितने सदस्यों को बड़े प्लाट दिये गये हैं तथा कितनों को छोटे प्लाट मिले हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० एस० मूर्ति) : (क) सोसाइटी को देय भूमि का एक भाग उच्च न्यायालय के 'रोकादेश' के अधीन है। रोकादेश के वापस लिये जाने पर यह सोसाइटी को आवंटित कर दिया जायेगा ।

(ख) सोसाइटी द्वारा बनाये गये प्लाटों का आकार सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम है ।

(ग) सोसाइटी द्वारा प्लाट इसके सदस्यों की आवश्यकताओं, जो अपेक्षित घनत्व के अनुरूप हो, के अनुसार बनाये जाने थे ।

(घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) प्रबन्धक समिति के, एक सदस्य को छोड़ कर सभी सदस्यों को प्लाट आवंटित किये जा चुके हैं। तीन सदस्यों को छोटे प्लाट आवंटित किये गये थे । उन सदस्यों की सही संख्या, जिन्हें बड़े प्लाट मिले, मालूम नहीं है ।

दिल्ली में गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं को भूमि का आवंटन

7528. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसी कितनी गृह निर्माण सहकारी संस्थायें हैं जिन्हें सरकार द्वारा भूमि आवंटित की गई है तथा जिन्होंने आंशिक रूप से भूमि का विकास किया है तथा उसे अपने सदस्यों को आवंटित किया है ;

(ख) सरकार ने इस बारे में यह सुनिश्चय करने के लिये क्या व्यवस्था की है कि संस्था को आवंटित की गई भूमि में से उसके सभी सदस्यों को प्लाट प्राप्त हों ; और

(ग) क्या अधिकाधिक सदस्यों को प्लाट उपलब्ध कराने तथा अधिकाधिक लोगों को आवास प्रदान करने के लिये विकसित किये जाने वाले प्लाटों के माप का कोई मानक निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० एस० मूर्ति) : (क) 116 सोसाइटियों में से जिन्हें अविकासित भूमि आवंटित की गई है, 26 ने भूमि का विकास कर लिया है और अपने सदस्यों को प्लाट आवंटित कर दिये हैं । 12 सोसाइटियों को आवंटित की गई भूमि का विकास चालू है ।

(ख) भूमि की आवश्यकताओं का सही मूल्यांकन करने के लिये तथा उपलब्ध क्षेत्र से अधिक सदस्यों के बनाये जाने को रोकने के लिये, दिल्ली प्रशासन भूमि के आवंटन के उद्देश्य के लिये, सोसाइटियों द्वारा 3-8-1967 के बाद बनाये गये सदस्यों को मान्यता नहीं देता ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, दिल्ली प्रशासन की भूमि आवंटन सलाहाकार समिति ने सहकारी आवास निर्माण समितियों द्वारा विकासित किये जा रहे प्लाटों की ऊपरी सीमा 400 वर्ग गज निश्चित की है ।

भारतीय उर्वरक निगम को हुई हानि

7529. श्री राम चन्द्र वीरप्पा : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम को भारतीय तथा विदेशी कम्पनियों के साथ किये गये विभिन्न करारों के फलस्वरूप वर्ष 1968 से अब तक हुई हानि का वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस हानि के क्या कारण हैं ;

(ग) इस हानि को रोकने अथवा कम करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या उक्त निगम में कर्मचारी व्यवस्था किसी रूप में उक्त हानि का एक कारण अथवा उसके लिये उत्तरादायी है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

दिल्ली के सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क वसूली विभाग में सतकर्ता के मामले

7530. श्री लताफत अली खां : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क वसूली अधिकारी ने वर्ष 1967, 1968 तथा 1969 में सतर्कता तथा गैर-सतर्कता संबंधी कुल कितने मामलों के बारे में निर्णय किया ;

(ख) उन मामलों में वसूली अधिकारी ने क्या निर्णय दिये ; और

(ग) प्रत्येक मामले पर निर्णय देने में कितना समय लगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्र० चं० सेठी) : (क) दिल्ली के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता द्वारा 1967, 1968 और 1969 में सतर्कता तथा सतर्कता भिन्न जो मामले निपटाये गये उनकी कुल संख्या 38 है ।

(ख) इन मामलों में समाहर्ता द्वारा दिये गये निर्णयों का विवरण नीचे दिया गया है :–

कर्मचारियों की संख्या	निर्णय
31	दोषमुक्त किये गये ।
3	चेतावनी दी गयी ।
1	दो वर्ष के लिये वेतन वृद्धि रोक दी जिसका प्रभाव संचयी होगा ।
1	दो वर्ष के लिये वेतन-वृद्धि रोक दी जिसका प्रभाव संचयी नहीं होगा ।
1	पदावनति करके दो वर्ष के लिये निम्न श्रेणी लिपिक बना दिया ।
1	सरकारी सेवा से अनिवार्यतः सेवा निवृत्ति कर दिया गया ।

(ग) इन मामलों का निर्णय करने में अलग अलग मामलों में 10 महीने से लेकर 8½ वर्ष तक का समय लगा ।

दिल्ली के केंद्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क वसूली विभागों में निलम्बित किये गये अधिकारी

7531. **श्री लतीफ अली खां** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के उत्पाद-शुल्क तथा सीमा-शुल्क वसूली विभागों में मुअत्तिल किये गये व्यक्तियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं ; और

(ख) वे किन-किन तारीखों से मुअत्तिल हैं और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख) मांगी गई सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है ।

विवरण

क्र० सं०	अधिकारी का नाम तथा पद	निलम्बित किये जाने की तारीख	निलम्बित किये जाने का कारण
1.	श्री ए० सी० राठोर, निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	5-2-1968	रिश्वत स्वीकार करना ।
2.	श्री आर० सी० सिंह, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क	30-4-1969	दुराचरण तथा डायरी में जालसाजी ।
3.	श्री कृष्ण सिंह, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	20-5-1969	कर्तव्य निष्ठा की कमी और कार्य-निष्पादन में सत्यनिष्ठा का अभाव ।
4.	श्री एच० बी० वीर निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	5-7-1969	रिश्वत मांगना और स्वीकार करना ।
5.	श्री एम० के० बवेजा, निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	5-7-1969	—यथोपरि—

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में नेपाल जोन की स्थापना के बाद कर्मचारियों की नियुक्ति

7532. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1962-63 में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में पटना एवियेशन जोन, पूर्वीय जोन कलकत्ता तथा नागपुर में दक्षिण-पश्चिम जोन की स्थापना के बाद विभिन्न स्थानों पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के केवल कनिष्ठ कर्मचारी ही नियुक्त किये गये थे ;

(ख) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में नेपाल जोन नामक एक नये जोन की स्थापना के बाद, जिसे सोनोली पोखरा सड़क का कार्य आवंटित किया गया है, वहां मंत्रालय अथवा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के केन्द्रीय कार्यालय से वरिष्ठ कर्मचारी नियुक्त किये जा रहे हैं तथा नागपुर और कलकत्ता में कार्य कर रहे कर्मचारियों से कोई विकल्प नहीं मांगा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो नेपाल जोन में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रभावित कर्मचारियों में से ही जिन्हें नीति के सिद्धान्त पर नई दिल्ली वापस बुला लिया गया है, नियुक्तियां करने के लिये चयन करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०एस० मूर्ति) : (क) जी, नहीं । कलकत्ता और नागपुर को हटाये गये जोनों से कार्य कर रहे स्टाफ़ को कार्य के साथ स्थानान्तरित किया गया था । संघीय क्षेत्रों के मुख्य इंजीनियर के कार्यालय से फालतू स्टाफ को पटना जोन में तैनात किया गया तथा शेष स्टाफ को सरकारी सेवा की आवश्यकता के लिये तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था । जोनों में बाद में होने वाली रिक्तियों के लिये यह निर्णय किया गया कि सबसे कनिष्ठ स्टाफ को भेजा जाए ।

(ख) 1965 में नेपाल जोन के बनाये जाने पर मंत्रालय के सचिवालय तथा दिल्ली में उसके सम्बद्ध कार्यालयों से वैकल्प मांगा गया था। वैकल्प भेजने वालों में से व्यक्तियों को गुणों के आधार पर चयन किया गया तथा उन्हें नैपाल में तैनात किया। कलकत्ता और नागपुर में कार्य कर रहे स्टाफ से वैकल्प इसलिए नहीं मांगा गया क्योंकि उन्हें केवल 2 वर्ष के लगभग ही स्थानान्तरित किया गया था। फिलहाल प्रवरता और कुशलता के आधार पर ही स्टाफ को नैपाल में तैनात किया जा रहा है और दिल्ली में प्रमुख इंजीनियर तथा दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियरों के कार्यालयों में कार्य कर रहे स्टाफ से केवल वैकल्प आमंत्रित किये गये हैं।

(ग) जोनों के मुख्यालयों के दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित हो जाने पर सभी स्थानान्तरित स्टाफ को उनके कालावधि समाप्त होने पर दिल्ली वापस बुला लिया गया है, केवल उस स्टाफ को पीछे छोड़कर जो उधर रहने में इच्छुक हैं। दिल्ली में प्रमुख इंजीनियर तथा मुख्य इंजीनियरों के कार्यालयों में कार्य कर रहे स्टाफ से वैकल्प मांगे जाने के प्रत्युत्तर में कुछ स्टाफ से आवेदन प्राप्त हुए हैं जिन्होंने पहले नागपुर, कलकत्ता और पटना में कार्य किया है तथा उन्हें प्रवरता और अन्य प्रकार से योग्य पाये जाने पर नैपाल ने तैनाती के लिए विचार किया जायेगा। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कलकत्ता और बम्बई कार्यालयों में कार्य कर रहे केन्द्रीय सचिवालय सेवा के स्टाफ से भी वैकल्प मांगा जायगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में भर्ती करने के लिये बनाये गये नये नियम

7533. श्री मंगलायुमाडम : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बैंकों में पर्यवेक्षक पदों पर नियुक्तियों के लिये नये नियम बनाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी राष्ट्रीयकृत 14 बैंक इन नये नियमों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क), (ख) और (ग). बैंकिंग समवाय (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत उन शर्तों और सीमाओं का निर्धारण करने वाले विनियम, जिनके अन्तर्गत कोई राष्ट्रीयकृत बैंक अधिकारियों, सलाहकारों, या अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है और उनके पारिश्रमिक तथा सेवा संबंधी अन्य शर्तें निर्धारित कर सकता है, उस बैंक के निदेशक मंडल द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से सलाह करने के बाद और केन्द्रीय सरकार की पुर्वानुमति से तैयार किये जाने हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों की स्थापना के बाद, ये निदेशक मंडल यदि आवश्यक हुआ तो इस प्रकार के विनियम बनाने के प्रश्न पर विचार करेंगे।

दिल्ली में मैडिकल कालेज

7534. श्री टी० पी० शाह :
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री अ० वीपा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रह रहे तथा विदेशों में भारतीय दूतावासों में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिये दिल्ली के मैडिकल कालिजों में शिक्षा प्राप्त करने के लिये सीटें रिजर्व हैं ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक मैडिकल कालिज में इनका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या इन मैडिकल कालिजों में प्रवेश के लिये दिल्ली राज्य क्षेत्र में अधिवास करने वालों को कोई अधिमान दिया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० एस० मूर्ति) : (क) और (ख). दिल्ली में तीन मैडिकल कालेजें हैं नामतः, मौलाना आजाद मैडिकल कालेज, लेडी हार्डिंग मैडिकल कालेज तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उप-स्तानक खण्ड । इन कालेजों में से किसी में दिल्ली में नियुक्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिये स्थान सुरक्षित नहीं किये जाते । तथापि, मौलाना आजाद मैडिकल कालेज में दिल्ली वासियों और अन्य पात्र वर्गों के छात्रों के साथ, दिल्ली में नियुक्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लड़कों । लड़कियों को, और जिनके पिता मर गये हैं परन्तु जो प्रवेश के समय दिल्ली में नियुक्त अपने सगे भाई । बहन पर आश्रित हो उनको भी प्रवेश के समय योग्यता के आधार पर प्रवेश का पात्र माना जाता है । विदेशों में भारतीय दूतावासों में कार्य कर रह भारतीय कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत छात्रों के लिये दिल्ली तथा देश के अन्य चिकित्सा कालिजों में प्रति वर्ष स्थानों की उपलब्धता के अनुसार कुछ सीटें आरक्षित रखी जाती हैं । वैसे, भारतीय दूतावासों में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों के लिये खासकर दिल्ली अथवा अन्यत्र स्थित चिकित्सा कालेजों में कोई आरक्षण विशेष रूप से नहीं किया जाता ।

(ग) और (घ). दिल्ली के तीन चिकित्सा कालेजों में से लेडी हार्डींग मैडिकल कालेज में 12 सीटों तथा केन्द्रीय सरकार के मनोनीत छात्रों के लिये आरक्षित सीटों को छोड़ कर मौलाना आजाद मैडिकल कालेज की सभी सीटों का उपयोग दिल्ली के निवासियों के लिये जिनमें दिल्ली में पंजीकृत विस्थापित उम्मीदवार भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से प्री-मैडिकल परीक्षा और अथवा दिल्ली बोर्ड से हायर सेकेण्डरी परीक्षा अथवा दिल्ली केन्द्र से हायर सेकेण्डरी की समकक्ष कोई परीक्षा पास की हो, किया जाता है । केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत छात्रों के लिये आरक्षित सीटों को छोड़कर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रवेश अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर दिया जाता है ।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग में निरीक्षक ग्रेड में पदोन्नति के लिये आयु-सीमा

7535. श्री लतीफ अली खां : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में निरीक्षकों के ग्रेड में उच्च श्रेणी लिपिकों की पदोन्नति के लिये निर्धारित अधिकतक आयु-सीमा 38 वर्ष है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 38 वर्ष की इस आयु-सीमा को वर्ष 1965 में केवल उसी वर्ष के लिये बढ़ा कर 40 वर्ष कर दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो किन परिस्थितियों की वजह से उक्त आयु-सीमा को केवल एक वर्ष के लिये ही बढ़ाया गया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में उच्च श्रेणी लिपिकों की निरीक्षक ग्रेड में पदोन्नति के सम्बन्ध में अधिकतम आयु-सीना 38 वर्ष है। परन्तु, उत्कृष्ट कार्य गुण वाले उच्च श्रेणी लिपिकों के मामले में इस सीमा में ढील देकर इसे 45 वर्ष तक बढ़ा दिया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) नियमों की गलत व्याख्या के कारण अनेक उच्च श्रेणी लिपिकों के नामों पर विचार नहीं किया गया था। उनसे दरखवास्तें प्राप्त होने पर तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को हानि नहीं होने देने की दृष्टि से इसे विशेष मामला मानकर आयु सीमा 1965 में बढ़ा कर 40 वर्ष कर दी गयी थी।

सीमाशुल्क तथा केंद्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग, दिल्ली में संगठन तथा पद्धति एकक

7536. श्री लतीफत अली खां : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान दिनांक 15 जनवरी, 1970 और 15 मार्च, 1970 के "दारुल-सल्तनत", दिल्ली, में सीमाशुल्क तथा केंद्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग, दिल्ली के संगठन तथा पद्धति एकक के बारे में छपे लेखों की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) संगठन तथा पद्धति एकक में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं, प्रशिक्षण की अवधि और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को अदा किये गये वेतन तथा अन्य भत्तों समेत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क), (ख), (ग) तथा (घ). जी नहीं। (i) अखबार में प्रकाशित लेखों की प्रतिलिपियों और (ii) उनमें उठाये गये प्रश्नों के बारे में पूरे ब्यौरों के अभाव में, सरकार के लिये स्थिति को अधिक स्पष्ट करना सम्भव नहीं है। यह अवश्य है कि केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क समाहर्ता कार्यालय, दिल्ली के प्रधान कार्यालय में एक संगठन तथा पद्धति एकक है। उस समाहर्ता कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारियों को गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित कार्य अध्ययन/संगठन तथा पद्धति तकनीक/पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण के लिये भेजा गया था। उनमें प्रशिक्षण दिया गया था :

(i) श्री जगदीश राज, लेखा-परीक्षक (सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क) तीन महीनों की अवधि के लिये।

(ii) श्री प्रीतम सिंह, अधीक्षक (प्रशासन) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रभागीय कार्यालय, अमृतसर। केवल एक मास के लिये क्योंकि उनका प्रशिक्षण पूरा होने से पूर्व ही उनकी राजपत्रित पद पर पदोन्नति हो गयी थी।

(iii) श्री के० सी० क्वात्रा, उप अधीक्षक, कार्यालय केवल तीन महीनों की अवधि के लिये। इन अधिकारियों पर प्रशिक्षण की अवधि में उनके वेतन तथा भत्तों पर खर्च की गयी रकम केवल 4,050 रुपये है। इन अधिकारियों पर, उनके प्रशिक्षण की अवधि में उनके वेतन तथा भत्तों के अतिरिक्त कोई अन्य खर्च नहीं किया गया।

भारत में औषधियां बनाने के लिये अमरीका की नौ औषधि निर्माता कम्पनी को लाइसेंस देना

7537. श्री शिवचंडिका प्रसाद : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका की नौ कम्पनी नामक एक औषधि निर्माता कम्पनी को (i) भारत में औषधियां बनाने तथा/अथवा (ii) अमरीका स्थित मूल कम्पनी में बनी औषधियां का आयात कर इन्हें भारत में बेचने का लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कम्पनी की बहुत सी औषधियां जैसे मेंन्डाको, वीटेंबस निक्सोडर्म, हाइनोक्स और सिस्टेक्स की बिक्री अमेरिका में निषेध है परन्तु उनके निर्यात करने की अनुमति है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात का पता है कि अमरीका में इस कम्पनी की इन औषधियां को बेचने पर लगी रोक का कारण यह है कि सरकारी औषधि निरीक्षक द्वारा उन्हें नकली ठहराया गया है तथा कम्पनी द्वारा विज्ञापनों में किए गए दावे धोखाधड़ी वाले हैं ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि भारत में अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए कम्पनी द्वारा समाचार-पत्रों और रेडियो पर अत्यधिक विज्ञापन दिये जा रहे हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार जनसाधारण के स्वास्थ्य के हित में इन औषधियों की बिक्री पर रोक लगाने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० एस० मूर्ति) : (क) (i) जी, हां। (ii) जी, नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुये यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अपनी औषधियों के संघठन सम्बन्धी चिकित्सीय दावों के बारे में समाचार पत्रों में और रेडियो पर मेसर्स नाक्स एण्ड कम्पनी के जो विज्ञापन आते हैं वे झूठे, भ्रामक अथवा अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं समझे जाते।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में भूकम्प

7538. **श्री रामावतार शर्मा :**
श्री दे० अमात :
श्री ओंकार लाल बोहरा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में हाल ही में आये भूकम्प के कारण जान और माल की कितनी हानि हुई है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने राहत-कार्य के लिये कितनी धन-राशि दी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, बढ़ोंच जिले में हाल में, आये भूकम्प से जान और माल की जो हानि हुई थी, उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(i) मृत व्यक्तियों की संख्या . . .	25
(ii) घायल हुए व्यक्तियों की संख्या . . .	250
(iii) पूरी तरह नष्ट हो गये मकानों की संख्या . .	400
(iv) क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या—लगभग . .	8000

(ख) इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है ।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, नई दिल्ली के कर्मचारियों के विरुद्ध मामले

7539. **श्री बलराज मधोक : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 में हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, नई दिल्ली में आग लगने के पश्चात् कुल कितने कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी ; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या विशिष्ट आरोप लगाये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी में 2 जुलाई, 1969 को हुई आगजनी और हिंसा के बाद, पुलिस द्वारा फैक्टरी के 105 कर्मचारियों और बाहर के 4 लोगों के विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज किया गया था ।

(ख) अभियुक्तों के विरुद्ध अभी आरोप नहीं लगाये गये हैं ।

नई दिल्ली में विनय मार्ग तथा एम० ऐवेन्यू को मिलाने के लिये ऊपरी अथवा निचले पुल

7540. **श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में विनय मार्ग को सरोजिनी नगर की और एम० ऐवेन्यू के साथ मिलाने के लिये ऊपरी अथवा निचला पुल बनाने की वांछनीयता का विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये इस मामले में क्य कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ((श्री बी० एस० मूर्ति) : (क) (ख) और (ग). नई दिल्ली नगर पालिका न सूचित किया है कि 40 लाख रु० की अनुमानित लागत से विनय मार्ग और एम० एवेन्यू को मिलाने वाला एक निचला पुल बनाने का प्रस्ताव है। रोड सेक्टर सम्बन्धी कार्यदल ने 20 लाख रु० की व्यवस्था से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस योजना को शुरू करने की सिफारिश की है। शेष कार्य पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पूरा किया जायेगा। इस योजना के सर्वेक्षण के आंकड़ों का इस समय अन्वेषण किया जा रहा है।

सेक्रीन के प्रयोग पर प्रतिबन्ध

7541. **श्री जय सिंह :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि विसकौंसिन विश्वविद्यालय के डा० जार्ज टी० ब्रायन को अपने हाल के अनुसंधानों में पता लगा है कि जिन चूहों को सेक्रीन की गोलियां खिलाई गई थीं उनमें 50 में से 47 को कैंसर हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सभी पेय तथा खाद्य पदार्थों में सेक्रीन के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सेक्रीन को केवल कार्बोनेटेड पेयों में ही एक कृत्रिम मीठे के रूप में प्रयोग करने दिया जाता है और किसी अन्य खाद्य में नहीं। संसार के सब देशों से अब तक की उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि कृत्रिम मीठे के रूप में सेक्रीन आमतौर पर प्रयोग किया जाता है और ऐसी कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं है जिससे यह पता लगे कि इससे कैंसर हो जाता है अथवा इसके कोई अन्य हानिकर प्रभाव हैं।

Grants given from Discretionary Fund of Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development during 1969-70

7542. Shri Arjun Singh Bhadoria: Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the names and address of the persons to whom grants were given from his Discretionary Fund during 1969-70 and the full details of the grant given to each of them ;

(b) whether Government give grants to the Hospitals functioning in various States for the free treatment of the patients ; and

(c) if so, the name of the Hospitals in District Pauri Garhwal, Uttar Pradesh which were given grants from the aforesaid fund during 1969-70 ?

Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) A statement is attached.

(a) A statement is attached. [Placed in Library. See No. LT-3317/70.]

(b) Small financial assistance can be sanctioned out of Health Minister's Discretionary grant to voluntary organisations and private hospitals and dispensaries for the purpose of providing free treatment to patients.

All grants should be of a non-recurring nature as no recurring liability can be undertaken. The responsibility to provide medical care facilities is that of the State Governments.

(e) In Pauri Garhwal grant has been given only to one institution namely Kaviraj Shambhu Prasad Bhatt, Kailash Aushadalaya, Kholachanri, Patti Sitonsyun, District Pauri-Garhwal, Uttar Pradesh.

संश्लिष्ट औषधि संयंत्र, हैदराबाद से पारे की चोरी

7543. **श्री ओंकार लाल बोहरा :**
श्री समर गुह :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या संश्लिष्ट औषधि संयंत्र, हैदराबाद में पारे की चोरी के कुछ मामलों का पता चला है और यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों को पकड़ने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और कितने मूल्य के पारे की चोरी होने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): जी हां। मामले की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस के पास कर दी गई है। पुलिस आवश्यक जांच कर रही है। चोरी से हुई कुल हानि का मूल्यांकन इस समय संभव नहीं है। फरवरी, 1970 के अन्त में किये गये स्टाफ के सत्यापन से लगभग 2.2 लाख रुपये के मूल्य के लगभग 1500 किलोग्राम पारे की कमी का पता लगा था।

एक मंत्रिमंडलीय मंत्री द्वारा कर का भुगतान किये बिना विदेश से टेलीविजन सेट लाया जाना।

7544. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक मंत्रिमंडलीय मंत्री दक्षिण-पूर्व एशिया के अपने वापसी के दौरान यह घोषित करके कि टेलीविजन सेट का मूल्य केवल 900 रुपये है बिना कर दिये ही एक टेलीविजन सेट लाये थ ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस मामले में 100 रुपये की छूट दी जो कि सीमा-शुल्क में 800 रुपये की छूट से अधिक थी ;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि जिस देश से उक्त मंत्री महोदय यह सेट खरीद कर लाये हैं उस देश में इस सेट का मूल्य 1500 रुपये से अधिक है ; और

(घ) यदि हां, तो मंत्री महोदय की यह छूट तथा उक्त दौरे के लये विदेशी मुद्रा देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख). एक केबिनेट मंत्री ने 1969 में दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा के बाद उनके साथ में न लाये गये असबाब के रूप में एक टेलीविजन सेट आया था। उक्त मंत्री के निजी सचिव ने हलफनामा दायर किया कि उस सेट की लागत 900 रु० है। असबाब नियमों के अधीन मिलने वाली 800 रु० की निःशुल्क छूट से ऊपर की 100 रु० की अतिरिक्त रकम को माफ करने के बाद उक्त सेट को सीमाशुल्क लिये बिना ही छोड़ दिया गया। यह सच नहीं है कि सरकार ने 100 रु० की अतिरिक्त रकम पर शुल्क की अदायगी से छूट की मंजूरी दी। इस अतिरिक्त रकम को सक्षम सीमाशुल्क अधिकारी ने दिनांक 11-7-1966 के सामान्य आदेशों के अधीन प्राप्त अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके माफ कर दिया था।

(ग) तथा (घ). जिस देश में उक्त सेट खरीदा गया था वहां इस सेट के मूल्य के बारे में कोई पूछताछ नहीं की गई क्योंकि सीमा शुल्क कानून के अनुसार निर्माता देश, अर्थात् इस मामले में जापान, में निर्यात मूल्य पर आधारित लागत बीमा भाड़ा सहित मूल्य ही संगत मूल्य होता है। इस आधार पर 900 रु० का घोषित मूल्य उचित जान पड़ा और उसे स्वीकार कर लिया गया।

सरकारी व्यय के रूप में खर्च की जाने वाली विदेशी मुद्रा के अतिरिक्त उक्त मंत्री को विदेश स्थित हमारे मिशनों द्वारा, निर्धारित दर पर, दैनिक भत्ता दिया गया था और उन्हें नियमों के अधीन मिलने वाले वैयक्तिक प्रासंगिक व्यय के लिये 346 रु० के बराबर विदेशी मुद्रा भी दी गई थी।

केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा विदेश से प्राप्त स्वामित्व

7545. श्री शिव चन्द्र झा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय मंत्रियो द्वारा विदेशों से स्वामित्व, ब्याज तथा लाभ के रूप में प्रति वर्ष कुल कितनी राशि प्राप्त की जाती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : वर्ष 1968-69 के बारे में सूचना इकट्ठी की गयी है। इस अवधि की कुल राशि 4,615.00 रुपये है।

Extraction of necessary contents from Distillery Waste Water

7546. Shri Maharaj Singh Bharati: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state the success achieved in extracting the necessary contents from the distillery waste water and in preventing the said water from being harmful ?

Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan): Laboratory and pilot plant investigations on the utilisation of liquid wastes from Molasses Distilleries have been carried out by a team of the Public Health Engineering Research unit of the Indian Council of Medical Research. As a result it has been possible to recover few valuable bye-products in the form of Potash, Methane Gas and Vitamin B12, during the treatment of these wastes. The methods evolved by the unit provide an easy method for sanitory disposal of waste and also result in the recovery of valuable bye-products.

The All India Distillers' Association are reported to have shown keen interest in this development and offered to finance a project for trying out on a semi-commercial scale the method of anaerobic digestion for recovery of methane gas.

ट्रावनकोर-कोचीन के एफ० ए० सी० टी० कारखाने में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

7548. **श्री मीठालाल मीना** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्रावनकोर-कोचीन स्थित एफ० ए० सी० टी कारखाने में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा भविष्य में इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) और (ख). एफ० ए० सी० टी० कारखाने में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का अनुपात अभी समुचित नहीं है। यह मुख्यतः इसलिये है क्योंकि 1963-64 में कम्पनी के भारत सरकार के नियन्त्रण में आने के पश्चात ही अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आरक्षण से सम्बन्धित नियम उद्योगमण्डल में लागू किये गये थे। तब से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को अधिकतम संख्या में भर्ती करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं, बशर्ते कि उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध हो जायें।

सरकार द्वारा गैर-सरकारी निगमित निकायों के प्रबन्ध को अधिकार में लेना

7549. **श्री न० कु० साल्वे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसे गैर-सरकारी निगमित निकायों के प्रबन्ध को अपने अधिकार में लेने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है जहां सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों ने अधिकतम संख्या में साम्य अंश ले रखे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कोई निर्णय कब तक कर लिये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). इस समय सरकार या वित्तीय संस्थाएं ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहीं कि गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रवर्तित औद्योगिक कम्पनियों (कन्सर्न) के प्रबन्ध को केवल इस आधार पर हाथ में ले लिया जाय कि सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं के पास अकेले अथवा संयुक्त रूप से, इन कम्पनियों के सामान्त शेयरों का सब से बड़ा भाग है ; सरकार वित्तीय संस्थाओं को, इन परिस्थितियों में, ऐसी कम्पनियों के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने की सलाह देने के किसी प्रस्ताव पर भी विचार नहीं कर रही है।

गैर-सरकारी क्षेत्र की किसी कम्पनी के प्रबन्ध को हाथ में लेने और उस पर अपना नियंत्रण रखने के लिए, इन संस्थाओं के लिए केवल यही जरूरी नहीं है कि सामान्य शेयरों में सबसे ज्यादा शेयर इनके पास हों ; इसके लिए यह भी जरूरी है कि इन संस्थाओं को सम्बद्ध कम्पनी के शेयरधारियों के बहुमत का समर्थन भी प्राप्त हो। सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त सूचना के अनुसार इस समय गैर-सरकारी क्षेत्र की किसी भी कम्पनी की सामान्य पूंजी में 50 प्रतिशत से अधिक शेयर अनेक उनके पास नहीं हैं।

लेकिन, औद्योगिक लाइसेंस नीति विषयक जांच समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए, सरकार ने हाल में घोषणा की थी कि भविष्य में इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने का विचार है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रवर्तित उन मुख्य प्रायोजनाओं के जिनके लिए सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं से काफी बड़ी मात्रा में सहायता (ऋणों के रूप में अथवा शेयर पूंजी के रूप में) दी गयी हो, प्रबन्ध में, विशेषत: नीति विषयक स्तर पर, पहले की अपेक्षा अधिक भाग लिया जाय ।

पंजाब के लिये पोलिस्टर फाइबर प्लान्ट

7550. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या **पेट्रोलियम** तथा **तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से एक पोलिस्टर फाइबर प्लांट स्थापित करने की अनुमति मांगी है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि पोलिस्टर फाइबर के कुल उत्पादन का 9.9 प्रतिशत भाग पंजाब में खपता है ; और

(ग) यदि हां, तो पंजाब को यह संयंत्र स्थापित करने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं । सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार पंजाब में देश के उत्पादन की खपत की प्रतिशतता बहुत थोड़ी थी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रधान मंत्री के लिये नया निवास स्थान

7551. श्री एन० शिवप्पा : **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री वि० नरसिम्हा राव : **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री काशीनाथ पाण्डेय : **श्री न० कु० सांधी :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रिमण्डल द्वारा प्रधान मंत्री के निवास स्थान के लिये अभी हाल ही में स्वीकार की गई योजना को समाप्त कर दिया गया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान 4 मार्च, 1970 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० एस० मूर्ति) : (क), (ख) और (ग). 4 मार्च, 1970 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट को सरकार ने देखा है । भारत के प्रधान मंत्री के नये सर-

कारी निवास स्थान के लिये कोई प्लान और प्राक्कलन तय्यार नहीं किया गया है, अत: मंत्री मंडल द्वारा प्लान के अनुमोदन का प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रस्ताव विचार की बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में ही था कि इसे फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया था।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये क्षेत्रीय समितियां

7552. श्री मुरासोली मारन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री ने सुझाव दिया है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया की भांति राष्ट्रीकृत बैंकों के मामले में प्रादेशिक स्तर पर समितियां बनाई जानी चाहिए, और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) मार्च, 1970 में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक के दौरान तमिल नाडु के मुख्य मन्त्री ने इस प्रकार का एक सुझाव दिया था।

(ख) राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों को प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए एक ऐसा मंच स्थापित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है जहां राष्ट्रीयकृत बैंक राज्य सरकारों के अधिकारियों और औद्योगिक तथा वाणिज्यिक निकायों आदि के प्रतिनिधियों से समय समय पर परामर्श कर सकें।

राज्यों को दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्धमें केन्द्रीय ऋण आयोग

7553. श्री मुरासोली मारन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को दिये गये ऋणों की जांच करने के लिये एक केन्द्रीय ऋण आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

भारतीय उर्वरक निगम के गोरखपुर स्थित एकक में उर्वरकों का उत्पादन

7555. श्री देविन्दर सिंह गार्चा : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष भारतीय उर्वरक निगम के गोरखपुर स्थित एकक में उर्वरकों का कुल कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) उसी अवधि में कुल कितनी बिक्री हुई ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण):

(क) 1969–70 के दौरान गोरखपुर कारखाने में 1,58,066 मीटरी टन यूरिया उत्पादित हुआ ।

(ख) 1,46,993 मीटरी टन यूरिया ।

दिल्ली में शराब की दुकानों की नीलामी

7557. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में दिल्ली में शराब की दुकानों की नीलामी से इस वर्ष अधिक राशि प्राप्त हुई ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कितना धन वसूल किया गया और क्या इन दुकानों के जरिये बचे जाने के लिये अधिक मात्रा में शराब की सप्लाई की गई है ; और

(ग) क्या मूल्य की कोई उपरि सीमा निश्चित हो गई है और क्या दिल्ली में और अधिक दुकानें खोली जायेंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस वर्ष की कुल वसूली 63.17 लाख रुपये है जबकि पिछले वर्ष 58.63 लाख रुपये थी । फिर भी, सप्लाई का कुल कोटा पूर्ववत ही है ।

(ग) जी, नहीं ।

Raid on an Illicit Liquor Manufacturing Warehouse in Delhi

7558. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government seized a large number of bottles having false seals and also bottles in excess of the sanctioned quantity in a raid on a liquor warehouse in Delhi last month ;

(b) the time since when this illicit trade in liquor is being carried on as per Government's information ; and

(c) the number of persons found responsible for carrying on this trade and the action taken by Government against them?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) As a result of a raid on a bonded warehouse by Delhi Excise authorities on 26th/27th February 1970, 686 gallons of spirit and 1200 bottles of country liquor were found in excess of the sanctioned quantity.

(b) No definite information is available as to how long this illicit trade was being carried on.

(c) The contractor of the warehouse, his associates and the Sub-Inspector of Excise were held responsible for violation of the Excise laws. The contractor has been fined Rs. 20,000 and the quantities found in excess confiscated. The Sub-Inspector has been suspended and disciplinary action is being taken against him.

सिक्योरिटी पेपर मिल कर्मचारी समिति

7559. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होशंगाबाद स्थित सिक्योरिटी पेपर मिल में कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने के लिये कोई समिति है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति का निर्वाचन श्रमिकों ने किया था और पहले यह निर्वाचन कब हुआ था ; और

(ग) यदि वहां पर कोई निर्वाचित अथवा नामित समिति नहीं है तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) मिल में एक श्रम कल्याण अधिकारी है जो इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करता है कि मजदूरों की शिकायतों पर तुरन्त ध्यान दिया जाए ।

सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद में ड्यूटी रोस्टर

7560. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद के श्रमिकों को 16 घंटे आराम पूरा करने से पूर्व बुलाया जाता है ;

(ख) क्या वहां हाजिरी पुस्तिका है जिसमें श्रमिकों का हाजिरी का समय दर्ज किया जाता है ; और

(ग) क्या होशंगाबाद सिक्योरिटी पेपर मिल में कोई ऐसे दस्तावेज हैं जिनसे यह मालूम हो सकता है कि श्रमिक कब आते हैं, कब जाते हैं और उन्हें काम पर कब बुलाया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) आम तौर पर श्रमिकों को 16 घंटे का आराम पूरा करने से पूर्व काम पर नहीं बुलाया जाता पर यदि किसी समय एक पारी के कर्मचारी की जगह लेने वाला दूसरा कर्मचारी किसी अप्रत्याशित कारण से नहीं पहुंच पाता तब उसी कर्मचारी को अगली पारी में आधा समय तक काम जारी रखने को कहा जाता है और उसके बदले में उसे समयोपरि भत्ता दिया जाता है । इस प्रकार के आपवादिक मामलों में कर्मचारी की अगली पारी 12 घंट आराम करने के बाद आती है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) अभी, समय के बारे में कोई सम्मिलित अभिलेख (सेन्ट्रल रिकार्ड) नहीं रखा जाता जिससे मिल के कर्मचारियों के मिल में प्रवेश करने अथवा मिल से बाहर जाने के समय का पता लग सके । हालांकि ऐसे हाजिरी रजिस्टर रखे जाते हैं जिनसे यह पता चल सकता है कि किसी कर्मचारी को जिस पारी में बुलाया गया था उसमें वह उपस्थित था या नहीं ।

सिक्योरिटी पेपर मिलों के कर्मचारियों के मामले में उपस्थिति नियमों में भेदभाव

7561. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का एक नियम यह है कि बाहर से आने वाले तथा कारखाने के परिसर में 2-3 मिनट बाद पहुंचने वाले श्रमिकों को वापिस जाना पड़ता है ;

(ख) यदि नहीं, तो होशंगाबाद स्थित सिक्योरिटी पेपर मिल्स के श्रमिकों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस नियम का मतलब कर्मचारियों को तंग करना नहीं है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अनुसार कारखाने के क्षेत्र के बाहर से आने वाले मजदूरों को कारखाने में 2-3 मिनट देर से आने की छूट हो। सभी मजदूरों से यह अपेक्षा की जाती है कि व निर्धारित तथा अधिसूचित समय पर प्रतिष्ठानों में, अपने काम पर उपस्थित हों। जो मजदूर अपने काम पर देर से आते हैं, उनके वेतन में से, वेतन अधिनियम 1936 के अन्तर्गत, आवश्यक कटौतियां की जाती हैं।

(ख) और (ग). सिक्योरिटी पेपर मिल के बाहर के क्षेत्र से आने वाले जो मजदूर कारखाने में 2-3 मिनट देर से आते हैं उन्हें वापस नहीं लौटाया जाता। किसी मजदूर को, अपने काम पर हाजिर होने के लिए सामान्यतः तब तक के लिए 5 मिनट तक देर से आने की छूट दी जाती है जब तक वह आदतन इस रियायत का दुरुपयोग नहीं करता। यदि कोई मजदूर अपने काम प पांच मिनट से एक घंटे तक भी देर से आता है, तो अनुभाग प्रमुख, नियमों के अन्तर्गत उसकी मजदूरी में आवश्यक कटौती किये जाने के आधार पर उसे अपने काम पर उपस्थित होने की अनुमति देता है। अतः इस प्रकार 2-3 मिनट देर से काम पर आने वाले मजदूरों को परेशान करने का सवाल पैदा हुआ नहीं होता।

सिक्योरिटी पेपर मिल्स, होशंगाबाद के श्रमिकों को बोनस

7562. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद गैर-न्यायिक स्टाम्पों अर्थात वाणिज्यिक कारोबार के लिये कागज बना रहा है ;

(ख) क्या सिक्योरिटी पेपर मिल के श्रमिक इस प्रकार विदेशी मुद्रा बचा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें उत्पादन बोनस न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क), (ख) और (ग). होशंगाबाद स्थित सिक्योरिटी पेपर मिल में, नासिक रोड के इण्डियन सिक्योरिटी प्रेस में कुछ किस्मों के गैर-अदालती स्टाम्पों की, जो सरकारी लेनदेनों में लिखितों के रूप में काम आती हैं, छपाई के लिये आवश्यक कागज का उसी प्रकार उत्पादन किया जाता है जिस प्रकार इसी तरह के प्रयोजनों के लिये आवश्यक अन्य किस्मों के कागज का उत्पादन होता है। यह मिल निस्सन्देह, इस तरह के कागज का उत्पादन करके ठीक उसी प्रकार से विदेशी मुद्रा की बचत करती है जिस प्रकार वह अन्य किस्मों का कागज तैयार करके करती है। इसलिये इस बात का मजदूरों को उत्पादन बोनस देने के प्रश्न के साथ कोई संबंध नहीं है। चूंकि यह मिल, केन्द्रीय सरकार का विभागीय उपक्रम है-इसलिये इस मिल के कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया जाता।

सिक्योरिटी पेपर मिल्स, होशंगाबाद के लिये श्रम कल्याण समिति

7563. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद में विभागीय मैच प्रतियोगिताये मनोरंजन आदि के कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिये कोई निर्वाचित श्रम कल्याण समिति नहीं है ;

(ख) क्या उक्त प्रयोजनों पर होने वाले व्यय को सरकार उठाती है ; और

(ग) क्या उक्त मिल में काम करने वाले प्रत्येक श्रमिक को उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये दो-दो रुपये देने को बाध्य किया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद में विभागीय खेल प्रतियोगिताओं, मनोरंजनों आदि का आयोजन श्रम कल्याण निधि समिति द्वारा किया जाता है। इस समिति के ग्यारह सदस्य होते हैं, जिनमें से तीन महाप्रबन्धक द्वारा नामजद किये जाते हैं और शेष आठ सदस्य मिल के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किये जाते है।

(ख) श्रमिक कल्याण निधि में सदस्यों से प्राप्त होने वाले अभिदानों, ऐच्छिक दानों तथा सरकार से प्राप्त होने वाले सहायक अनुदानों की रकमें जमा की जाती हैं। इस समय उक्त निधि के लिए प्रति मजदूर 2 रुपये वार्षिक के हिसाब से सहायक अनुदान दिया जाता है और इसके अतिरिक्त निधि द्वारा अपने सदस्यों से जितनी रकम अभिदान के रूप में इकट्ठी की जाती है उतनी रकम उसे और दी जाती है किन्तु यह रकम, एक रुपया प्रति सदस्य की दर से अधिक नहीं होती।

(ग) श्रम कल्याण निधि समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित संकल्प के अनुसार सदस्यों के वर्तमान वार्षिक अभिदान की दर 2 रुपया निर्धारित की गयी है। इस मिल का कोई भी मजदूर अपनी इच्छा से उक्त निधि का सदस्य बन सकता है और इसका सदस्य बनने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाता।

T.B. Patients in the Country

7564. Shri Janeshwar Misra : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of T. B. patients in the country and the rate at which their number is swelling every year ; and

(b) whether it is a fact that the number of beds available in 6 hospitals is much less as compared to the T. B. patients ?

Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The number of T. B. patients in the country is estimated to be about 8 million of whom about 2 million are sputum positive for tubercle bacilli and are infectious. This estimate is based on the finding of the National Sample Survey carried out in 1955-58 which showed that 1.5% of the population had X-ray evidence of Tuberculosis and 0.4% of the population had tubercle bacilli in the sputum. Information regarding the rate at which their number increases every year, is not available.

(b) The total number of beds available for Tuberculosis in the country is about 35,000 which is much less than the estimated number of T. B. patients. However, since Tuberculosis can be treated with potent anti-TB drugs in the patients' homes as effectively as in an Institution, institutional beds are not required for the treatment of all patients.

सरकारी उपक्रमों में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति लाभ

7565. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उद्यम ब्यूरो ने सरकारी उद्यमों में स्थायी रूप से नियुक्त किये जाने पर सरकारी कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति लाभ मंजूर किये जाने के बारे में अनुदेश जारी किये ह ;

(ख) क्या ये लाभ उन सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं जिनको उन स्वायत्तशासी संगठनों में स्थायी रूप से नियुक्त किया गया है। अथवा किया जा रहा है जिनका वित्त पोषण सरकार द्वारा आंशिक रूप से पूर्ण रूप से किया जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) संभवत: माननीय सदस्य सेवा संबंधी उन लाभों का उल्लेख कर रहे हैं, जो सरकार ने, स्थायी असैनिक सेवाओं से केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों में प्रतिनियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों को, जिन्होंने सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों में स्थायी रूप से रहने का विकल्प चुना हो, जिनमें वे काम कर रहे हो, देने का निर्णय किया है। इन लाभों में, अधिकारियों द्वारा, सरकारी सेवा के दौरान अर्जित आनुपातिक पेंशन/उपदान की अदायगी करने, सरकारी सेवा काल में अर्जित छुट्टी और भविष्यनिधि के अंशदान को उपक्रम में अर्जित छुट्टी और भविष्यनिधि के अंशदान के साथ मिलाने तथा पेंशन का राशीकरण करने की सुविधायें शामिल हैं।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार के वही असैनिक कर्मचारी, जो केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों में काम कर रहे हैं, इन लाभों के पात्र होंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को, असैनिक सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पर आये हुए कर्मचारियों पर कम निर्भर रहना पड़े तथा वे अपने प्रबन्ध संबंधी संवर्ग का निर्माण कर सके, प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों से संबंधित अपनी रिपोर्ट में जो सिफारिशें की थीं, उनके संबंध में सरकार द्वारा किये गये निर्णय के आधार पर ही ये लाभ दिये जाने की अनुमति दी गयी है। प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गयी ये सिफारिशें केवल केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों पर ही लागू होती है।

चलचित्र उद्योग के व्यक्तियों द्वारा सीमा शुल्क नियमों का उल्लंघन

7566. **श्री एन० शिवप्पा** :

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमाशुल्क विभाग ने वर्ष 1968, 1969 और 1970 में अब तक भारतीय चलचित्र उद्योग के व्यक्तियों के विरुद्ध सीमाशुल्क संबंधी नियमों का उल्लंघन करने के कितने मामलों का पता लगाया है ; और

(ख) कुल कितने मामलों में मुकदमा चलाया जा चुका है तथा उनके नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सीमा शुल्क कार्यालय, भारतीय फिल्म उद्योग के व्यक्तियों के सम्बन्ध में अलग से कोई सूचना नहीं रखते। फिर भी, अपराध सम्बन्धी

कागजों की छानबीन करके यह पता लगाया गया है कि भारतीय फिल्म उद्योग के जिन व्यक्तियों के विरुद्ध सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने मामले चलाये हैं उनकी संख्या 1968 में 28 तथा 1969 में 18 थी और 1970 में मार्च तक 1 है ।

(ख) केवल एक मामले में इस्तागासे की कार्यवाही की गयी । आयात की गयी फिल्मों का गलत मूल्य बताने और उनको वैध आयात लाइसेंस बिना आयात करने के कारण श्री बिशुसेन, श्री राकेश बंसे और श्री कान्तिलाल ए० पटेल पर, बम्बई सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने, सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चलाया था । श्री बिशुसेन और श्री राकेश बंसे को दोषी पाया गया और उनमें से प्रत्येक को 20,000 रु० दण्ड के अतिरिक्त एक दिन की कैद की सजा दी गयी । श्री कान्तिलाल ए० पटेल को बरी कर दिया गया ।

'मेरा नाम जोकर' नामक फिल्म तैयार करने की लागत

7567. श्री एन० शिवप्पा :
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि श्री राजकपूर द्वारा बनाई गई फिल्म 'मेरा नाम जोकर' पर एक करोड़ रुपये से भी अधिक लागत आई है ;

(ख) क्या उन परिस्थितियों की जांच की गई हैं जिनमें उक्त प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को एक करोड़ रुपये की लागत पर तैयार किया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उनकी आय का क्या साधन है और उन पर कितना आयकर दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) फिल्म 'मेरा नाम जोकर' अभी बन रही है ।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न ही नहीं उठते क्योंकि चलचित्र अभी तक बन नहीं चुका है ।

परिवार नियोजन के लिए आयुर्वेदिक, यूनानी तथा सिद्ध उपचार परीक्षण

7568. श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री जय सिंह :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि संबंधी देशी पद्धति के केन्द्रीय अनुसन्धान परिषद् ने परिवार नियोजद के लिए आयुर्वेदिक, यूनानी तथा सिद्ध उपचार के परीक्षण के लिये एक योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) ऐसे परीक्षणों के लिये किन स्थानों को चुना गया है ;

(घ) इन उपचार उपायों को तैयार करने के लिये एक औषधि निर्माणशाला स्थापित करने के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ; और

(ङ) औषधि संबंधी देशी पद्धति की सलाहकार समिति की हाल की बैठक में परिवार नियोजन के बारे में अन्य क्या निर्णय किये गये थे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) परिवार नियोजन पर स्वदेशी चिकित्सा पद्धति की सलाहकार समिति ने 21-3-70 को हुई अपनी द्वितीय बैठक में संतति-निग्रह के लिए स्वदेशी चिकित्सा पद्धति पर आधारित औषधियां तैयार करने के लिए केन्द्र द्वारा एक फार्मेसी की स्थापना करने की सिफारिश की थी । सरकार फार्मेसी की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठा रही है ।

(ङ) बैठक में किये गये अन्य निर्णय इस प्रकार हैं :—

(1) स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी और गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, जामनगर में चुनी गई देशी खाने वाली गर्भ-निरोधक गोली का चिकित्सकीय और औषध निर्माण सिद्धान्त की दृष्टि से परीक्षण किया जाना चाहिए ।

(2) केन्द्र तथा राज्य स्तर पर स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के व्यवसायियों को परिवार नियोजन सलाहाकार समिति, परिषदों और बोर्डों में शामिल किया जाना चाहिए ।

(3) स्वदेशी चिकित्सा पद्धति पर आधारित परिवार नियोजन पर एक पुस्तक प्रकाशित की जानी चाहिए ।

(4) स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के अनुसार परिवार नियोजन के समाचार और उसकी प्रगति प्रकाशित करने के लिए परिवार नियोजन विभाग की वर्तमान पत्रिका अर्थात् "सेन्टर कालिंग" और केन्द्रीय परिवार नियोजन संस्थान की पत्रिका अर्थात् "फैमिली प्लानिंग न्यूज" और अन्य पत्रिकाओं का उपयोग किया जाना चाहिए ।

(5) स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के व्यवसायियों को ग्रामीण लोगों में बांटने के लिए परिवार नियोजन साहित्य और सामग्री दी जानी चाहिए ।

ब्याज की दरों का अध्ययन करने संबंधी समिति

7569. श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री देविन्दर सिंह भार्चा :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी, अर्द्ध सरकारी तथा औद्योगिक ऋण प्राप्तकर्ता फर्मों जैसी विभिन्न प्रकार की ऋण प्राप्तकर्ता फर्मों से ली जाने वाली ब्याज की विभिन्न दरों के प्रश्न का अध्ययन करने के लिए कुछ समय पूर्व नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). संभवतः प्रश्न में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की समन्वय समिति द्वारा नियुक्त अध्ययन दल का उल्लेख किया गया है। इस दल को, जनता को दिए जाने वाले ऋण के सम्बन्ध में ब्याज की दरों के कार्यकारी प्रतिमान (नार्म) निश्चित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया है। दल का प्रारम्भिक निष्कर्ष यह है कि बजाय इसके कि ऋण देने के लिये ब्याज की एक समान दरें अपनाई जायं, निम्नलिखित जैसी विशिष्ट श्रेणियों के अग्रिमों के लिए ब्याज की न्यूनतम दरें निकाल कर, इस सम्बन्ध में एक समन्वित मार्ग निकाला जा सकता है:

(i) लघु उद्योग ;

(ii) कृषि (प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही);

(iii) लघु व्यवसाय के लिए वित्त व्यवस्था जिसमें फुटकर व्यापार, व्यावसायिक व्यक्ति आदि शामिल हैं ;

(iv) बैंकों द्वारा चलाई गयी किन्हीं विशेष योजनाओं के अन्तर्गत लघु क्षेत्र ;

(v) सहकारी समितियां ;

(vi) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम आदि ।

दल ने उपर्युक्त श्रेणियों को दिये जाने वाले अग्रिमों पर ली जाने वाली ब्याज की न्यूनतम दरों के बारे में अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

कृषि ऋणों के बारे में राष्ट्रीयकृत बैंकों के संरक्षकों की स्टेट बक आफ इण्डिया से भेंट

7570. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया के चेयरमैन और राष्ट्रीयकृत बैंकों के संरक्षकों के बीच हाल में एक बैठक हुई थी और उसमें इन बैंकों द्वारा कृषि ऋण दिये जाने संबंधी नियमों तथा मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों तथा इस क्षेत्र में सहकारी बैंकों से उन के सम्बन्धों के बारे में चर्चा हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जी, हां। 20 मार्च, 1970 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों की समन्वय समिति की एक बैठक हुई थी। समिति में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष और 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षक शामिल हैं। इस बैठक में कृषि-ऋणों के लिए अपनाये जाने वाले नियमों जैसे प्रति एकड़ के हिसाब से दी जाने वाली रकम, मध्यम अवधि के ऋणों के लिये आवश्यक प्रतिभूति के स्वरूप, जहां तक सम्भव हो ऋणों का वस्तु के रूप में भुगतान, वसूली के लिये मौसम के अनुसार समय सूची आदि के संबंध में विभिन्न सुझावों पर विचार किया गया। समिति ने, कृषि के वित्तपोषण के लिये वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के बीच समन्वय स्थापित करने के प्रश्न पर भी विचार-विमर्श किया। बैठक में जिन विषयों पर चर्चा की गयी उन में विभिन्न स्तरों अर्थात् राष्ट्रीय, राज्यीय और जिला स्तरों पर समन्वय स्थापित करने के लिय सुझाव दिय गये थ। ताकि किसानों को उन की आवश्यकता से अधिक ऋण दिये जाने

की सम्भावना से बचा जा सके और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुख्यत: उन क्षेत्रों में कृषि के लिये वित्त व्यवस्था की जाये जहां सहकारी संस्थाएं जरूरतमन्द किसानों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पर्याप्त पूर्ति करने में असमर्थ हों। यह सुझाव भी दिया गया था कि बैंक ऐसी किसी भी प्रायोजना के लिये वित्त-व्यवस्था कर सकते हैं, जो कार्यान्वित की जा रही हो और जिस की समूची ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना सहकारी अभिकरणों के लिये सम्भव न हो। सहकारी संस्थाओं से उन के कार-बार के छिन जाने की स्थिति से बचने के लिये यह सुझाव दिया गया कि एक ही प्रकार के अग्रिमों के लिये वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की दर सहकारी संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की दर से 1/2 प्रतिशत अधिक होनी चाहिए। तो भी, जिन उपायों की रूपरेखा दी गयी है, वे व्यापक मार्गदर्शक सिद्धान्त हैं और प्रत्येक बैंक के लिये यह जरूरी है कि वह, उसके सामने आने वाली विशेष समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, अपनी व्यवस्था स्वयं करे।

एल्यूमीनियम की कमी तथा उसका निर्यात

7571. श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलोह धातु सम्बन्धी सलाहकार परिषद् की स्थायी समिति की बठक 20 मार्च, 1970 को हुई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि समिति ने यह सिफारिश की थी कि एल्यूमीनियम का निर्यात करने की अनुमति न दी जाये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्यात से घरेलू उद्योगों को एल्यूमिनियम की कमी न पड़ जाये, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या समिति ने अन्य सिफारिशें भी की थीं, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुणसेन) : (क) अलौह धातुओं विषयक सलाहकारी परिषद् की स्थायी समिति की दूसरी बैठक 21 मार्च, 1970 को नई दिल्ली में हुई थी।

(ख) स्थायी समिति ने एल्यूमिनियम के निर्यात के संबंध में स्थिति पर ध्यान दिया था, अर्थात अन्तर-विभागीय मीटिंग में पहिले ही से लिये गये इस निर्णय के संबंध में कि 1970–71 वर्ष के दौरान अगले आदेशों तक एल्यूमिनियम धातु के (ई० सी० या वाणिज्यिक वर्ग) किसी निर्यात को अनुमति नहीं दी जायेगी और वाणिज्यिक वर्ग के धातु के निर्यात की मात्रा को लम्बित आदेशों तक सीमित किया जायेगा। मुख्य उत्पादकों द्वारा उन्हें दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों की शर्तों के अनुसार अपने उत्पादन की कुछ प्रतिशतता के निर्यात करने की वचनबद्धता के संबंध में यह निर्णय किया गया था कि इस प्रकार की वचनबद्धताओं को आस्थगित रखा जायेगा और उत्पादकों द्वारा तारों/चालकों के निर्यातकों को की गई आपूर्तियों को उनके निर्यात दायित्व के रूप में माना जायेगा। विदेश व्यापार विभाग के परामर्श से 1970–71 के दौरान एल्यूमिनियम के लिए निर्यात नीति का पुनर्विलोकन किया जा रहा है।

(ग) एल्यूमिनियम के निर्यात के प्रश्न के संबंध में समिति ने कोई अन्य विशिष्ट सिफारिश नहीं की थी।

विश्व बैंक से परियोजना सहायता

7572. **श्री बाल्मीकि चौधरी :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के सिंचाई सर्वेक्षण मिशन ने, जिसने विश्व बैंक अथवा इस से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सम्भावित सहायता के लिए गत वर्ष भारत का दौरा किया था, ऋण देने के लिये कुछ परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऋण देने के लिये मिशन द्वारा चुनी गयी परियोजनाओं के नाम क्या हैं, तथा चुनाव की कसौटी क्या है ; और

(ग) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनको पहले ही ऋण दिया जा चुका है, तथा वह राशि कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). विश्व बैंक के सिंचाई सर्वेक्षण मिशन ने, जिसने 1969 में भारत का दौरा किया था, निम्नलिखित आठ प्रायोजनाओं के बारे में यह बताया था कि उन्हें विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता मिलनी संभव है :

1. माही—कदना (गुजरात)
2. तवा—सिंचाई (मध्य प्रदेश)
3. कृष्णा—गोदावरी डेल्टा बाढ नियंत्रण (आन्ध्र प्रदेश)
4. गोदावरी बराज—(आन्ध्र प्रदेश)
5. अपर कृष्णा—(मैसूर)
6. जय कवाडी—पहला दौर (महाराष्ट्र)
7. कावेरी डेल्टा—(तमिल नाडु)
8. पोचमपाद—(आन्ध्र प्रदेश)

इन प्रायोजनाओं में से गुजरात की माही–कदना प्रायोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा 9 फरवरी, 1970 को 3.50 करोड़ डालर (26.25 करोड़ रुपये) का एक ऋण दिया गया है। अन्य प्रायोजनाओं पर विभिन्न दौरों में विचार किया जा रहा है।

जहां तक प्रायोजनाओं के चुनाव की कसौटियों का सम्बन्ध है, जिसका उल्लेख प्रश्न के भाग (ख) में किया गया है, यह बताया जा सकता है कि विश्व बैंक और उससे सम्बद्ध संस्था, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, अपनी कार्य-प्रणाली के अनुसार सहायता के लिए उन प्राथमिकता प्राप्त प्रायोजनाओं पर विचार करते हैं जिनका उद्देश्य उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति में वृद्धि करना हो, ताकि ऋणकर्ता देश के लोगों के जीवन-यापन के स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। ये संस्थाएं उन प्रायोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए ऋण देती हैं, जिनको ऋणकर्ता देश के आर्थिक विकास की दृष्टि से उच्च प्राथमिकता प्राप्त हो, जो आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से निर्दोष हों और जिनको सफलतापूर्वक क्रियान्वित किये जाने की सन्तोषजनक संभावना हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त सिंचाई प्रायोजनाओं का, जो पंचवर्षीय आयोजना में शामिल योजनाओं का भाग

होती हैं, समय-समय पर पता लगाया जाता है और उनके बारे में विचार-विमर्श किया जाता है। यदि उनके सभी पहलुओं को सन्तोषजनक पाया जाता है और आयोजना में उनके लिए पर्याप्त-धन उपलब्ध होता है तो विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता प्राप्त करने के लिए बात-चीत के अन्तिम दौर के लिए उन्हें हाथ में ले लिया जाता है।

सरकार द्वारा डा० जोशी स्मारक अस्पताल तथा नर्सिंग होम, दिल्ली का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना

7573. श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में दिल्ली स्थित डा० जोशी स्मारक अस्पताल तथा नर्सिंग होम का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस अस्पताल के विकास की योजना तैयार की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० एस० मूर्ति) : (क) और (ख). डा० जोशी स्मारक अस्पताल का प्रबन्ध दिल्ली प्रशासन द्वारा 9 अप्रैल, 1970 से सम्भाला गया था। प्रशासन ने अस्पताल के विकास की योजना अभी तक तैयार नहीं की है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

कृत्रिम रबड़ तथा एक्रिलोनीट्रायल मोनोमर परियोजनायें

7574. श्री रा० की० अमीन : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन पेट्रो-केमिकल कारपोरेशन लिमिटेड ने कृत्रिम रबड़ परि-योजना तथा एक्रिलोनीट्राइल मोनोमर परियोजना को सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने के बारे में निर्णय किया है ;

(ख) क्या इन दो परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में किन्हीं करारों पर हस्ता-क्षर किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). जी, हां ; गुजरात में सरकारी क्षेत्र में एक्रिलोनिट्राइल संयंत्र स्थापित करने तथा इस की कार्यान्विति इंडियन-पेट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन लि० को सौंपने का फैसला किया गया है। आवश्यक विदेशी सहयोग करार को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। कृत्रिम रबड़ के बारे में कानाडा के मैसर्स पोलिमर कारपोरेशन के सहयोग से मैसर्स इंडियन पेट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड ने विभिन्न किस्मों की कृत्रिम रबड़ की मांग तथा देश के लिये अपे-

क्षित विशेष किस्में निर्माण करने की व्यवहारिता का अध्ययन किया है। आशा है कि उनकी रिपोट शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगी, तत्पश्चात् कृत्रिम रबड़ की विशेष किस्म के निर्माण के बारे में निर्णय किया जायेगा ।

गुजरात में कास्टिक सोडा क्लोरिन प्लान्ट स्थापित करने के बारे म निर्णय

7575. श्री रा० की० अमीन : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाइनिलासिटेड तथा सी० बी० ए० परियोजना जैसी अनुप्रवाह उत्पादों को खपाने के लिये आवश्यक सभी लाइसेंस जारी कर दिये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि एक कास्टिक सोडा क्लोरिन प्लान्ट, जो कि क्लोरिनीकल उत्पादों के निर्माण के लिए उद्योग समूह को क्लोरिन की सप्लाई के लिए आवश्यक है, क्या निर्माण करने के बारे में इस बीच निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है तथा इस कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) नेफ्था क्रैकर प्लांट के अनुशाही (डाउन स्ट्रीम) यूनिटों की स्थापना के लिए सम्बद्ध उद्यमकर्त्ताओं को पहले ही आशय पत्र जारी किये गये हैं, जिनमें उच्च दाब पोलीथाइलीन, स्ट्रेरीन और पोलीस्टेरीन एवं पोलीप्रोपीलीन का निर्माण किया जायेगा । इण्डियन पेट्रो-केमीकल्स कारपोरेशन लि० सरकारी क्षेत्र में एक्रीलोनिट्राइल अनुप्रवाही यूनिट की स्थापना करेगा । कृत्रिम रबड़ की विशिष्ट किस्मों की संभाव्य मांगों और रबड़ की विशेष किस्मों के निर्माण को शुरू करने की सम्भावना के बारे में, मैसर्स पोलीमर कारपोरेशन आफ कानाडा के सहयोग से हाल ही में पूरे किये गये सम्भाव्य अध्ययन की रिपोर्ट के प्राप्त होने पर, एक कृत्रिम रबड़ यूनिट की स्थापना के लिये निर्णय लिया जायेगा । विनायल एसीटेट और पी० वी० ए० तन्तु परियोजना के बारे में मांगे गए प्रस्तावों के प्रैस नोट के उत्तर में प्राप्त हुए प्रार्थना-पत्रों की जांच की जा रही है ।

(ख) और (ग). गुजरात राज्य में कास्टिक सोडा कारखानों की स्थापना के लिए प्राइवेट पार्टियों से प्राप्त हुए प्रार्थना-पत्रों को अस्वीकार किया गया क्योंकि सम्बद्ध उद्यमकर्ता विस्तृत सम्भाव्य रिपोर्टों को, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो कि वे कास्टिक सोडा/क्लोरीन के सम्पूर्ण उत्पादन को किस प्रकार इस्तेमाल करेंगे, पेश करने में असफल हुए । परन्तु उन्हें परामर्श दिया गया है कि जब उनके पास कास्टिक सोडा/क्लोरीन के उपयुक्त प्रयोग के लिए निश्चित्त योजनाएं हों तो वे यदि चाहें, नये सिरे से प्रार्थना-पत्र भेज सकते हैं ।

नेफ्था क्रैकर प्लान्ट सहित गुजरात पेट्रो-रसायन उद्योग समूह को पूरा करने के बारे में विलम्ब

7576. श्री रा० की० अमीन : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि नेफ्था क्रैकर प्लांट सहित गुजरात पेट्रो-रसायन उद्योग समूह का वास्तविक समय-सीमा निर्धारित कर के शीघ्र पूरा किया जा सके ;

(ख) गुजरात में पट्रो-रसायन उद्योगों के विकास से सम्बन्धित उद्यमियों को भारतीय पेट्रो-रसायन निगम के निदेशक बोर्ड में उचित प्रतिनिधित्व देने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या उद्योग समूह के सभी उद्योगों का समन्वित विकास करने के लिए प्रबन्ध कर दिए गए हैं, यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) गुजरात पेट्रो-रसायन उद्योग समूह में गुजरात एरोमैटिक परियोजना, नेफ्था क्रैकर प्लांट और उससे जुड़े हुए डाउन-स्ट्रीम यूनिट शामिल हैं। गुजरात एरोमैटिक परियोजना के लिए सारे प्रबन्धों को अन्तिम रूप दिया गया है और सिविल निर्माण-कार्य प्रगति पर है। परियोजना के मैकेनीकल कार्य के लगभग 1972 के शुरू में पूरा होने की आशा है। सम्बद्ध पोलीयस्टर तन्तु और थैलिक एनहाईड्राइड डाउन-स्ट्रीम्स के लिए समस्त स्वीकृतियां दी गई हैं और इनके एरोमैटिक यूनिट के परिचालन के साथ उसी समय में शुरू होने की आशा है। नेफ्था-क्रैकर के लिए विदेशी सहयोग की शर्तें मंजूर की गई हैं और प्लांट के बेसिक इंजीनियरिंग पैकेज के लिए मैसर्स इण्डियन पेट्रो-केमीकल्स कारपोरेशन लि० यू० के० की मैसर्स ल्यूमिस कम्पनी के साथ अति शीघ्र ही एक करार पर हस्ताक्षर करेगी। प्लांट के 1974 के शुरू में चालू होने की आशा है। इस प्लांट के साथ जुड़े हुए डाउन-स्ट्रीम यूनिटों के बारे में, सम्बद्ध प्राइवेट पार्टियों द्वारा, जिन्हें हाई प्रेशर पोलीथीलीन, पोलीप्रोपेलीन, स्टायरीन और पोलयस्टरीन के निर्माण के लिए आशय-पत्र जारी किये गये हैं, विदेशी सहयोग आदि की उचित शर्तों को अन्तिम रूप देने की प्रगति की, सरकार गुजरात राज्य सरकार और इण्डियन पेट्रो-केमीकल कारपोरेशन लि० के समन्वय से निगरानी कर रही है ताकि डाउन स्ट्रीम यूनिटों के परिचालन के साथ उसी समय क्रैकर-प्लांट से सम्बद्ध कच्चे माल उपलब्ध हो जायें।

(ख) इण्डियन पेट्रो-केमीकल्स कारपोरेशन के निदेशकों के वर्तमान बोर्ड में रसायन उद्योग और व्यापार के हितों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। हितों के संघर्ष से बचने के लिए, उद्योग समूह में किसी निर्माण योजना से प्रत्यक्ष रूप में सम्बन्धित उद्यमकर्ताओं को सिद्धान्त रूप में बोर्ड में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है।

(ग) जी, हां। पोलीथीलीन, पोलीप्रोपेलीन, स्टायरीन और पोलीस्टायरीन की परियोजना के बारे में, जिसके लिए उन्हें आशय-पत्र दिये गये हैं अर्थ-व्यवस्था, विदेशी मुद्रा और उचित तकनीकी को अन्तिम रूप देने में सम्बद्ध उद्यमकर्ताओं द्वारा की गई प्रगति का सरकार नियतकालिक पुनरीक्षण करती है। सरकारी क्षेत्र में बेसिक केमीकल्स के निर्माण के लिए, सरकार की सामान्य नीति के अनुसार यह फैसला किया गया है कि सरकारी क्षेत्र में अक्राइलोनाईट्राइल यूनिट की स्थापन की जाए। मैसर्स इण्डियन पेट्रो-केमीकल्स कारपोरेशन लि० इस समय उचित विदेशी सहयोग व्यवस्था को अन्तिम रूप देने के लिए प्राप्त हुए प्रस्तावों की जांच कर रहा है। मैसर्स इण्डियन-पेट्रो-केमीकल्स कारपोरेशन लि० ने कनाडा के मैसर्स पोलीमर कारपोरेशन के सहयोग से एक तकनीकी-आर्थिक व्यवहारिकता अध्ययन पूरा किया है, जिसकी रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त होने वाली है। इसके बाद कृत्रिम रबड़ के विशेष किस्मों के निर्माण के बारे में निर्णय लिया जायेगा।

कालोल तेल क्षेत्र से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अहमदाबाद विद्युत कम्पनी को गैस की सप्लाई

7577. **श्री र० की० अमीन :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद विद्युत कम्पनी कालोल तेल क्षेत्र से गैस को प्रयोग करने के लिए तैयार तथा इच्छुक है ;

(ख) क्या तैल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कम्पनी को गैस सप्लाई करने के लिए सहमत हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री व० रा० चव्हाण): (क) जी हां ।

(ख) और (ग). जब तक इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को-आपरेटिवस प्लांट चालू नहीं हो जाता है तब तक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अहमदाबाद विद्युत कम्पनी को केवल अस्थायी आधार पर प्रतिदिन लगभग 60,000 घन मीटर सम्मिलित गैस की सप्लाई का विचार रखता है । अहमदाबाद विद्युत कम्पनी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को वर्तमान पाइपलाइन से अपने बिजली घर तक सप्लाई लाइन बिछायेगा ।

कटिहार कस्बे का दर्जा बढ़ाकर उसे 'सी' श्रेणी का नगर बनाना

7578. **श्री सीताराम केसरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में कटिहार कस्बे का दर्जा बढ़ाकर उसे 'सी' श्रेणी का नगर बनाने के बारे में कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय के कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख). कटिहार उन 38 नगरों में से है, जिन्हें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान-किराया तथा नगर-निवास प्रति-पूर्ति भत्ते की मंजूरी के निमित्त, नगरों के वर्गीकरण की मध्यावधि-जनगणना समीक्षा के प्रयोजन के लिये, जनसंख्या वृद्धि के नमूना सर्वेक्षण में शामिल किया गया है । सावधानी-पूर्वक विचार करने के बाद, शहरों/कस्बों के वर्गीकरण की समीक्षा को 1971 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध होने तक स्थगित कर दिया गया है । इसी बीच तीसरे वेतन आयोग द्वारा भी इस प्रश्न पर विचार किये जाने की संभावना है ।

मैडीकल स्टोर्स आरगेनाइजेशन की कार्य प्रणाली

7579. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या सरकार ने मैडीकल स्टोर्स आरगेनाइजेशन के कार्य की शर्तों, उसके भविष्य और इस प्रश्न पर कि उसे किस रूप में बने रहना है, पुनर्विलोकन करने के बारे में विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां। सरकार मैडीकल स्टोर्स आरगेनाइजेशन की कार्य-प्रणाली का पुनर्विलोकन कर चुकी है और यह निर्णय किया है कि यह आरगेनाइजेशन बनाये रखा जाये। तथापि, समूचे आरगेनाइजेशन की कार्य-प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का प्रस्ताव है।

(ख) ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नारायणा कालोनी, नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय

7580. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री नारायणा कालोनी में सी० जी० एच० एस० औषधालय के बारे में 25 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4898 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्द्रपुरी में इस बीच एक औषधालय आरम्भ कर दिया गया है और नारायणा कालोनी तथा नारायणा ग्राम में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के नाम के लिए नारायणा कालोनी में एक अलग औषधालय खोलने के बारे में भी निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो नारायणा कालोनी, नई दिल्ली-28, में एक अलग औषधालय कब से काम करना आरम्भ कर देगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क), (ख) और (ग). केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के प्रतिमान के अनुसार इन्द्रपुरी और नारायणा के सम्मिलित क्षेत्रों के लिये केवल एक चिकित्सालय ही न्याय-संगत है। सरकार ने इन क्षेत्रों में एक एलोपैथिक औषधालय खोलने के आदेश जारी कर दिये हैं जिसे हित ग्राहियों की सुविधा के लिये दो खण्डों में बांट दिया जायेगा। एक को इन्द्रपुरी नारायणा कम्प्लैक्स डिस्पेन्सरी नं० 1 कहा जायेगा और वह नारायणा में होगा और दूसरा इन्द्रपुरी नारायणा कम्प्लैक्स डिस्पेन्सरी नं० 2 कहा जायगा और वह इन्द्रपुरी में होगा। इन्द्रपुरी वाला खण्ड तो इसी मास के अन्तर्गत शुरू होने की आशा है, किन्तु नारायणा खण्ड उपयुक्त आवास सुलभ होते ही चालू कर दिया जायेगा।

पंडारा रोड, नई दिल्ली कालोनी में सुविधाओं की व्यवस्था

7582. **श्री जगन्नाथराव जोशी** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंडारा रोड निवासी संस्था, नई दिल्ली, ने मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा उद्यान विभाग से अप्रैल, 1969 से लेकर अब तक अनेक बार इस कालोनी में सुविधाओं की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस संस्था ने क्या सुविधायें मांगी हैं ; और

(ग) प्रत्येक अनुरोध पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) निम्नलिखित सुख-साधन/सुविधाओं की मांग की गई है :—

(i) बरामदों में शीशे लगाना ।

(ii) सांझे घास के मैदानों के दोनों ओर की सड़कों के किनारों को 6 इंच ऊंचा करना ।

(iii) ब्लाक 'ए' और 'बी' को मिलाने वाली सड़कों का पक्का करना ।

(iv) क्वार्टर नं० बी–93, पंडारा रोड से लगी हुई सड़क के एक भाग को पक्का करना ।

(v) 'ई' टाइप क्वार्टरों के निकट की सड़क के कुछ सम्पर्क मार्गों को चौड़ा करना ।

(vi) डी–II टाइप के क्वार्टरों के लिये सड़क की रोशनी ।

(vii) सांझे घास के मैदानों का सुधार ।

(viii) शाहजहां रोड पर बहुमंज़िले फ्लेटों के पीछे वाले प्लाट को घास के मैदान के रूप में विकसित करना ।

(ग) प्रत्येक अनुरोध पर की गई कार्यवाही निम्नलिखित है :–

(i) बरामदों में शीशे लगाने के अनुरोध के प्रत्येक मामले पर उसके गुणों पर विचार किया जाता है । उन आवंटियों के मामलों में जिनकी अतिरिक्त वास की आवश्यकता सक्षम अधिकारी द्वारा संतोषजनक सिद्ध हुई उन बरामदों में पहले ही शीशे लगा दिये गये हैं ।

(ii) यह अनुरोध दिसम्बर, 1969 के मास में प्राप्त हुआ था । मामला विचाराधीन है ।

(iii) कार्य पूरा हो चुका है ।

(iv) सड़क का यह भाग पहले धोबियों के दखल में था और इसे अभी खाली कराया गया है । सड़क के पक्के बनाने का प्रस्ताव अब परीक्षाधीन है ।

(v) पहले निवासियों ने सड़क के कुछ सम्पर्क मार्गों को चौड़ा करने की अनुमति नहीं दी । इस कार्य को आरंभ करने का प्रस्ताव अब विचाराधीन है ।

(vi) सड़क की रोशनी की व्यवस्था की जा चुकी है, किन्तु नई दिल्ली नगर पालिका ने अभी बिजली नहीं दी है । नई दिल्ली नगर पालिका से इस मामले का अनुसरण किया जा रहा है ।

(vii) घास के मैदान को कांटेदार तारों से घेर दिया गया है ; झाड़ियां लगा दी हैं तथा उसका और आगे सुधार किया जा रहा है ।

(viii) प्लाट को साफ और समतल बना दिया गया है । प्लाट का और सुधार विचाराधीन है ।

Small Savings Schemes

7583. Shri Jagannath Rao Joshi:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Hukam Chand Kachwai:
Shri Bharat Singh Chauhan:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the present number of Municipal Corporations and Municipal Committees in Devas, Ujjain, Indore, Shajapur and Bhopal Districts where National Saving Scheme has been started and the names thereof;

(b) the amount of savings realised by each of the above said Corporations and Committees in the financial year 1969-70;

(c) the number and names of executive officers of the said Corporation who have been awarded prizes by the Central Government for the completion of this Scheme and the nature of the prizes awarded;

(d) whether it is a fact that the amount of the savings was deducted under the aforesaid scheme without the consent of the employees concerned and the employees expressed their protest in this regard; and

(e) if so, the reaction of Government thereto and the action proposed to be taken in this regard?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) Pay Roll Savings Scheme, under which deductions are made from salaries of employees in various institutions for investment in the Small Savings Schemes of the Government of India, has been started in the Municipal Corporations of Ujjain, Indore and Bhopal and the Municipal Council at Nagda in District Ujjain.

(b)

Municipal Corporation, Indore	Rs. 14,670
Municipal Corporation, Ujjain	Rs. 18,265
Municipal Corporation, Bhopal	Rs. 7,105
Municipal Council, Nagda	Rs. 1,560
	Rs. 41,600

(c) No prizes have been awarded by the Central Government.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

Illegal export of Opium

7584. Shri Raghuvir Singh Shastri: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that opium in large quantity is being exported illegally from India; and

(b) if so, the measures proposed to be taken by Government to check this smuggling?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) There is no large scale smuggling of opium from India.

(b) Necessary measures are always taken by the various enforcement agencies of the Central and State Governments to check the smuggling of opium.

Long Term Programme for extension of Banking Facilities in Rural Areas

7585. Shri Raghuvir Singh Shastri: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have prepared any long term programme for extending the banking facilities in rural areas;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) & (b): The Reserve Bank of India has drawn up a programme of branch expansion for major scheduled commercial banks particularly in rural areas. This programme envisages the opening of 1350 new offices during the year 1970. These include 1104 rural centres (i.e. centres with population not exceeding 10,000) comprising—

(i) "Towns" as defined in the Census report 1961;

(ii) Centres identified during the course of survey conducted by commercial banks jointly with the Reserve Bank of India; and

(iii) Un-banked treasury/sub-treasury centres.

In addition, banks will be free to approach the Reserve Bank for licence to open branches in centres which may be identified by them on their own as requiring banking facilities.

Further, under the 'Lead Bank' scheme 335 districts the country have been allotted among the major commercial banks. These banks are expected to conduct a survey of districts allotted to them with a view to identifying potential centres for banking development. It is expected that as a result of the efforts made by the Lead Banks, all places including rural areas in the country which are in need of banking facilities will be covered in the course of time.

(c) Does not arise.

कोयला उद्योग की प्रगति के बारे में भारतीय खनन के अध्यक्ष का सुझाव

7586. श्री बे० कृ० दासचौधरी: क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनन संघ के अध्यक्ष ने घटते हुए लाभ तथा बाजार में उसकी कम बिक्री की गम्भीर स्थिति से कोयला उद्योग को बचाने के लिये मार्च, 1970 में एक त्रि-सूत्रीय कार्यक्रम का सुझाव दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, हां।

(ख) जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3318/70]

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के सरकारी आवास प्राप्त व्यक्तियों को होने वाली असुविधाएं

7587. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री जय सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की सूचना दी गई है कि रामकृष्णपुरम तथा अन्य बस्तियों में सरकारी क्वार्टरों के अलाटियों तथा किरायेदारों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है क्योंकि क्वार्टरों की ऊपरी मंजिलों के अगले पिछले भागों, जैसे छज्जों के ड्रेन पाइपों को सीवर प्रणाली से सम्बद्ध नहीं किया गया है जिसके कारण वे लोग उन ड्रेन पाइपों का उपयोग नहीं कर सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ड्रेन पाइपों को सीवर प्रणाली से सम्बद्ध करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) क्वार्टरों के बालकोनियों और बरामदों में लगाई गई ड्रेन पाइपें बरसाती पानी और फर्श धोने के पानी के निकास के लिए हैं । ऐसी पाइपों द्वारा पानी बरसाती नालियों में चला जाता है ; और नगर-निगम उप नियमों के अन्तर्गत उन का सीवर सिस्टम से संबन्ध ना ही आवश्यक है और न ही उस की इजाजत है ।

विभिन्न अस्पतालों में मानसिक रोगियों के लिये अधिक पलंग

7588. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री जय सिंह :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न अस्पतालों में मानसिक रोगियों के लिये कुल कितने पलंग हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में विश्व की तुलना में आत्महत्या के सबसे अधिक मामले होते हैं ;

(ग) क्या ऐसे मामलों की संख्या अत्यधिक होने का कारण मानसिक रोगियों के लिये पलंगों की कमी हो सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार और अधिक रोगी पलंगों की व्यवस्था करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) उपलब्ध सूचना के आधार पर देश के 38 मानसिक रोग अस्पतालों में 17756 पलंग हैं। इसके अतिरिक्त सभी बड़े प्रमुख अस्पतालों में उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) तुलनात्मक अध्ययन के लिए विभिन्न देशों में होने वाली आत्महत्याओं के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) मानसिक रोगियों के लिए पलंगों की कमी अथवा बहुलता से आत्महत्या की घटनाओं का अधिक संबंध नहीं है।

(घ) वर्तमान पलंगों की संख्या में वृद्धि करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। चूंकि चिकित्सा राज्य विषय है अतः साधनों की उपलब्धता के आधार पर विषय पर विचार करना राज्य सरकारों का काम है।

निरीक्षण उपनिदेशक के विरुद्ध शिकायत

7589. श्री जार्ज फर्नैंडीज : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निरीक्षण उप निदेशक के, जिसे वोल्गा रेस्टोरेंट द्वारा कर अपवंचन की जानकारी थी, विरुद्ध कोई शिकायत मिली है ;

(ख) यदि हां, तो शिकायत क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). मामले की जांच की गई थी और इस आरोप की पुष्टि में कोई सबूत नहीं मिला कि निर्धारिती के प्रति पक्षपात बरता गया।

Unaccounted Money in the Country

7590. Shri Om Prakash Tyagi: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the estimated amount of unaccounted money in the country ;

(b) whether Government propose to adopt some measures to utilise the said amount for some development works in the country;

(c) if so, the details thereof ;

(d) the measures adopted by Government to check its adverse effect on country's balance of payment ; and

(e) in case no measures have been adopted, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) to (c). It is not possible to estimate the extent of unaccounted money. The Government had introduced two disclosure schemes in 1965 to enable assessees to disclose their unaccounted income in order to broaden the base of future investment. Section 271(4A) of the I. T. Act even now enables the assessees to voluntarily disclose their unaccounted income and thus escape the penalty for tax evasion. The problem of tax evasion has been constantly engaging the attention of the Government and from time to time appropriate measures are taken to bring to tax the unaccounted income so that it may be available for development works.

(d) The enforcement agencies of the Government are constantly engaged in checking smuggling and violation of the Foreign Exchange Regulation Act.

(e) Does not arise.

Remittances by Indians Living Abroad

7591. Shri Om Prakash Tyagi: Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 455 on the 16th March, 1970 and state :

(a) whether Government are aware that Government of Pakistan pays special bonus as an incentive to the Pakistani nationals putting up abroad to remit their money through legally provided channels and as such Pakistan is getting a huge amount of foreign exchange from their own nationals ;

(b) whether Government of India also propose to give the same incentive so that the Indian nationals living abroad do not send their money in the shape of Indian currency stealthily but remit the same in the shape of foreign exchange directly ; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) While Government are aware that Pakistan has a bonus voucher scheme, they have no information about the experience of that country in this behalf.

(b) and (c). Government consider that the adoption of such a scheme will not be of advantage in the Indian context.

Increasing Population of Delhi

7592. Shri Om Prakash Tyagi: Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government feel that the population of Delhi is increasing with such a rapid speed that it is becoming very difficult to provide civic amenities ;

(b) if so, whether Government propose to take certain steps to check the increasing population of Delhi and to encourage people living in Delhi to shift to the neighbouring cities ; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Does not arise.

पंडारा रोड डी-2 फ्लैट की सड़कों पर बिजली की व्यवस्था

7593. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंडारा रोड डी० 2 फ्लैटों की सड़कों पर बिजली की व्यवस्था नहीं है हालांकि इन का निर्माण दो दशाब्दी पूर्व हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो स्थिति के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पूर्व खम्भे लगा दिये गये थे तथा तारें बिछा दी गई थीं परन्तु उनमें करंट नहीं दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार स्थिति में कब सुधार करेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में, राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) तीन रोशनी के खम्बों को छोड़कर सड़कों के अन्य बिजली के खम्बों में नई दिल्ली नगर पालिका ने बिजली नहीं दी है।

(ख) से (घ). सड़कों की बिजली के खम्बे नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा सरकार की लागत पर गत एक वर्ष से भी पूर्व उपलब्ध किये गये थे परन्तु उन्होंने इनमें इस तर्क पर बिजली नहीं दी है कि बिजली खपत के प्रभार तथा अनुरक्षण का व्यय सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा व्यय को वहन करने का उत्तरदायित्व सामान्यता स्थानीय निकाय का है, अतएव नई दिल्ली नगर पालिका से व्यय को वहन करने का और खपत के प्रभारों आदि की अदायगी के प्रश्न पर निर्णय होने तक कम से कम सड़कों पर बिजली देने का अनुरोध किया गया था। मामला अभी विचाराधीन है।

विदेशों को प्रतिवर्ष धन का प्रेषण

7594. श्री भोगेंद्र झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरीका, ब्रिटेन पश्चिम जर्मनी तथा फ्रान्स को स्वामित्वों, प्रबन्धक शुल्कों, लाभांशों, लाभ, व्याज, वेतन आदि के, रूप में आजकल प्रति वर्ष कुल कितना धन भेजा जा रहा है और वर्ष 1948-49 अथवा 1949-50 में इसी रूप में कुल कितनी राशि भेजी जाती थी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : सब से पहले के और सब के हाल के जो आंकड़े उपलब्ध हैं वे क्रमशः 1960-61 और 1968-69 के सम्बन्ध में है। एक विवरण लोक-सभा की मेज पर रख दिया है जिसमें ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिम जर्मनी तथा फ्रांस को इन दो वर्षों में लाभ, लाभांश, रायलटी, व्याज और प्रबन्ध शुल्क (कार्यालय व्यय तथा अभि-करण सम्बन्धी सेवाओं सहित) के रूप में भेजी गयी रकमों का ब्यौरा दिया गया है। वेतन के रूप में भेजी गयी रकमों के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3319/70**]

अमरीका तथा रूस से ऋण

7595. श्री भोगेंद्र झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरीका तथा रूस से कुल कितना ऋण लिया गया तथा उक्त दोनों देशों से प्राप्त ऋण में से किये गये पूंजी निर्वेश के कारण उपक्रमों, मशीनों, वार्षिक उत्पादन आदि का अलग-अलग वर्तमान मूल्य कितना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी): अमरीका और रूस से प्राप्त होने वाले ऋणों का जिनके सम्बन्ध में करारों पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं, कुल मूल्य इस प्रकार है :—

संयुक्त राज्य अमरीका .	34,913 लाख डालर (2618.5 करोड़ रुपये, अवमूल्यन के बाद)
सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ .	12,254 लाख रूबल (1021.1 करोड़ रुपये, अवमूल्यकन के बाद)

2. जिन प्रायोजनाओं और प्रयोजनों के लिए इन दोनों देशों से सहायता प्राप्त हुई है, उनका ब्यौरा अनुबन्ध I और अनुबन्ध II में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3320/70**]

ऋणों का उपयोग ऐसी बहुत सी प्रायोजनाओं के लिए किया जाता है जिनका सम्बन्ध अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से है। प्रायोजनागत ऋणों के अतिरिक्त 1762.3 करोड़ रुपये के ऋण भी प्राप्त किये गये हैं जिनका उपयोग उन विविध पूंजीगत उपकरणों की विभिन्न किस्मों, मशीनों के हिस्सों, कच्चा तथा उत्पादन सामग्री के आयात के लिए किया गया जो कई वर्षों से सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में निवेश सम्बन्धी कार्यक्रमों में लगायी गयी है। माननीय सदस्य जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उसका सम्बन्ध इन बातों से है :—उपक्रमों का वर्तमान मूल्य (जिनके लिए उन उपक्रमों में से प्रत्येक को परिसम्पत्तियों और देनदारियों का मूल्य मालूम करना पड़ेगा), विभिन्न मशीनों का मूल्य (जिसके लिए प्रत्येक मशीन को सामान्य, उग्र, मूल्य ह्रास, अनुरक्षण तथा वर्तमान मूल्य के प्रश्नों पर विचार करना होगा) और वार्षिक उत्पादन, जिसके अन्तर्गत कृषि, विमानन, बिजली, परिवहन, संचार, नागरिक सेवाएं और विभिन्न प्रकार के बड़े दरमियाना और छोटे उद्योग आदि निवेश के सभी क्षेत्र आ जाएंगे। इन सभी मामलों में सन्तोषजनक सूचना इकट्ठी कर सकना अत्यन्त सन्दिग्ध है और यदि इस प्रकार का प्रयास किया भी गया तो इस सिलसिले में किया गया परिश्रम, व्यय और इसमें लगाया गया समय प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्य की तुलना में बहुत अधिक होगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा स्टेट बैंक द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को ऋण दिया जाना

7596. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे पैमाने के उद्योगों की वे विशिष्ट शाखायें तथा श्रेणियां कौन सी हैं जिनको स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक ऋण दे रहे हैं तथा तत्सम्बन्धी शर्तें क्या हैं ; और

(ख) 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किये जाने के दिन से लेकर बिहार के विभिन्न जिलों में ऐसा ऋण प्राप्त करने वालो की कुल संख्या कितनी है तथा उनकी राशि कितनी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) यदि किसी औद्योगिक एकक में सामान के निर्माण, परिष्करण/परिरक्षण या मशीनों, ट्रेक्टरों आदि की मरम्मत का काम होता हो और उसमें संयंत्रों तथा मशीनों के रूप में 7.50 लाख रुपये (कुछ बड़े उद्योगों के लिए मशीनों के सहायक हिस्से बनाने वाले उद्योगों के मामले में 10 लाख रुपये) से अधिक पूंजी न लगी हो, तो वह उद्योग लघु उद्योग के रूप में भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण पाने का पात्र है। कृषि पर आधारित उद्योगों से लेकर बिजली के सामान तथा इंजीनियरी सामान, फालतू पुर्जे, औषधियां, उपभोक्ता वस्तुएं आदि तैयार करने वाले कई श्रेणियों के उपक्रम उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत आ जाते हैं। नये एककों तथा वर्तमान एककों के लिए ऋण मंजूर किये जाते हैं।

कार्य-चालन पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दीर्घावधिक ऋण तथा स्थिर पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए मध्यावधिक (सामान्यतः उसे 7 साल तक के लिए) ऋण दिये जाते हैं। अल्पावधिक वित्त प्रबन्ध सामान्यतः कच्चे और तैयार माल तथा कुछ मामलों में प्रक्रियाधीन माल को बन्धक या दृष्टिबन्धक रख कर किया जाता है। उपयुक्त मामलों में, उचित मात्रा में, बेजमानती ऋण भी दिये जाते हैं। व्यापारिक हुंडियों और संभरक हुंडियों के ऐवज में भी ऋण दिये जाते हैं। लघु उद्योग एककों के ऋण-प्रस्तावों पर विचार करते समय, बैंक सामान्यतः उन एककों की योजनाओं की संभाव्यता, उद्योग के विस्तार की संभावना, प्रबन्ध के स्वरूप तथा उसकी क्षमता पर ध्यान देते हैं। इन ऋणों पर जो ब्याज लिया जाता है वह ब्याज की सामान्य दर से कुछ कम होता है।

(ख) बड़े-बड़े बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में 19 जुलाई 1969 की स्थिति की सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी, जून, 1969 के अन्त में तथा दिसम्बर, 1969 के अन्त में इन ऋणों की जो स्थिति थी, उसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

14 राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बिहार राज्य के लघु उद्योगों को दिये गये ऋण

	जून 1969 के अंत में	दिसम्बर, 1969 के अन्त में
जिन एककों के लिए वित्त-प्रबन्ध किया गया उनकी संख्या	596	789
ऋण की स्वीकृत अधिकतम सीमा जो अभी लागू है .	7.95 करोड़ रुपये	10.04 करोड़ रुपये
शे बकाया रकम	3.19 करोड़ रुपये	4.00 करोड़ रुपये

इस प्रकार के ऋणों के सम्बन्ध में जिलेवार तथा श्रेणी-वार आंकड़ों की सूचना उपलब्ध नहीं है।

हिन्दुस्थान हाउसिंग फैक्ट्री के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

7597. श्री बलराज मधोक :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री के मजदूरों ने दिनांक 3 अप्रैल, 1970 को नई दिल्ली में प्रधान मंत्री के आवास पर एक प्रदर्शन किया था तथा उन्होंने प्रधान मंत्री और आवास मंत्री को एक ज्ञापन दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में उल्लिखित मुख्य मांगें क्या हैं तथा सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति): (क) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री, नई दिल्ली के कर्मचारी 1 अप्रैल, 1970 को प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर जुलूस बना कर गये और उन को एक अभ्यावेदन दिया।

(ख) कर्मचारियों की एक मात्र मांग यह थी कि उन्हें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दी जा रही दरों पर महंगाई भत्ता दिया जाए। मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

रामकृष्णपुरम दिल्ली के सैक्टर आठ में खुले प्लाट में स्कूल का निर्माण

7598. **श्री बलराज मधोक** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम दिल्ली के सैक्टर 8 में एक खुले प्लाट पर जिस का इस सैक्टर में रहने वाले सरकारी कर्मचारी लान तथा खेल के मैदान के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, एक स्कूल की इमारत बनाई जा रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सैक्टर 8 के वासियों ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि इस लान को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए और स्कूल की इमारत कहीं अन्यत्र बनायी जानी चाहिए;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस के आस-पास काफी खुली जगह है जिस पर स्कूल की इमारत बनायी जा सकती है ; और

(घ) यदि हां, तो रामकृष्णापुरम सैक्टर 8 के वासियों के न्यायसंगत अनुरोध को स्वीकार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रायल में राज्य मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ). संदर्भाधीन प्लाट अनुमोदित ले-आउट प्लान में नर्सरी स्कूल के निर्माण के लिये उद्दिष्ट है । अतएव इसका इस उद्देश्य के लिये उपयोग किया जा रहा है । रामकृष्णपुरम के सैक्टर VIII में निवासियों द्वारा पार्कों और खेल के मैदानों के रूप में उपयोग में लाने के लिये तीन अन्य प्लाट खुली भूमि के रूप में छोड़ दिये गये हैं ।

दिल्ली में सरकारी भूमि पर नये अनधिवासी

7599. **श्री बलराज मधोक** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नये अनधिवासियों ने दिल्ली में सरकारी भूमि पर विशेषकर चाणक्य पुरी, कीर्ति नगर तथा रमेश नगर में रेलवे की भूमि पर कब्जा कर रखा है ;

(ख) क्या यह भूमि सरकारी है और इसको शीघ्र अथवा देर से इन अनधिवासियों से खाली कराया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है कि अनधिवासियों को सरकारी भमि पर कब्जा करने से रोका जा सके ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय राज्य मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) झुग्गी-झोंपड़ी हटाओ योजना के अंतर्गत सामान्य नीति अभी अनधिवासियों को उन सार्वजनिक भूमियों से हटाने की है जो तुरन्त विकास के लिए अपेक्षित हैं ताकि और अनधिवास को रोका जाए । हाकर आदि जैसे अन्य आकस्मिक अनधिवासियों को दिल्ली नगर निगम के एनफोर्समेंट स्क्वाड द्वारा हटाया जाता है । जो क्षेत्र का नियमित रूप से गश्त लगाता है ।

पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता

7600. श्री **चेंगलराया नायडू** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार से वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के कारण उत्पन्न राज्य की अतिरिक्त खर्च को पूरा करने की मांग की है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने सरकार का ध्यान योजना आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा भूतपूर्व मुख्य मंत्री के साथ हुई गत बैठक में दिये गये इस आश्वासन की ओर दिलाया है कि राज्य के इस मामले पर विचार किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें ऋण देने पर सहमत हो गई है, और यदि हां, तो कितना ऋण देने पर सहमत हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर): (क) जी, हां ।

(ख) योजना आयोग ने इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया है ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

दिल्ली के अस्पतालों में अत्यधिक भीड़-भाड़

7601. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी के अस्पतालों के बहुत ज्यादा भीड़-भाड़ रहती है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में इर्विन अस्पताल तथा अन्य बड़े अस्पतालों में कुल कितनी रोगी शय्यायों की व्यवस्था है ;

(ग) अस्पताल में कितने रोगी भर्ती किये जाते हैं और कितने रोगियों को अस्पताल में बिना शय्या के रहना पड़ता है ;

(घ) क्या हाल में सर्वेक्षण से पता लगा है कि इस भीड़-भाड़ का कारण डाक्टरों की रोगी की दशा को देख कर नहीं बल्कि हर व्यक्ति को भर्ती करने की प्रवृत्ति है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में, तथा अस्पतालों की बुराइयों का अध्ययन करने और उन्हें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (बी०एस० मूर्ति): (क) दुर्घटनाओं तथा आपात सेवा विभाग में अधिक लोगों के भरती किये जाने अथवा कभी किसी महामारी हो जाने के परिणामस्वरूप दिल्ली के कतिपय अस्पतालों में कुछ भीड़-भाड़ हो जाती है ।

(ख) स्थिति इस प्रकार है :

अस्पताल का नाम	शय्याओं की संख्या
सफदरजंग अस्पताल	1207
इर्विन अस्पताल	1103
विलिंग्डन अस्पताल	679
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान	750
लेडी हार्डिंग मैडिकल कालेज तथा अस्पताल	580

(ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जायेगी और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) किसी सर्वेक्षण के किये जाने के बारे में कोई सूचना नहीं है ; तथापि रोगी की हालत को देखते हुए उसे भरती किया जाता है।

(ङ) दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कार्य संचालन संबंधी अध्ययन करने और उनके कार्यों में सुधार के लिए मार्गोपाय सुझाने के लिये सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी जिसे आमतौर से डा० के० एन० समिति कहते हैं । समिति की बहुत सी सिफारिशें सरकार द्वारा मान ली गई है और उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है । सरकारी अस्पतालों के सेवा स्तर में सुधार करने के लिए हर प्रकार से प्रयत्न किये जाते हैं ।

दक्षिण बम्बई में सोने का पकड़ा जाना

7602. श्री चेंगलराया नायडू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 मार्च, 1970 को दक्षिण बम्बई में भ्रष्टाचार-निरोध विभाग के अधिकारियों द्वारा 26 लाख रुपये की कीमत का अवैध सोना पकड़ा गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि किसी फ्लैट में 13 कपड़े के जैकिटों में बिस्कुटों के रूप में 151,580 ग्राम सोना पाया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख). 31 मार्च, 1970 को भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के अधिकारियों ने माहिम में एक फ्लैट की तलाशी ली और वहां पर सोना पड़ा हुआ पाने पर उसकी सूचना सीमाशुल्क प्राधिकारियों को दी । सीमाशुल्क अधिकारियों ने 13 जैकिटें बरामद कीं, जिनमें 151,580 ग्राम सोना था । उसे सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत कब्जे में ले लिया गया । हमारे देश में इस सोने की कीमत लगभग 26 लाख रुपया है ।

(ग) जिन तीन व्यक्तियों के बारे में लगता है कि उनका सोने से सम्बन्ध है, उन्हें और फ्लैट में रहने वाले एक व्यक्ति को सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया है और हिरासत में रखा गया है ।

'रिजर्व बैंक आफ इंडिया' पद का अनुवाद

7603. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी में जारी किये गये करेंसी नोटों पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया का अनुवाद भारतीय रिजर्व बैंक किया गया है ;

(ख) क्या 'भारतीय' शब्द 'इंडिया' शब्द के लिये प्रयोग किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो 'रिजर्व' शब्द के लिये कोई हिन्दी शब्द न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). 'भारतीय' शब्द 'आफ इंडिया' शब्दों का मान्यताप्राप्त हिन्दी पर्याय है । जहां तक 'रिजर्व बैंक' शब्दों का संबंध है, इनका अनुवाद करना आवश्यक नहीं समझा गया, क्योंकि ये शब्द इसी रूप में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (रिजर्व बैंक आफ इंडिया ऐक्ट, 1934) के अधिकृत हिन्दी अनुवाद में अपनाये गये हैं ।

Central Grants and Loans to Punjab for Development Programmes

7604. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the total amount of the Central loan due at present from the Punjab Government ;

(b) the amount of grant and loan proposed to be given by Government to the State Government for development programmes during the financial year 1970-71 ; and

(c) the amount of loan and grant given by Government to the State Government during the financial years 1967-68 and 1968-69?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri R. K. Khadilkar): (a), (b) and (c). A statement is attached.

STATEMENT

Central Grant and Loan to Punjab

(Rs. in Crores)

(a) Central loan outstanding as on 31-3-1969 . .		224.43
(b) Loans and Grants allocated for State Plan Schemes in 1970-71 :		
	Loan	12.84
	Grant .	5.51
	TOTAL .	18.35

(c) Total loans and grants given in 1967-68 and in 1968-69 (both for Plan and non-Plan purposes)

	1967-68	1968-69
Loan	22.18	27.57
Grant .	11.02	9.20
TOTAL .	33.20	36.77

NOTES :

(a) The latest date for which the outstanding figures of Central loans has been finalised is 31-3-1969.

(b) *Source* : State Budgets.

Loans to Haryana for Development Programmes

7605. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount of the Central loan at present due from the Haryana Government ;

(b) the amount of grant and loan proposed to be given by the Central Government to the State Government for development programmes during the financial year 1970-71 ; and

(c) the amount of loan and grant given by Government to Haryana during the financial years 1967-68 and 1968-69?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri R. K. Khadilkar): (a), (b) and (c). A statement is attached.

STATEMENT

Central Grant and Loans to Haryana

(Rs. in Crores)

(a) Central loans outsanding as on 31st March, 1969 .			152.82
(b) Loans and Grants allocated for State Plan Schemes in 1970-71 :			
	Loan		9.96
	Grant .		4.27
	TOTAL .		14.23
c) Total loans and grants given in 1967-68 and 1968-69 (both for Plan and non-Plan purposes)			
		1967-68	1968-69
	Laon .	11.74	22.59
	Grant .	6.26	.59
	TOTAL .	18.00	29.18

NOTES :

(a) The latest date for which the outstanding figures of Central loans ha s been finalised is 31st March, 1969.

(b) *Sourçe :* State Budgets.

Central Grant and Loan to Rajasthan for Development Programmes

7606. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount of Central loan at present due from the Rajasthan Government ;

(b) the amount of grant and loan proposed to be given by Central Government to the State Government for development programmes during the financial yeai 1970-71; and

(c) the amount of loan and grant given by Central Government to the State Government during the financial years 1967-68 and 1968-69 ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri R. K. Khadilkar): (a), (b) and (c). A Statement is attached.

STATEMENT

Central Grant and Loan to Rajasthan

(Rs. in Crores)

(a) Central loan outstanding as on 31-3-1969			389.10
(b) Loans and grants allocated for State Plan Schemes in 1970-71 :			
	Laon .		27.96
	Grant .		11.98
	TOTAL .		39.94

(c) Total loans and grants given in 1967-68 and 1968-69 (both for Plan and non-Plan purposes)

	1967-68	1968-69
Loan	63.31	85.62
Grant .	29.23	31.27
TOTAL .	92.54	116.89

NOTES :

(a) The latest date for which the outstanding figures of Central loans has been finalised is 31st March, 1969.

(b) *Source* : State Budgets.

चौथी योजना में तेल निकालने का कार्यक्रम

7607. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में समस्त देश में तेल निकालने के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) जी, हां ।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को चौथी योजना में 97.94 करोड़ रुपये की लागत से भूमि पर 1.25 मिलियन मीटरी टन व्यधन का लक्ष्य निहित है । इस के अलावा तीन अन्वेषी कुओं और कम गहरे पानी में 9 विकास कुओं तथा गहरे पानी में 5 कुओं का व्यधन भी है, जिनपर 25.99 करोड़ रुपये लागत आयेगी ।

सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

7608. **श्री अदिचन** : क्या वित्त मंत्री 391 से 500 रुपये तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देने के बारे में 6 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5363 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में 500 रुपये प्रति मास से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मकान किराया रसीद देने से छूट दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो वेतन के साथ महंगाई भत्ता मिलाये जाने के परिणाम स्वरूप 391 से 500 रुपये प्रतिमास तक के वेतन पाने वाले कर्मचारी वर्ग पर उपर्युक्त उपबंध को फिर लागू करने के क्या कारण हैं अथवा किन परिस्थितियों के कारण इस उपबंध को पुन: लागू किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जब सरकार इस रियायत के कथित दुरुपयोग को देखते हुए 500 रु० की सीमा को घटा कर पहले की तरह ही 250 रु० कर देने के प्रश्न पर विचार कर रही थी तब महंगाई भत्ते को वेतन में मिला दिये जाने के आदेश जारी हो जाने से उक्त सीमा 500 रु० से घट कर 390 रु० हो गई । सीमा का इस प्रकार घट कर नीचे आना उसी दिशा में है, जिस ओर सरकार स्वयं ही विचार कर रही थी, इसलिये नयी सीमा को ज्यों का त्यों रहने दिया गया है ।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की मजूरी में विषमताएं

7609. **श्री अदिचन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ही किस्म के कार्यों के लिये जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की मजूरी में विषमतायें हैं और क्या इन विषमताओं को दूर करने के लिये जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने हाल ही में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो उन विषमताओं का ब्यौरा क्या है, जिनके बारे में सरकार को जानकारी मिली है ; और

(ग) उनको दूर करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर): (क), (ख) तथा (ग) . एक सा कार्य कर रहे कर्मचारियों की परिलब्धियों में विषमताओं के बारे में सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है । इसलिये, यदि कोई विषमतायें हों भी तो उनके ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं । कर्मचारी संघ इन दिनों अपने वेतन मानों आदि के बारे में जीवन बीमा निगम के साथ चर्चा कर रहे हैं, और उनको यदि इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें होंगी तो वे उन्हें इस मौके पर निगम के ध्यान में ला सकेंगे ।

हल्दिया तैल शोधन परियोजना

7610. **श्रीमती उमा राय** : क्या पट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया तेल शोधन परियोजना के कार्य में नवीनतम प्रगति क्या है ;

(ख) परियोजना किस तिथि को पूरी हो जायेगी ।

(ग) क्या परियोजना से सम्बद्ध उच्च अधिकारी अभी तक स्थल पर नहीं गये हैं ;

(घ) क्या स्थल को जाने के आदेश महानिदेशक द्वारा पहले ही जारी कर दिये गये थे और उन्हें बाद में रद्द कर दिया गया क्योंकि कुछ उच्चाधिकारी परियोजना स्थल पर जाने के इच्छुक नहीं थे ;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त अधिकारियों ने परियोजना प्रतिवेदनों को अन्तिम रूप देने, ठेकों की छानबीन करने और तकनीकी विकास सम्बन्धी महानिदेशक से मंजूरी प्राप्त करने के आधार पर दिल्ली में रहने के लिये महानिदेशक को अभ्यावेदन भेजा है ; और

(च) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोहाटी तेल शोधक परियोजना और बरौनी तेल शोधन परियोजना के मामले में ऐसा ही प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) उत्पाद पैट्रर्न, उत्पाद विशिष्टयां, टैंकेज आवश्यकताएं, प्रक्रिया लाइसेंस भूमि परीक्षण तथा प्रक्रिया रूपांकन पर अध्ययनों से सम्बंधित पूर्वनिर्माण योजना-कार्य पूरे हो चुके हैं। विस्तृत इंजीनियरिंग डिज़ाइन, उपकरणों तथा वस्तुओं की सप्लाई और तकनीकी सहायता के लिये दो विदेशी सहयोगियों के साथ व्यापारिक करार किये गये हैं। फ्रांस के टैकनिप, बुक रैस्ट के इंडस्ट्रीयल एक्सपोर्ट और नई दिल्ली के मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के कार्यालयों में विस्तृत इंजीनियरिंग के कार्य में प्रगति हो रही है। फ्रांस के टैकनिप, रूमानिया के इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट और भारत के इंजीनियर्स इंडिया लि० ने दोनों देशी तथा आयातित उपकरणों तथा वस्तुओं की प्राप्ति और निर्माण का कार्य हाथ में ले लिया है। स्थल पर निर्माण कार्य में प्रगति हो रही है। कच्ची सड़कें और रेल साईडिंग, गोदाम, स्थल कार्यालय तथा कांटीन की इमारत बन चुकी हैं। स्टोरेज़ टेकेज क्षेत्र के लिये भूमि के प्री-ट्रीटमेन्ट, 33/6.6 के वी उप-केन्द्र के निर्माण तथा परिचालन, भूमि कार्य से सम्बधित कार्य काफी हो चुके हैं।

(ख) 1972 के अन्तिम चतुर्थांश तक।

(ग) से (ङ). इस वर्ष के प्रारंभ में भारतीय तेल निगम के प्रबन्धकों ने कार्यालय को स्थल पर ले जाने का निर्णय किया। तदनुसार, महाप्रबन्धक, मुख्य इंजीनियर (सिविल) और निर्माण कार्य से सम्बंधित लगभग एक दर्जन इंजीनियर तथा लेखा अधिकारी स्थल पर जा चुके हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अनुमोदन, प्राप्ति प्रस्तावों और कार्य करारों के अनुमोदन के लिये तकनीकी विकास के महानिदेशक की मंजूरियां लेने तथा इंजीनियर्स लि० और दो विदेशी सहयोगियों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिये कुछ कर्मचारियों का नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में रखा जाना आवश्यक था। इन कार्यों के पूरा हो जाने पर इन कर्मचारियों को स्थल पर भेज दिया जायेगा।

(च) हल्दिया शोधनशाला परियोजना की तुलना गौहाटी तथा बरौनी शोधनशाला परियोजनाओं से नहीं हो सकती क्योंकि इन दोनों शोधनशालाओं की कार्यान्विति टर्न-की आधार पर विदेशी सहयोगियों द्वारा की जा रही थी। हल्दिया शोधनशाला का निर्माण भारतीय तेल निगम द्वारा इंजीनियर्स इंडिया लि० तथा विदेशी सहयोगियों, जिनके कार्यालय दिल्ली में हैं, की तकनीकी सहायता से किया जा रहा है, क्योंकि हल्दिया शोधनशाला टर्न-की परियोजना नहीं है, डिजाइन इंजीनियरिंग तथा प्राप्ति के स्वामियों तथा तकनीकी सलाहकारों सहयोगियों के बीच प्रत्येक अवस्था में घनिष्ट सहयोग की जरूरत होती है।

आवास के लिये वर्ष 1970-71, 1971-72 के लिये आवर्तक निधि

7611. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में वर्ष 1770-71, 1971-72 के लिये कोई आवर्तक आवास निधि बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो निधियों की अलग अलग धन राशि कितनी है तथा गृह-निमाण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो निधि बनाने में कितना समय लगेगा ; और

(घ) उक्त निधियों के लिये राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) (क), से (घ). सिवाय चण्डीगढ़ के, इन राज्य सरकारों/अथवा संघीय क्षेत्रों में किसी की ओर से अपने आप पृथक "आवास-आवर्तन निधि" बनाने की किसी कार्यवाही का भारत सरकार को कोई ज्ञान नहीं है ।

तथापि, चण्डीगढ़ प्रशासन ने 50 लाख रुपये की एक आवर्तन निधि बनाने के उद्देश्य से संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व सरकार द्वारा दिये गये आवास निर्माण अग्रिम की अदायगियों को अपने पास रखने का प्रस्ताव किया है । यह प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकार्य नहीं था ; परन्तु चण्डीगढ़ प्रशासन को 1969-70 के दौरान 25 लाख रुपये की एक विशेष सहायता नान-प्लान निधि के रूप में दी गई जो उस वर्ष के लिए 5 लाख रुपये के प्लान संबंधी नियतन के अतिरिक्त थी ।

राष्ट्रियकृत बैंकों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को हुआ लाभ

7612. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में जिन चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है उनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों को क्या लाभ हुए हैं ?

वित्त मंन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : राष्ट्रीयकृत बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों को निम्नलिखित लाभ होने की सम्भावना है :—

1. बैंकों की नई शाखाओं के खुलने और उनके कार्यों में विविधता आने के फलस्वरूप काम का विस्तार होने से कर्मचारियों को प्रगति के अधिक अवसर प्राप्त होंगे ।

2. वे अपने आपको पहले से अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे और प्रबन्धकों की ओर से उन्हें निष्पक्षता और अच्छा व्यवहार प्राप्त होगा ।

3. चूंकि बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अभिग्रहण तथा हस्तान्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के अन्तर्गत गठित किये जाने वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में कर्मचारियों का भी प्रतिनिधित्व होगा, अत: उनको राष्ट्र निर्माण के उन सभी कार्यक्रमों के अनेक पहलुओं में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार होने का अहसास होगा, जिनमें राष्ट्रीयकृत बैंक को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है । इसके परिणामस्वरूप उनको अपने कार्य से अधिक सन्तोष मिलेगा ।

सरकारी बस्तियों के टाइप तीन के क्वार्टरों में अतिरिक्त पंखो की व्यवस्था

7613. **श्री रमेश चंद्र व्यास** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी बस्तियों के टाइप तीन के क्वार्टरों के दोनों "रहने वाले कमरों" में बिजली के पंखे लगाने से सम्बन्धित आदेश दिये हैं ;

(ख) यह आदेश किस तारीख को जारी किये गये थे ;

(ग) क्या अब तक मिन्टो रोड क्षेत्र के टाइप तीन के क्वार्टरों में बिजली के पंखे लगा दिये ये हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) ग्रीष्म ऋतु के निकट होने को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि मिन्टो रोड क्षेत्र के टाइप III के क्वार्टरों में बिना किसी और देरी के बिजली के पंखे लगा दिये जायें ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजण और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) नई कालौनियों के बारे में आदेश जुलाई, 1965 में जारी किये गये थे और पुरानी कालौनियों के बारे में मार्च, 1969 में ।

(ग) मिन्टो रोड क्षेत्र के टाइप III के क्वार्टरों के दूसरे रिहायशी कमरे में कोई अतिरिक्त पंखा नहीं लगाया गया है ।

(घ) तथा (ङ). क्योंकि पुनर्विकास योजना के कारण मिन्टो रोड क्षेत्र के क्वार्टरों को गिराये जाने का प्रस्ताव है, अतएव अतिरिक्त छत वाले पंखों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात में तेल युक्त क्षेत्र में कार्य आरम्भ करना

7614. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने किसी नये क्षेत्र में हाल में कार्य आरम्भ किया है जहां पर तेल मिलने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संगत ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). गुजरात में हाल ही में व्यधित कई संरचनाओं में से, सुभासन नामक एक संरचना जो लगभग एक वर्ष पहले व्यधित की गई थी, में तेल पाया गया । इस संरचना के संभाव्य तेल का मूल्यांकन करने के लिये और व्यधन किया जा रहा है ।

तनाव तथा दंगों का मूल कारण व्यापक आर्थिक विषमता

7615. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या सरकार को पता है कि व्यापक आर्थिक विषमता देश में तनाव की स्थिति और दंगों का मूल कारण है ; और

(ख) यदि हां, तो विषमता को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) यद्यपि सरकार इस बात को स्वीकार नहीं करती कि देश में तनाव और दंगों का कारण आर्थिक विषमताएं ही हैं, फिर भी यह सम्भव है कि आर्थिक विषमताएं तनाव और दंगों के लिये कुछ अंश तक सहायक सिद्ध हों ।

(ख) हमारी सभी योजनाओं और नीतियों का उद्देश्य, देश में विद्यमान आर्थिक विषमताओं को कम करना है ताकि सब को विकास-कार्यों से लाभान्वित होने के समान अवसर प्राप्त हों । इस नीति के अनुसरण में सरकारी क्षेत्र का लगातार विस्तार किया जा रहा है ताकि आर्थिक शक्ति को, कुछ व्यक्तियों के हाथों में और अधिक केन्द्रित होने से रोका जा सके । इसके अलावा एका-

धिकार और प्रतिबन्धात्मक कार्य अधिनियम (मनोपलीज ऐण्ड रेस्ट्रिक्टिव प्रेक्टिसेज ऐक्ट) के अन्तर्गत विधान बनाने के अधिकार प्राप्त किये गये हैं ताकि उन मामलों में कार्यवाही की जा सके जनमें एकाधिकार की शक्ति का उपयोग समाज के हितों के विरुद्ध किया जाता हो।

जहां तक, विद्यमान आर्थिक विषमताओं को कम करने का सम्बन्ध है, सरकार ने राजस्व सम्बन्धी और अन्य प्रकार के विभिन्न उपाय किये हैं। आय और सम्पत्ति की विषमताओं को कम करने के लिए राजस्व-सम्बन्धी जो उपाय किये गये हैं उनमें से कुछ ये हैं : व्यक्तिगत कराधान की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई काफी ऊंची दर, शहरी जमीनों और इमारतों पर अतिरिक्त सम्पत्ति कर, दान-कर और संपदा शुल्क, और प्रदर्शन--उपभोग (कांस्पीक्युअस कंजम्प्सन) को रोकने के लिये समाज के धनी वर्गों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं पर ऊंची दर से कर।

इसके साथ साथ, जनता के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देनेके लिए भी कुछ उपाय किय गये हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने के जल की पूर्ति जैसा सामाजीक सेवाओं पर अधिक व्यय करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, खास खास वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण लागू करने और सरकारी वितरण प्रणाली द्वारा व्यापक आधार पर इस्तेमाल की जाने वाली अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर रखना, छोटे किसानों और भूमिहीन कृषि मजदूरों की सहायता करने के लिए भूमि-सुधार के उपायों को शीघ्रता से क्रियान्वित करना, मजदूरों के सम्बन्ध में प्रगतिशील कानून बनाना और समाज के कमजोर और अब तक उपेक्षित वर्गों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को निदेश देना। इसके अलावा, चौथी आयोजना के मसौदे में भी, जनता के अपेक्षाकृत गरीब वर्गों के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और नीतियों बताई गयी हैं।

खान अब्दुल गफ्फार खाँ को दी गई राशि

7616. श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री अदिचन :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खान अब्दुल गफ्फार खाँ को उनकी विदाई के समय लगभग कितनी राशि दी गई थी ;

(ख) उनकी विदाई के बाद कितनी राशि एकत्र की जानी थी और निकट भविष्य में उनको भेजे जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या खान अब्दुल गफ्फार खाँ के लिये एकत्र किये गये दान, चन्दों की राशि में से कुछ राशि इन्सानी बिरादरी के संयोजकों को दी गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी और किन प्रयोजनों के लिए यह राशि दी गयी थी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी):(क) और (ख). खान अब्दुल गफ्फार खाँ को उनकी विदाई के समय, 30,13,373.62 रुपये दिये गये थे। बाद में 1,66,095.75 रुपये तक की और रकम भेजने की स्वीकृति दी गयी थी। इसके अलावा, 4,00,000 रुपये की और रकम भेजने की सुविधा प्रदान करने का एक और अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ). गफ्फार खाँ सरहदी गांधी सालगिरह समिति से यह पता चला है कि **"इन्सानी** बिरादरी" नामक संगठन की स्थापना अभी होनी है और इसलिये खां अब्दुल गफ्फार खां के लिये इकट्ठी की गयी रकम में से इस संस्था को किसी प्रकार का दान दिये जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

व्याधिकीय (पेथालोजीकल) सुविधाओं की सस्ती दरों पर उपलब्धता के लिये क्लिनीकल परीक्षण केन्द्रों की स्थापना

7617. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें की :

(क) क्या सरकार ने निर्धन तथा मध्य वर्ग के व्यक्तियों को सस्ती दरों पर व्याधिकीय सुविधाएं देने के लिये देश में अधिक क्लिनीकल परीक्षण केन्द्र खोलने के बारे में विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) देश में नैदानिक परीक्षण केन्द्रों की स्थापना करने के सम्बन्ध में सरकार किसी खास प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) केन्द्रीय तथा राज्य दोनों सरकारों के प्रमुख अस्पतालों में व्याधिकीय परीक्षणों के लिए ऐसी सुविधाएं पहले से ही मौजूद हैं ।

Family Planning Centres in Pauri Garhwal of Uttar Pradesh

7619. Shri Arjun Singh Bhadoria : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2109 on the 1st December, 1969 regarding Family Planning Centre in Pauri Garhwal of Uttar Pradesh and state :

(a) whether the requisite information asked for in the said question from the State Government has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay in this regard?

Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) to (c). The reply to this Question has already been given to the Sabha on the 13th April, 1970 in reply to unstarred. Question No. 6169.

Arrears of Income Tax Outstanding against Film Stars

7620. Shri Arjun Singh Bhadoria : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3844 on the 15th December, 1969 and state :

(a) whether it is a fact that heavy Income-tax arrears are due from film artists like Rajesh Khanna, Babita, Rajendra Kumar and Hema Malini at present ;

(b) if so, the amount of Income-tax due in each case and the date from which it is due and the steps taken or proposed to be taken to recover the same ; and

(c) whether Government have investigated into any case of concealment of income ; and

(d) the number of raids carried out in the houses of these film artists and the amount of black money detected and the action being taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (d). Presumably the Hon'ble Member desires information regarding Rajesh Khanna, Babita, Rajendra Kumar and Hema Malini. The requisite information is given in the Statement laid on the Table of the Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT-3321-/70.]

Outstanding Amount of Income Tax Against Film Producers

7621. Shri Arjun Singh Bhadoria : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3844 on the 15th December, 1969 and state :

(a) whether it is a fact that huge arrears of Income-tax are at present due from the Film Producers, Sarvashri R. K. Nayyar, H. S. Rawail and G. P. Sippy, and if so, the amount due from each of them and the date from which it is due in each case ;

(b) the action taken or proposed to be taken to recover these arrears of Income-tax from them ;

(c) whether any case of concealment of income has come to the notice of Government and if so, the amount of income concealed by them and the action taken by Government in this regard ;

(d) whether any raids have been conducted at the residences of certain film producers and if so, whether prosecutions were also launched against some of them ; and

(e) if so, their names and the details of the prosecutions launched against them?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (e). The requisite information in respect of the film producers, Sarvashri R. K. Nayyar, H. S. Rawail and G. P. Sippy is given in the Statement laid on the Table of the Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT-3322/70.]

Statement

Name of film Producer	Amount of income-tax outstanding and the date since when the amount is due		Action taken or proposed to be taken to recover the arrears	Concealment of income detected, and action taken	Whether any raids have been conducted at the residences of film producers. If so, whether prosecutions were launched and details thereof.
	Amount Rs.	Date			
1	2	3	4	5	6
Sarvashri R. K. Nayyar	Nil			Nil	A raid was conducted by the Enforcement Directorate in the case of Shri R. K. Nayyar. No incriminating material was found and therefore no prosecution was launched.

1	2	3	4	5	6
H. S. Rawail	5,78(000)	Due on various dates between 4th May, 1966 & 19th Feb. 1969.	Recovery certificates have been issued. The assessee has been allowed to pay a portion of the undisputed tax in monthly instalments so that a sum of Rs. 1,50,000 will be paid before the end of October, 1970. The position regarding recovery of balance of the undisputed tax will be reviewed thereafter and necessary steps will be taken to realise the same.	The assessee had shown borrowing on Hundies which were held as not genuine. As a result of these additions made, Penalties under section 271(1)(c) had been levied for the assessment year 1960-61 and 1961-62 amounting to Rs. 68,000 and Rs. 72,000 respectively, which are being contested in appeals.	No
G. P. Sippy	Nil	..	..	Nil	No

5 लाख से अधिक रुपयों की आयकर की बकाया राशि

7622. श्री अर्जन सिंह भदौरिया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन कंपनियों की ओर इस समय आयकर की बकाया राशि 5 लाख रुपये से अधिक है उनकी संख्या कितनी है ;

(ख) जिन व्यक्तियों की ओर इस समय आयकर की बकाया राशि 5 लाख रूपये से अधिक है उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) इतनी बकाया राशि जमा होने के कारण क्या हैं ; और

(घ) इन बकाया राशियों को वसूल करने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) (क) जिन कम्पनियों की तरफ 30-6-1969 को कर की बकाया 5 लाख रुपये से अधिक है..... 284

(ख) कम्पनियों से भिन्न, जिन व्यक्तियों की तरफ 30-6-1969 को कर की बकाया, 5 लाख रुपयें से अधिक है.....681

(ग) आयकर की बकाया के इकट्ठा होने के सामान्य कारण ये हैं :—

(i) कर-निर्धारिती के दोहरे आयकर सम्बन्धी राहत के दावों के सत्यापन के कारण वसूली के लिये पड़ी मांगें ।

(ii) वे मांगें जिनके सम्बन्ध में कर-निर्धारितियों ने आयकर अधिकारियों / अपीलीय सहायक आयकर-आयुक्तों / अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों के विद्ध अपीलें / न्याय के लिये मामले भेजे हैं, तथा इस कारण विवादास्पद मांगों की अदायगी नहीं कर रहे हैं ।

(iii) संरक्षणात्मक उपाय के तौर पर, एक ही आय पर दो कर निर्धारितियों की आय के रूप में कर लगाये जाने के कारण मांगें रुकी पड़ी हैं ।

(iv) जिन व्यक्तियों ने भारत छोड़ दिया है तथा /अथवा अब उनका पता नहीं है, उनकी तरफ बकाया मांग ।

(v) उन कम्पनियों की तरफ बकाया मांगें जो अब परिसमाप्त हो चुकी हैं ।

(vi) उन व्यक्तियों की तरफ बकाया मांग जिनके पास फिलहाल शून्य/अपर्याप्त परिसम्पत्तियां हैं ।

(घ) आयकर की बकाया रकमों की वसूली के लिये निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किये गये हैं :—

(i) वसूली के कार्य को अपने हाथ में लेना जो अब तक राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा किया जाता था ।

दिल्ली, आंध्र-प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान के आयकर आयुक्तों के कार्यक्षेत्रों में वसूली-कार्य को पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया गया है ।

पश्चिम बंगाल, मद्रास, मैसूर, उत्तर प्रदेश, बम्बई तथा पूना के आयकर-आयुक्तों के कार्य क्षेत्र में वसूली-कार्य को आंशिक रूप से हाथ में लिया गया ।

बाकी के कार्य-क्षेत्रों में भी वसूली-कार्य को यथा सम्भव शीघ्र ही अपने हाथ में लेने की कोशिश की जा रही है ।

(ii) कर्तव्य के अनुसार कार्य-विभाजन की योजना को लागू करना, जिसके अन्तर्गत कर संग्रह का कार्य रेन्ज के एक अथवा एक से अधिक आयकर अधिकारियों का विशेष कार्य बना दिया गया है ।

(iii) आय-कर आयुक्तों के कार्य-क्षेत्रों में आयकर की बकाया रकमों की वसूली का कार्य शीघ्रता से करने के लिये विशेष वसूली एककों का निर्माण ।

(iv) 1 अक्तूबर, 1967 से, विलम्ब से की जाने वाली अदायगियों के मामले में ब्याज की दर को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है ।

(v) विभाग द्वारा रेखांकित चैकों का स्वीकार किया जाना तथा इस निमित्त आयकर का ि-लयों में अदायगी लेने के लिये विशेष काउन्टरों का खोला जाना ।

(vi) उन निर्धारितियों के नामों को प्रकाशित करना जिन्होंने किन्हीं निर्धारित सीमाओं से ऊपर करों की अदायगी नहीं की है ।

(vii) पूरे देश भर में "बकाया की वसूली करने के पखवाड़े" मनाये जा रहे हैं । इस अवधि में, विचाराधीन समायोजनों/संशोधनों को पूरा करने, अपीलीय आदेशों को कार्यान्वित करने तथा निर्धारितियों से बकाया मांगों की शुष्द रकमों की बसूली करने पर विशेष जोर दिया जायगा ।

Progress at Trombay Fertilizers Factory Extension Project

7623. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the extent of progress made so far in the Trombay Fertilizers Factory Extension Project and the number of machines likely to be obtained from indigenous sources and the number of those to be imported therefor ; and

(b) the recommendations made by the study team in respect of sources for obtaining machinery?

Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) The revised scheme to expand the Trombay Fertilizer Factory is being examined by the Government. The Factory is now proposed to be expanded using imported ammonia. The question of procurement of machinery and the sources from which it may be obtained is yet to be decided.

(b) No study team has gone into the question of procurement of machinery for the Trombay expansion project.

मेडिकल कालेजों में अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में परिवार नियोजन

7624. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

श्री न० रा० देवघरे :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय भारत में मेडीकल-कालेजों में "परिवार नियोजन" अनिवार्य पाठ्यक्रम का अंग नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मेडीकल कौंसल आफ इंडिया ने इस सम्बन्ध में एक पाठ्यक्रम बनाया है ; और

(ग) यदि हां, तो कालेजों द्वारा यह पाठ्यक्रम कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) भारतीय चिकित्सा परिषद की सिफारिश के अनुसार भारत में कुछ मेडीकल कालेजों ने उप-स्नातक पाठ्यचर्या में परिवार नियोजन की शिक्षा पहले ही शुरू कर दी है ।

(ख) जी हां ।

(ग) आशा की जाती है कि शेष मेडीकल कालेज भी भारतीय चिकित्सा परिषद की सिफारिश यथासमय कार्यान्वित करेंगे ।

भड़ौच के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों को जीवन बीमा निगम द्वारा वित्तीय सहायता

7625. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम, भड़ौच के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने पर सहमत हो गया है,

(ख) यदि हां, तो जीवन बीमा निगम द्वारा बनाई गई योजना का ब्योरा क्या है ; और

(ग) उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत कितनी सहायता दी जा चुकी है, और आगे दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है, तथा यह सहायता कब से दी जायगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) हाल में, भड़ौच में भूकंप के कारण ध्वस्त हुए मकानों के निर्माण के लिए, गुजरात सरकार ने एक करोड़ रुपये के ऋण के लिये जीवन बीमा निगम से कहा है । यह प्रस्ताव, जीवन बीमा निगम के विचाराधीन है ।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली में मलेरिया फैलना

7626. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाचारपत्रों के अनुसार दिल्ली में मलेरिया फिर तेजी से फैल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या दिल्ली में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को बन्द कर दिया गया है और यदि नहीं, तो मलेरिया को फैलने से रोकने के क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) दिल्ली संघ क्षेत्र मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के रख-रखाव चरण में पहले ही प्रवेश कर गया है । अब इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निगरानी गतिविधियों को जारी रखने की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका की है । स्थानीय अधिकारीयों ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) प्रत्यक्ष तथा परोक्ष निगरानी की जा रही है तथा मलेरिया का पता लगाने के लिये रक्त आलेपों की जांच की जा रही है ।

(2) लार्वा निरोध उपाय तीव्र किये गये हैं ।

(3) नदियों के तटवर्ती सभी मकानों तथा गन्दी बस्तियों में वर्ष में दो बार डी० डी० टी० का छिड़काव किया जाता है ।

वर्ष 1974 तक देश में दस मेडिकल कालेज की स्थापना

7627. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार 1974 तक देश में दस मेडिकल कालिज स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो ये कालिज किन स्थानों में स्थापित किये जायेंगे ; और

(ग) प्रत्येक कालिज की दाखिले की क्षमता कितनी है तथा इन कालिजों को आरम्भ करने की समय सूची क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब०सू० मूर्ति) : (क) राज्य योजनाओं के अन्तर्गत चौथी पंच वर्षीय योजना में देश में दस नये चिकित्सा कालेज खोलने का विचार है ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त प्रत्येक चिकित्सा कालेज की वार्षिक प्रवेश क्षमता प्रारम्भ में लगभग 50 हो सकती है ।इनमें से एक कालेज महाराष्ट्र के सेवाग्राम में तथा एक पश्चिम बंगाल के बर्दवान में 1969-70 में पहले ही खोल दिया गया है । अन्य चिकित्सा कालेज कहां और कब तक खोले जायेंगे इसके बारे में राज्य सरकारों ने अभी निश्चय नहीं किया है ।

चौथी योजना में विश्व बैंक तथा विदेशों से ऋण

7628. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक तथा कुछ अन्य देशों ने चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये ऋण देने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1970 तक प्रत्येक मामले का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनके इन्कार करने के कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

भारत-पाकिस्तान सीमापर तस्कर व्यापार

7629. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तस्कर व्यापार के कारण वर्ष 1969-70 में हुसनीवाला सीमा पर सीमाशुल्क से प्राप्त होने वाली आय वर्ष 1966-67 में वस्तुओं के तस्कर व्यापार के कारण हुई सीमाशुल्क की आय से पांच गुना है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है और इस के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) तथा (ख). हुसैनीवाला सीमा पर सीमा शुल्क से वर्ष 1966-67 में 37,588 रुपये की ओर वर्ष 1969-70 में 961,250 रुपये की आय हुई। वृद्धि के कारणों की जांच की जा रही है और अपेक्षित सूचना सदन की मेज पर रख दी जायगी।

Allocation of Funds for Imparting Medical Education and Training Scheme in Madhya Pradesh

7630. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state the funds allocated to Madhya Pradesh for the year 1969-70 under centrally sponsored scheme for imparting Medical Education and Training?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : The Fourth Five Year Plan includes only one centrally sponsored scheme for medical education, namely, the scheme for the establishment of Post-graduate medical and dental departments. The Government of Madhya Pradesh did not furnish any proposal for central assistance for Post Graduate departments in 1969-70. No assistance was, therefore, provided to them during that year.

श्री वी० के० कृष्ण मेनन को दो बंगलों का अलाट किया जाना

7631. श्री कंवर लाल गुप्त :

श्री सूरज भान :

श्री शारदा नन्द :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री वी० के० कृष्ण मेनन को दिल्ली में एक बंगला सरकार द्वारा तथा दूसरा दिल्ली विकास प्राधिकारी द्वारा अलाट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो माननीय सदस्य को दो रिहायशी मकान दिये जाने के कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि श्री वी० के० कृष्ण मेनन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अलाट किये बंगले का उपयोग शासकीय प्रयोजन के लिये न करके एक कार्यालय के रूप में कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन से एक बंगला वापिस ले लेने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब०सू० मूर्ति) : (क) तथा (ख). जी, हां। सरकार द्वारा उनको एक मकान संसद् सदस्य होने के नाते आवंटित किया गया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित दूसरा मकान दिल्ली के प्रशासक द्वारा, श्री मेनन को इस कारण से आवंटित किया गया था कि वे दिल्ली विकास प्राधिकरण के मुकदमों में सर्वोच्च न्यायालय में वकील हैं। जब श्री मेनन ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से मकान के लिए अनुरोध किया था तब वह संसद् के सदस्य नहीं थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, हां; दूसरे मकान के आवंटन को रद्द करने का आदेश दिया जा चुका है।

दिल्ली में मुस्लिम क्षेत्र बनाना

7632. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राजधानी में कुछ मुस्लिम क्षेत्र बनाये है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि हिन्दू तथा गैर-मुस्लिम व्यक्ति उस क्षेत्र में जायदाद नहीं खरीद सकते हैं; और

(घ) राजधानी में मुस्लिम क्षेत्र बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब०सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) तक : प्रश्न ही नहीं उठता ।

Agreement with Iran for Supply of Crude Oil to Madras Refinery

7633. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a long term agreement for 15 years has been concluded with Iran for the purchase of crude oil at the rate of 1.35 dollar per barrel for the Madras oil refinery whereas the rate of the crude oil was 1.25 dollar per barrel at the time of concluding the said agreement and it is likely to be further reduced in future ; and

(b) if so, the additional amount which will thus be paid during the 15 years under the said agreement?

Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) No. When the Crude Oil Sales Agreement between the Government of India and National Iranian Oil Company and PANINTOIL for sale of crude oil to Madras Refineries Ltd. was concluded in November, 1965, there was no posted price for Darius crude. Economic analysis of Darius crude vis-a-vis Aghajari was carried out and a certain price differential between the two was thereby arrived at. Considering the ruling price of Aghajari which was 1.48 dollars at the time, it was considered that the price of $. 1.35 per barrel, as negotiated, was competitive. In view, however, of the present lower level of crude prices in the world market today, a Government of India team visited Tehran to discuss modifications to the Crude Oil Sales Agreement.

(b) Does not arise.

जनहित ट्रस्ट, लखनऊ

7634. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि अनेक लोगों ने अपने उस धन को जिस पर कर नहीं लगा है जनहित ट्रस्ट, लखनऊ में जमा कराया हुआ है और इस ट्रस्ट के शेयर भी खरीदे हुए हैं ।

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों तथा समवायों के नाम और पते क्या हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों में धन जमा कराया है अथवा इस ट्रस्ट के शेयर खरीदे हैं ।

(ग) कितनी रकम जमा है अथवा खरीदे हुए शेयरों का मूल्य कितना है;

(घ) क्या सरकार ने यह जानने के लिए कि इन व्यक्तियों ने आयकर का भुगतान किया है या नहीं इन के विरुद्ध कोई जांच कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र०चं० सेठी) : (क) जनहित निधि एक धर्मार्थ-न्यास है। यह कोई कम्पनी नहीं है कि जिसके शेयर हों और जिन्हें कोई खरीद सके। न्यास ने रिपोर्ट दी है कि उसने किसी व्यक्ति से कोई रकम जमा रखने के लिए स्वीकार नहीं की है।

(ख) से (ङ). उपर्युक्त (क) में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

Transfer of Shares of Former Maharaja of Gwalior from Krishanram Baldeo Bank

7635. Shri Shashi Bhushan: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all the shares of the former Maharaja of Gwalior in the Krishanram Baldeo Bank Ltd., Gwalior (Lashkar) have been transferred to the Scindia Investment Company Limited;

(b) whether it is also a fact that the Scindia Investment Company purchased the shares of the Krishanram Baldeo Bank with that very amount;

(c) the actual positon of the Bank and the party purchasing its shares in respect of the said transaction;

(d) whether it is also a fact that the Reserve Bank has raised an objection in respect of the said transaction; and

(e) if so, the reasons therefor and the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) The subscribed share capital of Krishanram Baldeo Bank Ltd. consists of 50,000 shares of Rs. 100 each of which Rs. 50 is paid up. Of this 49,889 shares were held in the name of Maharaja Madhava Rao Scindia. On the 1st December, 1968 the Maharaja transferred all the shares excepting 51 shares in the name of Scindia Investments Private Ltd.

(b) No information is available how the transferee company paid the consideration amount of Rs. 54·82 lakhs. The investment company does not enjoy any limit with the bank.

(c) About 99·7 per cent of the bank's shares are now held by Scindia Investments Private Ltd.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

Shares held by Former Maharaja of Gwalior in Krishanram Baldeo Bank

7636. Shri Shashi Bhushan: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the value of the shares held by the former Maharaja of Gwalior in Krishanram Baldeo Bank. Gwalior, Lashkar;

(b) the total capital of the said Bank and the total value of the shares held by the family of the Maharaja of Gwalior when the Bank was converted into a Limited Bank and the former Rani of Gwalior became its Chairman;

(c) the amount of overdraft drawn and loan taken by the royal family of Gwalior from the said Bank during the last three years for their own purposes and for the companies of which the former Rani of Gwalior is the Director; and

(d) the present position in regard to the said overdrafts and loans?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) and (b). The bank was incorporated as a private limited company on 4th January, 1958 for taking over the banking business carried on by the proprietory concern. Out of the subscribed capital of Rs. 25 lakhs, the proprietor of the concern (the late Maharaja of Gwalior) was allotted 49,889 shares of Rs. 100 each with Rs. 50 per share paid up. The remaining shares of the paid up value of Rs. 5,550 were held by the directors of the bank and Shrimati Vijaya Raje Scindia.

(c) and (d). The information relates to the individual accounts of constituents of the bank and in accordance with the practices and usages customary among bankers such information is not divulged.

Technical Consultants requisitioned from foreign countries

7637. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the number of technical consultants requisitioned from foreign countries to work in the Central Secretariat's various Ministries and other Offices of the Government of India and other Indian institutions;

(b) the details pertaining to the last three years in this regard;

(c) the salary being paid to them per month;

(d) the number of such technical consultants who are working in India at present and the places where they are working; and

(e) whether they are assigned the same jobs for which their services were requisitioned or whether they are assigned other duties in case there is no such work?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a), (b), (c), (d) and (e). The information is being collected and will be laid on the table of the House.

भारत के रुस्तम अशोधित तेल खरीदने का रुमानिया का प्रस्ताव

7638. श्री हिम्मतसिंहका : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुमानिया ने भारत से जब तक भारत अशोधित तेल की अपनी तेलशोधन कारखानों में खपत करने की स्थिति में नहीं हो जाता, रुस्तम अशोधित तेल खरीदने का शर्त रहित प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की शर्तें क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) रुमानिया के पेट्रोलियम मंत्री के भारत के हाल ही के दौरे में य रुचि सिद्धान्त रूप में व्यक्त की गई थी कि रूमानिया की मौजूदा व्यापार योजना के अन्तर्गत, रोस्तम क्रुड के तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के हिस्से को दीर्घकालीन प्रबन्ध के आधार पर खरीदा जाय या इस क्रुड को रुमानिया की शोधनशालाओं में बेचने के प्रयत्नों में सहायता दी जाय। इस मामले के सभी पहलुओं पर दोनों देशों द्वारा विचार किया जायेगा।

मितव्ययता तथा कार्यकुशलता लाने के लिये सरकारी कार्यालयों में पायलट योजना आरम्भ करना

7639. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में प्रशासनिक तथा गैर-योजना संबंधी अन्य व्यय में मितव्ययत करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है और उससे कितनी मितव्ययता होने की संभावना है;

(ख) सरकारी प्रशासन मे मितव्ययता तथा कार्य कुशलता लाने की दृष्टि से क्या सरकार मंत्रालयों तथा विभागों में मार्ग-दर्शीकरण (पायलट) योजना लागू करने का पुन: विचार करेगी;

(ग) क्या इसका प्रमुख कारण इस योजना के लिये आवश्यक अपेक्षित कुशलता के अनुभाग अधिकारियों का उपलब्ध न होना है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी के पद के लिये अपेक्षित प्रकार के कर्मचारी प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) प्रशासनिक व्यय में बचत करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई उपाय किये गए हैं, जैसे वेतनमानों में उर्ध्वगामी संशोधन करने पर प्रतिबन्ध, पदों के कुछ वर्गों में भरती पर आंशिक प्रतिबन्ध, आयात की गई कारों की खरीद पर प्रतिबन्ध, यात्रा संबंधी भत्तों में कटौती, कर्मचारी निरीक्षण अध्ययन का तेजी से चलाया जाना आदि। और इन उपायों को 1970-71 में जारी रखा जा रहा है। जहां तक योजना भिन्न अन्य व्यय का संबंध है, वित्त मंत्रालय में बजट तैयार करते समय इस संबंध में सूक्ष्म छानबीन करने के अतिरिक्त, खर्च करने वाले मंत्रालयों में आंतरिक वित्तीय सलाहकार व्यवस्था द्वारा तथा मंत्रालयों में तैनात वित्तीय सलाहकारों द्वारा व्यय पर नियंत्रण की स्थायी व्यवस्था के जरिये यथा संभव मितव्ययता लाई जाती है। अतिथि सत्कार पर होने वाले व्यय तथा सम्मेलनों पर एवं यात्राभत्ते तथा फर्नीचर जसी मदों पर होने वाले व्यय को यथा संभव न्यूनतम रखने की दृष्टि से 1970-71 के लिये मंत्रालयों के बजट अनुमानों की खास-तौर पर जांच पड़ताल की गई। इसके अलावा चालू वर्ष में खर्च में बचत करने के ऊपर कहे गये उपायों के अतिरिक्त अन्य कोई विशेष नये उपाय की परिकल्पना नहीं की गई है। लेकिन बचत के उपाय एक सतत प्रक्रिया है इसलिये सरकार का ध्यान इस मामले की ओर बराबर लगा रहता है।

(ख) 1956-57 में बहुत से मंत्रालयों में चालू की गई पाइलट अनुभाग योजना की समीक्षा के आधार पर, उक्त योजना रक्षा मंत्रालय को छोड़कर, शेष सभी मंत्रालयों में 1962 में समाप्त कर दी गयी। इस योजना को फिर से चालू करने का कोई विचार नहीं है। फिर भी प्रशासनिक सुधार आयोग की उस सिफारिश पर विचार किया जा रहा है जिसमें कार्यसंचालन की डेस्क अधिकारी प्रणाली चालू करने का सुझाव दिया गया है।

(ग) तथा (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

Allotment of Platforms constructed by D.D.A. for Shops

7640. Shri Onkarlal Bohra : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Delhi Development Authority have constructed 253 platforms in Rajouri Garden, which would be allotted to the 'Khokhawalas' of R. K. Puram who were evicted in the year, 1964 ;

(b) if so, whether the allotment of the said platforms would be done by draw of lots or by some other method ;

(c) the time by which the said platforms would be allotted ;

(d) whether it is also a fact that some officials of D. D. A. in collusion with the Associations of the said Khokawalas are trying to get the allotment of the said platforms made arbitrarily in order to earn profit ; and

(e) the reaction of Government in regard thereto?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The method of allotment has not yet been decided. The platforms will be allotted to eligible persons after their claims have been verified.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

Allotment of Shops to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Tel Bhawan Market, New Delhi

7641. Shri Ram Charan : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 125 on the 23rd February, 1970 and state :

(a) whether it is a fact that one out of four shops in the "Tel Bhawan" Market is proposed to be allotted to the widow of a Member of Parliament, belonging to Scheduled Castes especially when she is not eligible for rehabilitation benefits under the Gadgil Assurance ;

(b) if so, the reasons therefor and the basis on which the said shop is proposed to be allotted to her ;

(c) whether it is also a fact that the widow of the said Member of Parliament is not a resident of Delhi ; and

(d) if so, the reasons for according special priority to her in respect of allotment of one of the four shops, which are reserved for Scheduled Castes and the reasons for not allotting a shop to her out of the general pool?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) Yes, Sir.

(b) The widow applied for allotment of a shop in Delhi as her husband had left no assets or property for the family. On compassionate grounds it has been decided that one of the shops reserved for Members of Scheduled Caste Community may be allotted to her.

(c) The widow is not normally a resident of Delhi but since the demise of her husband she is residing in Delhi and her children are studying in Delhi schools.

(d) Since she is a member of Scheduled Caste Community it has been decided to reserve a shop for her from that quota. The other shops in the general quota at Janpath are to be allotted to stall holders whose stalls have to be demolished for clearing the frontage of the 'Tel Bhavan' building and as such it is not possible to allot her a shop out of them.

Ad Hoc Increments to Engineers of Delhi Development Authority

7642. Shri Ram Charan: Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 127 on the 23rd February, 1970 and state :

(a) whether each of the seven Assistant Engineers has been granted ten ad hoc increments without obtaining the approval of the Ministry of Finance especially when they are not entitled for ad hoc increments ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the details in respect of the qualifications of each of the said Assistant Engineers, the name of the department in which they were working prior to their joining the office of Delhi Development Authority, the pay-scales and the pay being drawn there by each of them and their scales of pay and the F. R. & S. R. under which their pay has been fixed ; and

(d) the names and number of those Assistant Engineers who possess qualifications similar to those seven Assistant Engineers who were granted ten ad hoc increments at a time and the reasons for which they were not granted such increments?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) The *ad hoc* increments are reported to have been granted by the competent authority with the concurrence of the Finance of the Delhi Development Authority which is an autonomous-body.

(b) Does not arise.

(c) A statement indicating the educational qualifications and experience of the said Assistant Engineers is attached. Information in regard to their pay/scale of pay prior to their joining the Delhi Development Authority is being collected and will be laid on the Table of the Sabha. [Placed in Library *See* No. LT-3323/70.].

(d) None.

Market Rent Charged from Occupants of North and South Avenue Flats, New Delhi

7643. Shri Ram Charan: Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) the flats in North Avenue, and South Avenue, New Delhi in respect of which market rents have been charged by his Department and the names of the occupants thereof ;

(b) the names of the persons from whom the amount has been recovered on the said rates ; and

(c) the names of the persons from whom the amounts remain to be recovered and the names of the persons in whose cases the outstanding amount has been written off and the reasons therefor?

Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy):

(a) Details have been given in Appendixes 'A', 'B' and 'C'.

(b) Details have been given in Appendix 'A'.

(c) Details have been given in Appendixes 'B' and 'C'.

[*Placed in Library See No. LT-3324/70.*]

जीवन बीमा निगम के डाक्टरों द्वारा डाक्टरी परीक्षा शुल्क में वृद्धि

7644. श्री वी० नरसिम्हा राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने अपने डाक्टरों द्वारा लिये जाने वाले डाक्टरी परीक्षा शुल्क में वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो पुरानी शुल्क की तुलना में कितनी वृद्धि की गई है; और

(ग) शुल्क की राशि में वृद्धि किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3325/70] .

(ग) फीस की पुरानी दरें, निगम की स्थापना के समय अर्थात् 1956 में निर्धारित की गयी थीं । जीवन निर्वाह मूल्य बढ़ गये हैं, और निजी व्यवसाय करने वाले डाक्टरों और सलाहकारों की फीस आदि बढ़ गयी है । डाक्टरी जांच की फीस में वृद्धि के लिये जीवन बीमा निगम को बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे । इन अभ्यावेदनों पर विचार किया गया और डाक्टरी जांच की फीस बढ़ाने का निर्णय किया गया ।

विवरण

जीवन बीमा निगम, विभिन्न डाक्टरी जांच की रिपोर्टों के लिए पहले जो फीस आदि देता था उनकी दरों का तथा अब जो दरें दे रहा है उनका तुलनात्मक विवरण-पत्र

रिपोर्ट की किस्म	पुरानी दर से फीस रूपये	नई दर से फीस रुपये
1	2	3
1. संक्षिप्त डाक्टरी जांच की रिपोर्ट . . .	5	8
2. पूर्ण डाक्टरी जांच की रिपोर्ट		
(क) 4,999 रुपये तक के प्रस्तावित बीमे के लिये .	8	लागू नहीं *
(ख) 5,000 रुपये से 9,000 रुपये तक के प्रस्तावित बीमे के लिए	12	15
(ग) 10,000 रुपये तथा इससे अधिक रकम के प्रस्तावित बीमे के लिए	16	20

1	2	3
3. रक्त चाप की जांच	5	8
4. हृदय सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट .	10	15
5. सी० एन० एस० प्रश्नावली .	5	8
6. ई० सी० जी० , बिना रिपोर्ट .	15	20
7. ई० सी० जी० और उसकी रिपोर्ट	25	30
8. मूत्र का सामान्य विश्लेषण .	10	15
9. मूत्र की ग्लूकोस सहनशीलता सम्बन्धी जांच .	10	15
10. रक्त शूगर जांच (चार रीडिंग) .	50	60
11. डब्ल्यू० बी० सी० डिफेरेंशियल काउण्ट . .	10	15
12. पूर्ण रक्त योग (Blood Count) .	निर्धारित नहीं	30
13. काहन (Khan) टेस्ट	7.50	12
14. ई० एस० आर० रिपोर्ट	7.50	12
15. सीरम कोलेस्टेरल .	निर्धारित नहीं	20
16. फास्टिन्ग ब्लड शूगर . .	वही	15
17. भोजन के बाद ब्लड शूगर . . .	वही	15
18. विशेष ब्लड शूगर जांच (दो रीडिंग) .	30	30
19. टेली प्लेट और उसकी रिपोर्ट	30	कोई परिवर्तन नहीं
20. टेली प्लेट, बिना रिपोर्ट	15	वही
21. स्क्रीनिंग रिपोर्ट	10	वही

नोट रेडियोलोजीकल रिपोर्टों सम्बन्धी फीस का संशोधन नहीं किया गया है ।

*4,999 रुपये तक के प्रस्तावित बीमों के बारे में जीवन बीमा निगम अब पूर्ण डाक्टरी जांच की रिपोर्ट के स्थान पर संक्षिप्त डाक्टरी जांच की रिपोर्ट प्राप्त करता है जिसमें डाक्टरी जांच करने वाले को कम कार्य करना होता है ।

मनीपुर में किसानों और छोटे व्यापारियों को ऋण की उपलब्धता

7645. श्री एम० मेधचन्द्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 के दौरान मनीपुर के बैंकों ने किसानों और छोटे व्यापारियों को कुल कितना ऋण दिया ;

(ख) उक्त अवधि में किसानों और छोटे व्यापारियों को प्रत्येक बैंक ने अलग-अलग कितना ऋण दिया ;

(ग) क्या किसानों को अधिक ऋण सम्बन्धी सुविधाये नहीं दी गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) (क) और (ख). मणिपुर में काम कर रहे ो वाणिज्यिक बैंकों ने वहां के किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए जो ऋण उपलब्ध किये हैं वे इस प्रकार हैं :—

(रकम लाख रुपयों में)

	स्वीकृत सीमा	31 दिसम्बर 1969 को बकाया रकम
1	2	3
1. किसान		
भारतीय स्टेट बैंक	0.68	0.65
यूनाइटड बैंक आफ इण्डिया	शून्य	शून्य
जोड़	0.68	0.65
2. छोटे व्यापारी		
भारतीय स्टेट बैंक .	12.75	5.15
यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	0.78	0.70*
जोड़ .	13.53	5.85

*1969 में सबसे अधिक ।

(ग) और (घ). उपर्युक्त आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि छोटे व्यापारियों के लिए जो ऋण मंजूर किये गये हैं वे कृषि क्षेत्रों के लिए मंजूर किये गय ऋणों की तुलना में अधिक है। भारतीय स्टेट बैंक ने यह सूचित किया है कि उसकी कृषि वित्त योजना से मणिपुर के किसानों ने कोई खास लाभ नहीं उठाया है और मणिपुर के कृषि क्षेत्रों के लिए अधिक ऋण देने के उद्देश्य से विशेष उपाय शुरू किए जा रहे हैं ।

भूतपूर्व स्वास्थ्य तथा चिकित्सा निदेशक, मनीपुर के मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

7646. श्री एम० मेधचन्द्र : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व स्वास्थ्य तथा चिकित्सा निदेशक, मनीपुर द्वारा दिये गये खरीद के सौदे के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी जांच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) (क) और (ख). इस मामले से संबंधित छान-बीन अभी चल रही है।

इम्फाल नगरपालिका को अनुदान

7647. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 में सफाई तथा इसके सम्बन्धित अन्य कार्यों के लिये उनके मंत्रालय ने इम्फाल नगरपालिका को कितना अनुदान दिया और 1970-71 में कितना अनुदान देने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या चालू वर्ष में उक्त नगरपालिका की स्थिति पहले से कुछ सुधर गई है ;

(ग) क्या नगर बोर्ड ने पुराना बाजार वेमन मार्केट, में दी गई भूमि के लिये कुछ अलाटियों से एकत्र किये गये लगभग 1 लाख रुपये के प्रीमियम को वापस कर दिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रायल में राज्य मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति): (क) 1969-70 में निम्नलिखित अनुदान देने के लिये भारत सरकार की मंजूरी दे दी गई थी :–

	रु०
(1) नालियों एवं पुलियों के निर्माण के लिये	1,50,000
(2) सड़कों के सुधार तथा निर्माण के लिये	2,70,000
(3) नगरपालिका के कार्यालय में सफाई का साज सामान आदि लगाने के लिये	20,000
(4) नगरपालिका क्षेत्र में मल सफाई व्यवस्था में सुधार करने के लिये .	30,000
	4,70,000

इम्फाल नगरपालिका को अनुदान देने के लिये 1970-71 के संशोधित बजट प्राक्कलनों में 6,50,000 रु० का प्रावधान रखा गया है :

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह विषय इम्फाल नगरपालिका के विचाराधीन है ।

मनीपुर सरकार द्वारा आवास ऋण

7648. श्री एम०मेघचन्द्र : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री मनीपुर सरकार द्वारा आवास ऋण देने के बारे में 14 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6234 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन ऋण लेने वालों को आवास ऋण की दूसरी तथा तीसरी किश्तें न देने के क्या कारण हैं जिन्हें पहली और दूसरी किश्तें दी जा चुकी हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि मनीपुर सरकार ने वर्ष 1969-70 में आवास ऋण के लिये कोई व्यवस्था नहीं की थी और उक्त वर्ष में आवासों के निर्माण के लिये कोई ऋण नहीं दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) (क) , (ख) तथा (ग): सूचना मनीपुर सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

सेन्ट्रल अस्पताल, मनीपुर से आपरेशनों पर प्रतिबंध

7649. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अस्पताल की आवश्यकता से कम आक्सीजन और एक्स-रे फिल्मों के सप्लाई किये जाने के कारण सैन्ट्रल अस्पताल, मनीपुर में आपरेशनों की संख्या सीमित कर दी जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो सीमित सप्लाई के क्या कारण हैं और मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Assistance to Gujarat for the Victims of Communal Riots

7651. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Gujarat Government had implemented any scheme for the rehabilitation and financial assistance to the widows of those persons who were killed in the communal riots in September, 1969; if so, the details thereof ;

(b) whether the Central Government have also granted any kind of financial assistance to Gujarat Government in this regard; if so, the details thereof.

(c) the total number of persons rehabilitated so far ; and

(d) the details of maximum and minimum amount given by way of assistance to each family ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri R. K. Khadilkar): (a), (c) and (d). The Government of Gujarat have reported that a Widows' Home is being run by an institution called 'Bazme Khwateen' for the maintenance of widows and children rendered homeless/destitute as a result of the communal riots in the State in September, 1969. This institution has been recognized by the State Government who have so far sanctioned a grant of Rs. 1,03,470 for the maintenance of widows and children. In addition, the State Government have also sanctioned Rs. 70,000 as loans and subsidies for the purchase of sewing machines or ambar charkhas for widows. Forty three widows and their dependent children have so far been rehabilitated in the Widows' Home.

The Government of Gujarat have reported that assistance has been provided to the widows at the scale of Rs. 500 for the death of earning head of the family and Rs. 250/- for the death of any other member of the family, subject to a maximum of Rs. 1,500 per family.

(b) No, Sir.

कलकत्ता नगर की दयनीय दशा और उसका विकास

7652. **श्री समर गुह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 अप्रैल, 1970 को एक अमरीकी साप्ताहिक 'न्यूज़' वीक में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कलकत्ता नगर की दयनीय दशा का उल्लेख किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार ने कलकत्ते के विकास के लिये अन्तिम रूप से योजना तैयार की है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) कलकत्ता के क्रमबद्ध विकास कार्यक्रम के लिये सरकार ने कितनी धनराशि देने का वचन दिया है और वह कब पूरा होगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) (क) सरकार रिपोर्ट देख चुकी है ।

(ख) रिपोर्ट में आवास, नागरिक सेवाएं, चिकित्सा, नियोजन आदि कमियों की चर्चा की गई है । इस में यह आशा भी व्यक्त की गई है कि हालदिया के वैकल्पिक बन्दरगाह के विकास के साथ कलकत्ता पर दबाव हलका हो जायेगा ।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता महानगर जिला के लिए पहले ही एक आधारभूत विकास कार्यक्रम तैयार कर लिया है । उस प्लान की प्रमुख बातें, जिन पर राज्य सरकार द्वारा तुरन्त कार्यवाही अपेक्षित थी, निम्नलिखित हैं :—

(1) साल्ट लेक, कोना और सोनारपुर पर नई बस्तियों का विकास ।
(2) नई मार्केट और हावड़ा मैदान क्षेत्रों में नगरीय नवीकरण परियोजनाएं ।
(3) बस्तियों का अर्जन और विकास कार्यक्रम ।
(4) रिहायशी भूमि की तैयारी ।
(5) सभी उप नगरीय क्षेत्रों के लिए एक अंतरिम जल सप्लाई योजना ।
(6) नये स्कूलों के स्थानों की व्यवस्था ।
(7) अस्पतालों में अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था ।
(8) और अधिक नगरीय समुदाय विकास केन्द्रों की स्थापना ।
(9) पार्कों और मनोरंजन सुविधाओं के लिए स्थान का परिरक्षण ।
(10) महानगर यातायात सिस्टम के नवीकरण और विकास के लिए दीर्घकालीन कार्यक्रमों का प्रारंभ ।

(घ) चौथी पंच वर्षीय योजना के मसौदे में कलकत्ता महानगर क्षेत्र के एकीकृत नगरीय विकास के लिए 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें से 11 करोड़ रुपये जल सप्लाई योजनाओं के लिए, और इतनी ही राशि सीवर और नालियों के लिए, 17 करोड़ रुपये परिवहन क्षेत्र के लिए और एक करोड़ रुपये बस्ती सुधार के लिए हैं । राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गई विभिन्न विकास योजनाओं की पूर्ति के लिए कोई निश्चित समय अवधि नहीं बताई जा सकती ।

9—7 L. S. 70.

कलकत्ते में मच्छरों की समस्या

7653. **श्री समर गुह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ते के कुछ भागों में मच्छर बहुत अधिक अनुपात में हैं ;

(ख) क्या प्रेस और जनता में इस बारे में बहुत सी शिकायतें की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उक्त समस्या को हल करने और कलकत्ते में सफाई की व्यवस्था करने और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां । कलकत्ते के कुछ भागों में हाल में मच्छरों का आतंक बढ़ा है ।

(ख) जी हां ।

(ग) घरों में पाये जाने वाले मच्छरों की संख्या में वृधि का कारण मच्छरों के वे प्रजनन स्थान हैं जो कतिपय ऐसे क्षत्रों में हैं जहां नाली और मल निकास आदि जैसे सफाई के प्रबन्ध उतने पर्याप्त नहीं हैं जितने कि शहर के केन्द्रीय क्षत्र में प्रभावित क्षेत्रों में पर्यावरणिक सफाई में सुधार के दीर्घ-कालीन उपाय बरतने के लिये कलकत्ता महानगर नियोजन संगठन ने 8.39 करोड़ रुपय के अनुमानित खर्च की नाली और मल निकास की समुचित योजनाएं तैयार कर ली हैं । क्योंकि इन योजनाओं को चलाने में काफी समय लग जायेगा, इसलिये नगर क्षेत्रों में मच्छरों के प्रकोप से कुछ राहत देने के लिये अन्तरिम उपाय के रूप में लार्वा निरोधी कार्य के लिये कलकत्ता निगम ने फिलहाल एक मच्छर नियंत्रण संगठन की स्थापना की है । निगम की आर्थिक क्षमता के अनुसार उक्त संगठन द्वारा निम्नलिखित उपाय बरते जा रहे हैं :—

(1) प्रतिमास खुली नालियों की सफाई करना ।

(2) खुली नालियों के दोनों किनारों की मरम्मत करना ।

(3) मच्छरों के प्रजनन स्थलों में सप्ताह में एक बार लार्वानाशी तेल का छिड़काव करना

(4) खुली नालियों की मरम्मत करना, तालाबों से घास-फुस आदि साफ करना जिससे लार्वानाशी तेल प्रभावकारी हो जाये ; और

(5) सम्भव हो तो, निम्न स्थानों को समतल करना ।

बैंकों में "हाई एकाउन्टस"

7654. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों में कोई "हाई एकाउंट्स" भी हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे क्या है ;

(ग) क्या उन्हें "बकाया राशि" वाले खाते भी कहा जा सकता है ; और

(घ) सरकार द्वारा नियन्त्रित बैंकों में इस प्रकार के कुल कितने हाई एकाउण्ट्स हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क), (ख) और (घ). सम्भवतः सदस्य महोदय का अभिप्राय उन अग्रिमों से है जिनकी पूरी रकम की वसूली के बारे में शक होता है। ऐसे अग्रिमों को आमतौर पर अशोध्य ऋण अथवा संदिग्ध ऋण कहा जाता है। ऐसे खातों की कुल संख्या अथवा इनकी रकमों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। बैंक ऐसे अग्रिमों की रकमों की वसूली के लिये सभी सम्भव प्रयत्न करते हैं और इन प्रयत्नों की सफलता के अनुसार स्थिति समय-समय पर बदती रहती है।

(ग) यह शब्द आम तौर पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा में शामिल नहीं है। जिन हुंडियों की रकम नियत तारीखों को वसूल नहीं होती उन्हें "विलम्बित हुंडियां" (ओवरड्यू बिल) कहा जाता है। इसी प्रकार, यदि किसी अग्रिम के परिशोधन की कोई किस्त नियत तारीख को अदा नहीं की जाती तो उसे 'विलम्बित' कहा जाता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि ऐसी विलम्बित हुंडियां अथवा अग्रिम अशोध्य हों अथवा उनकी वसूली संदिग्ध हो।

पश्चिम बंगाल में कोयला संसाधन

7655. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में उपलब्ध कोयला संसाधनों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) 1967-68 से अब तक कितने भंडारों का पता लगाया गया है और विभिन्न प्रकार से उपयोग किया गया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुणा सेन) : (क) पश्चिम बंगाल में कोयले की कुल उपलब्ध राशियों के अनुमान 193260 लाख मैट्रिक टन हैं, जिनके ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :—

कोयला क्षेत्र का नाम	जिस गहराई तक निर्धारण किया गया है (मीटरों में)	लाख मैट्रिक टनों में अनुमानित उपलब्ध राशियां
1	2	3
रानीगंज . .	609	192863.10
बाजोरिया . .	609	247.00
दार्जिलिंग . . .	75	150.00

(ख) यह उपलब्ध राशियां मुख्यतः नान-कोकिंग कोयले की हैं। पश्चिम बंगाल में उत्पादन का वर्तमान स्तर 200 लाख मैट्रिक टन प्रति वर्ष है। जबकि उच्च श्रेणियों के नान-कोकिंग कोयलों का उपयोग, जो कि कुल का 80 प्रतिशत भाग है, रेलवे, कलकत्ता विद्युत सप्लाई निगम, सीमेन्ट जैसे कुछ आवश्यक उपभोक्ताओं और निर्यात के लिये किया जा रहा है। अन्य कोयलों का उपयोग भाप बनाने, इटें जलाने आदि के लिये किया जाता है। अच्छे अभिलक्षणों परन्तु निम्न कोकिंग अभिसूचक कोयला (दिशेरगढ़ परत से) भी धातुकर्मीय उद्योगों में उत्कृष्ट एवं मध्यम कोकिंग कोयलों के मिश्रण के साथ उपयोग में लाया जाता है।

सेंट्रल रेवेन्यू कन्ट्रोल प्रयोगशाला में नमूनों की जांच

7656. **श्री सूरज भान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 दिसम्बर, 1969 को मैसर्स सेन्ट्रल गोदी स्पिनिंग मिल्स जी०टी० रोड, लुधियाना से सी० एल० डी०/2379 और सी० एल० डी०/2380 नम्बरों के दो नमूनों के केमीकल परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन में जो सेन्ट्रल रेवेन्यू कन्ट्रोल प्रयोगशाला, दिल्ली के 17 दिसम्बर 1969 के ज्ञापन संख्या जी० सी० जी० एल०–18/प्रोव/69/150 में दिया गया था, एक महीने पश्चात दिनांक 24 अक्तूबर, 1969 के सी० संख्या 107–केम/यार्न/लुधियाना/डी०69 सी० एल०डी०/2380 द्वारा मूल परिवर्तन कर दिया गया था ।

(ख) प्रतिवेतन में परिवर्तन किये जाने के सरकारी तौर पर क्या कारण रिकार्ड किये गये हैं और 1969 में इस प्रकार कितने प्रतिवेदनों में परिवर्तन किये गये थे ।

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त प्रयोगशाला के कुछ अधिकारियों ने 4 अक्तूबर, 1969 और 24 अक्तूबर, 1969 के बीच उक्त मिल का दौरा किया था और उक्त प्रतिवेदन में परिवर्तन किया था ; और

(घ) यदि हां, तो संबंधित अधिकारी का नाम तथा पदनाम क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी):(क) से (घ). प्रश्न में उल्लिखित दोनों नमूनों की जांच, शुरू में एक रसायन सहायक ने की थी और उसकी जांच के आधार पर, 4-10-1969 को यह रिपोर्ट दी गयी थी कि धाग के वे नमूने "मुख्यतया ऊन की रद्दी के (Shoddy) थे (जो उत्पादन शुल्क की निम्न दर लगने योग्य थे) । बाद में 14/15–10–69 को, रसायन परीक्षक, ग्रेड । जो वरिष्ठ श्रेणी । का अधिकारी होता है, अपने नियमित निरीक्षण दौरे पर लुधियाना गया । इस अधिकारी को ऐसे दौरे करने होते हैं । वहां पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के स्थानीय अधीक्षक (निवारक) ने उसके साथ उन दोनों नमूनों के मामले पर विचार-विमर्श किया और नमूनों के सम्बन्ध में दी गयीं रिपोर्ट के सही होने के बारे में कुछ शंकाएं उठायीं । रसायन परीक्षक उक्त कारखाने में नहीं गया । रसायन परीक्षक ने, दिल्ली स्थित अपने प्रधान कार्यालय लौटने पर, स्वयं उन नमूनों की माइक्रोस्कोपी जांच की । उसने माइक्रोस्कोप में उन नमूनों को एक अन्य रसायन परीक्षक को भी दिखाया और दोनों की एक राय थी कि इन नमूनों को "मुख्यतया ऊन की रद्दी (Shoddy) के" कहना सही नहीं हो सकता । अतएव, 24-10-69 को एक दूसरी रिपोर्ट जारी की गयी जिसके द्वारा पहले 4 अक्तूबर 1969 को जारी की गयी रिपोर्ट को संशोधित किया गया । संशोधित रिपोर्ट से वह धागा (Yarn) उत्पादन शुल्क की अपेक्षाकृत ऊंची दर लगने योग्य हो गया ।

पूर्वोक्त दो नमूनों के बारे में दी गयी रिपोर्ट को छोड़कर, वर्ष 1969 में अन्य नमुने के सम्बन्ध में दी गयी कोई भी अन्य रिपोर्ट संशोधित नहीं की गयी ।

स्टेट बैंक आफ इंडिया में अनुसूचित जातियों के लोगों की नियुक्ति

7657. **श्री सूरज भान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया में गत तीन वर्षों में वर्ष-वार जिसमें वर्ष 1969 भी शामिल है, कितने क्लर्कों तथा अन्य श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति की गई ;

(ख) प्रत्येक वर्ष नियुक्त किये गये कर्मचारियों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों के लिये 12½ प्रतिशत पदों का कोटा पूरी तरह भरा गया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त बैंक की सेवाओं में अनुसूचित जातियों के निर्धारित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) :

	स्टेट बैंक में नियुक्त किये गये लिपिकों और अन्य वर्गों के कर्मचारियों की संख्या	(क) में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या
	(क)	(ख)
1967	5084	149
1968	3540	94
1969	3775	169

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह पता चला है कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे को पूरा न किये जा सकने का कारण यह था कि जितने उम्मीदवारों की जरूरत थी, उतनी संख्या में उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे ।

अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वे पद, जो अपेक्षित योग्यता वाले उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण खाली पड़े रहते हैं, स्टेट बक द्वारा दो वर्षों की अवधि के लिए आगे ले जाये जाते (कैरीड फारवर्ड) हैं ।

युनाइटिड कमर्शियल बैंक, जनपथ, नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये पदों का आरक्षण

7658. श्री सूरज भान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत युनाइटिड कमर्शियल बैंक, जनपथ, नई दिल्ली में 21 दिसम्बर, 1970 को क्लर्कों के पदों के लिये एक परीक्षा हुई थी और यदि हां, तो उन पदों में से कितने पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये अलग अलग आरक्षित रखे गये हैं ;

(ख) अनुसूचित जातियों के कितने उम्मीदवार परीक्षा के लिये बुलाये गये और उनमें से कितने उम्मीदवारों को अन्तिम रूप से चुना गया या चुने जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को क्या रियायत दी गई थी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) :(क), (ख) और (ग). नयी दिल्ली में युनाइटेड कमर्शियल बैंक की पार्लियामेंट स्ट्रीट पर (जनपथ पर नहीं) स्थित शाखा ने, कर्मचारियों के छुट्टी पर जाने के कारण खाली होने वाले अस्थायी पदों को भरने और इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को, स्थायी पदों पर, जब कभी व खाली हों, नियुक्त करने के लिये लिपिकों (क्लर्क) के पदों के लिए 24 व्यक्तियों की नामिका (पैनल) तैयार करने के लिये 21 दिसम्बर, 1969 को एक परीक्षा का आयोजन किया था। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये कोई पद आरक्षित नहीं रखे गये थे और उनके मामले में कोई छूट नहीं दी गयी थी। राष्ट्रीयकृत बैंकों की नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थान आरक्षित करने के प्रश्न पर, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की समन्वय समिति द्वारा शीघ्र ही विचार किया जाना है।

चूंकि उम्मीदवारों से आवेदनपत्रों में इस बात का उल्लेख करने को नहीं कहा गया था कि क्या वे अनुसूचित जातियों के हैं अथवा नहीं, इसलिये यह बताना सम्भव नहीं है कि परीक्षा के लिये अनुसूचित जातियों के कितने उम्मीदवारों को बुलाया गया था। लेकिन नामिका में शामिल किये जाने के लिये जिन 24 उम्मीदवारों का चनाव किया गया है, उनमें अनुसूचित जातियों का कोई व्यक्ति नहीं है।

सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति

7659. श्री सूरज भान : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली द्वारा 15 फरवरी, 1970 को लेखा सहायक/क्लर्क के पदों की पूर्ति के लिये परीक्षा लेने हेतु 500 से अधिक उम्मीदवारों को बुलाया गया ;

(ख) क्या उक्त परीक्षा में किसी अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी ;

(ग) क्या परीक्षा के लिये बुलाये गये उम्मीदवार के समान योग्यता प्राप्त अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की उपेक्षा की गई थी ; और

(घ) क्या अनुसूचित जाति के लोगों को उक्त रिक्त स्थानों के लिये कोई रियायत नहीं दी गई थी और उक्त पदों पर उनके लिये कोई आरक्षण नहीं किया गया था ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां। लेखा क्लर्कों आदि के पदों को भरने के लिए 15 फरवरी, 1970 को होने वाली लिखित परीक्षा के लिए 523 उम्मीदवारों को बुलाया गया था। 452 उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए।

(ख), (ग) और (घ). अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए कोई पद आरक्षित नहीं किये गये थे और न ही उनके लिए कोई अन्य छूट दी गयी थी। राष्ट्रीयकृत बैंकों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पद आरक्षित करने के प्रश्न पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों की समन्वय समिति द्वारा शीघ्र ही विचार किया जाना है। इन पदों के आवेदकों को अपने आवेदन-पत्रों में यह बताने को नहीं कहा गया था कि क्या वे अनुसूचित जाति के हैं और सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने सभी उम्मीदवारों के बारे में समान आधार पर विचार किया। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि अपेक्षित योग्यताओं वाले, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की उपेक्षा की गयी है।

दिल्ली के फिल्म वितरकों के विरुद्ध आयकर की बकाया राशि

7660. **श्री जुगल मन्डल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के किन किन फिल्म वितरकों के विरुद्ध इस समय आयकर बकाया है और बकाया आयकर को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) उक्त बकाया राशि को कब पूरा वसूल किया जायगा ; और

(ग) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों से फिल्म वितरक बकाया आयकर का अपवंचन कर रहे हैं और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क), (ख) तथा (ग). अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। उसे बहुत से कर-निर्धारण रिकार्डों की छानबीन करने पर ही इकट्ठा किया जा सकता है जिसमें बहुत अधिक समय और श्रम लगेगा। फिर भी, यदि माननीय सदस्य किसी विशेष फिल्म वितरक (वितरकों) के बारे में सूचना चाहते हों तो वह दी जा सकती है।

राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रचार तथा आपरेशनों पर व्यय

7661. **श्री दे० अमात** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969 में प्रत्येक राज्य में परिवार नियोजन प्रचार और आपरेशनों पर कितना धन व्यय किया गया ; और

(ख) क्या उन व्यक्तियों की नसबन्दी के लिये कोई विशेष व्यवस्था की गई है जो ऐसे रोगों से पीड़ित हैं जिनकी संभावना उनकी संतान में वंशानुगत रूप से जाने की है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है।

(ख) ऐसे व्यक्तियों के लिये, जो ऐसे रोगों से पीड़ित हैं, जिनका उनकी संतान को वंशानुगत लगने की संभावना है, और जो नसबन्दी आपरेशन करवाना चाहते हैं उनके लिए विभिन्न अस्पतालों तथा डिस्पेन्सरियों में वर्तमान सुविधाएं पर्याप्त हैं।

नसबन्दी कार्यक्रम पूर्णतया स्वैच्छिक है। नसबन्दी किसी व्यक्ति के अनुरोध पर की जाती है। ऐसे व्यक्तियों को, जो ऐसे रोगों से पीड़ित हैं जिनका उनकी संतान को लगने की संभावना है, किसी अलग श्रेणी में नहीं रखा जाता।

विवरण

(लाख रूपये)

राज्य का नाम	कुल व्यय	प्रचार अर्थात् जन-शिक्षा पर किया गया खर्च
1. आंध्र प्रदेश	215.74	7.10
2. असम	22.66	0.98
3. बिहार	113.89	16.89
4. गुजरात	168.09	4.91
5. हरियाणा	66.41	1.37
6. जम्मू व कश्मीर	23.28	3.15
7. केरल	184.27	4.32
8. मध्य प्रदेश	202.67	22.05
9. तमिल नाडु	119.87	3.50
10. महाराष्ट्र	273.88	17.89
11. मैसूर	134.49	4.10
12. उड़ीसा	143.48	3.95
13. पंजाब	105.98	2.08
14. राजस्थान	145.94	5.04
15. उत्तर प्रदेश	372.53	22.38
16. पश्चिम बंगाल	184.29	4.05
योग	2477.47	123.76

चौथी योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण

7662. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के प्रत्येक वर्ष में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये कितने क्वार्टर बनाने का विचार है ;

(ख) क्या उन क्वार्टरों को 800 रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी प्राप्त कर सकेंगे ;

(ग) यदि हां, तो क्वार्टरों के आवंटन के लिये प्रतीक्षा सूची में इस समय कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(घ) क्या चौथी योजना में क्वार्टर बनाने के लिये पी० एल० 480 निधियों का उपयोग करने का सरकार का विचार है, यदि हां, तो इन निधियों में से कुल कितनी राशि का उपयोग करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब०सू०मूर्ति): (क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में निर्माण के लिये प्रस्तावित क्वार्टरों का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

टाइप I	624
टाइप II	5209
टाइप III	3842
टाइप IV	2832
टाइप V	310
टाइप VI . .	299

प्रतिवर्ष निर्माण के लिये आरम्भ किये जाने वाले क्वार्टरों की संख्या उस उद्देश्य से उपलब्ध की गई वस्तुतः निधियों पर निर्भर करेगी ।

(ख) जी हां, 800 रुपये तक मासिक वेतन लेने वाले कर्मचारी टाइप, I, II, III और IV क्वार्टरों के पात्र होंगे ।

(ग) 800 रुपये तक प्रतिमास वेतन लेने वाले कर्मचारियों की संख्या जो फिलहाल क्वार्टरों के आवंटन की प्रतीक्षा सूची पर हैं, 1,09,247 है ।

(घ) पी० एल० 480 फंड्स कोई अतिरिक्त साधन नहीं है । अतएव, प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनुचित श्रमिक प्रथाओं के बारे में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मजदूरों के संघ से करार

7663. **श्री ए० श्रीधरन :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के प्रबन्ध ने अनुचित श्रमिक प्रथाओं के बारे में मजदूरों के संघ से 24 फरवरी, 1966 को एक करार किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या करार पर हस्ताक्षर किये जाने से पूर्व कर्मचारियों को सेवा से खर्दास्त करने या निकालने के मामले हुए हैं ;

(ग) उक्त मामलों की संख्या कितनी है ; और

(घ) उक्त कर्मचारियों को बर्खास्त या निकालने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) जी नहीं, लेकिन 24 फरवरी, 1966 को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के प्रतिनिधियों तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों की मजदूर सभा के बीच एक बैठक हुई थी ; जिसमें आपसी हितों के विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श हुआ और बैठक का कार्यवृत्त मजदूर सभा को भेजा गया था ।

(ख), (ग) और (घ). बर्खास्त या नौकरी से निकाले गये कर्मचारियों की संख्या के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायगी ।

Dispute re. Emerald Extracted from Government Land in Udaipur District, Rajasthan

7664. **Shri Rabi Ray:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the emerald that had been extracted from the Government Land in District Udaipur around 1950-51 remained lying in Government treasury for years together and later on it was removed from there.

(b) whether there was any dispute about the said emerald and whether the Chief Minister had intervened to resolve that dispute; and

(c) whether the Central Bureau of Investigations had conducted any investigation in this regard and whether the Central Government had received any report in respect of that investigation?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Dr. Triguna Sen): (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) No enquiry was conducted by the Central Bureau of Investigation.

मदुरे जिले में पलानी के निकट मोलिडेनाइट खनिज का पाया जाना

7665. **श्री रा० बरुआ:** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरे जिले में पलानी के निकट सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मेलिडेनाइट नाम का खनिज पाया गया है ;

(ख) क्या उपलब्ध मात्रा का ठीक-ठीक अनुमान लगा लिया गया है ; और

(ग) प्रतिरक्षा कार्यों में अपेक्षित लौह-मिश्र धातु में प्रयोग के लिए खनिज का क्या मूल्य चुकाया जाता है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुणा सेन): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा मदुरई जिले के कर्राडकुट्टम क्षेत्र में ड्रिल की सहायता से व्यवस्थित समन्वेषण कार्य किया जा रहा है । वर्तमान अन्वेषणों को पूरा कर लेने के पश्चात् वर्गानुसार उपलभ्य राशियों का निर्धारण किया जायगा । अत: इस खनिज के लिये संदत्त मूल्य का प्रश्न इस समय नहीं उठता ।

पेट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बडौदा द्वारा ब्रिटेन के सहयोग से नाप्था क्रैकर प्लान्ट की स्थापना

7666. **श्री मधु लिमये :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन पेट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बडौदा को ब्रिटन को एक फर्म के सहयोग से बड़ौदा में नाप्था क्रैकर प्लांट स्थापित करने की मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो उस फर्म का नाम क्या है और कौन-कौन से उत्पाद तैयार किये जायेंगे ; और

(ग) क्या यह सच है कि निर्णय लेने में विलम्ब हो जाने से देश को काफी विदेशी मुद्रा की हानि हुई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क), (ख) और (ग). सरकार ने मैसर्स इंडियन पैट्रो-कैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड को ब्रिटेन के मैसर्स लुम्मस एण्ड कम्पनी लि० के साथ गुजरात राज्य में एक नेफथा क्रैकर संयंत्र की स्थापना के लिये करार करने की अनुमति दे दी है। प्रस्तावित संयंत्र से निम्नलिखित उत्पाद अर्थात् ईथाइलीन, प्रोपाइलीन, बन्जीन तथा बूटाडीन उपलब्ध होने की आशा है। प्रसिथ विदेशी फर्मों से परियोजना के लिये प्राप्त सहयोग की पेशकशों के मूल्यांकन में लगे समय के सिवाये, निर्णय लेने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। इस किस्म की मुख्य परियोजनाओं का ऐसा मूल्यांकन बहुत आवश्यक है।

टाटा केमिकल्स लिमिटेड द्वारा मीठापुर में उर्वरक कारखाने की स्थापना की पुनरीक्षित योजना

7667. श्री मधु लिमये : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाटा केमिकल्स लिमिटेड ने मनीपुर में उर्वरक का उत्पादन करने के बारे में एक संशोधित योजना भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इसकी शर्तें क्या हैं और क्या उन्हें लाइसेंस दिये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) जी हां।

(ख) और (ग). प्रस्ताव पर जांच की जा रही है।

200 करोड़ रुपये की आवर्तक निधि के लिये धन जुटाना तथा इसका वितरण

7668. श्री मधु लिमये : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घनी भीड़ वाले क्षेत्रों में मकानों का निर्माण करने तथा क्षेत्रों का विकास करने के हेतु सरकार ने 200 करोड़ रुपये की आवर्तक निधि रखने का निश्चय किया है;

(ख) इस राशि को बढ़ाने के लिए योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन निधियों को किस प्रकार से वितरित किया जायेगा?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) सरकार ने एक आवर्तन निधि को संचालित करने के लिये एक आवास और नगर विकास वित्त निगम स्थापित किया है, जो 4 या 5 वर्षों में 200 करोड़ रुपये हो सकती है।

(ख) तथा (ग). पूर्वोक्त निगम 10 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी से पंजीकृत हो चुकी है। लगभग 2 करोड़ रुपये की आरंभिक प्रदत्त पूंजी से आरंभ होकर यह निगम बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों, अन्तर्राष्ट्रीय सहायता तथा वित्त के अन्य साधनों से, अतिरिक्त निधियां एकत्र करने का प्रयत्न करेगा। इस प्रकार से इकट्ठी की गई निधियों को उन विशिष्ट अनुमोदित परियोजनाओं में पूंजी लगाने के लिये पुनः उधार के लिये दिया जायेगा, जो आर्थिक दृष्टि से व्यवहार और मूल पूंजी के शीघ्र संपोषण में समर्थ हों।

चौथी योजना में स्नेहक तेल भी मिश्रित करने की क्षमता को बढ़ाना

7669. **श्री द० अमात** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में स्नेहक तेल को मिश्रित करने की क्षमता और अधिक बढ़ायी जाये;

(ख) यदि हां, तो यह सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में कितनी बढ़ायी जायेगी; और

(ग) प्रस्ताविक एककों को कहां-कहां स्थापित किया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क), (ख) और (ग). स्नेहक तेलों के लिए वर्तमान समिश्रण सन्यन्त्र अधिकांश रुप में एक शिफ्ट पर कार्य करते हैं तथा कुछ में कभी कभी दो शिफ्टों के आधार पर कार्य होता है। अत: इन में पारियों की संख्या बढ़ाकर अतिरिक्त क्षमता पर्याप्त मात्रा में पहले से ही उपलब्ध है। चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में स्नेहक तेलों के लिए अतिरिक्त समिश्रण सन्यन्त्रों की स्थापना की आवश्यकता के बारे में; मांग में क्षेत्रीय वृद्धि, अतिरिक्त शोधन क्षमता की स्थापना तथा दूसरे अन्य सम्बद्ध तथ्यों के संदर्भ में, उचित समय पर विचार किया जायेगा।

केरल में लघु बचत योजना

7670. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में लघु बचत योजना को सुव्यवस्थित करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये है;

(ख) उस राज्य में कितनी अतिरिक्त बचत का विचार किया गया है; और

(ग) इस प्रकार के बचत योजना में न्यासधारियों के बोर्ड के सदस्यों का चयन किस प्रकार किया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) केरल में अल्प बचत योजना को सुदृढ़ बनाने के लिए ये उपाय किये गये हैं :—

(I) लगभग 400 केन्द्रों में सभाओं का आयोजन करके, वेतन-बचत योजना को, निश्चित आमदनी वाले वर्गों, खास तौर पर अध्यापकों के बीच और जो खास ढंग से चलाया जा रहा है। कुछ पंचायतों और सेवा-संगठनों, जैसे रोटरी क्लबों, लायन्स क्लबों, तथा जूनियर चेम्बरों ने बयानों के श्रमिको तथा दूसरे श्रमिकों के बीच वेतन बचत योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए सोने के पदक, शील्ड और नकद इनाम देकर प्रोत्साहन देने की योजनाएं भी शरु की हैं। इसके परिणामस्वरूप, केरल में दिसम्बर 1969 के अन्त तक 4600 वेतन-बचत दल काम कर रहे थे जब कि मार्च 1969 के अन्त में केवल 2350 दल कार्य कर रहे थे।

(II) राज्य बचत सलाहकार बोर्ड के सुझाव के अनुसार अधिकतर जिलों में, उस समय ग्रामीण बचत आंदोलन शरू किया गया जब अनाज की विक्री शरू हुई। अभी हाल ही, में भारत सरकार ने नयी अल्प बचत योजनाएं आरंभ की हैं जिनके अन्तर्गत आकर्षक दरों पर ब्याज देने की पेशकश की गई है। आशा है कि इस से केरल समेत समूचे देश में अल्प बचत आन्दोलन को बढ़ावा मिलेगा।

(ख) अनुमान है कि 1969-70 में केरल में अल्प बचत योजना से 2 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम प्राप्त होगी। चालू वर्ष का लक्ष्य राज्य सरकार अभी निर्धारित करेगी।

(ग) बचत योजना के लिए न्यासियों का कोई बोर्ड नहीं है। संभवतः राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड की ओर संकेत है। बोर्ड में नियुक्त किये जाने वाले सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों का चुनाव राज्य सरकार करती है।

Outstanding Amount of Income Tax against Kilachand Group of Firms, Bombay

7671. Shri Deven Sen: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an amount of Rs. 8·07 lakhs on account of Income-tax is at present outstanding against Kilachand Tulsidas Group of firms, Bombay;

(b) whether it is also a fact that arrears of Income-tax due from the said Group of firms have been continuously mounting for the last two or three years; and

(c) if so, the reasons therefor and whether Government propose to take some concrete steps for the speedy recovery of Income-tax from the said Group of firms?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) A sum of Rs. 10·38 lakhs on account of income-tax is outstanding at present against four of the companies of Kilachand Tulsidas Group, Bombay.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Allotment of Shops to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Delhi

7672. Shri Deven Sen: Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that only those shops are allotted, as a result of tender invited for reserved quota for Scheduled Castes and Scheduled Tribes out of the shops constructed in Delhi in 1967, which are commercially un-economic and have high rents;

(b) if so, whether Government propose to reserve some shops for allotment to the persons of these categories in some good markets;

(c) if so, by when; and

(d) if not, the reasons therefor?

Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing & Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) & (b). No, Sir.

As per decision taken in August 1968, 12·8% of vacancies occurring in the Markets has to be reserved for members of Scheduled Caste community. Thus, every 8th vacancy occurring in the markets since then is being allotted to the members of that Community and they have secured shops in almost all the markets constructed before or after 1967.

(c) and (d). Do not arise.

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि के लिए वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में पटना में हुई विचार गोष्ठी

7674. **श्री पी० राममूर्ति :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री के० एम० अब्राहम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 दिसम्बर, 1969 को पटना में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि के लिये वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में एक विचार गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो विचार गोष्ठी में की गई सिफारिशें और सुझाव क्या ह; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) पटना में 19 से 21 दिसम्बर, 1969 तक "वाणिज्यिक बैंकों" द्वारा कृषि के लिए वित्त-व्यवस्था के संबंध में एक विचार-गोष्ठी" हुई थी। इस विचार गोष्ठी का आयोजन बिहार सरकार ने किया था।

(ख) इस विचार-गोष्ठी द्वारा की गयी महत्वपूर्ण सिफारिशें इन विषयों के बारे में थी :—

(1) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के संबंध में कार्य-विधि को सरल बनाने के लिए सुझाव।

(2) सम्पत्ति के हस्तान्तरण और काश्तकारी आदि का विनियमन करने वाले कानूनों में किये जाने वाले संशोधनों पर विचार।

(3) कृषि-ऋण का काम करने वाले विभिन्न अभिकरणों जैसे सहकारी समितियों, विपणन संघों (मार्केटिंग यूनियन) आदि के नाम में समन्वय स्थापित करने के सुझावों पर विचार।

(4) बिहार के विभिन्न भागों में भूमि को समतल बनाने, दरमियाने दर्जे की सिंचाई की व्यवस्था करने, भू-संरक्षण, विपणन, ठंडे गोदामों, भूमिगत जल साधानों का उपयोग करने, दुग्धशाला, मछली-पालन आदि की कई विशिष्ठ योजनाएं, जिनकी वित्त-व्यवस्था वाणिज्यिक बैंकों द्वारा की जा सकती है।

(5) कृषि-वित्त के संबंध में कृषि वित्त निगम की तकनीकी सलाहकार की भूमिका।

(ग)(1) कृषि वित्त निगम ने (जो एक ऐसी कम्पनी है जिसके सदस्य सभी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं), राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट आफ बैंक मैनेजमेंट) के सहयोग से, आवेदन देने का एक सरल प्रपत्र (फार्म) तैयार किया है। इसका हिन्दी अनुवाद कर लिया गया है और अब इसे बिहार में इस्तेमाल किया जा रहा है।

(2) बिहार सरकार बिहार काश्तकारी अधिनियम और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में पहले से ही संशोधन कर चुकी है। जहां तक राज्य सरकार से संबंधित अन्य सिफारिशों का संबंध है, उनमें से कई सिफारिशों को उस सरकार ने सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है जबकि कुछ अन्य सिफारिशों की फिलहाल जांच की जा रही है।

(3) वाणिज्यिक और सहकारी ऋण व्यवस्था के क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करने के लिए, बिहार में राज्य-स्तर की एक समन्वय समिति नियुक्त की गयी है।

(4) कृषि वित्त निगम ने अपने सदस्य-बैंकों की ओर से, कुछ प्रायोजनाओं का अध्ययन किया है और कुछ प्रायोजनाओं को मंजूरी दे दी है जैसे आलू की खेती और छोटे पैमाने पर सिंचाई की व्यवस्था के साथ संयुक्त योजना। कई प्रायोजनाओं का अध्ययन किया जा रहा है जैसे डेंडक क्षेत्र योजना, किसानों के लिए पम्प सेटों की किराया-खरीद और सीधी बिक्री।

कृषि वित्त निगम ने बैंकों के अभिकर्ताओं (एजेंट) और क्षेत्र-अधिकारियों (फील्ड आफीसर्ज) को प्रशिक्षण देने के लिये एक शिविर (वर्कशाप) का आयोजन किया है। इसने योजनाएं तैयार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त भी निर्धारित किये हैं।

दवाइयों की चोरी रोकने सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

7675. श्री के० रमानी :
श्री भगवान दास :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री नम्बियार :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी अस्पतालों से दवाइयों की चोरी की रोक सम्बन्धी उप-समिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि औषध निर्माता संघ ने समिति द्वारा की गई सिफारिशों का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो विरोध का ब्यौरा क्या है; और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) समिति द्वारा की गई 36 सिफारिशों का ब्यौरा सभापटल पर रखे गये परिशिष्ट में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी 3326/70]**

(ग) जी नहीं। औषध उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ हुए अनौपचारिक विचार विमर्श के दौरान वे सरकार को इस बात पर सहयोग देने के लिये सहमत हो गये थे कि सरकारी अस्पतालों में अपेक्षित दवाओं को ऐसे पैकिंग में देंगे जो व्यापारिक पैकिंग से विशिष्ट रूप से पृथक होंगे।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

वेनाड क्षेत्र तथा नीलगिरी तमिलनाडु में स्वर्ण शिलाओं के लिए सर्वेक्षण

7676. श्री क० रमामी :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री उमानाथ :
श्री ई० के० नायनार :
श्री प० गोपालन :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण तमिलनाडु के वैनाड क्षेत्र और नीलगिरी में स्वर्ण शिलाओं का पता लगाने के लिए खुदाई-कार्य कर रहा है;

(ख) क्या इस खोज कार्य का परिणाम संतोषजनक रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुणा सेन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : उद्युत नहीं होते है ।

भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद से कर्मचारियों की सेवाओं की समाप्ति

7677. **श्री रा० वें० नायक :**
श्री धी ०ना० बेव :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण,आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के मुख्य कार्यालय और उस के प्रयोगशालाओं से कितने कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया ;

(ख) कर्मचारियों को इस प्रकार नौकरी से निकाले जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अध्यक्ष की हैसियत से उन्हों ने सेवाओं को समाप्त किए जाने के कारणों पर विचार किया है; और

(घ) यदि इस सम्बन्ध में कोई उपचारी कार्यवाही की गई है तो उस का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब०सू मूर्ति :

(क) 24.

(ख) प्राय: बिना आज्ञा कार्य से अनुपस्थित रहना, दुर्व्यवहार, कर्तव्य में लापरवाही, परिवीक्षा-काल में असन्तोषजनक कार्य, दुराचरण, वैज्ञानिक आकड़ों में जाल-साजी, पैसो का गबन, निर्धारित योग्यताओं का न होना आदि, उनके सेवाओं को समाप्त करने के कारण थे ।

(ग) और (घ) : तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियुक्ति करने और उन्हे दण्ड देने का अधिकार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महा निदेशक तथा प्रयोगशालाओं के अध्यक्षों को है और उनके निर्णयों के विरुद्ध किसी अपील पर परिषद् की कार्यकारी समिति जिसके अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री है, विचार करेगा ।

सहकारी समितियों के संघों अथवा अन्य संयुक्त निकायों का पंजीकरण

7678. **श्री अ० सि० सहगल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत सहकारी समितियों के संघों अथवा अन्य निकायों का पंजीकरण नहीं हो सकता ; और

(ख) यदि नहीं, तो हाल ही में फैडरेशन आफ ग्रुप चार कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटीज '(शाहदरा जोन) दिल्ली' के नाम से बने संघ को 'कोआपरेटिव' शब्द को हटाने के लिए बाध्य किये जाने के क्या कारण हैं जब वह संघ उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहता था ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं ; उन्हें पंजीकृत किया जा सकता है ।

(ख) फैडरेशन आफ ग्रुप iv कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी (शाहदरा जोन) दिल्ली के नाम से एक सोसाइटी ने पंजीकरण के लिये आवदन दिया । तथापि, सोसाइटी ने स्वयं ही उक्त सोसाइटी के नाम से 'कोआपरेटिव' शब्द को हटा दिया ।

छोटे सिक्कों को ढालकर उन्हें बरतन निर्माताओं को बेचना

7680. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि विभिन्न बैंकों, विशेषकर स्टट बैंक आफ इंडिया के कर्मचारी दो पैसे तथा पांच पैसे के छोटे सिक्कों को ढालकर उन्हें 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बरतन निर्माताओं को बेचते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस कदाचार को रोकने और दोषी बैंक कर्मचारियों को दण्ड देने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सरकार को बैंकों के कर्मचारियों द्वारा दो पैसे और पांच पैसे के सिक्के ढाल कर बरतन निर्माताओं के हाथ बचने की कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

दिल्ली में मकानों के निर्माण के लिये भूमि के मूल्य

7681. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि ।

(क) दिल्ली में पांच वर्ष पहिले मकानों के निर्माण के लिये भूमि के मूल्य क्या थे और इस समय ये मूल्य क्या हैं ;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किस मूल्य पर भूमि अर्जित की गई थी तथा मकानों के निर्माण के लिए विकसित भूमि पर लगाए गए विकास शुल्क का विस्तृत ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रशासन पर कुल कितना धन व्यय हुआ और पांच वर्ष पूर्व दिल्ली विकास प्राधिकरण में कर्मचारियों और अधिकारीयों की अलग-अलग कुल कितनी संख्या थी और अब कितनी है;

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में भूमि की नीलामी से लोगों के शोषण को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ङ) प्रशासनिक खर्च में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राजस्थान के जैसलमेर जिले में पुलिस द्वारा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों को परेशान किया जाना

7682. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च 1970 में राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कुछ वैज्ञानिकों को जब वे क्षेत्रीय कार्य से अपने मुख्यालय में वापिस जा रहे थे पुलिस वालों ने रोका तथा परेशान किया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार स्थानीय पुलिस द्वारा वैज्ञानिकों को परेशान करने को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

10—7 L.S./70

कलकत्ता में सड़कों के रख-रखाव के लिए कलकत्ता निगम को देय राशि का भुगतान तथा अनुदानों का दिया जाना

7683. **डा० रानेन सेन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के महापौर ने हाल में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया था जिसमें केन्द्रीय सरकार से देय शेष राशि तथा शहर की सड़कों के रखरखाव के लिए अनुदानों के शीघ्र भुगतान के लिए मांग की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कुल कितनी राशि देय है तथा शहर की सड़कों के रखरखाव के लिए कलकत्ता निगम को कितना वार्षिक अनुदान दिया गया था ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन मांगों के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रा० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) : पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 2 अप्रैल, 1970 को कलकत्ता के महापौर ने राज्य के राज्यपाल को जो ज्ञापन दिया था, उसका सम्बन्ध नगर की मुख्य सड़क व्यवस्था के अनुरक्षण सहित विभिन्न प्रयोजनों के उद्देश्य से कलकत्ता निगम के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था करने के अनुरोध से है। निगम के नाम केन्द्रीय सरकार की जो रकम बकाया है, ज्ञापन में उसका उल्लेख नहीं किया गया था।

कलकत्ता के विकास-कार्यक्रमों की आवश्यकताएं सामान्यत: राज्य के वार्षिक आयोजना परिव्यय में शामिल होती है जिस के लिए केन्द्र समूचे आधार पर इकट्ठे ऋणों और अग्रिमों की व्यवस्था करता है।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा कोरबा की केप्टिव जाट राज परत का खनन कार्य

7684. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री अ० सि० सहगल :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा कोरबा की केप्टिव जाट राज परत का खनन कार्य केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों के इस आश्वासन पर करवाना स्वीकार कर लिया था कि मध्य श्रेणी के कोयले का मूल्य लगभग 10 रुपये प्रति टन और कच्चे कोयले का मूल्य इससे भी कम होगा।

(ख) यदि हां, तो इस समय कितना मूल्य लिया जाता है और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस उंचे मूल्य के कारण कोरबा में बिजली पैदा करने की लागत बहुत अधिक हो जाती है और यदि हां, तो क्या सरकार का मूल्य को कम करने का विचार है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर 'नहीं' में है तो क्या वे खानों को मध्य प्रदेश सरकार को सौंप देंगे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डॉ० त्रिगुणा सेन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा सप्लाई किये जा रहे जटराज कोयले के लिये 16 नवम्बर, 1959 से केवल 16.73 रुपय प्रति मैट्रिक टन का मूल्य दे रहा है। यह मूल्य निगम द्वारा बिल में लिखे मूल्य से बहुत कम है। मूल्य के संबंध में विवाद इस समय माध्यस्थम के अधीन है।

पेट्रोलियम उत्पादों सम्बन्धी शान्तीलाल शाह समिति की सिफारिशें

7685. **श्री मणिभाइ जे० पटेल :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शान्तिलाल शाह समिति द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने की नीति के बारे में की गई सिफारिशों पर निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है तथा शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की आशा है।

क्लोरोटेट्रासाइक्लीन का पशुओं के आहार के रूप में उपयोग

7686. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री 6अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5315 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्लोरोटेट्रासाईक्लीन की पशुओं के आहार तथा औषधि के रूप में उपयोगता के बारे में शंका होने का आधार है और इसका परीक्षण करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि ब्रिटन की विख्यात चिकित्सा पत्रिका में यह स्पष्ट रुप से बताया गया है कि क्लोरोटेट्रासाईक्लीन मनुष्यों के लिये भी उपयोगी है;

(ग) यदि हां, तो इसका आयात करने तथा इसे मानव उपयोग के लिये विशेषतया सरकारी अस्पतालों तथा केन्द्रों में लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या सरकार को शंका व्यक्त करने के लिये विदेशी कंपनियों द्वारा अपनाये जा रहे अनुचित तरीकों का पता है; और

(ड) यदि हां, तो इस स्थिति के निवारण के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) (क) पशुओं के भोज्य के लिए क्लोरोटेट्रासाइक्लीन के उपयोग के बारे में, यू० के० में स्वान कमेटी की रिपोर्ट के कारण, जिसे उक्त देश की सरकार ने स्वीकार किया है, शंकायें उत्पन्न हुई हैं। यू० के० सरकार द्वारा नियक्त की गई, इस समिति की राय थी कि पशुओं के आहार अनुपूरकों में, क्लोरो टेट्रासाइक्लीन सहित प्रतिजीवाणुओं की विद्यमानता पशु में सूक्ष्म जीव, जो पशु में संक्रमण क कारण हो, को ऐसे प्रतिजीवाणुओं का प्रतिरोध बनाता है। यदि यह संक्रमण मानव में फैल जा तो सूक्ष्म जीव पर जिसमें मुकाबला करने की शक्ति हो गई हो ऐसे प्रतिजीवाणुओं का असर न होगा।

विश्व स्वास्थ्य संस्थान ने भी आहार-अनुपूरक में प्रतिजीवाणु के उपयोग के विरुद्ध ऐसी सिफारिशें की हैं। अधिकांश पश्चिमी देशों और रुस में क्लोरोटेट्रासाइक्लीन का दवाई के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता है। ओक्सीटेट्रासाइक्लीन और टेट्रासाइक्लीन के आने से समस्त विश्व में क्लोरोटेट्रासाईक्लीन का उपयोग उत्तरोत्तर कम होता गया है।

(ख) जी हां अनुमानत: हवाला, 8 जून, 1968 के ब्रिटिश मेडिकल जनरल में "टू-डेज ड्रग्ज" के नाम से प्रकाशित लेख से है। इस लेख में क्लरोटेट्रासाइक्लीन सहित टेट्रासाइक्लीन ग्रुप की दवाइयों की औषध-प्रभाग-विज्ञान, प्रतिजीवाणु सक्रियता, जीवाणु-विरोध, विषाक्तता आदि के बारे में जिकर है। परन्तु इस लेख में यह तथ्य प्रकाशित है कि क्लोरो टेट्रासाइक्लीन कम से कम स्थित है तथा यह ज्यादा प्रोटीन से जुटा है अत: संक्रमण पर काबू पाने के लिए सिस्टम में इस की उपलब्धता इस ग्रुप के दूसरे प्रतिजीवाणु की तुलना में तदनुरुपी कम होगी। लेख में यह तथ्य भी प्रकाशित है कि कुछ परिस्थितियां एसी हैं जिन में एक टेट्रासाइक्लीन को दूसरे की अपेक्षा तरजीह की जाए और चयन स्वभाव पर निर्भर है।

(ग) क्लोरोटेट्रासाइक्लीन का आयात बहुत कम है जिस से यह पता चलता है कि इसका देश में प्रयोग कम है।

(घ) सरकार को ऐसी जानकारी नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अलीपुर टकसाल कर्मचारी संघ, अलीपुर कलकत्ता द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

7687. श्री एम० एम० कृष्ण : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीपुर टकसाल कर्मचारी संघ, अलीपुर कलकत्ता ने अपनी शिकायतों के बारे में एक ज्ञापन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस पर विचार किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 3327/70]

उत्पादन शुल्क के स्थान पर बिक्री कर

7688. श्री लोबो प्रभु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पादन शुल्क के बजाय उत्पादन शुल्क की वर्तमान दर पर तथा केवल एक ही स्थान पर बिक्री कर लगाने से विभिन्न राज्यों को कितना अंश मिलेगा;

(ख) यदि केवल एक स्थान वाले इस कर में अन्तर्राज्यीय कर भी जोड़ दिया जाय तो इससे बिक्री कर में कितनी अतिरिक्त वृद्धि होगी;

(ग) क्या उन पिछड़े राज्यों को जिन्हें जन संख्या के समान आधार पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क मिलता है इस हिसाब के बारे में समझा दिया गया है; और

(घ) क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि कपड़ा, चीनी और सिगरेट पर जिनका अधिकांशत: निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों द्वारा उपभोग किया जाता है उत्पादन शुल्क के स्थान पर बिक्री कर लगा कर अधिक कर वसूल किया जाना चाहिए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क लगने का समय वह होता है जब उत्पाद को कारखाने से निकासी की जाती है, परंतु बिक्री-कर "बिक्री" के समय लगता है। ये दोनों बातें आवश्यक रूप से संमस्थानीय अथवा अतंतोगत्वा एक समान हो जाने वाली नहीं हैं। इसलिए यह बता सकना कठिन होगा कि बिक्री कर के ऐवज़ में अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने की वर्तमान योजना में परिवर्तन करके टेक्सटाइल, तम्बाकू और चीनी (शर्करा) पर पुन: बिक्री-कर लगाने से प्रत्येक राज्य के राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

(ख) अन्तर्राज्यीय कर लगने के संबंध में स्थिति यह है कि उक्त कर विभिन्न लेन-देनों में "बिक्री" के समय लगाना होगा और इसलिये उसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस संबंध में पांचवे वित्त आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रीय विकास परिषद् की एक समिति द्वारा विचार किया जायगा तथा बाद में राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके विचार किया जायगा तब सभी संबधित प्रश्नों को ध्यान में रखा जायगा।

बम्बई में फर्मों द्वारा नायलोन के धागे का आयात

7689. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **वित्त** मंत्री 23 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1589 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेसर्स नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी, मनीलाल पटेल कंपनी, तुलसीदास खिमजी और खिमजी पूनजा के गोदामों में पाये गये नायलोन के धागे के बारे में क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई मुकदमा चलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसमें कहां तक प्रगति हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) मेसर्स मणिलाल पटेल, तुलसीदास खीमजी, खीमजी पूंजा के मालगोदामों में पाया गया नाइलान धागा तथा मेसर्स नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालगोदाम में पाए गये माल का एक भाग, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन जब्त कर लिया गया था, और जब्त माल को जुर्मानों की अदायगी पर छुड़ाने की छुट दी गयी थी। मसर्स नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालगोदान में पाये गये माल के भाग को पूर्णत: जब्त कर लिया गया और मेसर्स रेबाचन्द एंड सन्स के श्री रेवाचन्द मंगलानी पर 8,000 रुपये का व्यक्तिगत दण्ड लगाया गया। पार्टियों द्वारा दायर की गई अपीलें केंद्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा स्वीकार कर ली गयी हैं, और माल छुड़ाने की ऐवज लगाये गये जर्मानें को वापिस कर देने के आदेश दिये गये हैं क्योंकि विधि मंत्रालय ने सलाह दी है कि सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन किसी आयात लाइसेंस की शर्त का, आयात-अनन्तर उल्लंघन के ऐसे मामलों में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। मुख्य आयात नियंत्रक, विदेश व्यापार मंत्रालय को आयात/निर्यात अधिनियम के अधीन यथावश्यक कार्यवाही करने को कहा गया है।

(ख) तथा (ग). अभी तक इस्तगासे की कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

नायलोन के धागे को चोरी छिपे लाना

7690. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या वित्त मंत्री 23 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1588 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिनके पास चोरी छिपे लाया गया नायलोन का धागा पाया गया था;

(ख) क्या सरकार को उन 10 पार्टियों में किसी के बारे में कोई जानकारी है जिनके द्वारा नायलोन के धागे को चोरी छिपे लाया गया था ;

(ग) यदि हां, तो उन पार्टियों के नाम क्या हैं; और

(घ) देश में बड़े पैमाने पर नायलोन के धागे को चोरी छिपे लाने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

(ख) जिन 10 पार्टियों से धागा पकड़ा गया, उनमें से 3 के बारे में सीमाशुल्क प्राधिकारियों को पहले से सूचना थी ।

(ग) उनके नाम हैं, श्री वाई०ए० पटेल, मेसर्स रेवाजन्द एंड सन्स और श्री अब्दुल लतीफ ।

(घ) निषिद्ध वस्तुओं के तस्कर व्यापार को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं; निषिद्ध वस्तुओं में धागा (yarn) भी शामिल है;

सूचना एकत्र करने और उस पर अनवर्ती कार्यवाही करने की सुव्यवस्था, जिन व्यक्तियों के बारे में तस्कर-आयात निर्यात करने का संदेह है उनपर निगरानी रखना, जिन जहाजों अथवा वायुयानों पर संदेह हो उनकी तलाशी लेना और समुद्र तट तथा स्थल सीमाओं के सुगमता से पार करने योग्य क्षेत्रों की गश्त की व्यवस्था । कुछ वस्तुओं के अवैध आयात-निर्यात को रोकने तथा उनका पता लगाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के निमित्त विशेष उपाय के रूप में, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 में संशोधन करके अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गयी हैं । सीमाशुल्क के समाहर्ता तथा अपर समाहर्ता जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को अनन्यरूप से तस्कर आयात-निर्यात विरोधी कार्य की निगरानी करने के लिए तैनात किया गया है । इन उपायों की निरन्तर समीक्षा की जाती है ।

Namrup Unit of Fertilizer Corporation of India

7691. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Yogendra Sharma :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the production in the factory of the Fertilizer Corporation of India located at Namrup is not according to the targets fixed ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps being taken to improve the working of the said factory?

Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan): (a) and (b). Namrup Fertilizer Factory commenced commercial production only in January, 1969 and the target of production of ammonium sulphate and urea for 1969-70 was fixed at 70% 60% of the rated capacities, respectively. However, the production attained amounted to 66% in the case of ammonium sulphate and 47% in the case of Urea. Being the initial year of production, it took time to stabilise the plant operations and there were many teething troubles which affected production. Civil disturbances also affected production to some extent in the factory area.

(c) The difficulties which came in the way of maximising the production have been identified and action has been/is being taken to rectify them.

मैसूर सरकार द्वारा बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी रियायत देने से इंकार

7692. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने ऐसे आदेश जारी किये हैं जिनके अनुसार किसी परिवार के चौथे तथा उसके बाद के बच्चों को कोई शिक्षा सम्बन्धी रियायत नहीं दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो सरकार उक्त बच्चों के साथ किये जाने वाले भेदभाव को जो संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरित है, कैसे न्याय संगत ठहराती है;

(ग) चूंकि रोमन कैथोलिक धर्मावलम्बियों कों उनके धर्मावलम्बन से रोका गया है क्योंकि उनके लिय गर्भ निरोध के कृत्रिम साधनों का निषेध है जिसके बिना वे अपने परिवार का नियोजन नहीं कर सकते अत: क्या यह अनुच्छेद 25 के विरोध में नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार मैसूर सरकार से रोमन कैथोलिक्स तथा अन्य ऐसे व्यक्तियों को जो धर्म के बन्धन में हैं को इस आदेश से मुक्त रखने को कहेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) (क) : जी हां। ये आदेश 1-6-70 से लागू होंगे।

(ख), (ग) और (घ). इस मामले की जांच की जा रही है।

दिल्ली विकास प्राधिकार में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों का आरक्षण

7593. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार ने अनसूचित जातियों के लिए 12.5 प्रतिशत तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये 5 प्रतिशत अपने रिक्त स्थान आरक्षित करने के बारे में गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा दस वर्ष पूर्व दिये गये निदेश को क्रियान्वित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का कब और कैसे पता लगा ;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा भाग (क) में उल्लिखित गृह-कार्य मंत्रालय के निदेश के अनुसार कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं और इस के लिये वास्तव में कौन जिम्मेदार है?

(घ) दस वर्ष की उपर्युक्त अवधि में कितने रिक्त स्थान भरे गये हैं और उन में से कितने रिक्त स्थानों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति रखे जाने चाहियें थे; और

(ङ) भाग (घ) में उल्लिखित व्यक्तियों को हुई हानि को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० मू० मूर्ति) : (क), (ख) और (ग). दिल्ली विकास प्राधिकरण एक सांविधिक संगठन है और नियुक्त तथा पदोन्नति के लिए उसके अपने नियम हैं। प्राधिकरण द्वारा नियुक्त और पदोन्नति के लिए निर्धारित सिद्धान्तों में अनूसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए किसी आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। सरकार द्वारा समय समय पर दिये गये आदेशों तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसूचित जाति के कर्मचारियों से प्राप्य अभ्यावेदनों कों देखते हुए प्राधकिरणने 1 मई, 1969 से ऐसे आरक्षणों के मामले में सरकार का अनुसरण करने का निर्णय किया है। यद्यपि पहले कोई आरक्षण नहीं था, प्राधिकारण ने अनुसूचित जातियों के कई व्यक्ति नियुक्त किय थे।

(झ) और (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

ऋणों को ईक्विटी शेयरों में बदलना

7694. श्री लोबो प्रभु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक से लिये गये ऋण को उधार लेने वाली कम्पनियों के ईक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने का दत्त समिति का प्रस्ताव केवल भविष्य में दी जाने वाली पेशगी रकम के सम्बन्ध में है;

(ख) यदि हां, तो क्या उधार ली जाने वाली राशि में कमी तथा इसका औद्योगिक विनियोजन तथा उत्पादन पर होने वाले प्रभाव पर विचार किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उस समय दिय गये पेशगी धन को परिवर्तित करना संवैधानिक है, ऐसी कोई शर्त नहीं थी;

(घ) इस समय केन्द्रीय सरकार ने किन कम्पनियों के इक्विटी शेयर खरीद रखे हैं और उन पर औसतन कितना लाभ होता है; और

(ङ) ईक्विटी शेयर के खरीदने से प्रबन्ध में शामिल होना होगा और क्या सरकार के पास प्रशिक्षित कर्मचारी है जब कि इसके अपने उपक्रमों मे इनकी कमी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). औद्योगिक लाइसेंस नीति विषयक जांच समिति (दत्त समिति) ने सिफारिश की थी कि जब गैर-सरकारी क्षेत्र की किसी औद्योगिक कम्पनी को सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा लम्बी अवधि के लिए काफी बड़ी मात्रा में सहायता दी जाय, जिसमें सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी गयी मियादी सहायता भी शामिल है, तो राज्य को उस प्रायोजना के पूरा हो जाने पर न केवल उससे होने

वाले लाभों में ही समुचित हिस्सा मिलना चाहिए बल्कि उस प्रायोजना को, आवश्यक रूप से "संयुक्त क्षेत्र" की प्रायोजना समझा जाना चाहिए और उसके प्रबन्ध में राज्य को उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। समिति ने सुझाव दिया है कि यह प्रयोजन इस प्रकार से सिद्ध हो सकता है कि वित्तीय संस्थाएं इस बात पर जोर दें कि उनके द्वारा ऋणों या ऋणपत्रों के रूप में दी गयी सहायता का सारा अथवा कुछ भाग उनकी इच्छा के अनुसार, सहायताप्राप्त कम्पनी की सामान्य पंजी में रूपान्तरणीय होना चाहिए, और, यदि आवश्यकता हो तो इस बात की व्यवस्था करने के लिए कानून में संशोधन किया जाना चाहिए।

सरकार ने इस सिफारिश को कुछ परिवर्तनों सहित स्वीकार करने की घोषणा की है अर्थात् (i) सरकारी क्षेत्र की लम्बी अवधि के लिए वित्तीय सहायता देने वाली संस्थाएं, अपने वित्तीय सहायता सम्बन्धी ठहरावों के भाग के रूप में, भविष्य में दिये जाने वाले ऋणों अथवा सहायता प्राप्त कम्पनियों द्वारा जारी किये जाने वाले ऋणपत्रों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से, एक निर्धारित अवधि के अन्दर अन्दर, सामान्य पुन्जी में बदलने के विकल्पाधिकार का प्रयोग करेगी; और (ii) जहां तक पहले दिये गये ऋणों अथवा जारी किये गये ऋणपत्रों का सम्बन्ध है, सम्बद्ध संस्थाओं को, रकमों की समय पर अदायगी न किये जाने के मामलों में, ऋणों अथवा ऋणपत्रों की रकम का रूपान्तरण करने के लिए अपने विवेकानुसार बातचीत करने की छूट होगी ।

फिलहाल सरकार का इस फैसले को सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यि बैंकों द्वारा दिये गये मियादी ऋणों अथवा खरीदे गये ऋणपत्रों के बारे में लागू करने का इरादा नहीं है।

जिन शर्तों पर मीयादी ऋणों/ऋणपत्रों को सामान्य शेयर-पंजी में बदला जाना है, उनका समावेश वित्तीय संस्थाओं और सम्बद्ध कम्पनी के बीच होने वाले सहायता करार में किया जाये और यह करार इन संस्थाओं की स्थापना से सम्बद्ध कानूनों के संगत समर्थकारी उपबन्धों के साथ पठित समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 81(3) के उपबन्धों के विषय-क्षेत्र के अन्तर्गत ही होगा। ऋणों-ऋणपत्रों को सामान्य शेयरपुन्जी में बदलने के विकल्पधिकार का प्रयोग, इन संस्थाओं द्वारा पूरी सोचसमझ के साथ ही किया जायेगा। यह इस तरीके से और ऐसे समय पर किया जायेगा जिससे रूपान्तरण के समय सामान्य शयरों के बाजार-मूल्य में अनुसुचित रूप से कोई ऐसा बहुत अधिक घट-बढ़ न हो जिसका कम्पनी के सामान्य शेयर धारियों और इन संस्थाओ के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो, और इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि कम्पनी की सामान्य पूंजी और ऋण के अनुपात में कोई गम्भीर असन्तुलन पैदा न हो। इसलिए सरकार का मत है कि उत्पादक उद्यमों में लगे उद्यमकर्ता और व्यापारी इसमें निरुत्साहित नहीं होंगे और सामान्य औद्योगिक विकास और निवेश की गति भी धीमी नहीं पड़ेगी ।

(ग) चूंकि दत्त समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार का निश्चय केवल भविष्य में दिये जानें वाले ऋणों पर लागू होगा और रूपातरन्ण के विकल्पाधिकार का प्रयोग, कम्पनी को ऋण दिये जाने से किये गये करार में शामिल शर्तों के आधार पर ही किया जायगा, इसलिए यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता कि क्या उस समय दिये गये अग्रिमों को, जब ऐसी कोई शर्त विद्यमान नहीं थी, रूपान्तरित करना संवैधानिक होगा।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

(ङ) ऋणों के रूपान्तरण के परिणामस्वरूप किसी कम्पनी को सामान्य शेयर पूंजी में हिस्सा लेने का अर्थ यह नहीं है कि कम्पनी के प्रबन्ध में इन संस्थाओं को अवश्य शामिल होना होगा, जब तक कि वित्तीय संस्थाओं द्वारा काफी बड़े पैमाने पर सहायता न दी गयी हो और प्रायोजना को संयुक्त क्षेत्र की प्रायोजना न माना जा सकता हो। यद्यपि इस समय सरकार अथवा वित्तीय संस्थाओं के पास उपलब्ध प्रशिक्षित प्रबन्धकीय कर्मचारियों की संख्या सीमीत है, फिर भी सरकार का मत है कि वित्तीय संस्थाओं द्वारा काफी बड़े पैमाने पर सहायता पाने वाली कम्पनियों के बोर्डों में चयनात्मक आधार पर, नामजद करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों संवर्ग का कुछ समय में निर्माण किया जा सकता है।

सरकारी उपक्रमों के जन-सम्पर्क लक्ष्यों सम्बन्धी समिति

7695. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जन-सम्पर्क सम्बन्धी स्पष्ट लक्ष्यों को निर्धारित करने और उनकी परिभाषा करने के लिये एक सात-सदस्यीय समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) उस समिति के कृत्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) समिति द्वारा कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां। यह समिति सरकारी उपक्रमों से सम्बद्ध समिति की "सरकारी उपक्रमों में जन-सम्पर्क और प्रचार" नामक रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के आधार पर नियुक्त की गयी है।

(ख) समिति के सदस्य ये है :—

1. श्री एस० के० घोष
2. श्री एम० एल० भारद्वाज
3. ब्रिगेडियर श्रीनिवासन
4. श्री शंकर मित्र
5. श्री बी० वी० रंगनाथ
6. श्री सनत लाहिरी
7. डॉ० राज के निगम
8. श्री मोहम्मद फजल (10 फरवरी, 1970 से सहयोजित)

(ग) समिति के विचारणीय विषय ये हैं :—

(1) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जनसम्पर्क संबंधी उद्देश्यों की स्पष्ट रूप से परिभाषा करना और उन्हें तैयार करना,

(2) जन-सम्पर्क और प्रचार विभागों के वर्तमान संगठनात्मक ढांचे का विस्तृत अध्ययन करना और ऐसे संगठन की स्थापना करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्तों के बारे में सुझाव देना;

(3) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के एक ही क्षेत्र के या समान वस्तुएं तैयार करने वाले उपक्रमों या समान प्रकार का काम करने वाले उपक्रमों के लिए जन सम्पर्क अधिकारियों और प्रचार अधिकारियों का संयुक्त संवर्ग बनाने के प्रश्न पर विचार करना;

(4) जन-सम्पर्क और प्रचार विभागों के पदों के लिये आवश्यक न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव के प्रश्न पर विचार करना; और

(5) प्रचार पर किये जाने वाले व्यय के बारे में मार्गदर्शक सिद्धान्त और कसौटियां निर्धारित करना ।

(घ) आशा है समिति की रिपोर्ट जून 1970 के अन्त तक प्राप्त हो जायगी ।

भारत की विदेशी सहायता सम्बन्धी आवश्यकता

7696. **श्री देवेन सेन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-सहायता सार्थ संघ ने प्रायोजना और गैरप्रायोजना जरूरतों के लिये भारत की विदेशी सहायता की आवश्यकता का 10000 लाख डालर प्रति वर्ष के हिसाब से अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उस सहायता को प्राप्त करने की क्या सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार ने इस वर्ष अमरीका से भारत को मिलने वाली सहायता में कमी को ध्यान में रखते हुए आन्तरिक साधानों से धन प्राप्त करने के उपायों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उनका क्या ब्यौरा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र०चं० सेठी): (क), (ख), (ग) और (घ). चौथी आयोजना की साधनों सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुमानों के अनुसार, प्रायोजनागत और प्रायोजना-भिन्न कार्यों के लिए लगभग 500 करोड़ डालर की विदेशी सहायता की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है कि प्रतिवर्ष औसतन 100 करोड़ डालर की आवश्यकता पड़ेगी । भारत सहायता संघ (एड इंडिया कंसार्शियन) आम तौर पर, आवश्यकताओं पर केवल वार्षिक आधार पर विचार करती है । वर्ष 1969–70 के लिए, सहायता संघ ने भारत की प्रायोजनागत और प्रायोजना-भिन्न सहायता की अवश्यकताओं के सम्बन्ध में 110 करोड़ डालर का अनुमान लगाया है । इसके मुकाबले इस वर्ष के लिए कुल 82.6 करोड़ डालर की स्वीकृतियां मिलने की संभावना है । जहां तक 1970-71 का सम्बन्ध है, भारत सहायता संघ की बैठक अभी होनी है और उसे इस सम्बन्ध में अभी विचार करना है । विदेशी सहायता की जरूरत को कम से कम करने के लिए, आयोजना और बजट में जो नीतियां अपनायी गयी हैं उनका उद्देश्य देश के अन्दर अधिक बचतें करना, आयात-प्रतिस्थापन करना और निर्यात को बढ़ावा देना है ।

Night Duty Allowance to Central Government Employees

7697. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the rates of Night Duty Allowance paid to the different classes of Central Government Employees ;

(b) whether it is a fact that the rates of night duty allowance are the same as were prior to the independence ; and

(c) if so, whether Government would consider their revision and if so, the time by which it would be done ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) In the Secretariat Offices, Night Duty (Resident) Clerks and Peons attached to them, who perform duty in the Central Registry from the time the office usually closes to the time it usually re-opens on the following day, get night duty allowance at the following rates.

	For the first 6 days of roster duty.		For duty on the 7th (off) day & duty on intervening holidays.	
	Rs.		Rs.	
Clerk	3	per night	4.50	per night
Peon	1.25	per night	1.85	per night

(b) The rate of Night Duty Allowance for Class IV staff, mentioned in reply to part (a) above, was introduced from 1st April 1957. Besides, higher rates for duty on 7th (off) day and duty on intervening holidays were also prescribed in 1961. However, rate for the first 6 days of night duty for clerks has remained unchanged.

(c) The Night Duty Allowance is under review.

Ban on Smoking

7698. Shri Ram Gopal Shalwale: Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been invited to the recommendation made by the World Health Organisation for imposing ban on smoking;

(b) whether it is a fact that the said Organisation has held smoking a cause of untimely death of a person; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) & (b). The World Health Organisation has neither made any recommendations for imposing a ban on smoking nor has it held smoking a cause of untimely death. However, the W. H. O. Executive Board has at its 45th session held in Geneva from 20th to 29th January, 1970 passed the following resolution:

"Welcoming the resolutions on the control of cigarette smoking passed by the Directing Council of the Pan American Health Organization/Regional Committee for the Americas and the Regional Committee for Europe at their sessions held in 1969.

Recognizing that the individual must decide for himself whether he will risk endangering his health by smoking cigarettes, but should also have regard to the influence on others of his example; and

Believing that no organization devoted to the promotion of health can be neutral in this matter.

1. REQUESTS those attending its meetings to refrain from smoking in the room where such meetings are held; and

2. REQUESTS the Director-General to report to the Twenty-third World Health Assembly on measures which might be taken to affirm the Organisation's view of the hazards of smoking and to demonstrate this by example at WHO meetings as well as to ensure that the Organization is able to assist Member States and interested health organizations to obtain information on these hazards."

(c) Government are taking following steps to bring down the consumption of cigarettes and to familarise the people with the evil effects of smoking :—

(i) Publicising the harmful effects of the use of tobacco as a part of its health education activities;

(ii) Most State Governments have imposed a ban on smoking in Cinema houses, theatre halls and auditoria; and

(iii) Legal provisions have also been made against juvenile smoking in some of the States.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य-चालन

7699. श्री एस० आर० दामानी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों का कार्य निष्पादन कैसा रहा और गत तीन वर्षों की तुलना में यह कैसा है;

(ख) उनके कार्य-चालन में सुधार के लिए इस वर्ष क्या क्या उपाय किये गये; और

(ग) उनसे क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० ठठी) (क). पिछले चार वर्षों में केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों में (विकासात्मक तथा वित्तीय उपक्रमों को छोड़कर) कुल मिलाकर हुई शुद्ध हानि इस प्रकार है :—

सरकारी उद्यमों को हुई शुद्ध हानि†

(करोड़ रुपयों में)

1969–70 (नवीनतम अनुमान)	1968–69	1967–68	1966–67
31.70	26.87	36.93	9.67

†1967–68 और 1968–69 के शुद्ध आंकड़े मूल्य ह्रास, व्याज, कर और आस्थगित संचलन-व्यय को बट्टे खाते डालने के बाद के हैं परंतु 1966–67 के आंकड़े आस्थगित संचालन-व्यय को निकालने के बाद के नहीं हैं। 1969–70 के आंकड़े अनुमान हैं।

(ख) और (ग). सरकारी उपक्रमों के कार्यों में सुधार करनें के लिए विभिन्न उपाय जैसा कि 1968–69 के बजट पत्रों के साथ संसद को प्रस्तुत ज्ञापन में बताये गये थे, लगातार कार्यान्वित किय जा रहे हैं तथा उनकी समीक्षा बराबर चलती रहती है। इन उपायों का उद्देश्य मुख्यत: (क) उत्पादन में विविधता लाकर (ख) निर्यात को प्रोत्साहन देकर और (ग) प्रबन्धकीय तथा कार्यचालन सम्बन्धी कुशलताओं में सुधार करके सरकारी उद्यमों के कार्यचालन में सुधार करना है। हिन्दुस्तान स्टील, इण्डियन ड्रग्स ऐण्ड फार्मास्यूटिकल्स, माइनिंग ऐण्ड एलायड मशीनरी कारपोरेशन, खनिज तथा धातु व्यापार निगम और केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम, जैसे कुछ हानि उठाने वाले, बड़े बड़े उद्यमों से यह आशा की गई थी कि पिछले वर्ष की तुलना में 1969-70 में अपनी हानि में काफी कमी कर लेंगे। पिछले वर्ष की अपेक्षा 1970-71 में, कुल मिलाकर कार्यों में विशेष सुधार होने की सम्भावना है।

आयकर अधिकारियों द्वारा किये गये कर-निर्धारण के मामलों के लिए लेखा-परीक्षा अभिकरण

7700. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर अधिकारियों द्वारा किये गये कर-निर्धारणों की समीक्षा और लेखा परीक्षा करने वाले अभिकरण का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसका कार्य-क्षेत्र क्या है;

(ग) क्या इस अभिकरण दवारा की जाने वाली लेखा परीक्षा के आधार पर कर-निर्धारण से फिर किया जाता है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितने माममों में कर-निर्धारण फिर से किये गये हैं; और

(घ) उसके परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष कितना राजस्व वसूल किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) आयकर अधिकारियों द्वारा किये गये कर-निर्धारणों की लेखा-परीक्षा तथा समीक्षा करने वाले अभिकरण निम्नलिखित हैं :—

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के अधीन कार्य करने वाले राजस्व लेखा-परीक्षा कर्मचारी ।

(2) आयकर विभाग के आन्तरिक-लेखा परीक्षा दल ।

(ख) राजस्व लेखा-परीक्षा कर्मचारियों को यह देखना होता है कि कर–निर्धारणों, उनकी कर-निर्धारणों, उनकी वसूली तथा उनके समुचित नियतन पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से, राजस्व विभाग द्वारा पर्याप्त विनियमों तथा कार्यविधियों की व्यवस्था कर दी गई है तथा उन्हें इसका इतमीनान करना होता है कि इस प्रकार के विनियमों तथा कार्यविधियों का विधिवत् अनुसरण किया जा रहा है ।

इस कर्तव्य के निर्वाह में, राजस्व लेखा परीक्षा न केवल किये गये कर-निर्धारणों तथा लगाय गये कर की अंकगणितीय परिशुद्धता की जांच करता है वरन इस पर भी टीका-टिप्पणी करता है कि आयकर अधिकारियों तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड द्वारा कानूनों तथा नियमों को सही ढंग से लागू किया गया है अथवा नहीं ।

जहां तक आयकर विभाग के आन्तरिक लेखा परीक्षा दलों दवारा जांच के विस्तार -क्षेत्र का प्रश्न है, मई 1969 तक, यह लगाये गये करों तथा की गई वापसियों की अंकगणितीय परिशुद्धता तक ही सीमित था । मई 1969 में, उनके द्वारा की जाने वाली जांच का विस्तार-क्षेत्र बढ़ा दिया गया जिसमें राजस्व लेखा-परीक्षा के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कार्य के पहलुओं को शामिल कर दिया गया, किन्तु आयकर अधिकारियों के विवेकाधिकार के प्रयोग तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी किये गये आदेशों से सम्बन्धित मामलों की आलोचना करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया था ।

(ग) हां, इन अभिकरणों द्वारा की गई लेखा-परीक्षा के आधार पर, कर-निर्धारणों में या तो सुधार कर दिया जाता है अथवा उन पर नये सिरे से कार्यवाही की जाती है । यह सामान्यतः केवल उन मामलों में किया जाता है जिनमें लेखा-परीक्षा द्वारा उठाई गई आपत्तियां या तो ठीक पाई जाती हैं अथवा आयकर विभाग द्वारा स्वीकार्यकर होती है; किन्तु कभी कभी, अन्य मामलों में भी एहतियाती तौर पर, कर-निर्धारणों में सुधार किया जाता है अथवा उन पर नये सिरे से कार्य-

वाही की जाती है । लेखा-परीक्षा द्वारा उठाई गई आपत्तियों के आधार पर जिन मामलों पर नये सिरे से कार्यवाही की गयी है, उनका अलग अलग से रिकार्ड नहीं रखा जाता ।

(घ) प्रत्येक वर्ष में वसूल किये गये ऐसे राजस्व के अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जो राजस्व लेखा-परीक्षा तथा आन्तरिक लेखा-परीक्षा दलों द्वारा उठाई गई लेखा-परीक्षा विषयक आपत्तियों के आधार पर नये सिरे से चालू किये गये कर-निर्धारणों के कारण प्राप्त हुआ हो ।

जनांकिकी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र बम्बई द्वारा गोवा में आरम्भ किया गया सर्वेक्षण कार्य

7701. **श्री जार्ज फरनन्डीज :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनांकिकी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र, बम्बई ने गोआ में कुछ सर्वेक्षण कार्य आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो गोआ में आरम्भ किये गये सर्वेक्षण कार्य का स्वरूप क्या है ;

(ग) यह कार्य करने के लिये कितने कर्मचारी नियत किये गये हैं, और उनके नाम पदनाम क्या हैं;

(घ) किन शर्तों पर कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है ;

(ङ) क्या बम्बई में कार्य कर रहे किसी कर्मचारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती गोआ भेजा गया है ; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : जी हां ।

(ख) परिवार नियोजन सम्बन्धी जानकारी, प्रवृत्ति और व्यवहार की सूचना और उत्पादकता तथा अन्य जनांकिकीय विषयों सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करने के लिए पंजिम शहर में एक सर्वेक्षण किया गया था ।

(ग) और (घ). सर्वेक्षण के लिए जिस दल को भेजा गया था, उसमें निम्नलिखित कर्मचारी थे :—

(1) श्रीमती आशा भेण्डे,	समन्वयक
(2) श्री डी० ऐन० सक्सैना,	प्राध्यापक
(3) श्रीमती एस० बी० कोकाटे,	अनुसन्धानकर्ता
(4) श्रीमती एल० आर० राव,	अनुसंधानकर्ता

जिन व्यक्तियों को सर्वेक्षण के लिए अस्थायी रूप से गोआ भेजा गया था, उन्हें दौरे पर समझा गया और उन्हें नियमानुसार स्वीकार्य यात्रा और दैनिक भत्ते दिये गये ।

(घ) और (ङ). सर्वेक्षण के लिए नियुक्त व्यक्तियों में से किसी को भी उसकी इच्छा के विरुद्ध गोआ नहीं भेजा गया । महिला अनुसन्धान कर्ताओं में से एक महिला अनुसन्धानकर्ता जिसे सर्वेक्षण

दल के साथ जाना था, यात्रा खर्च की अग्रिम धनराशि लेने के बाद गोआं नहीं गई और उसने एक महीने की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र दे दिया जो सर्वेक्षण दल के गोआ जाने के एक दिन पहले से शुरू होती थी। इस अनुसन्धान कर्ता द्वारा मांगी गई छुट्टी अस्वीकृत कर दी गयी। बारम्बार कहने पर भी जब वह गोआ नहीं गई तो उसे 22 दिसम्बर, 1969 से नौकरी से मुअत्तिल कर दिया गया।

इस अनुसन्धानकर्ता ने अपनी मुअत्तली के बाद प्रतिनिवेदन दिया कि नौकरी की शर्तों के अनुसार वह बम्बई से बाहर ड्यूटी पर जाने के लिए बाध्य नहीं है। तथापि उसे गोआ में सर्वेक्षण दल में शामिल होने के लिए एक और अवसर दिया गया परन्तु उसने यह प्रस्ताव नहीं माना। यद्यपि केन्द्र के ऐसे नियम और अधिनियम नहीं हैं, तथापि उसे विभागीय जांच अधिकारी के सम्मुख अपनी स्थिति स्पष्ट करने का और एक अवसर दिया गया। वह जांच अधिकारी के सम्मुख उपस्थित नहीं हुई। अतः एकपक्षीय जांच पड़ताल की गई जिसकी उसे सूचना दी गई थी। इस जांच पड़ताल में उसे आज्ञोल्लंघन का दोषी ठहराया गया। यह भी बताया गया कि यह महिला अनुसन्धान कर्ता मैदानी कार्य की उपेक्षा करती थी और जब कभी भी उसे मैदानी काम सौंपे जाते थे, वह किसी बहाने छुट्टी ले लेती थी।

पागलपन के मामलों में वृद्धि

7702. **श्री अ० कु० किस्कु :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों से देश में पागलपन के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पेशेवार, आय वर्गवार और स्त्री-पुरुषवार उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) ऐसे मामलों की चिकित्सा और पुनर्वास के लिए क्या विशेष प्रबन्ध किए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) किसी वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुपस्थिति में यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि उन्माद की घटनाएं वृद्धि पर हैं।

(ख) यह सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ग) यहाँ पर 38 मानसिक चिकित्सालय हैं जिनमें पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था है। इन चिकित्सालयों में 17,756 पलंग है। इन के अतिरिक्त, सभी में बहिरंग उपचार की सुविधाएं विद्यमान हैं। कुछ मानसिक चिकित्सालयों में पुनः स्थापना के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यावसायिक चिकित्सा एवं कार्य चिकित्सा एककों की व्यवस्था भी है।

रति रोगों के मामलों में वृद्धि

7703. **श्री अ० कु० किस्कु :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से देश में रति रोगों में वृद्धि हो रही है यदि हां, तो इसके क्या कारण है और

(ख) किस आय वर्ग के स्त्री और पुरुष इससे सर्वाधिक प्रभावित हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) विभिन्न राज्यों तथा क्षेत्रों में स्थित 142 रति रोग केन्द्रों में जो देश में रति रोग के उपचार करने वाले संस्थाओं का एक प्रतिनिधिक अंश है, निदान तथा उपचार किये गये रोगियों की संख्या का विवरण निम्न प्रकार है :–

1967–68	1968–69	1969–70
3,30,890	3,79,274	3,08,521

इन आंकडों में राज्य सरकारों, नगरपालिकाओं तथा निजी संस्थाओं द्वारा संचालित सभी रति रोग केन्द्रों के रोगी सम्मिलित नहीं हैं। तथापि इनसे पिछले तीन वर्षों में निरन्तर वृद्धि नहीं प्रकट होती। 1967–68 की तुलना में 1968–69 में रति रोगियों की संख्या में जहाँ वृद्धि हुई है वहां 1969-70 में इनकी संख्या कम हुई है।

(ख) निम्न आय वर्ग वाले पुरुषों को रति रोग अधिक हो जाते हैं।

"टैस्ट ट्यूब" से बच्चों की उत्पत्ति

7704. श्री० अ० कु० किस्कु : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में टैस्ट ट्यूब से बच्चों की उत्पत्ति करने के हेतु स्त्री रोग चिकित्सा सम्बन्धी प्रयोग किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

Exploration of Petroleum in Rajasthan

7705. Shri Onkarlal Bohra : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the outcome of the efforts made in regard to the exploration of petroleum in Rajasthan;

(b) whether there is any proposal under considerations to establish any factory based on Petroleum and Chemicals in Rajasthan; and

(c) if so, the outlines thereof?

Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) Seismic surveys carried out by the Oil and Natural Gas Commission led to the discovery of several structures in the Jaisalmer district. On testing, no accumulations of oil or natural gas of any commercial significance were found in four of the structures, but on the fifth structure, namely, the Manhera Tibba structure, indications of the presence of natural gas were obtained. The gas deposit does not appear to be of commercial interest; however, some further drilling is proposed to be carried out, before taking a final view in the matter.

(b) & (c). No. However, a Working Group set up by the Department of Chemicals recommended the setting up of a fertilizer complex in Rajasthan based on the pyrites and rock phosphate deposits located in the State and this could be taken up after commercial feasibility of the deposits is established.

राष्ट्रीय पैट्रोलियम आयोग की स्थापना

7706. **श्री चिंतामणी पाणिग्रही** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातू** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने एक सांविधिक राष्ट्रीय पैट्रोलियम आयोग की स्थापना करने का समर्थन किया है जो पेट्रोलियम उद्योग के सभी पहलूओं के लिये एक नीति निर्धारित करने तथा समन्वय प्राधिकारी का कार्य करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातू मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): क) और (ख). मामला विचाराधीन है ।

उर्वरक परियोजनाओं के निर्माण के लिए जानकारी

707. **श्री क० मी० मधुकर** :
श्री इंद्रजीत गुप्त :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री चंद्र शेखर सिंह :
श्री भोगेंद्र झा :

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातू मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम के पास उसी तरह को उर्वरक परियोजना का निर्माण कार्य अपने हांथ मे लेने की अपेक्षित जानकारी थी जिस तरह की परियोजना बिडला को गोवा में लगाने की मंजूरी दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने बिडलाओं को गोवा में उर्वरक परियोजना स्थापित करन के लिये लाइसेंस क्यों दिया ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) भारतीय उर्वरक निगम, उसी तरह के उर्वरक संयत्र, जिसकी गोआ में स्थापना के लिए मंजूरी दी गई थी, निर्माण कर सकता है। निगम अपने निजी डिजाईन और इंजीनियरिंग पर आधारित कारखानों की स्थापना कर रहा है, जो कुछ प्रक्रियाओं के लिए विदेशी पार्टियों के साथ किये गये लाइसेंस करारों द्वारा मामूली तौर पर अनुपूरित होते हैं ।

(ख) देश में विकास की जाने वाली उर्वरक क्षमता को ध्यान में रखते हुए और ऐसी उर्वरक क्षमता की स्थापना के लिये निवेश आवश्यकताओं विशेष रूप से विदेशी मुद्रा में निवेश, को भी विचार में रखते हुए, यह अनुमान लगाना यथार्थ नही समझा गया है कि केवल सरकारी क्षेत्र उर्वरक उत्पादन के आयोजित लक्ष्यों तथा सप्लाई एवं मांग के बीच पाये जाने वाले अन्तराल को पूरा कर सकेगा । इन परिस्थितियों में उर्वरक-उत्पादन कार्यक्रम में गैर-सरकारी क्षेत्र को शामिल करना आवश्यक है। इन परिस्थितियों में गोवा में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिए औद्योगिक लायसैन्स मंजूर किया गया था ।

पेट्रो-रसायन निगम को एरोमेटिक परियोजनाओं के लिए पश्चिम जर्मनी की सहायता

7708. **श्री चिंतामणी पाणिसंग्रही** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी के बैंकरों ने जिन्होंने हाल ही में इस देश का दौरा किया था, पैट्रो-रसायन निगम को ऐरोमेटिक परियोजनाओं के लिये तकनीकी सहयोग देना स्वीकार किया था;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के तकनीकी सहयोग की पेशकश की गई है ; और

(ग) क्या इस क्षेत्र में पश्चिम जर्मनी के मैसर्स क्रूप्स से तकनीकी सहयोग प्राप्त किया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क), (ख) और (ग). जी नहीं ; एरोमेटिक परियोजना के लिये पश्चिम जर्मनी के मैसर्स फ्राइडक्रुप्प कैमिईनलेजेनवायो के साथ मई, 1968 को तकनीकी सहयोग पर हस्ताक्षर किये गये थे । वे प्रक्रिया तथा रुपांकन जानकारी मुहैया करने और जर्मन निर्मित उपकरण उपलब्ध करने के लिये सहमत हो गये हैं ।

Mineral Surveys of Banswara

7709. **Shri Brij Raj Singh** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large reserve of manganese, Bauxite and soap-stone is hidden in the border hills of Banswara in Rajasthan;

(b) whether Government propose to conduct surveys in these areas for their exploration and development; and

(c) if so, the details thereof?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Dr. Triguna Sen) : (a) Some deposits of manganese and minor occurrences of soap-stone have been recorded in the border hills of Banswara, Rajasthan. Bauxite is not found there.

(b) &(c). As a result of investigations carried out by Geological Survey of India for manganese ore, reserves of the order of 3,30,000 tonnes of 27.29% to 35.45% Mn and 32,9000 tonnes of 46.72% to 52.82% Mn have been estimated.

Gold particles found near Kolab River in Orissa

7710. **Shri Brij Raj Singh** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that gold particles have been found in the areas adjoining the Kolab River of Sopur District in Orissa;

(b) whether it is also a fact that in the ancient legends a mention about the gold prospects in this area has been made;

(c) whether Government have made any search or taken any action in this connection; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Dr. Triguna Sen) : (a) Yes, Sir.

(b) The historical records show that panning was carried out in different districts of Orissa.

(c) & (d). On the basis of historical records the Geological Survey of India has taken up investigation for gold in Koraput district in 1967-68. The work done so far reveals the presence of gold both in river sands and in the soil. Specks of gold dust are found in almost all panned samples. Sharp and slightly angular eluvial gold specks were recorded from the debris alongside slopes of small mounds of vein quartz around Battiguda and Ronganguda. Further work is still continuing.

मैसूर के कुन्द्रेमुख के खनन क्षेत्रों में सड़कों का विकास

7711. **श्री लोबो प्रभु** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुन्द्रेमुख लौह अयस्क परियोजना की व्यवहार्यता के बारे में अमरीकी जापानी दल के प्रकाशित विचारो को ध्यान में रखते हुए, क्या मल्लूर घाट सड़क का निर्माण करने के लिये राज्य सरकार को धन देने के बारे में कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि वर्षा के पहले इस वर्ष यदि इन पुलों की नींव नही डाली जाती तो परियोजना पूरी होने में एक वर्ष की देरी होगी; और

(ग) चूंकि घाट सड़क अन्यथा भी महत्वपूर्ण संचार साधन होगी, अत: सरकार अन्तर्राष्ट्रीय सड़क विकास निधि से इसके निर्माण के लिए धन क्यो प्राप्त नहीं करती ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुणा सेन) : (क) से (ग). प्रस्तावित मल्लूर घाट सड़क राज्य सरकार की सड़क है और इस सड़क से संसक्त सभी विषयों से मैसूर सरकार ही प्राथमिकता से सम्बन्धित है। इस सड़क के तत्काल सर्वेक्षण तथा निर्माण के सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

तथापि, कलासा से मल्लेश्वर तक सड़क के सुधार के लिये जो कुन्द्रेमुख निक्षेपों के विकास के लिये भी अपेक्षित है, ऋण के रूप में केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने का प्रश्न विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि कुन्द्रेमुख निक्षेपों के विकास से संबंधित तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन मई 1970 में प्राप्त होने की आशा है।

आन्ध्र प्रदेश में अग्निगुन्टाला सीसा खानों के लिये निगम स्थापित करना

7712. **श्री ईश्वर रेड्डी**: क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में अग्निगुन्टाला सीसा खानों के लिए एक निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो निगम की रचना और स्वरुप क्या होगा ; और

(ग) इसके कब तक स्थापित होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुणा सेन): (क) अग्निगुन्डाल तांबाबसीसा खानों का विकास हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। प्रारंभिक अवस्था में इन खानों के लिये अलग से निगम स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). उद्भूत नहीं होते है।

आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा जिले में भूगर्भीय सर्वेक्षण के द्वारा खनिज संसाधनों का पता लगाया जाना

7713. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा जिले में किये गये भूगर्भीय सर्वेक्षण का क्या निष्कर्ष निकला और उक्त क्षेत्र में खनिज संसाधनों का उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या हीरों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा का एक अंश रायलसीमा के विकास के लिए नियत किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो नियत की गई राशि कितनी है और किन योजनाओं पर उक्त राशि खर्च की जाती है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुणा सेन) : (क) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में किये गये अन्वेषणों के परिणाम स्वरूप कई खनिज निक्षेपों का पता लगाया गया है । इन खनिजों में, अनन्तपुर तथा चित्तुर जिलो में सोना ; कुड्डपा जिले में ऐस्बेस्टास ; अनन्तपुर तथा करनूल जिलो में हीरे ; कुड्डपा जिले में बेराइटीज ; कुड्डपा, अनन्तपुर तथा कुरनूल जिलों में स्टियटाइट, चूना पत्थर और गेरू, अधिक महत्व के खनिज है ।

आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में खनिजों के समुपयोजन के लिये, आन्ध्र प्रदेश खनन निगम लिमिटेड स्थापित किया है ।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने भी भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था के साथ कुरनूल जिले में थोन के निकट रमल्लाकोटा में और अनन्तपुर जिले में बज्रकूर हीरों के लिये व्यवस्थित पूर्वेक्षण प्रारंभ किया है ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने यह रिपोर्ट दी है कि रायलसीमा से अभी तक हीरों का कोई निर्यात नही हुआ । अतः विदेशी मुद्रा के बाटने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(ग) उद्भूत नहीं होता है ।

भारत के भूगर्भीय विभाग द्वारा दक्षिणी क्षेत्र के कठोर चट्टान वाले क्षेत्रों के नक्शों का तैयार किया जाना

7714. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग के दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय ने जिलेवार नक्शे तैयार करने का कार्य आरम्भ किया है जिनमें कठोर चट्टान वाले उन क्षेत्रों को दर्शाया जायगा जहां एक विशेष गहराई से नीचे कुओं को नहीं खोदा जा सकता ;

(ख) दक्षिणी क्षेत्र में उन जिलों की संख्या और नाम क्या हैं, जिनके बारे में ऐसे नकशे तैयार किये जा चुके हैं ; और

(ग) इन जिलों में कुयें खोदने की योजना से लाभ उठाने में किसानों को सक्षम बनाने के लिए क्या उपाय किये गये है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुणा सेन): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने अभी तक कोलार तथा चित्तूर जिलों के मानचित्र तैयार किये है ।

(ग) सभी राज्य अभिकरणों को भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था अपेक्षित जानकारी प्रदत्त की जा रही है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्र

7715. श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री वंश नारायण सिंह :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री 16 दिसम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 768 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार परिवार नियोजन केन्द्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य केन्द्र भी खोलने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है और यदि नहीं, तो चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करने के मामले में ग्रामीण और शहरी जनता के बीच भेदभाव करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब०सू० मूर्ति): (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रोंमें चिकित्सा सहायता और इलाज के लिए 4998 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 24,222 उपकेन्द्रों (31-3-70 तक) का जाल सा बिछा दिया गया है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य की देखभाल के लिये केन्द्र बिन्दु का काम करते है । चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत उन सभी अर्थात् 393 ब्लॉकों में जिनमें अभी तक ऐसे केन्द्र नहीं खोये गये है प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार है । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इन कार्यक्रमों के लिए 76.49 करोड़ रूपये की व्यवस्था कर दी गई है (बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिये 100% सहायता देते हुए केन्द्र पुरोनिधानित सैक्टर के लिए 43.98 करोड़ रूपये और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए राज्य सैक्टर को 32.51 करोड़ रूपये) ।

Benefit to Peasants of Chhotanagpur and Santhal Parganas from Nationalised Banks

7716. Shri S. C. Besra: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been invited towards the peasants belonging to Harijan, Adivasi semi and original communities in Chhota Nagpur and Santhal Parganas, who cannot get the benefits available from the nationalised banks;

(b) whether Government have considered over this as to how the benefits from the nationalised banks could be made available to these communities while maintaining their separate entity vide the Chhota Nagpur and Santhal Parganas Tenancy Act; and

(c) if any way has been found out in this regard, the details thereof and if not, the time by which a decision in this regard is likely to be taken ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) :(a) Government are aware of the special difficulties of the peasants belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward communities of Chhota Nagpur and Santhal Parganas in availing of advances from the commercial banks, including nationalised banks.

(b) & (c). In order to enable the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other backward communities of the area, to avail of loan for agricultural purposes from public sector banks and cooperative societies, the Bihar Tenancy Act and Chhota Nagpur Tenancy Act were recently amended empowering such members to execute simple mortgages in favour of public sector banks and cooperatives. The Government of Bihar has also issued orders remitting stamp duty in full on mortgage deeds for sums upto Rs. 5000 and 50% on deeds for sums from Rs. 5000 to Rs. 10,000. The foregoing steps are expected to remove the main hurdles in the way of these persons getting loans from commercial banks.

Eleven nationalised banks had on 31-12-69, 40 branches operating in the three districts of Hazaribagh, Singhbhum and Ranchi in Chhota Nagpur and 6 branches operating in Santhal Paraganas. The nationlised banks have been advised to establish more branches in these areas, particularly in unbanked centres. The Bank of India and the State Bank of India have been assigned the role of a 'Lead Bank' in some of the districts in these areas. Under the 'Lead Bank' scheme, the lead bank will coordinate the activities of all the credit institutions in the area with a view to ensuring equitable distribution of credit and other banking facilities including loans for the development of agriculture, small-scale industries, etc.

1969-70 में गुजरात में खनिज उत्पादन

7717. श्री नरेन्द्रसिंह महीडा : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 में गुजरात में खनिज पदार्थों का कितना उत्पादन हुआ तथा पिछले तीन वर्षों की तुलना में यह कितना है ;

(ख) क्या राज्य में खनिज पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चालू वर्ष में राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुणा सेन) : (क) गुजरात में 1966 वर्ष से 1969 वर्ष के दौरान उत्पादित मुख्य खनिजों की मात्राएं उपदर्शित करने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या LT-3328/70]**

(ख) और (ग). राज्य सरकारों को विशेष रूप से खनिज उत्पादन के लिये, कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है। तथापि, एकमुश्त अनुदानों या ऋणों के रूप में राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है जिसका उपयोग खनिज विकास के लिये भी किया जा सकता है।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि अगले विषयपर चर्चा आरम्भ करने से पूर्व मैं चाहता हूं कि हम पटना में प्रो० रंगा पर हमला करने की जो चेष्टा 25 तारीख को गई थी उसपर चिन्ता व्यक्त करनी चाहिए। पहले भी पटना रेलवे स्टेशन पर श्री ज्योति बसु पर हमला किया गया था। गृह-कार्य मंत्री इसकी जांच करें और एक वक्तव्य दें।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling attention to a meeting of urgent Public Importance

राज्य सशस्त्र पुलिस और दुर्गापुर इस्पात कारखाने के सुरक्षा कर्मचारियों के बीच मुठभेड़ का समाचार

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : श्रीमान, मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"राज्य सशस्त्र पुलिस और दुर्गापुर इस्पात कारखाने के सुरक्षा कर्मचारियों के बीच मुठभेड़ का समाचार" ।

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (के० एस० रामास्वामी): पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 22 अप्रैल, 1970 को रात $8\frac{1}{4}$ बजे राज्य सशस्त्र पुलिस की एक जीप जिसका नं० डब्ल्यू० जी० जे० 4135 था, कारखाने से अपने कैम्प की ओर जा रही थी । राज्य सशस्त्र पुलिस के कुछ दस्ते कारखाने के अधिकारियों ने, कारखाने के भीतर फैला रखे थे । जब जीप गेट नं० दो से बाहर जा रही थी तो इसे वहां तैनात कारखाने के सुरक्षा दल ने रोक लिया । उन्होंने आरोप लगाया कि पहले कभी इस जीप का प्रयोग कारखाने का माल चोरी से ले जाने के लिए किया गया था । इस पर वहां कारखाने के सुरक्षा अधिकारियों और राज्य सशस्त्र पुलिस के बीच हाथा-पाई हो गई जिसके परिणाम स्वरूप कुछ व्यक्तियों के चोटें आई । दो फौजदारी के मामले दर्ज किए गये और स्थानीय पुलिस द्वारा मामले की जांच की गई ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं समझता हूं कि दुर्गापुर में सुरक्षा कर्मचारी औद्योगिक सुरक्षा दल से सम्बन्धित हैं । उसकी स्थापना के समय इस सदन में आशंकाएं व्यक्त की गई थी कि यदि इस मामले में राज्य सरकार से परामर्श न लिया गया तो ऐसी बारदातें हो सकती हैं । औद्योगिक सुरक्षा सेना के होते हुए वहां राज्य पुलिस को क्यों तैनात किया गया ? इन दो दलों की कारखाने के भीतर क्या स्थिति है और वे किनकी आज्ञा पर चलते हैं ।

जब कभी जीप से चोरी किया हुआ सामान ले जाया गया था तब क्या कोई चुनौती दी गई थी ? भविष्य में ऐसी घटनाओं से सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री के० एस० रामास्वामी : औद्योगिक सुरक्षा दल की स्थापना अभी अभी की गई है और उसने कारखाने में कार्यभार नहीं सम्भाला है । उस दिन कारखाने के सुरक्षा अधिकारियों ने राज्य सशस्त्र पुलिस पर हमला किया । इस समय न्यायाधीश द्वारा मामले की जांच की जा रही है । और जानकारी मिलने पर मैं सदन को सूचित करूंगा ।

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : मैं मंत्री महोदय से कारखाने में राज्य पुलिस भेजे जाने के कारण जानना चाहता हूं । क्या यह सच है कि पहले की कुछ घटनाओं के कारण सुरक्षा कर्मचारियों और राज्य सशस्त्र पुलिस के बीच कुछ पहले की घटनाओं के कारण मन-मुटाव है । क्या इसी लिए वहां राज्य पुलिस तैनात की गई है ?

श्री के० एस० रामास्वामी : राज्य सशस्त्र पुलिस कारखाने के सुरक्षा कर्मचारियों की सहायता के लिये भेजी गई थी । हम शीघ्र ही अपनी औद्योगिक सुरक्षा सेना तैनात कर रहे हैं ।

श्री सु० मु० तापड़िया : मेरा सीधा प्रश्न यह है कि किसके आदेश से राज्य पुलिस वहाँ भेजी गई ?

श्री के० एस० रामास्वामी : उसे प्रबन्धकों की प्रार्थना पर भेजा गया था ।

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad): May I know that whether it has been inquired into that the jeep was used for stealing goods belonging to the Plant? If so, what are the details of such an enquiring.

Were some rules framed as to under whose orders security staff and State Armed Police would function?

श्री के० एस० रामास्वामी : मैंने बताया कि दोनों मामले की जांच की जा रही है ।

Shri Om Prakash Tyagi: Mr. Speaker, My question has not been replied.

श्री के० एस० रामास्वामी : दोनों मामलों की जांच हो रही है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या यह प्रमाणित हो गया था कि उसी स्थान पर पहले भी कोई चोरी हुई थी ?

श्री के० एस० रामास्वामी : सभी बातों की जाँच हो रही है ।

Shri Om Prakash Tyagi : The second part of my question has not been answered.

अध्यक्ष महोदय : उनके प्रश्न का एक भाग यह था कि क्या इन बलों की तैनाती के बारे में कुछ नियम हैं ?

श्री के० एस० रामास्वामी: उन्हें प्रबन्धकों की प्रार्थना पर भेजा जाता है और कार्य पूरा होने पर वापस बुला लिया जाता है ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : चीन के अन्तरिक्ष-युग में प्रवेश के बारे में सरकार को वक्तव्य देना चाहिए ।

Shri Atal Behari Vajpayee: This is a serious matter.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह प्रतिरक्षा का मामला है अतएव सरकार को वक्तव्य देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मानता हूं कि यह मामला महत्वपूर्ण है परन्तु इस सम्बन्ध में विधिवत प्रस्ताव किया जाना चाहिए ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : इस बारे में मैंने सरकार का ध्यान पहले भी आकर्षित किया था । अध्यक्ष महोदय को मंत्री महोदय से वक्तव्य देने के लिये कहना चाहिए ।

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकन्दराबाद): चीन ने काश्मीर में कुछ भागों पर अधिकार कर रखा है। उस बारे में मैंने ध्यान आकर्षण नोटिस दिया था। उसके बारे में कुछ पता नहीं चला ।

अध्यक्ष महोदय : जो स्वीकार किए जाते हैं उन्हें ले लिया जाता है । शेष अभी तक अनिर्णीत हैं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड बरहामपुर के वार्षिक प्रतिवेदन आदि

रेलवे मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी) : मैं श्री नन्दा की ओर से निम्न-सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति ;

(i) उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर (गंजम) के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ii) वर्ष 1967-68 के लिये उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर (गंजम) का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(iii) वर्ष 1967-68 के लिये उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर (गंजम) के निदेशकों का प्रतिवेदन तथा लेखे का विवरण और उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) ऊपर के (i) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों का एक विवरण । **[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 3312/70]** ।

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन आदि

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर): मैं श्री के० के० शाह की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूं ।

(1) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) वर्ष 1968-69 के लिये हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, नई दिल्ली, का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रन्थालय में रखें गये । देखिए संख्या एल० टी०—3313/70]** ।

हिन्दुस्तान एन्टिबायटिक्स लिमिटेड, पिम्परी के वार्षिक प्रतिवेदन आदि

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1965 की धारा, 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (i) हिन्दुस्तान एन्टिबायटिक्स, लिमिटेड, पिम्परी, के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ii) वर्ष, 1968-69 के लिये हिन्दुस्तान एन्टिबायटिक्स लिमिटेड, पिम्परी, का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

2.(i) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1068–69 के कार्य की सहकार द्वारा समीक्षा ।

(ii) वर्ष 1968-69 के लिये हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली, का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [**ग्रन्थालय में रखें गयें । देखिए संख्या एल० टी०–3314/70**] ।

आयकर (छठा संशोधन) नियम, 1969

वित्त मन्त्री और वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : मैं श्री प्र० चं० सेठी की ओर से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर (छठा संशोधन) नियम, 1969 के हिन्दी संस्करण की एक प्रति, जो दिनांक 29 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 5056 में प्रकाशित हुये थे, सभापटल पर रखता हूं । [**ग्रन्थालय में रखें गयें । देखिए संख्या एल० टी०–3315/70**] ।

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

पांचवा प्रतिवेदन

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का 5वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रसन्नता है कि आपने भी एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

98 वां, 102 वां, 104 वां, 105 वां तथा 116 वां प्रतिवेदन

Shri Atal Behari Vajpayee: Mr. Speaker, Sir, I present the following reports of Public Accounts Committee.

(1) Ninety-eight Report (Hindi and English versions) on action taken by Government on the recommendations contained in their Fifty-sixth Report relating to Over-invoicing of value of imported Hides and Skins.

(2) Hundred and second Report (Hindi and English versions) regarding Paragraph 112 of Audit Report (Civil), 1969 relating to Central Government Employees Consumer Cooperative Society Limited, New Delhi (Ministry of Home Affairs).

(3) Hundred and fourth Report regarding Appropriation Accounts (Civil), 1967-68 and Audit Report (Civil), 1969 relating to the Department of Industrial Development and the Department of Labour and Employment.

(4) Hundred and fifth Report regarding Audit Report (Civil), 1969 relating to the Ministry of Supply.

(5) Hundred and sixteen Report regarding Appropriation Accounts (Railways), 1967-68 and Audit Report (Railways), 1969.

कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक

TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम, 1958 तथा कम्पनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये नियत समय को अगले सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन तक अग्रेत्तर बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम, 1958 तथा कम्पनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये नियत समय को अगले सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन तक अग्रेत्तर बढ़ाती है।"

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : क्या कोई ऐसी प्रवर समिति भी है कि जिस की कार्यविधि बढ़ाई न गई हो।

श्री स० मो० बनर्जी : कार्यविधि बढ़ाने के लिये कोई कारण नहीं बताया गया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने मुझे संतोषजनक कारण बता दिये हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (बलरामपुर) : सभा उनको जानना चाहती है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : उनका कर्त्तव्य है कि वह सभा को कारण बतायें।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : हमने कार्य को इस सत्र में समाप्त करने की चेष्टा की। किन्तु हमें 49 प्रतिनिधि मण्डलों से मिलना पड़ा। अत: हम समय पर कार्य समाप्त नहीं कर पाए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि समिति कम समय लेगी।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : हम कम समय ले रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम, 1958 तथा कम्पनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये नियत समय को अगले सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन तक अग्रेतर बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अनुदानों की मांगें—1970-71

DEMANDS FOR GRANTS—1970-71

श्रम रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : पांच घंटे का समय नियत किया गया था। परन्तु पांच घंटे पहले ही समाप्त हो चुके हैं।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : इस वर्ष हम कार्य-सूची से काफी पीछे हैं और संभवत: खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांगों पर बिना विचार विमर्श किये ही उन्हें स्वीकृति देनी पड़ेगी। मेरा सुझाव है कि आज से 30 अप्रैल तक मध्याह्न भोजन के समय को खत्म कर दिया जाये ताकि कुछ और अधिक मांगों पर चर्चा की जा सके।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : मंत्रालय की मांगों पर चर्चा किये बिना ही उनको स्वीकृति दे देना उचित नहीं है। अत: सभी मांगों की चर्चा यहां होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से एक बजने पर सभी दूसरे कार्य जैसे अल्प-सूचना प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि को छोड़ देना चाहिए ताकि नियत कार्य-सूची को लिया जा सके।

कुछ माननीय सदस्य : ठीक है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur): Mr. Speaker, it is not right to drop calling attention. We cannot avoid the discussion on the matter of public importance.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : अल्प सूचना प्रश्न और ध्यानाकर्षण को छोड़ देने के लिए हम सहमत नहीं हैं।

डा० सुशीला नैयर (झांसी) : स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और आवास मंत्रालय की मांगों पर 1967, 1968, 1969 और अब 1970 में बिना चर्चा किये ही प्रत्येक वर्ष उन मांगों को स्वीकृति दे दी जाती है। यह बड़ा गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्य मंत्रणा समिति के सामने रखा जायेगा। इस पर मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्री वासुदेवन नायर के इस सुझाव का कि मध्याह्न भोजन का समय खत्म कर दिया जाये, मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को नहीं छोड़ा जाना चाहिये ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मध्याह्न भोजन का समय होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मध्याह्न भोजन का समय हम खत्म कर देंगे लेकिन ध्यानाकर्षण और अल्प-सूचना प्रश्नों को नहीं छोड़ेगें लेकिन मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इसमें अधिक समय न लें । अत: आज से 30 अप्रैल तक मध्याह्न भोजन का समय नहीं दिया जायेगा ।

श्री बे० कु० दासचौधरी (कूच-बिहार): श्रम, रोजगार और पुनर्वास की मांगों पर चर्चा करते हुए मैंने कहा था कि बेरोजगारी की समस्या बड़ा विकट रूप धारण करती जा रही है । प्रतिवेदन में 31 दिसम्बर, 1969 तक पंजीकृत रोजगार कार्यालयों में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 15.26 लाख दी गई है लेकिन इस विशाल समस्या को सुलझाने के लिय मंत्रालय ने स्पष्ट सुझाव नहीं दिये हैं । बेरोजगारों की वर्तमान स्थिति पर भी प्रकाश नहीं डाला गया है । बेरोजगारों की संख्या 31 दिसम्बर, 1968 तक 3 करोड़ से अधिक है । परन्तु सरकार ने इस समस्या को सुलझाने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये हैं । इस सभा में श्रमिक और वेतन नीति के बारे में काफी कहा गया है लेकिन पुनर्वास के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है ।

पुनर्वास विभाग ने भारत के प्रथम प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल जी द्वारा दिये गये आश्वासन को भूला दिया है । पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों को बसाने के लिए सरकार ने जिस उत्साह को प्रदर्शित किया, वह सराहनीय था परन्तु पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों को बसाने के लिए सरकार भेद-भाव की नीति अपना रही है जो कि ठीक नहीं है । आजाद कश्मीर के विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए उनकी विशेष समस्याओं को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने अनुग्रहार्थ अनुदानके रूप में 3500 रुपये उन परिवारों को दिये । लेकिन इस सरकार ने पूर्व पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों के प्रति वैसी सहानुभूति नहीं दिखाई है । पूर्व पाकिस्तान के विस्थापितों की समस्या को सुलझाने की अपेक्षा मंत्री महोदय कहते हैं कि जहां तक पूर्व पाकिस्तान के पुराने प्रवासियों का सम्बन्ध है, उनकी कोई समस्या नहीं है । यह बात ठीक नहीं है । मैं सरकार से सिफारिश करना चाहता हूं कि पूर्व पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों के साथ भी वही व्यवहार किया जाय जो पश्चिम पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित लोगों के साथ किया गया था अर्थात् इन्हें भी मुआवजा दिया जाये तथा शहरों और गांवो में सम्पति प्रदान की जाये । पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि भी दी गई थी । प्रतिवेदन के अनुसार उन्हें 192 करोड़ रूपये का मुआवजा दिया गया और 4,44,000 शहरी सम्पतियां, तथा 60 लाख एकड़ कृषि भूमि दी गई । लेकिन पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित लोगों के लिये जो पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित लोगों से काफी अधिक हैं, सरकार ने क्या किया है । पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपये से 300 करोड़ रुपये के खर्च होने का अनुमान लगाया है जो कि अपर्याप्त है । इसमें से अधिकांश धन संस्थापन प्रचार पर ही व्यय हुआ है । यद्यपि पिछले दो वर्षों में दण्डकारण्य परियोजना ने कुछ सीमा तक प्रगति की है लेकिन दिसम्बर, 1969 तक इस पर खर्च हुई 35 करोड़ रुपये की राशि में से 50 प्रतिशत से अधिक राशि राज्य सरकारों के द्वारा सड़कों के विकास और अन्य बातों पर खर्च हुई है । इन सभी वर्षों में विस्थापित लोगों के पुनर्वास के बारे में यही हुआ है अर्थात् 65 प्रतिशत तक संस्थापन प्रभार के रूप में है । इस प्रकार भारत के विभाजन के समय

राष्ट्रीय नेताओं द्वारा दिये गये आश्वासनों को कि इन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए प्रभारी कदम उठाये जायेंगे, सरकार ने इस पर पूरी तरह से अमल नहीं किया है ।

आसाम में विस्थापित लोगों के बारे में केन्द्र सरकार का कहना है कि आसाम में और अधिक विस्थापित लोगों को वह नहीं बसा सकती है क्योंकि आसाम सरकार के पास आसाम में और भूमि उपलब्ध नहीं है । लेकिन इस अवसर पर मैं भारत के नये राज्य मेघालय के मुख्य मंत्री को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने हाल में ही कहा है कि पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित लोगों को मेघालय में बसाने के लिए सभी संभव उपाय किये जायेंगे । लेकिन आसाम के मुख्य मंत्री ने ऐसा नहीं कहा है ।

यह सभी को मालूम है कि आसाम में जनसंख्या की सघनता भारत के सभी राज्यों से न्यूनतम है । अभी भी आसाम में भूमि है । परन्तु आसाम सरकार ऐसी नीति का अनुसरण कर रही है कि पूर्व पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित लोगों को आसाम में और अधिक बसाया नहीं जा सकता है । यह गलत ढंग है । 13 अक्तूबर, 1969 को आयोजित परामर्शदात्री समिति की बैठक में एक उप-समिति बनाई गई और उससे कहा गया कि वह आसाम सरकार से और विस्थापित लोगों को बसाने के लिए बात करे लेकिन आसाम सरकार ने पुनर्वास मंत्री को सूचित किया कि किसी समिति को आगे कार्यवाही करनी की आवश्यकता नहीं है । विभाजन के शिकार विस्थापित लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपेक्षा, कई मंत्री कहते हैं कि आसाम राज्य में रह रहे विशेष रूप से विस्थापित लोग सुस्त हैं और काम नहीं करना चाहते हैं ।

जांच समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि शरणार्थी निष्क्रिय हैं और अपनी दशा के लिए वे स्वयं ही उत्तरदायी हैं । चाय बागानों में विस्थापित लोग आराम तलबी पसन्द करते हैं तथा सरकारी सहायता पर निर्भर रहना चाहते हैं । ये आरोप आधारहीन नहीं हैं तथा इनमें कुछ सच्चाई है ।

इस तरह की यह समिति गठित हुई है तथा मंत्रालय को इस समिति ने ऐसा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । विस्थापित लोगों के प्रति इस तरह की निन्दनीय टिप्पणियां करना बहुत आसान बात है लेकिन यदि वे पिछले 20 अथवा 23 वर्षों को देखें, तो इस तरह की बातें कहने का साहस वे नहीं कर सकते हैं ।

दिल्ली के कालकाजी निवासियों के पुनर्वास के लिए हमने कई शिकायतें भेजी हैं और हमने मंत्रीजी के सामने यह भी कहा है कि आप विस्थापित लोगों की समस्याओं का समाधान करने की स्थिति में नहीं हैं । यदि देश में कोई कानून तोड़ने वाला है तो अपने कानूनों को ही सबसे पहले तोड़ने वाला तो भारत सरकार का पुनर्वास मंत्रालय है । कालकाजी कालोनी के शरणार्थियों को वे सभी सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं जो इन्हें विस्थापित पुनर्वास अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये कानूनों से मिलनी चाहिये थी । परामर्शदात्री समिति की बैठक में हमने इन सभी मामलों पर मंत्री जी के साथ चर्चा की थी और उन्होंने कहा था कि मामला विचाराधीन है और यदि उन पर नियम लागू होते हैं तो कालकाजी में बसे हुए विस्थापित लोगों को भी सभी सुविधाएं प्रदान की जायेंगी । अब ऐसा दिखाई देता है कि अधिकारियों के दबाव के परिणामस्वरूप मंत्री महोदय अपने दिये गये आश्वासनों को पूरा नहीं कर रहे हैं ।

मान ग्रुप आफ़ कैम्पस के कुछ उजडे हुए लोगों का प्रतिनिधि-मण्डल जो कुछ सप्ताहों से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रह रहे थे, मेरे साथ मंत्री महोदय श्री संजीवैया से मिला । इस बारे में मैंने उनसे अनुरोध किया कि ये शरणार्थी धीवर संप्रदाय के हैं तथा उन्हें भूमि के बीघे की जरुरत नहीं है अपितु उन्हें नदी के पास बसा दिया जाय ताकि वे अपने मत्स्य व्यापार चला सकें जो कि

उनकी आजीविका का साधन है । मैंने उन्हें यह भी बताया कि इन 29 परिवारों की छोटी सी संख्या को नैनीताल के पास रूद्रपुर में बसा दिया जाय जहां पर पुनर्वास मंत्रालय द्वारा कुछ सुविधाएं दी जाती हैं । मंत्री महोदय ने उसके उत्तर में कहा कि उन्हें अधिकारियों ने बताया है कि वहां पर ऐसी जगह नहीं है । क्या आप वहां पर एक दल भेजने के लिए तैयार हैं . . .

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री संजीवैया) : मैंने कभी यह नहीं कहा कि रूद्रपुर नाम की कोई जगह नहीं है अपितु मैंने यह कहा कि इन लोगों के लिए रूद्रपुर में कोई जगह नहीं है ।

श्री बे० कु० दासचौधरी : मंत्री महोदय को अपनी स्थिति को स्पष्ट करने का अधिकार है। लेकिन मैं चाहता हूं कि उन्हें अधिकारियों से पथ प्रदर्शन नहीं प्राप्त करना चाहिए । मंत्री महोदय का कर्तव्य है कि इस प्रकार की समस्या का समाधान वह स्वयं करे । केन्द्रीय अधिकारी सदैव अपने विचारों को रखना चाहते हैं तथा वे मंत्री महोदय को गलत दिशा पर ले जाते हैं । इसके कई उदाहरण मेरे पास हैं ।

कालकाजी में भूखंडों के अलाटमेंट में यही हुआ है । माननीय मंत्री से मैं अनुरोध करता हूं कि वे 5-12-69 तथा 23-4-70 के अतारांकित प्रश्न को अच्छी तरह पढ़े क्योंकि इन दोनों में दिये गये उत्तर से मतभेद दिखाई पड़ता है । 23 अप्रैल, 1970 को दी गई सूची के अनुसार नीलिमा सरकार को भूखंड दिया गया है लेकिन उसकी आय नहीं दिखाई गई है । लेकिन 5-12-69 को सभा पटल पर रखे गये विवरण में नीलिमा सरकार को सूची में सरकार सिंह एण्ड कम्पनी का भागीदार दिखाया गया है । श्री एन० सी० पाल को दो बार 160 वर्ग गज के भूखण्ड मिले हैं और दो विभिन्न चालान हैं तथा उन चालानों के नम्बर भी मेरे पास हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रायः दुगुना समय ले लिया है । अब खत्म करिये क्योंकि समय का निर्धारण दल-वार होता है । और आप दूसरे दलों का समय ले रहे हैं । कृपया बैठ जाइये ।

श्री बे० कु० दासचौधरी : मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि समय समय पर की गई सभी गम्भीर भूलों की जांच की जाये ।

अध्यक्ष महोदय : श्री अशोक मेहता द्वारा कभी आपत्ति की गई थी कि मध्यान्ह भोजन के समय मतदान नहीं होना चाहिए । स्थिति यह है कि यदि मतदान किसी विभाजन से होता है तो इसे रोक दिया जायेगा और इसे मध्यान्ह भोजन के समय के पश्चात् किया जायेगा । इस बीच हम अगला कार्य करते हैं और मतदान मध्यान्ह भोजन के समय के पश्चात किया जायेगा ।

Shri Molabu Prasad (Bansgaon): Mr. Speaker, Sir, when was a decision of this nature taken?

Mr. Speaker: I said that if the hon. Members want to press for a division on the cut motions that will be taken up after the lunch hour, that is after 2.00 p.m.

Shri Molabu Prasad: I am at a loss to understand when the entire procedure relating to voting was changed.

Mr. Speaker: This is so from the beginning.

डा० सुशीला नैयर (झांसी) समाजवाद के बारे में बहुत लम्बी चौड़ी बातें कही जाती हैं किन्तु कार्य की दृष्टि से हम सबसे बहुत दूर हैं । स्वतन्त्रता प्राप्ति के 23 वर्ष बाद भी हम बच्चों

द्वारा मजूरी करने की प्रथा को समाप्त नहीं कर पाते हैं। इसे तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिये। समान काम के लिये समान वेतन की बात को हम आज तक लागू नहीं कर पाये हैं। हम आशा कर रहे थे कि गांधी शताब्दी वर्ष में बालश्रम को समाप्त कर दिया जायेगा और सरकार ने कहा भी था कि वह इस समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। किन्तु संघ के किसी भी राज्य ने ठोस कदम नहीं उठाये हैं और इसके लिये केन्द्रीय मंत्रालय दोषी है।

दूसरी बात यह है कि श्रमिकों के पोषाहार और स्वास्थ्य से उत्पादिता का सीधा सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध में विदेशों में किये गये परीक्षणों से भी यह बात सिद्ध हो गई है। कम से कम सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में तो इसे लागू किया ही जा सकता है। सरकार के कितने ही बड़े बड़े निर्माण कार्य चल रहे हैं। उनमें काम करने वाली माताओं की हालत बहुत दयनीय है। वे अपने बच्चों को नरसिंग स्कूलों में नहीं भेज सकती हैं। उनके इतने साधन नहीं है। समाज कल्याण मंत्रालय आपकी श्रम मंत्रालय के परामर्श से सरकार को श्रमिक माताओं के बच्चों के लिये ऐसे स्थानों का प्रबन्ध करना चाहिये जहां वे अपने बच्चों को छोड़ कर काम पर जा सकें।

कर्मचारी बीमा योजना काफी लम्ब समय से चल रही है। योजना के चालू होने से अब तक प्रत्येक वस्तु के मूल्य में वृद्धि हुई है किन्तु डाक्टरों के वेतन में अभी तक कोई वृद्धि नहीं की गई है। कर्मचारी बीमा योजना के कर्मचारियों के परिवारों को भी इस योजना का लाभ आवश्यक रूप से दिया जाना चाहिये।

समाचार भारती एक सरकार द्वारा चलाई जा रही कम्पनी है और इसमें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के ऋणों के रूप में अधिकांश अंश हैं। इसमें श्रमिक विधियों का खुले तौर पर उल्लंघन किया जाता है। कम्पनी ने अपने कर्मचारियों को 5 प्रतिशत का न्यूनतम बोनस देने से भी इन्कार कर दिया है। और न ही मजूरी बोर्ड और मजूरी समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है।

रैलवे भारत की सब से बड़ी सार्वजनीक परियोजना है। वेतन निर्धारित करने के लिए जो आयोग बिठाया गया है उसके अनुसार मकान किराया 6 प्रतिशत है परन्तु वास्तव में 150 रुपये तक वेतन वाले लोगों से 7½ प्रतिशत वसूल किया जाता है। हजारों ऐसे क्वार्टर हैं जिन की कालावधि समाप्त हो चुकी है। यदि उन्हें भूल से निकाला नहीं जा रहा। यदि उन्हें भूल से निकाल दिया जाय तो शेष क्वार्टरों के लिए 6 प्रतिशत से अधिक किराया वसूल करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह इस ओर विशेष ध्यान दें ताकि बेचारे श्रमिकों को 6 प्रतिशत से अधिक मकान किराया न देना पड़े।

Shri Shiv Charan Lal (Ferozabad): Mr. Speaker, I want to draw the attention of Labour Minister towards the labour problems. Even after 23 years of independence, unemployment is increasing day by day. There is a vast disparity between the rich and the poor. I want to know if this is the justice which our Government, having faith in socialism, is doing unto different sections of our Society? Is it justice? The main reason for the failure of our Government to overcome unemployment problem is that no planned efforts have been made in this direction. A large number of 2 crores and 10 lakhs of people are running from pillar to past for employment. The situation is taking an explosive turn day by day. Even in the Fourth Plan nothing concrete has been done in this direction.

I want to draw your attention towards our villages when thousands of people are landless, houseless, unemployed and without any means of liveli-

hood." I want that these people should also be rehabilitated as the people who came from Pakistan or other places are being rehabilitated. There is a section of our people called valmikis who cleans the dirt of the entire country but they are still quite backward and so they need attention. They have been ignored altogether. The skilled labour of the villages should also be given employment opportunities.

I would also like to draw the attention of Labour Minister towards the mal-practices indulged in by private companies to harass the labourers. Recently, a Coco-Cola Factory and a Tea Factory have been set up at Agra. It is my Constituency. Several hundred boys and girls of my constituency are without jobs. They have been to these factories times without number but every time they were refused employment. The employment is being provided only to those who can afford to bribe, the others are not entertained. I tried to see the Managers of both the factories but they refused. I will request the Government to look into these affairs and cancel the licences of these companies.

When there was coalition Government in U.P. during 1967, there was a firing incident in which labourers were killed. A judicial inquiry was conducted into that incident. I want to ask the Government whether Mr. Modi was held defaulter in the judicial inquiry? If so, Has the Government taken any action against him? If so, what is the action taken against him?

I have great expectations from hon. Sanjivayya. He hails from a poor family and is fully alive to the miseries of the poor. Labourers are not getting their due today. Will he get them their due? The valmiki community is the most neglected community which is deprived of all the facilities. Special attention should be given to it.

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय की मांगों पर चर्चा में जिन विभिन्न माननीय सदस्यों ने भाग लिया है, मैं उनका आभारी हूं । उन्होंने जो उपयोगी सुझाव दिये हैं मैंने उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक सुना है ।

सर्वप्रथम मैं पुनर्वास मंत्रालय के सम्बन्ध में उठाये गये प्रश्नों का उत्तर दूंगा । श्री मलहोत्रा ने पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित की समस्या का उल्लेख किया है । इस सम्बन्ध में उन्होंने भारत तथा पाकिस्तान की सरकारों द्वारा इस समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की जो सराहना की है मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं ।

बर्मा तथा श्री लंका से आने वाले विस्थापितों के विषय में कुछ कहने से पूर्व मैं तिब्बत के विस्थापितों का उल्लेख करना चाहूंगा । तिब्बत से कुल 56,000 विस्थापित व्यक्ति भारत आये । इन में से केवल 20,000 को छोड़कर अन्य लोगों को पुनः बसाया जा चुका है । इनके 6500 बच्चों को शिक्षा सुविधायें दी जा चुकी हैं जिस पर 54 लाख रुपया प्रतिवर्ष व्यय आने की संभावना है । सरकार पहले ही इस समस्या पर 7.25 करोड़ रुपया व्यय कर चुकी है ।

बर्मा से कुल 1,78,500 व्यक्ति या 51,000 परिवार भारत आये हैं । इनमें से 42,548 परिवारों को किसी न किसी प्रकार की सहायता दी जा चुकी है । बर्मा से आने वाले अधिकांश लोग छोटे-छोटे व्यापारी हैं । इन लोगों के पुनर्वास के लिए 31-3-1970 तक के लिए राज्य सरकारों को 611.99 लाख रुपये का कर्ज और 157 लाख रुपये का अनुदान दिया जा चुका है । इस वर्ष के बजट में भी 42.06 लाख रुपये के अनुदान और 163.25 लाख रुपये के ऋण की व्यवस्था की गई है । 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अन्तर्गत 5.25 लाख व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा रही है और वे 15 वर्ष की अवधि में भारत लौटेंगे । 28-2-1970 तक

67915 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा चुकी है और वास्तव में 13,360 व्यक्ति भारत वापिस लौटे है। भारत लौटने वाले विस्थापितों को रामेश्वरम् में ठहराया जाता है। मंदापम् में एक स्वागत केन्द्र खोला गया है जिसमें 7000 परिवारों को एक साथ ठहराने की व्यवस्था है। हम इन लोगों के लिए केरल, मैसूर और मद्रास आदि में रोज़गार अवसर प्रदान करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। 1970-71 के बजट में इस कार्य के लिए 210.13 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

पूर्वी पाकिस्तान से लगभग 8.54 लाख विस्थापित व्यक्ति 1964-65 में भारत आये। उनके पुनर्वास का कार्य किया जा रहा है। माननीय सदस्यों ने प्रतिवेदन को पढ़ ही लिया होगा। इस वर्ष जनवरी से लेकर अबतक कुल 30,000 विस्थापित व्यक्ति भारत आये हैं और उन में से 18,000-20,000 को महाराष्ट्र के माना था चन्द्रपुर शिबिरों में बसाया जा चुका है। पहले एक महीने में 300 विस्थापित व्यक्ति आया करते थे परन्तु अब प्रतिदिन 300 विस्थापित व्यक्ति आ रहे हैं। अतः सम्पूर्ण बजट अनुमान में फेर-बदल करना पड़ रहा है। हमने इस कार्य के लिए अधिक धनराशि जुटा दी है। राज्य सरकारों से हम अनुरोध कर रहे हैं कि वे इन लोगों के पुनर्वास के लिए अधिक भूमि जुटाने का प्रयत्न करें।

कुछ सदस्यों ने माना शिबिर की शिकायतों का उल्लेख किया है। इन शिबिरों के कार्य की देख-रेख एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति कर रही है जिसके अध्यक्ष श्री नि० चं० चटर्जी जैसे सुप्रसिद्ध और सम्मानित राजनीतिज्ञ हैं। इस समिति के प्रतिवेदनों का अध्ययन योजना आयोग के साथ विचार विमर्श करके किया जा रहा है। मुझे आशा है कि इस समिति के अन्य प्रतिवेदन प्राप्त होने के शीघ्र बाद ही हम अपने इन भाग्यहीन भाई बहनों की समस्याओं को शीघ्र ही सुलझाने में सफल हो जायेंगे।

मेरे मित्र श्री दासचौधरी ने कहा है कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से आने-वाले विस्थापितों को दी जाने वाली सहायता में बड़ी असमानता है। उस का कारण यही है कि दोनों स्थानों से आने वाले विस्थापितों की परिस्थितियों में भी असमानता है। जैसे पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्ति अपना सब कुछ पीछे छोड़ आये हैं उसी प्रकार यहां से जाने वाले मुसलमान विस्थापित व्यक्ति भी अपना सब कुछ यहीं छोड़ गये हैं। अतः दोनों को एक दूसरे की जायदाद से हाथ रंगने का मौका मिल गया। इसीलिए तो इन दोनों को दी जाने वाली सहायता में असमानता है।

आसाम सरकार के रवैये का भी उल्लेख किया गया है। इस विषय पर सलाहकार समिति में भी अनेक बार चर्चा की जा चुकी है। असाम में मुख्य मंत्री तथा आसाम सरकार में 12,000 से अधिक परिवारों को बसाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। अपने वायदे के अनुसार उन्होंने 12,000 विस्थापितों को अपने राज्य में बसा लिया है। अब यदि उनकी इच्छा के विरुद्ध और विस्थापित उस राज्य पर मढ़ दिये जायें तो उन की स्थिति क्या होगी? क्या उनका वहां शान्तिपूर्ण ढंग से पुनर्वास हो सकेगा? अतः आसाम सरकार पर दबाव डालना ठीक नहीं। सलाहकार समिति ने और भी जितने निर्णय किये हैं वे पूर्ण रूप से कार्यान्वित किये जायेंगे।

हमारे देश में श्रम की स्थिति प्रायः अच्छी है। अपनी बात की पुष्टि के लिए मैं कुछ आकड़े प्रस्तुत करूंगा। श्री कुण्टू ने कहा है कि 1964 में लगभग 60 से 70 लाख श्रम-दिवसों की हानि हुई और 1969 में यह संख्या 160 लाख हो गई। मैं इन आंकड़ों का विश्लेषण करना चाहूंगा।

1964 वर्ष में शान्ति रहीं। 1962 में चीन के आक्रमण के बाद 1963 में भारत में औद्योगिक प्रगति का बोल-बाला हो गया। लोगों ने जी-जान से उत्पादन बढ़ाने की प्रतिज्ञा की। उस वर्ष न कोई हड़ताल हुई और न ही ताला बन्दी। इसीलिए इस वर्ष केवल 70 लाख श्रम-दिवसों की हानि हुई। यदि इन में से भी पश्चिमी बंगाल को निकाल दिया जाय तो केवल 50 लाख श्रम दिवसों की हानि हुई। इस संख्या के पांच गुणा बढ़ने के कारण स्पष्ट हैं और मुझे इनका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग बिजली और इंजीनियरी आदि में जो हड़तालें हुईं वही इस का प्रमुख कारण थी परन्तु अब उन के समझौते हो चुके हैं। मुझे आशा है कि भविष्य में यह आंकड़े कम ही होंगे। इसके साथ ही उत्पादन में जो दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है आशा है भविष्य में वह भी नहीं होगी।

कुछ लोगों ने केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध व्यवस्था की आलोचना की है परन्तु मेरा कहना है कि इस ने बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है। भारतीय श्रम अध्ययन संस्थान द्वारा 1965 से 1968 तक की अवधि के हाल ही में दिये गये अध्ययन के अनुसार इस ने 58 से 63 प्रतिशत झगड़ों को प्रारम्भिक विचार-विमर्श द्वारा ही निपटा दिया। शेष 23 से 28 प्रतिशत झगड़ों को समझौते द्वारा सुलझा दिया। अतः यह व्यवस्था एक अच्छा कार्य कर रही है। श्रमिकों और कर्मचारियों का इस व्यवस्था में विश्वास है। 1964 में इस ने 35,000 निरीक्षण किये और 1965 में 36,000। इन निरीक्षणों में 1964 में 1,57,000 अनियमितायें प्रकाश में आई, 1965 में 1,37,000 और 1969 में इन की संख्या 1,61,000 तक बढ़ गई। इसी प्रकार 1964 में 1,071 मुकदमें चलाये गये और 1965 में 1,489। अतः प्रत्येक वर्ष औद्योगिक सम्बन्ध व्यवस्था द्वारा इतनी बड़ी संख्या में मुकदमें चलाये जाते हैं।

श्रम मंत्रालय की आलोचना करते हुए मेरे मित्र श्री उमानाथ ने कहा है कि मंत्रालय की नीतियां श्रम विरोधी हैं। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि श्रम मंत्रालय अपनी सभी नीतियों का निर्धारण एक त्रि-पक्षीय निकाय द्वारा करता है जिसे भारतीय श्रम सम्मेलन कहा जाता है। इस में सभी श्रमिक-संघों के प्रतिनिधि होते हैं। जब मंत्रालय अपनी नितियां निर्धारित करते समय श्रमिकों के प्रतिनिधियों और भारतीय श्रम सम्मेलन आदि से सहयोग लेता है तो फिर मंत्रालय की नीतियां श्रम-विरोधी कैसे हो सकती हैं? श्री कुण्टू को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि जो भी आलोचना की जाये वह रचनात्मक हो न कि ध्वंसात्मक।

यह आलोचना भी की गई है कि श्रम मंत्रालय की कोई नीति नहीं है। उस से सम्बद्ध कभी कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं किया गया। यह ठीक है परन्त जब तक हम राष्ट्रीय श्रम आयोग से विचार विमर्श नहीं कर लेंगे तब तक कोई नई नीति प्रस्तुत नहीं करेंगे। राष्ट्रीय श्रम आयोग एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय थी जिसके अध्यक्ष भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री गजेन्द्रगड़कर थे। उस की सिफारिशों पर उचित ढंग से विचार किया जाना चाहिए। हमने भारतीय श्रम सम्मेलन और परामर्शदात्री समितियों में इन सिफारिशों पर खुली चर्चा की। इस श्रम विभाग के इतिहास में यह पहला अवसर है जबकि हम अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस, हिन्द मजदूर सभा आदि के नेताओं को एक साथ ला सके। नेता लोगों की अगले महीने के मध्य फिर बैठक हो रही है। मेरी आशा है कि उस में श्रमिक संघों के अभियान, उन को मान्यता देने और प्रतिनिधि संघों को निश्चित करने आदि के संबंध में मुख्य नीति निर्धारण पर सर्वसम्मति से कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकेगा।

इसके अलावा, एक अन्य बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। यह केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में श्रमिक-प्रबन्धक संबंध के मामलों को राज्य के अधिकार क्षेत्र से हटाकर केन्द्रीय सरकार के अधिकार सीमा के अन्तर्गत लाने के संबंध में है। कुछ साल पहले यह तय किया गया था कि कम से कम इस्पात कारखानों के श्रमिक संबंधों के मामलों को केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। अब इस संबंध में राष्ट्रीय श्रम आयोग ने स्पष्ट रूप से अपनी सिफारिशें की हैं। मुझे आशा है कि जल्दी के करीब हो रही स्थायी श्रम समिति की बैठक में इस पर उचित रूप से विचार किया जाएगा।

मेरे मित्र श्री उमानाथ ने कई योग्य श्रमिक संघों को मान्यता न देने के बारे मे कहा। इस संबंध में मुझे यह कहना है कि इस समय अनुशासन संहिता के आधार पर श्रमिक संघों को मान्यता दी जाती है जिससे सभी संबद्ध दल सहमत हुए थे। अगर कहीं भी इस स्थापित परम्परा का उल्लंघन किया गया है, तो उस मामले को केन्द्रीय कार्यान्विति मूल्यांकन समितियों के सम्मुख ले जाया जाता है, और अगर कहीं कोई गलती देखी गई है तो उसे ठीक भी किया गया है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपूर) : श्री उमानाथ ने बीमा प्रतिनिधि संघ की जो मान्यता वापस ली गई, उसके बारे में पूछा था, और मैं यह कहना चाहता हूं कि उस खास मामले पर पुनः विचार किया जाना चाहिए।

श्री डी० संजीवैया : राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों को मानकर नये कानून बनाने से पहले, अनुशासन संहिता के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।

विदेशी तेल कंपनियों के रवैये के बारे में श्री उमानाथ ने यहां कहा। यह सवाल असल में बहुत समय से वंचित रखा गया है। गोखले समिति ने इस पर विचार किया और उसके बाद मजूरी बोर्ड ने इस पर विचार किया और उनको महसूस हुआ कि स्थिति बहुत अधिक गंभीर होती जा रही है, अतः इस संबंध में कुछ न कुछ करना पड़ेगा। कर्मचारियों की स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति उनके लिए बहुत अधिक कठिनाइयां पैदा करती है। अतः हम औद्योगिक विवाद अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने पर विचार कर रहे हैं ताकि न केवल तेल कंपनियां बल्कि अन्य कंपनियां भी इसकी सीमा के अन्तर्गत आजाएं। इस बीच हम राज्य सरकारों से कह रहे हैं कि वे अपने कानूनों के उपबन्धों के आधार पर कार्रवाई करें।

श्री वेंकटस्वामी ने निर्माण श्रमिकों के बारे में कहा। 1964-65 में एक विधेयक तैयार किया गया था जिस पर एक त्रिदलीय निकाय में विचार भी किया था। मेरे विचार से इस विधेयक पर फिर विचार किया जाएगा और इस से निर्माण कार्य में जुटे हुए श्रमिकों को कुछ सुविधायें मिलेंगी।

फिर, श्री बिस्वास ने हिंसात्मक गतिविधियों और श्रमिक संघो की आपसी प्रति द्वंद्विता के बारे में कहा। असल में श्रमिक संघों की आपसी प्रतिद्वंद्विता हाल के कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल में खासकर असनसोल में उग्र रूप धारण कर गई। इसके कारण प्रायः आर्थिक हैं। जहां जहां इस प्रकार की घटनायें हुई थीं, वहां कानून और व्यवस्था की गंभीर समस्याएं पैदा हो गई। निमाहा जैसी कोयला खानों में हिंसात्मक संघर्ष छिड़ गए थे। इन संघर्षों में घातक हथियारों का प्रयोग किया गया। मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को इस के बारे में लिखा था।

माननीय सदस्य श्री देवन सेन ने हाल में उच्चतम न्यायालय द्वारा अस्पताल के कर्मचारियों के संबंध में दिये गए निर्णय के बारे में कहा। हम इस निर्णय के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : उन अवकाश गृहों के बारे में क्या स्थिति है जहां के अमरीकी डाक्टरों ने प्रतिनिधि मण्डल से कहा था कि हम भारतीयों की परवाह नहीं करते हैं ?

श्री डी० संजीवैया : वे मुझे मिले थे । मगर तत्संबंधी ब्यौरा समय के आभाव के कारण मैं नहीं दे सकता ।

अस्पताल के कर्मचारियों और विश्वविद्यालय के गैर-अध्यापन कर्मचारियों के संबंध में राष्ट्रीय श्रम आयोग ने मूल्यवान सिफारिशें दी हैं, मेरे विचार से वे बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन पर उचित रूप से ध्यान दिया जाएगा ।

जिस सदस्य ने अंत में भाषण दिया, उन्होंने सफाई कर्मचारियों के बारे में कहा । 1964–65 में हमने इस संबंध में अध्ययन करने में पहले की और राष्ट्रीय श्रम आयोग ने इस अध्ययन के निष्कर्षों से फायदा उठा कर महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं । हम उन पर निर्णय लेंगे ।

फिल्म उद्योग के कर्मचारियों ने भी अपनी असंतोषजनक स्थिति से सरकार को अवगत कराया । उनकी समस्याओं पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था । तमाम फिल्म कर्मचारी तीन कोटियों में आते हैं—(1) वे जो निर्माण विभाग में काम कर रहे हैं, (2) वे जो वितरण क्षत्र में काम कर रहे हैं और (3) वे जो प्रदर्शन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं ।इसके अलावा सर्कस कर्मचारियों की भी अपनी समस्यायें हैं । इस पर एक समिति नियुक्त की गई थी और उसका प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है । उस पर विचार किया जाएगा । रेल्वे स्टेशनों के विक्रेताओं और कुलियों की भी अपनी समस्यायें हैं । अब वे रेलवे मंत्री के निवासस्थान पर घरना दे रहे हैं । इस पर विचार करने के लिए भी हमने एक समिति नियुक्त की थी और उसका प्रतिवेदन हमारे पास है । जल्दी ही हम इस संबंध में कोई कार्रवाई करेंगे ।

डॉ० सुशीला नायर ने बाल श्रमिकों के बारे में कहा । बाल श्रम के निवारण के लिए आजा कानून है । उन्होंने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि श्रमिकों के स्वाथ्य की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि उत्पादन क्षमता बढ़े । इस पर बाद में विचार किया जाएगा । कर्मचारी राज्य बीमा की माली हालत बहुत अधिक बिगड़ी हुई है मगर हम चाहते हैं कि इस की वजह से डाक्टरों को कठिनाई न हो । समाचार भारती के कर्मचारियों को वेतन न दिये जाने के संबंध में और वेतन मंडल की सिफारिशों को कार्यान्वित न किये जाने के संबंध में कई पत्र सरकार को प्राप्त हुए हैं मगर यह राज्य सरकारों का विषय है । राज्य सरकारों को कानूनों को लागू करना चाहिए । हम इन मामलों के संबंध में राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर चुके हैं और मुझे आशा है कि शीघ्र ही ये सारी समस्यायें सुलझ जाएंगी ।

सभी सदस्यों ने श्रमिकों के बारे में कहा । अगर श्रमिकों की स्थिति में सुधार न किया जाए, तो वे देश के लिए उत्पादन नहीं बढ़ा सकते । उनके रहने के लिए साफ सुधरे मकान चाहिएं । भारत सरकार ने औद्योगिक आवास की योजना बनाई थी, मगर उस पर बहुत कुछ नहीं किया जा सका। मेरे सहयोगी श्री के० के० शाह ने आवास की सुविधायें और उसके लिए आवर्ती निधि बनाने के बारे में कहा । औद्योगिक श्रमिकों को आवास की सुविधायें प्रदान करना संभव है, यही उन का विचार है । आशा है स्थिति में बहुत जल्दी सुधार होगा ।

वेतन मंडलों की नियुक्ति की जाती है । वे 3 से 4 वर्ष तक का समय लेते है । अंतरिम राहत की भी व्यवस्था की जाती है । रिपोर्ट मिलने पर भी सरकार द्वारा इस की छानबीन को स्वीकार करने

में 6–7 महीने और लग जाते हैं। कई मालिक उन सिफारिशों से सहमत नहीं होते अत: मेरे सहयोगी श्री भागवत झा आजाद ने कहा कि सरकार मजूरी बोर्ड को सांविधिक निकाय बनाने के बारे में विचार कर रही है ताकि ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई की जा सके।

एक विदेशी द्वारा किये गए सर्वेक्षण में कहा गया है कि तीन कारणों से श्रमिक वर्ग को कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं। वे हैं, बीमारी, ऋण और शराब। यह सरकार का कर्तव्य है कि इन कारणों के उन्मूलन की दिशा में प्रभावी कदम उठाया जाए। उन्हें अधिक चिकित्सा की सुविधायें देने से और सहकारी संस्थाओं द्वारा उदार शर्तों पर ऋण देने से इन कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है।

श्रमिकों के मन में यह भावना पैदा होनी चाहिए कि कारखाना उनका अपना है। इस के लिए संयुक्त प्रबन्धक समितियां बनाई गई हैं। अब तक 43 संयुक्त प्रबंध समितियां बनाई गई हैं जिनमें से 30 सरकारी क्षेत्र में और 50 गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं। और अधिक समितियां गठित की जानी चाहिए और उन का कार्य प्रभावी ढंग से चलाया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार आयोग की यह सिफारिश कि निदेशकों के मंडल में एक श्रमिक को निदेशक नियुक्त किया जाना चाहिए। हम थोड़े परिवर्तन के साथ इस पर विचार कर रहे हैं। श्रमिक का दर्जा क्या होना चाहिए अगर वह कारखाने में निरन्तर काम करेगा, तो क्या होगा, किस प्रकार का अनुशासन कार्य कियजायेगा, आदि आदि बातों पर विस्तार से विचार किया जा रहा है।

इस प्रकार श्रमिक को निदेशक नियुक्त करने से, श्रमिक वर्ग को एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक संतोष प्राप्त होगा। अत: हम श्रमिकों की साझेदारी के संबंध में विचार कर रहे हैं जिस से वह उपक्रम में एक साझेदार बनेगा। जालंधर के एक गाँव में एक इंजीनियरिंग उद्योग में 50 प्रतिशत शेयर श्रमिकों का है। इस के लिए श्रमिकों को ऋण मिलता है। उसके कुल नौ निदेशकों में से छ: श्रमिक हैं। वे बहुत अधिक लाभ भी कमा रहे हैं।

अत: हम इस विषय को भारतीय श्रम सम्मेलन या स्थायी श्रम समिति के विचारार्थ रखना चाहते हैं। हमारी कोशिश यह रहेगी कि पहले यह सरकारी क्षेत्र में लागू किया जाए और उसके बाद गैर-सरकारी क्षेत्र से भी इस को लागू करने के लिए कहेंगे।

लाभ के वितरण का एक अन्य तरीका है। वह अधिलाभांश अधिनियम के द्वारा किया जाता है। मगर उसका अबतक का कार्य संतोषजनक नहीं है। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री ने अपने बजट के भाषण में परिवार पेंशन और बीमा योजना बनाने की घोषणा की थी। यह योजना केवल उन पर लागू होगी जो भविष्यनिधि के लिए 45 प्रतिशत देते हैं और जो इस में शामिल होने की अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। अब ऐसे 41 लाख कर्मचारी हैं जो 4 प्रतिशत की दर से भविष्य निधि के लिए राशि देते हैं। उन में से, हमारा अनुमान है, 75 प्रतिशत लोग इस योजना में शामिल होने की इच्छा प्रकट करेंगे। हमारे देश में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के इतिहास में यह पहला अवसर है जब कि सरकार परिवार पेंशन और बीमा योजना में भाग ले रही है। जब श्रमिकों का शेयर 1¼ है तो कारखाने के मालिक का शेयर 1¼ और सरकार का भी शेयर 1¼ है। अत: 3½ प्रतिशत की निधि बनाई जाएगी और यह परिवार पेंशन या बीमा राशि के रूप में दी जाएगी। भविष्य में जो भी श्रमिक भविष्यनिधि में राशि जमा करेगा वह आप ही आप इस योजना के अन्तर्गत आयगा। न्यूनतम पेंशन 40 रुपए और अधिकतम पेंशन 150 रुपए है। अगर सेवाकाल में किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो उस के परिवार को पेंशन के अलावा आश्वासन राशि के रूप में 1,000 रुपए मिलेंगे। अगर वह जीता है, तो उसे 4,000 रुपए मिलेंगे। हमारे अनुमान के मुताबिक भारत सरकार का शेयर एक साल में 7.6 करोड़ रुपए है। इस साल बजट

में 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके प्रशासनिक कार्यों का व्यय भारत सरकार करेगा। यह 15 लाख से अधिक नहीं होगा। इस साल बजट में 10 लाख की व्यवस्था की गई है।

जहां तक कोयला खानों के मजदूरों का संबंध है, हम उपदान योजना के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कर्मचारियों का अंशदान 4 प्रतिशत से बढ़ा कर 10 प्रतिशत हो जाये। इस दो प्रतिशत की निधि बनायी जानी चाहिए और खान के मजदूरों को उपदान दिया जाना चाहिए।

एक अन्य योजना पर भी विचार किया जा रहा है। वह है, उत्पादन के आधार पर वेतन दिया जाना। उत्पादन की निश्चित सीमा निर्धारित की जाएगी और अगर कोई श्रमिक उस समय के अन्तर्गत अधिक उत्पादन करता है, तो उसे अपने वेतन के अलावा कुछ और राशि दी जाएगी। आशा है कि श्रम सम्मेलन इस पर गहराई से विचार करेगा।

कई माननीय सदस्यों ने खतिहर मजदूरों के बारे में कहा उनका वर्ग सब से असंगठित वर्ग है। उन की दुःखद स्थिति को सुधारने के लिए 1948 में न्यूनतम मजूरी अधिनियम पास किया गया और उस के आधार पर विभिन्न राज्यों में यह निश्चित की गई। नीचे विभिन्न राज्यों में न्यूनतम मजूरी संबंधी विवरण दिया जा रहा है :—

	(रुपये)
केन्द्रीय सरकार	2.50 से 3.70 तक
आन्ध्र प्रदेश—1968	1.50 से 3.00 तक
असम—1959	1.50 से 2.00 तक
बिहार—1968	2.50
गुजरात—फरवरी—1968	1.25 से 3.00 तक
हरियाणा—1969	3.50 से 5 तक (भोजन सहित) या 5 से 7 तक (बिना भोजन)
केरल—जनवरी—1969	4.50
मध्य प्रदेश	1.25 से 1.75 तक
तमिल नाडु	0.75 से 1.25 तक
महाराष्ट	0.62 से 1.00
मैसूर	1.85 से 2.35
उड़ीसा	1.00 से 1.75 तक
पंजाब	2.00 से 3.00 तक (भोजन सहित)
राजस्थान	2.00
उत्तर प्रदेश	1.50 से 1.80 तक
पश्चिम बंगाल	2.77 से 3.54 तक
दिल्ली प्रशासन	1.50 से 2.00 तक
हिमाचल प्रदेश	2.50

श्री सेझियान (कुम्बकोंणाम) : किस साल में तमिल नाडु में यह निश्चित की गयी थी ?

श्री डी० संजीवैया : 1959 में उसके बाद उन्होने उस को नहीं बढ़ाया । अब हम इस विषय पर राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करेंगे और इन दरोंकों बढ़ाने के लिये कहेंगे । अन्य सभी राज्यों में मजूरी की दर समूचे राज्य में लागू की गई, तो तमिलनाडु और महाराष्ट्र में केवल कुछ भागों में ही लागू की गई है । और असली कठिनाई उसके प्रवर्तन की है । अत: हमने राज्य सरकारों से और अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति कर इस को शीघ्र लागू करने के लिए कहा है ।

खेतिहर मजदूरों को संगठित करने संबंधी कुछ सिफारिशें श्रम आयोग ने की थी; हम उन पर उचित ध्यान देंगे ।

भमिहीन मजदूरों के अलावा ऐसे खेतिहर भी हैं जिन के पास केवल 2 से $2-\frac{1}{2}$ एकड़ जमीन है । गाँवों में उनकी संख्या सर्वाधिक है । चूंकि बैंकों का राष्ट्रीकरण किया गया है, अत: इन खेतिहर मजदूरों को और अन्य छोटे किसानों को ऋण दिया जाएगा वे छोटे उद्योग या कुक्कुट पालन आदि अन्य कुटीर उद्योग आरम्भ कर सकते हैं । यही उन के लिए अच्छा होगा ।

इसके अलावा अगर जोत की सीमाबंदी कानून को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू नहीं किया जाएगा और भूमिहीनों को भूमि बाँट दी जाएगी, तो इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकेगा । भूमि का स्वामी किसान होना चाहिए । कृषि मंत्री महोदय एक राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन कर रहे हैं । उसके द्वारा खेतिहर मजदूरों की स्थिति का सही पता लगाया जाएगा ।

श्रमिकों का शिक्षाकार्य पिछले कई सालों से चल रहा है । हमने 10 लाख श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया है । जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए और खुद श्रमिकों को नेता बनना चाहिए ।

मैं आशा करता हूँ कि कटौती प्रस्ताव वापस लिया जाएंगा और मांगे स्वीकृत की जाएंगी । . . **(व्यवधान)**

श्री स० मो० बनर्जी: मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वेतन आयोग को, जिस में कोई श्रमिक प्रतिनिधि नहीं है, नियुक्त करते समय उनसे परामर्श किया गया था? उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या वे प्रधान मंत्री से सिफारिश कर रहे हैं कि श्रमिकों को इस में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? क्या अंतरिम राहत देने के संबंध में निर्देश पदों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या गृहमंत्री और श्रममंत्री में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाने पर बातचीत हो रही है ? क्या सभी सरकारी कर्मचारी संगठनों ने इस का विरोध किया है और यदि हां, तो गृह-मंत्रालय को उन्होंने क्या सिफारिश की है? **(व्यवधान)**

Shrimati Laxmi Bai (Medak) : Women do participate in agricultural labour. The Minister told about the condition of men working as agricultural labour. They work on daily wages of Rs. 2 to Rs. 2.70. I would like to know the condition of women engaged in agricultural labour.

Shri Deorao Patil (Yeotmal) : The National Labour Commission has given a very good suggestion that the rural employment service should be extended to all such places where more than 10 thousand of labourers live. I would like to know the time by which it will be implemented.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubhani) : May I know whether Government have any programme under which all the able-bodied persons who are willing to work may get work at least for 100 days in a year and some other scheme under which agricultural workers may organise themselves into trade unions and they should be recognised by gram Panchayats ?

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : माननीय सदस्य ने उन बातों की उपेक्षा की है जो मैंने उठायी थी ।

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : लगभग सभी सदस्यों ने देश में बेरोजगारी की समस्या का उल्लेख किया है किन्तु माननीय सदस्य ने उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा ।

श्री डी० संजीवैया : मैं श्री बनर्जी को बताना चाहता हूँ कि वेतन आयोग को नियुक्त करने से पूर्व श्रम मंत्रालय से परामर्श किया गया था । किन्तु उसने जो परामर्श दिया था वह नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वह गोपनीय है । कृषि-श्रमिकों में स्त्री और पुरुष दोनों ही सम्मिलित हैं । जहां तक राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिश की क्रियान्विति का सम्बन्ध हैं, जुलाई के अन्त में स्थायी श्रम समिति की बैठक होगी और उसमें इस बारे में अन्तिम निर्णय किया जायेगा । जहां तक बेरोजगारी की समस्या का सम्बन्ध है, केवल एक सप्ताह पूर्व इस विषय पर लम्बा वाद-विवाद हुआ था और हमने यह वचन दिया था कि देश में बेरोजगारी तथा अर्ध-बेरोजगारी की समस्या पर एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जायेगी । यह न केवल बरोजगारी के बारे में सर्वेक्षण करेगी, बल्कि वह इस समस्या के समाधान के उपाय भी सुझायेगी । सभी सदस्यों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना मेरे लिए सम्भव नहीं है । वैसे हमने सभी बातों को लिख लिया है और सभी पर विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 12, 13 और 33 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The cut motion Nos. 12, 13 *and* 33 *were put and negatived.*

कटौती प्रस्ताव संख्या 34, 35, 36, 38 और 39 सभा की अनुमति ले वापस लिए गये ।

The cut motion Nos. 34, 35, 36, 38 *and* 39 *were by leave, withdrawn.*

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 42, 43, 44 से 51, 52 से 75, 76 से 81 85 से 98, 99 से 108, 112 से 117 और 118 से 138 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

The cut motions Nos. 42, 43, 44 *to* 51, 52 *to* 75, 76 *to* 81, 85 *to* 98, 99 *to* 108, 112 *to* 117 *and* 118 *to* 138 *were put and negatived.*

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं और वे पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।

The following Demands in respect of Ministry of Labour Employment and Rehabilitation were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपये)
67	श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय .	74,52,000
68	खान सुरक्षा महानिदेशक . .	50,93,000
69	श्रम और नियोजन	15,55,69,000
70	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय . .	6,55,26,000
71	श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय का अन्य राजस्व	8,81,000
127	श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	4,62,89,000

प्रतिरक्षा मन्त्रालय

Ministry of Deffence

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों पर चर्चा की जायेगी । इसके लिए सात घंटे का समय नियत किया गया है ।

वर्ष 1970-71 के लिए प्रतिरक्षा मन्त्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपये)
1	रक्षा मंत्रालय . .	1,54,73,000
2	रक्षा सेवाएं सक्रिय थल-सेना	6,55,74,17,000
3	रक्षा सेवाएं, सक्रिय जल सेना	48,57,50,000
4	रक्षा सेवाएं, सक्रिय वायु सेना	1,76,25,00,000
5	रक्षा सेवाएं, निष्क्रिय .	38,31,67,000
105	रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	1,15,83,33,000

कटौती प्रस्ताव

प्रतिरक्षा मन्त्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
				(रुपये)
1	25	श्री स० कुन्दू	उड़ीसा में हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट संयंत्र में उसी राज्य के इंजीनियर न लेना ।	100
1	26	श्री स० कुन्दू	पिछड़े राज्यों में आयुध कारखाने न लगाना ।	100
1	27	श्री स० कुन्दू	बालासौर के चांदीपुर-आन-सी स्थित प्रमाण एवं प्रयोग केन्द्र में सुधार एवं विस्तार न करना ।	100
105	28	श्री स० कुन्दू	चांदीपुर-आन-सी में एक आयुध कारखाना न लगाना, जहां एक प्रमाण एवं प्रयोग केन्द्र पहले ही चल रहा है ।	100

1	2	3	4	5
				रुपये
105	29	श्री स० कुन्दू	उड़ीसा में अमरदा हवाई अड्डे को अपने नियंत्रण में न लेना ।	100
105	40	श्री स० कुन्दू	आयुध कारखाने में लगे नैमित्तिक श्रमिकों की सेवाएं स्थायी न बनाना ।	100
1	101	श्री शिव चन्द्र झा	भारत की जो भूमि अभी तक विदेशी आक्रमकों के अधिकार में है, उसे छुड़ाने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
1	102	श्री प्र० के० देव	विद्यार्थियों को रक्षा के मामलों में अधिक जागरूक बनाने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पावटे समिति की सिफारिशों को लागू न करना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
1	66	श्री प्र० के० देव	शत्रुओं के कब्जे से भारतीय क्षेत्र के बारे में 14 नवम्बर, 1962 को दिये गये राष्ट्रीय वचन को पूरा न करना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
1	67	श्री प्र० के० देव	देश में पंचमार्गियों की बढ़ती हुई गतिविधियों को प्रभावी ढंग से न रोकना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
1	68	श्री प्र० के० देव	जीवन के जीवन-स्तर, राशन और अन्य सुविधाओं में सुधार न करना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
1	69	श्री प्र० के० देव	जवानों की पारिवारिक समस्याएं सुलझाने के लिए प्रत्येक राज्य में सम्पर्क अधिकारी नियुक्त न करना जो कि राज्य सरकारों से मिलकर इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करें ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
1	70	श्री प्र० के० देव	सुरक्षा के बहाने सैनिक तैयारी के बारे में सभा को कुछ न बताना ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।

1	2	3	4	5
1	71	श्री प्र० के० देव	भारतीय सेना के अजय होने के बारे में सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों में विश्वास पैदा न करना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
1	72	श्री प्र० के० देव	बहुत पेचीदा भारक और रक्षात्मक उपकरणों के उत्पादनों को, और नये डिजाइनों और सुधरी तकनीक को इनके उत्पादन में काम में न लाने के बारे में सुव्यवस्थित प्रक्रिया न अपनाना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
1	73	श्री प्र० के० देव	चिल्का झील के निकट नौसेना छात्र प्रशिक्षण संस्थान न बनाना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
1	74	श्री प्र० के० देव	भुवनेश्वर में एक छावनी न बनाना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
1	75	श्री प्र० के० देव	प्रादेशिक सेना को अधिक प्रभावी न बनाना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
1	76	श्री प्र० के० देव	सैनिक गुप्तचरी को सुव्यवस्थित न करना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
1	77	श्री प्र० के० देव	कोरायट स्थित हिन्दुस्तान विमान-निर्माण कारखाने में उड़ीसा के सिविल इंजीनियरों को न खपाना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
1	78	श्री प्र० के० देव	एक और विमान-वाहक पोत अर्जित करने का विचार छोड़ देना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
1	79	श्री प्र० के० देव	सेना छात्रों को अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करके प्रशिक्षण देने की वांछनीयता विशषकर तमिलनाडु में ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।

1		3	4	5
1	80	श्री प्र० के० देव	शस्त्रास्त्रों की जटिलता की दृष्टि से रक्षा कर्मचारियों का शैक्षिक-स्तर ऊंचा उठाने के बारे में डा० सी० एस० महाजनी समिति की सिफारिश लागू न करना।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये।
1	81	श्री प्र० के० देव	60 प्रतिशत आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों को नियमित सेना में न लेना।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये।
1	82	श्री प्र० के० देव	'मिग' विमानों के निर्माण में समय-सीमा के अनुसार कार्य पूरा न करना।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये।
1	83	श्री प्र० के० देव	प्रादेशिक सेना की यूनिटों की कमांड इसी सेना के अधिकारियों के हाथ में न देना।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये।
1	84	श्री प्र० के० देव	उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तावित 'सिसल' रस्सों को स्वीकार न करना।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये।
1	103	श्री रामावतार शास्त्री	दानापुर छावनी बोर्ड के निकट मुबारकपुर गांव के किसानों को उनकी अर्जित भूमि का मुआवजा देने में अनावश्यक विलम्ब।	100 रुपये
1	104	श्री रामावतार शास्त्री	दानापुर छावनी बोर्ड में चांदीमारी क्षेत्र का विस्तार करने के लिए किसानों की कृषि-योग्य भूमि अर्जित करना।	100 रुपये
1	105	श्री रामावतार शास्त्री	दानापुर छावनी बोर्डके तुरहा-टोली मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	106	श्री रामावतार शास्त्री	छावनी बोर्ड के अन्तर्गत प्रत्येक मालिक-मकान से जल-कर के अतिरिक्त तीन रुपये वसूल करने की गैर-कानूनी कार्यवाही।	100 रुपये

1	2	3	4	5
				रुपये
1	107	श्री रामावतार शास्त्री	छावनी बोर्ड के अन्तर्गत मालिक-मकानों को अपने मकानों में फेर-बदल करने की सुविधाएं न देना।	100
1	108	श्री रामावतार शास्त्री	सैनिकों के प्रयोग के लिए अर्जित किए गए मकानों को मालिक-मकानों को इनकी आवश्यकता पड़ने पर भी न लौटाना।	100
1	109	श्री रामावतार शास्त्री	छावनी बोर्ड के अध्यक्ष को भी उपाध्यक्ष की भांति सदस्यों में से निर्वाचित करने की आवश्यकता।	100
1	110	श्री रामावतार शास्त्री	छावनी बोर्ड के अन्तर्गत 'पुराने अनुदान' के तौर पर प्राप्त भूमि पर मकान बनाने से पूर्व यह प्रतिज्ञापत्र लिखवाना अनिवार्य बनाने की आवश्यकता कि "भूमि का स्वामित्व सरकार का है।"	100
1	111	श्री रामावतार शास्त्री	छावनी बोर्ड की कार्यावधि तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करने की आवश्यकता।	100
1	112	श्री ओम प्रकाश त्यागी	सेवा निवृत्त सैनिकों को सीमावर्ती क्षेत्रों में बसाने की उपेक्षा।	100
1	113	श्री ओम प्रकाश त्यागी	परमाणु अस्त्रों के निर्माण की उपेक्षा।	100
1	114	श्री ओम प्रकाश त्यागी	शत्रु की सेना की संख्या तथा उसकी गतिविधियों का पता लगाने वाली व्यवस्था को सुदृढ़ न बनाना।	100
1	115	श्री ओम प्रकाश त्यागी	सैनिकों के वेतन तथा अन्य भत्तों में अधिकारियों के वेतन और भत्तों के अनुरूप वृद्धि न करना।	100
1	116	श्री ओम प्रकाश त्यागी	पाकिस्तानी वायु-सेना द्वारा भारतीय वायुसीमा के उल्लंघन को रोकने में असफलता।	100

1	2	3	4	5
				रुपये
1	117	श्री ओम प्रकाश त्यागी	जैसलमेर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर अपर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध ।	100
1	118	श्री ओम प्रकाश त्यागी	भारत-चीन और भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भर्ती किये गये कमीशंड अधिकारियों को भारमुक्त करना ।	100
1	119	श्री ओम प्रकाश त्यागी	पर्वतीय लोगों को सेना में भर्ती करने में उपेक्षा बरतना ।	100
1	120	श्री ओम प्रकाश त्यागी	भारतीय जल सीमा की सुरक्षा के लिए समुचित नौ-सेना का प्रबंध करने में असफलता ।	100
1	121	श्री ओम प्रकाश त्यागी	हिन्द महासागर के भारतीय द्वीपों में सैनिक चौकियां स्थापित करने में उपेक्षा बरतना ।	100
1	122	श्री ओम प्रकाश त्यागी	सेना के सेवामुक्त कमीशनप्राप्त अधिकारियों को वैकल्पिक रोजगार न देना ।	100
1	123	श्री रामावतार शास्त्री	फौजी सामानों के मामले में देश को आत्म निर्भर बनाने में असफलता ।	100
1	124	श्री रामावतार शास्त्री	फौजी गुटों से पृथक रहने की नीति को और मजबूत करने की आवश्यकता ।	100
1	125	श्री रामावतार शास्त्री	मिग विमानों के उत्पादन में होने वाले विलम्ब को समाप्त करने की आवश्यकता ।	100
1	126	श्री रामावतार शास्त्री	अवकाश-प्राप्त फौजियों को मिलने वाली पेंशन की रकम में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	100
1	127	श्री रामावतार शास्त्री	अवकाश-प्राप्त फौजियों के पुनर्वास की असंतोषजनक व्यवस्था ।	100

1	2	3	4	5
				रुपये
1	128	श्री रामावतार शास्त्री	जवानों को प्रगतिशील एवं वाम-पंथी विचारों का साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता ।	100
1	129	श्री रामावतार शास्त्री	जवानों के बीच धर्म निर्पेक्षता के सिद्धांत पर नियमित रूप से भाषण-माला आयोजित करने की आवश्यकता ।	100
1	130	श्री रामावतार शास्त्री	फौजों में अश्लील एवं साम्प्रदायिक प्रचार-प्रसार को रोकने की आवश्यकता ।	100
1	131	श्री रामावतार शास्त्री	फौजों में ब्रिटिश राज के जमाने की बचीखुची बुराइयों को दूर करने की आवश्यकता ।	100
1	132	श्री रामावतार शास्त्री	जवानों को पदोन्नति देने में असफलता ।	100
1	133	श्री रामावतार शास्त्री	जवानों से अफसरों का व्यक्तिगत काम लेने की प्रथा का अन्त करने की आवश्यकता ।	100
1	134	श्री रामावतार शास्त्री	दानापुर छावनी बोर्ड की सड़कों की दुरावस्था को ठीक करने के लिए अधिक राशि देने की आवश्यकता ।	100
1	135	श्री रामावतार शास्त्री	फौज में अल्प-संख्यक जातियों के जवानों की भर्ती करने में भेद-भाव बरतना ।	100
1	136	श्री रामावतार शास्त्री	बिहटा हवाई अड्डा के निकट बसें मूसेपुर ग्राम आदि के ग्रामीणों को हवाई अड्डा के कर्मचारियों द्वारा तंग करना ।	100

1	2	3	4	5
				रुपये
1	137	श्री रामावतार शास्त्री	बिहटा हवाई अड्डा के लिए सिमरी ग्राम के किसानों की अर्जित भूमि की मेड़ों पर लगे पेड़ों का मुआवजा देने में ढील-ढाल ।	100
1	138	श्री रामावतार शास्त्री	जवानों के वेतन में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	100
1	139	श्री वेणी शंकर शर्मा	जवानों को घटिया अनाज तथा मिलावट वाले दूध और अन्य खाद्य-पदार्थों की सप्लाई बन्द करने में असफलता ।	100
1	140	श्री वेणी शंकर शर्मा	हमारी नौसेना को आधुनिक पनडुब्बियां उपलब्ध करने में असफलता ।	100
1	141	श्री वेणी शंकर शर्मा	चीन और पाकिस्तान द्वारा हथियाये गये क्षेत्रों को वापिस लेने में असफलता ।	100
1	142	श्री वेणी शंकर शर्मा	सीमाओं पर विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में होने वाली मुठभेड़ों को रोकने में असफलता ।	100
1	143	श्री वेणी शंकर शर्मा	सीमाओं के इस पार से पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा पशु उठा कर ले जाने, हमारी खड़ी धान की फसल को लूटने की घटनाएं रोकने में असफलता ।	100
1	144	श्री वेणी शंकर शर्मा	साम्प्रदायिक दंगों को भड़काकर देश में तोड़फोड़ की घटनाएं कराने तथा अशांति उत्पन्न करने के उद्देश्य से सीमाओं के पार से आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा घुसपैठ रोकने में असफलता ।	100

1	2	3	4	5
				रुपये
1	145	श्री वेणी शंकर शर्मा	कृषि ऋण तथा अन्य सुविधाएं देकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सेवा-निवृत्त सैनिकों को बसाने की आवश्यकता ।	100
1	146	श्री वेणी शंकर शर्मा	सेना को आधुनिक तथा परमाणु शस्त्रास्त्र देने में असफलता ।	100
1	147	श्री वेणी शंकर शर्मा	चीन तथा पाकिस्तान की कड़ी धमकियों को ध्यान में रखते हुए परमाणु बम बनाने से बार-बार इंकार करने में सरकार की जिद्द ।	100
1	148	श्री वेणी शंकर शर्मा	जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय छात्र सेना दल बनाया गया था उन्हें प्राप्त करने में दल की असफलता ।	100
1	149	श्री वेणी शंकर शर्मा	राष्ट्रीय छात्र सेना दल को वास्तविक तथा व्यावहारिक आधार पर नया रूप देने की आवश्यकता ।	100
1	150	श्री वेणी शंकर शर्मा	राष्ट्रीय छात्र सेना दल को जो हास्यास्पद हो गया है, विघटित करने तथा राष्ट्रीय आपात होने पर प्रतिरक्षा की दूसरी पंक्ति बनाने के उद्देश्य से अपने विद्यार्थियों को सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए दूसरा दल बनाने की आवश्यकता ।	100
1	151	श्री वेणी शंकर शर्मा	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की आजाद हिन्द फौज की तरह हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई तथा अन्य धर्मों के सभी जवानों के लिए सामान्य रसोईघर बनाने की आवश्यकता ।	100

1	2	3	4	5
				रुपये
1	152	श्री वेणी शंकर शर्मा	जवानों की सेवा की शर्तों में सुधार करने की आवश्यकता ।	100
1	153	श्री वेणी शंकर शर्मा	सैनिक गोदामों में वस्तुओं की बर्बादी और चोरी को रोकने में असफलता ।	100
1	154	श्री वेणी शंकर शर्मा	रूस से सैनिक सामग्री तथा फालतू पुर्जों की सप्लाई पर अधिक निर्भर न करने की आवश्यकता ।	100
1	155	श्री वेणी शंकर शर्मा	कुछ एक देशों पर ही निर्भर न रह कर विश्व के किसी देश से खुले आम सैनिक सामग्री खरीदने की नीति अपनाने की आवश्यकता।	100
1	156	श्री वेणी शंकर शर्मा	अपनी नौ सेना के लिए लड़ाकू तथा अन्य सैनिक विमानें एवं लड़ाकू जहाज देश में ही बनाने की आवश्यकता ।	100

डा० द० स० राजू (राजमंण्ड्रि) : यह ठीक नहीं है कि श्री स्वर्ण सिंह को दो मंत्रालयों का भार संभालना पड़ता है । कार्य की महत्व और समय की गम्भीरता को देखते हुये दो मंत्रालयों का कार्य-भार समालना स्वयं मंत्री महोदय, मंत्रालय तथा देश के साथ अन्याय है ।

[श्री श्रीचन्द गोयल पीठासीन हुये]

[Shri Shri Chand Goyal *in the Chair*]

मंत्री महोदय हमारी प्रतिरक्षा क्षमता आदि के विषय में बहुत आशाजनक बातें कहते हैं किन्तु देखना यह है कि क्या हमारी विदेश नीतिके साथ हमारी प्रतिरक्षा तथा सामरिक नीति का कोई सामंजस्य है ? क्या हम अपने सभी प्रसाधनों को गतिशील रखने में समर्थ रहे हैं; क्या हमने वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति से लाभ उठाया है; पाकिस्तान तथा चीन जैसे पड़ौसी देशों के साथ हमने दूरदर्शिता से जो पग उठाने हैं क्या हम उनके प्रति सजग है; और क्या हमारा गृह विभाग हमारे प्रतिरक्षा प्रयत्नों में सहायक सिद्ध हो सकता है ? ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके आधार पर हमें यह मूल्यांकन करना है कि क्या हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने योग्य है ?

1962 के युद्ध के पश्चात से ही तथा उसके पश्चात पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के पश्चात से मंत्रालय ने प्रगति की और अनेक कदम उठाये हैं । प्रतिरक्षा कार्यों में आत्मनिर्भरता के प्रति मंत्रालय ने उचित दिशा में कदम उठाकर महत्वपूर्ण प्रगति की है ।

मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में कहा गया है कि हमने गोली चलाने वाले यंत्रों के मामले में काफ़ी प्रगति की है, सेना का विस्तार किया गया है। हमारे आयुद्ध कारखानों से स्वचालित राइफ़लें सप्लाई की जा रही हैं। इन कारखानों में बम्ब, राकेट, प्रक्षेपणास्त्र आदि भी बनाये जाते हैं। इस प्रकार प्रतिवदन में एक बहुत अच्छा चित्र प्रस्तुत किया गया है।

1970–71 के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय को 1000 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। देखना यह है कि इतनी बड़ी राशि का उचित उपयोग किया जाता है कि नहीं ? हमें अपने इस बजट पर बहुत सोच विचार कर राशि नियत करनी चाहिये। आज अमरीका भी अपने सैनिक बजट पर वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में विचार करने लगा है, क्योकि संसार में सभी ओर उनके कुछ बाडे हैं जिन्हें पूरा करने के लिये सैनिक शक्ति पर वह इतनी राशि व्यय नहीं कर सकता।

सैन्य का विस्तार किया गया है। जहां तक सैनिक शक्ति का सम्बन्ध है, हमारी सेना प्रशिक्षत है। परन्तु संसार आज 1914 तथा 1938–39 के पूर्व की परिस्थितियों से गुजर रहा है। पता नहीं कब संसार युद्ध की चपेट में आ जाय। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूँ कि हथियार लड़ाई को जीतने हारने के लिये अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। मानवता के इतिहास के प्रारम्भ से ही यह प्रमाणित किया जा सकता है कि सदैव ही लड़ाईयां हथियारों के बल पर जीती हारी जाती रही हैं। आज संसार के सभी देश लगभग 30,000 लाख डालर की धन राशि प्रतिरक्षात्मक साधनों पर व्यय कर रहे हैं। यह सब व्यर्थ नहीं जायगा। किसी भी दिन विश्व युद्ध छिड सकता है।

विज्ञान तथा तकनीकि प्रगति के संदर्भ में आज के अणु विशेषज्ञ यह कहते है कि 10,000 डालर की लागत से बम बना सकते हैं। इतनी छोटी राशि से यदि बम बनाना संभव है तो प्रत्येक देश ऐसा करने के लिये तत्पर होगा। इन सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए हमें यह देखना है कि हम किस सीमा तक अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं।

जहां तक नौसेना का सम्बन्ध है, हमारा समुद्रतटीय प्रदेश बहुत बड़ा है और नौसेना के मुख्याधिकारी पर्यटन पोत या युद्ध पोत आदि की संख्या बढ़ाने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि ये पोत पुराने ढंग के हैं। ये पोत केवल प्रशिक्षण के लिये उपयोग में लाये जा सकते हैं। हम युद्धपोत निर्माण के योग्य भी नहीं है क्योंकि इसमें बहुत धन राशि खर्च होगी और कई वर्ष लगेंगे। तब हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा किस प्रकार कर सकेंगे? इसके लिये पनडुब्बी तथा तारपीडो नौकायें सर्वोत्तम हैं। जापान के पास उत्तम प्रकार की तारपीडो नौकायें उपलब्ध हैं। ये 40 मी० प्रति घन्टे की गति से चलनेवाली नौकायें हैं। यदि हमें अपने समुद्र तट की रक्षा करनी है तो कई सौ तारपीड़ों नौकायें खरीदनी होंगी।

आजकल के युद्ध के लिये वायूसेना तथा नौसेना का समान रूप से सक्षम होना आवश्यक है। परन्तु युद्ध की बदलती हुयी नीतियों के संदर्भ में हम छापामार युद्ध का किस प्रकार सामना करेंगे ? चीन नागाओं तथा नक्सलवादियों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दे रहा है और हमारी पूर्वोत्तर सीमा इस प्रकार के युद्ध के लिये उपयुक्त स्थल है। ये लोग गिरोहों में आते हैं और प्रसारण आदि प्रक्रियाओं में तोड़फ़ोड़ करके जनता में हीं मिल जाते हैं। तो इस प्रकार के युद्ध का सामना किस प्रकार किया जा सकता है। इसके साथ ही चीन अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेणास्त्र का प्रयोग भी कर सकता है क्यों कि वहाँ से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक उपग्रह अभी अभी छोड़ा गया है। इस प्रकार के अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेणास्त्र से स्पातसंयत्र तथा उर्वरक संयत्रों को तोड़ा जा सकता है। पाकिस्तान भी ऐसा ही कर सकता है, तब इसका सामना करने के लिए हमारे पास क्या उपाय है ?

जहाँ तक वायू सेना का सम्बन्ध है हमारे पास अच्छे और अधिक संख्या में लड़ाकू विमान उपलब्ध हैं। परन्तु क्या इन विमानों की संख्या से ही किसी देश को विजय मिल सकती है ? इसराइल ने अरब के वायूयानों को हवाई अड्डों पर ही नष्ट कर दिया था। अतः हमारी सामरिक नीति भी इस सम्बन्ध में बहुत महत्वपूर्ण है ।

लड़ाकू विमान प्रतिरक्षात्मक कार्यों के लिए बहुत ही उत्तम सिद्ध हो सकते है। इन विमानों से आक्रमण नहीं किया जा सकता, इन से केवल अपनी सुरक्षा की जा सकती है। यह अवश्यक नहीं है कि बन्दूक का उत्तर बन्दूक से और टैंक का उत्तर टैंक से ही दिया जाय। लड़ाई का पहला नियम यह है कि शत्रु को अधिक से अधिक हानि पहुँचाई जाय और साथ ही इस बात को ध्यान में रखा जाय कि अपनी हानि कम से कम हो। वह हमारी प्रतिरक्षा नीति के अनुकूल भी है। इस विचार से लड़ाकू विमान हमारे लिये उपयुक्त हैं, बमवर्षक नही। अतः हमारे पास अधिक से अधिक संख्या में लड़ाकू विमान होनें चाहियें। इसके पश्चात हेलीकाप्टर आते हैं और ये भी हमारे लिये लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। भारत चीन के युद्ध में हेलोकाप्टर बहुत उपयोगी सिद्ध हुयें हैं।

आज के युग में आधुनिक तकनीकी उपकरणों की बहुत आवश्यकता है। इन उपकरणों के परिवहन के लिये आधुनिक तरीके अपनाये जाने चाहियें। सैनिकों पर इन उपकरणों का भार नहीं लादा जाना चाहिये क्यों कि सैनिक को मोर्चे पर शीघ्र अति शीघ्र पहुँचनें की आवश्यकता होती है। यदि सैनिक बहुत अधिक भरे हुये हैं तो किस प्रकार वे स्वयं मोर्चे पर पहुँच सकते हैं और किस प्रकार इन उपकरणों को ले जा सकते हैं ? अतः इन उपकरणों आदि के परिवहन के लिये आधुनिकतम साधन होने चाहियें ।

हमारा सीमा क्षेत्र पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण बहुत बड़ा क्षेत्र है। अतः हमें परिवहन यानों की सूविधा उपलब्ध करनी आवश्यक हैं। इस सम्बन्ध में हमारी रेलवे प्रसारण तथा अन्य परिवहन सुविधा का उचित रुप में उपलब्ध होना भी आवश्यक है ।

हमारी पूर्वोत्तर सीमाओं पर बहुत ही अस्थिरता है। बंगाल में कानून और व्यवस्था भंग हो चुकी है। आसाम और बंगाल में बहुत अधिक शरणार्थी आ रहे है। प्रत्येक राज्य में ही अशान्ति फैली हुई है। गरीबी का बोलबाला है। इन सभी बातों का देश की प्रतिरक्षा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है ।

एक सनिक के पीछे लगभग 100 व्यक्ति काम करते हैं। हमें प्रयोगशालाओं और उद्योगों आदि में कार्य करना होता है। इन सभी कर्मचारियों को उस सिपाही के साथ सहयोग करना है जिसे मोर्चे पर लड़ने के लिए भेजा गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नवीकरण किया जाना चाहिये। केवल शस्त्र सेना ही युद्ध नही करती है बल्कि युद्ध में समस्त देश सम्मलित होता है। अतः देश के राजनीतियों वैज्ञानिकों, दार्शनिको, शिक्षाशास्त्रियों, अध्यापकों उपकुलपतियों, श्रमिकनेतीओं, उद्योगपतीयों और किसानों आदि सभी को एक होकर कार्य करना चाहिये। हमें सबको मिलकर देश की रक्षा करनी है। यदि गृह विभाग में असफल है तो मोर्चे पर भी ऐसी ही स्थिति होगी। अतः जब तक हमारे प्रसाधन गतिशील नहीं होंगे, जब तक हमारे देश में नैतिक और भावात्मक एकता नहीं होगी तब तक युद्ध नहीं जीता जा सकता है। हमारी सेनामें प्रशिक्षित है, उनमें क्षमता है, अनुशासन है, परन्तु फिर भी उनका मनोबल देश के मनोबल पर निर्भर है।

भूतपूर्व कर्मचारियों के पुनर्वास की समस्या पर चर्चा की गई है। यदि हमारे सिपाहियों को यह विश्वास होगा कि उनके के परिवारों को उनके पश्चात अच्छी सुविधायें प्राप्त होती रहेंगी तो उनका मनोबल उंचा रहेगा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर अवश्य ही ध्यान दिया जाना चाहिये ।

सेना, नौसेना तथा वायू सेना में कार्य करने वाले कुछ कर्मचारियों को बहुत कम वेतन दिया जाता है। कितने ही वर्ष से इनके वेतनमानों का पुनरिक्षण नहीं किया गया है। आज के युग में इन लोगों को जीवन यापन करना भी दुर्लभ है। इस विषय की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये ।

सेना के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों से नागरिक सुरक्षा का कार्य किया जा सकता है जो लोग सीमावर्ती प्रदेशों के रहने वाले हैं उनको वहीं पर नागरिक सुरक्षा का कार्य दिया जा सकता है। चीन ने भी इसी प्रकार की नीति अपनाई हैं।

राष्ट्रीय श्रम सेना योजन बहुत संतोषप्रद हैं। पता नहीं सरकार इस के महत्वको क्यों कम कर रही है ।

आजाद हिन्द फौज के 1,700 कर्मचारियों के खातों को अभी तक भी अन्तिमरुप नहीं दिया गया है। ये लोग भूखें मरते है, भीक मांगते है परन्तु उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

यदि 1962 में चीन ने हमारे देश पर आक्रमण न किया होता तो संभव तथा आज हम इस स्थिति में नहीं होते। उन्होंने वास्तव में सोते भारत को जगा दिया है। अब हम अपने देश की सुरक्षा के लिये प्रत्येक संभव कार्यवाही करनी चाहिये ।

Shri Sita Ram Kesari (Katihar): Mr. Speaker, there is a history behind the demand of the Defence Ministry which has now inflated to Rs. 1151 crores. The two aggressions of 1962 and 1965 by China & Pakistan, respectively, have forced us to make such a huge provision for the defence. Even today we are providing only 3 per cent of our budget for defence purposes, while other countries are making a provision of 8, 9 and upto 10 per cent of their budgets.

Our Frontiers are not well guarded. American military aid to Pakistan after 1965 has touched the 1500 million dollar mark. Russia and China are also providing sufficient arms aid and financial aid to Pakistan. This poses a formidable challenge to the country's defence preparedness. As has been said, ex-army soldiers should be rehabilitated in the border areas. This will provide a good protection to our borders. China has already constructed strategic roads in Pakistan and Nepal. All this has made our borders very sensitive. You are also aware of this fact that China has made a huge concentration of army in Tibet, which is awating orders to attack. Therefore, the Government should take immediate steps to rehabilitate these ex-soldiers on our borders.

As regards submarines, Pakistan is more powerful than India. To face the situation we must strengthen our fleet of submarines and battle-ships, we must be self-sufficient in these production.

Apart from that there is yet another danger before us. America has always been selling arms and ammunition to the whole world. Ten years ago America used to sell arms and ammunition worth two and a half billion dollars. At present, the total consumption of arms and ammunition all over the world is of the order of 5 billion dollars in which American exports account for 4 billion dollars. Similarly Russia which is professedly a socialist country is also exporting war material worth one thousand dollars. So we should be wary and vigilant and guard ourselves against the countries that sell arms and ammunitions to us and our enemy countries and try to put on against the other. These things should be stopped. It is highly deplorable that Russia, who through its good offices had brought about Tashkent Declaration is now landing Pakistan with arms and ammunition ostensibly to wean her away from China. But it is manifest that the entire aid is expressly against our interests. When America gave military aid to Pakistan, the former had declared that it would not be used against India. But what happened? Those weapons were used against India openly. So I would urge the hon. Minister to be fully watchful to all these situations.

Coming to the question of Indian ocean, I agree that there is no power vacuum there. I also agree that coastal countries should have full liberty to enter it. But my apprehension is that big nations will like to have union naval presence in the Indian Ocean and this should not be allowed by our Government. Hon. Minister should be fully watchful to the situation.

India is a Democratic country. The vastness of its size, its greatness and its organised power has engendered "feeling of fear even in the minds of bigger Nations because they feel that India is the only great democratic country in the world which can deter all from preparating injustice. That is why they are against India. Hon. Minister has made efforts to strengthen our defence services. It is praisworthy. I congratulate the hon. Defence Minister, his colleagues and the staff of the Ministry for giving their full co-operation in strengthening the Ministry. With these words, I support the Demands for Grants of the Defence Ministry.

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि ये प्रेरणारहित हैं तथा जनता एवं संसद सदस्यों के मन में यह विश्वास उत्पन्न करने में असमर्थ है कि देश किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। 1151.51 करोड़ रुपये की मांगें प्रस्तुत की गई है। गत वर्ष की अपेक्षा इन मांगों में 47 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। फिर भी मुझे आशा है कि सदन बिना किसी संकोच के इन मांगों को पारित करेगा।

भारत-चीन युद्ध तथा भार-तपाकिस्तान युद्ध के बाद से देश की जनता सजग हो गई है और उसने अनुभव किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जबकि इस बात में दो मत नहीं हैं कि सुरक्षा के लिहाज से ऐसी चीजों को गुप्त रखा जा सकता है लेकिन शिकायत यह है कि जो सूचना शत्रु को प्राप्त है, वह हमको नहीं बताई जाती। अकसाई चीन सड़क का निर्माण, लद्दाख, दाराहोटी तथा लोंगजू आदि में भारतीय भूमि के बड़े हिस्सेपर चीन के कब्जे की घटनाओं को पांच वर्ष तक गुप्त रखा गया। जनता को तो इस तथ्य से वंचित रखा जाता है कि भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी है पर विदेशी शैक्षणिक निकाय भारतीय सनिको की संख्या का अनुमान लगा लेते हैं। सुरक्षा के नाम पर जानकारी न देने से हमारे मन में सुरक्षा तैयारी के बारे में संदेह होने लगता है। जनता को सुरक्षा के उपायो से परीचित कराने में कोई हानि नहीं बल्कि उससे तो देश की जनता के मन में विश्वास की भावना ही उत्पन्न होगी। दूसरे ऐसी बातों पर चर्चा राष्ट्रहित में तो होगी ही साथ ही लोगों के मनोबल को मजबूत बनाने में भी सहायक सिद्ध होगी। अत: सूचनाओं से पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए।

चीनी के हाथों हमारा जो अपमान हुआ है, उससे हमारा विश्वास उग गया है और हमारी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा है। यद्यपि श्री लाल बहादूर शास्त्री ने हमारी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का कुछ सीमा तक सफल प्रयास किया था फिर भी यह सत्य है कि राष्ट्रीय विश्वास कम होता जा रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गांधी जी के चित्र और उनका साहित्य जलाया जा रहा है, उनकी मूर्तियों को नष्ट किया जा रहा है। देश के बड़े हिस्से में माओ के इतहार चिपकाए जा रहे हैं। माओ की लाल किताब भगवत् गीता बन गई है। दिन दहाड़े लूट, डाके, आगजनी की घटनाएं होती है, लड़कियों के साथ बलात्कार किया जाता है उपद्रवी नागाओं, नक्सलवादियों और मिजो लोगों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित किया जा रहा है। स्वयं माननीय प्रधान मंत्री ने मद्रास में 18-4-70 के भाषण में स्वीकार किया है कि सरकार स्थिति का सामना करने में असमर्थ है। क्या प्रतिरक्षा मंत्री इस स्थिति से अवगत है यह अहितकर घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसी घटनाओं का सामना करने के लिये जवाबी कार्रवाही की जानी चाहिए। तभी जनता के मन में यह विश्वास उत्पन्न किया जा सकता है कि देश किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर है। ऐसी कार्रवाही से ही जनता के मन में देश भक्ति की भावना उत्पन्न हो सकती है। देश की सुरक्षा के बारे में जनता को भाषण दिए जाने चाहिये। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस पहलू पर विचार करने के लिए पावटे समिति नियुक्त की थी और समिति ने कई सिफारिशें भी रखी हैं परन्तु उन सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया। युवा-पीढ़ी को सुरक्षा के प्रति जागरुक बनाने के लिए कदम उठा जाने चाहिए। कोई भी विश्वविद्यालय डिग्री छात्र को तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक वह दो वर्ष तक सेना में सक्रिय सेवा न कर ले। समझ में नहीं आता कि राष्ट्रीय केडट कोर, जो पहले अनिवार्य थी, अब अनिवार्य क्यों नहीं है? सेवा निवृत्त सैनिक अधिकारियों द्वारा सरकारी नीति की आलोचना सम्बन्धी जो पुस्तकें लिखी जाती है, उन पर अप्रसन्नता क्यों प्रकट की जाती है? बर्फीले पहाड़ों, समुद्रों, द्वीपीय भूमि तथा लम्बी भू-सीमा के कारण हमारी सुरक्षा समस्या में कई विविधताएं है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। हमें हर प्रकार के युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। लोक लेखा समिति ने 69 वे प्रतिवेदन में इस पहलू पर विचार किया है और सुझाव दिया है कि विमान, समुद्री जहाज और संचार उपकरणों के मामले में 15 वर्षीय योजना बनाई जानी चाहिए। समिति ने प्रतिवदनों में आश्चर्य जनक वाले रहस्यों के उद्घाटन किए हैं। प्रतिरक्षा मंत्री को इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लेनी चाहिए।

यह अच्छी बात है कि संगणकों का प्रयोग शुरु किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि विभिन्न क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाना चाहिए।

चीन तथा पाकिस्तान भारत के शत्रु देश हैं और भारतीय सीमा के साथ जुड़ हुए हैं। दूसरी ओर चीन और पाकिस्तान की सांठ-गांठ हो रही है। हमने सुना है कि सिक्यांग और गिलगिट के बीच गुप्त मार्ग बनाया गया है और चीनी टी 59 टैंक गुप्त मार्ग से आ रहे हैं। यह भी पता लगा है कि चीन के पास 115 डिवीजन है जिसमें से 50 डिवीजन चीन-रूस सीमा पर, 50 डिवीजन चीन के दक्षिणीपूर्वी समुद्री तट पर और 10-15 डिवीजन तिब्बत में नियुक्त हैं।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय और प्रतिरक्षा मंत्रालय के कार्यों के बीच समन्वय होना चाहिए। इसे प्रतिरक्षा मंत्रालय नीति प्रधान होने की अपेक्षा प्रबन्ध प्रधान हो सकेगा। हमारा जवान देश की हथियाई हुई भूमि को वापिस लेने का जी तोड़ प्रयत्न करता है और उधर वैदेशिक-कार्य मंत्रालय चीन से बात प्रारम्भ करता है। इससे हमारे जवान का उत्साह भंग हो जाता है।

रक्षा पर चीन कुल राष्ट्रीय उत्पाद का 10 प्रतिशत व्यय करता है और पाकिस्तान 6 प्रतिशत जबकि भारत केवल 3.5 प्रतिशत ही रक्षा पर व्यय करता है हालांकि युद्धनीति अध्ययन संस्थान, लन्दन ने इस बात पर जोर दिया है कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद का अधिकांश रक्षा पर व्यय किया जाए। पाकिस्तान को अमरीका से बड़े पैमाने पर सहायता प्राप्त हुई है। इसी प्रकार रूस ने भी पाकिस्तान को हथियार देने की हामी भरी है ताकि पाकिस्तान भी युद्ध-स्तर की दृष्टि से भारत के बारबर हो सके। इस सम्बन्ध में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

चीन ने 22 सितम्बर, 1969 को नवां अणु परीक्षण किया और यह अपने आप में पहला अन्तर्मोम परीक्षण था। चीन ने 100 से भी अधिक बम जमा कर रखे हैं और जबसे चीन भू-उपग्रह छोड़ कर अन्तरिक्ष में प्रविष्ट हो गया है, उससे ऐसा लगता है कि चीन ने अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र बना लिया है। प्रतिरक्षा मंत्री कृपया स्पष्ट उत्तर दें।

यूरेनियम भण्डारों के अलावा विश्व के कुल भण्डार का 90% थोरियम भारत में है और महत्वपूर्ण अणु अस्त्रों का निर्माण किया जा सकता है। परन्तु अणु बम के निर्माण के बारे में भिन्न-भिन्न अनुमान हैं। प्रतिरक्षा अध्ययन संस्थान के कर्नल रामा राव के अनुसार इस पर 750 करोड़ रुपये से 6,000 अथवा 8,000 करोड़ तक व्यय होने का अनुमान है।

भारत के मुकाबले में चीन के लक्ष्य क्षेत्र दूर हैं और भारत असुरक्षित स्थिति में है। इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने सैनिक संस्थाओं और आयुध कारखानों को भारत के दक्षिणी भागों में स्थापित करें। सीमा संघर्षों में अणुअस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरा पक्ष भी अणुअस्त्रों का प्रयोग करेगा। मेरी पार्टी के विचार में अणु अस्त्र सुरक्षा-अस्त्रों के रूप में उपयोगी नहीं हैं, क्योंकि ये अत्याधिक महँगे हैं और इनसे हमारी आर्थिक प्राप्ति रूक जाती है। इन अस्त्रों के प्रयोग से मानव जाति का सर्वनाश हो सकता है। चीन की धमकी के विरूद्ध भारत की मित्रता की भावना और विश्व जनमत सबसे बड़ा बचाव का साधन है। वियेना में पिछले सप्ताह प्रारम्भ हुई सामरिक महत्व के शस्त्रास्त्रों को सीमित करने विषयक वार्ता के बारे में आशावादी विचार व्यक्त किये गये हैं और इससे हेलसिन्की वार्ता की अपेक्षा अच्छे परिणाम निकलने की आशा है। अमेरिका की सीनेट के विरोध के बावजूद, अमेरिका की सरकार प्रक्षेपणास्त्र आदि अस्त्रों के निर्माण में जुटी हुई है। रूस इसको विरोध तो करता है, मगर वह भी इन अस्त्रों के निर्माण-कार्य में लगा हुआ है। मुझे आशा है कि मध्य-पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया की स्थिति तृतीय विश्व-युद्ध की ओर अग्रसर नहीं होगी।

सुरक्षा व्यवस्था के मामले में अधिक अच्छे संचार साधन और अधिक अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता है। सुरक्षा सेवाओं के अधिकारियों को विज्ञान और तकनीकी ज्ञान से अवगत कराया जाना चाहिए।

हमारे जवानों को, जो हर वक्त अपनी जान हथेली पर रखकर देश की रक्षा करते हैं, पूर्ण सम्मान मिलना चाहिए और इनके बच्चों की पढ़ाई, उनकी लड़कियों की शादी, खेती और सूदखोरों के जुल्म से बचाने की व्यवस्था करने के लिए सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को जैसलमेर, बीकानेर, कश्मीर, नेफा और नागालैण्ड जैसे खतरनाक क्षेत्रों में बसाया जाना चाहिए। यह चिन्ता का विषय है कि इमरजेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों में से केवल 42% को ही नौकरियों में लाया जा सका है। सभी अधिकारियों को सरकारी उपक्रमों आदि में खपाकर उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए।

उड़ीसा में, 6000 एकड़ भूमि भुवनेश्वर में एक छावनी बनाने के लिए अलाट की गई है। इसका शीघ्र निर्माण किया जाना चाहिए।

सीमा सुरक्षा दल प्रतिरक्षा की द्वितीय पंक्ति है। सीमा सुरक्षा दल की कमान सम्भालने का काम सीमा सुरक्षा क्षेत्र के अधिकारियों को सौंपा जाना चाहिए। उनकी सेवा शर्तों, खाद्य सामग्री और अन्य सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए। 15 अथवा 20 साल की सेवा के पश्चात् उन्हें भी अन्य जवानों की तरह पेंशन सुविधाएं में मिलनी चाहिए।

वायु सेना के मामले में, मुझे यह कहना है कि नैट विमानो के स्थान पर मिग 21, मिस्टर्स के स्थान पर मारुत, एच० एफ० 24 का प्रयोग किया जाना चाहिए। सुधरे हुए हवाई बचाव के लिए गतिशील और स्थिर राडार यंत्रों की स्थापना की जानी चाहिए। यह अत्यधिक चिन्ता का विषय है कि हिन्दुस्थान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के कोरापुट प्रभाग ने 1964 में प्रथम इंजन का निर्माण किया था और दो वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री ने उद्घाटन भी किया था, परन्तु अभी तक मिग विमान का निर्माण नहीं हो सका है। जब तक इसका निर्माण होगा तब तक यह अप्रचलित और पुराना हो जायेगा। रूस ने इस क्षेत्र में आशातीत विकास किया है। कोरापुट डिवीजन में उड़ीसा के उन सिविल इन्जीनियरों को खपाया जाना चाहिए जिन्होंने उसके निर्माण में हाथ बँटाया है। आयुध कारखानें देश के विभिन्न भागों में स्थापित किये जाने चाहिएं और उड़ीसा में भी आयुध कारखाने उचित अनुपात में होने चाहिएं।

हमारा समुद्र तट काफी लम्बा है और हमारी नौसेना का यह दायित्व है कि वह समुद्रतटीय क्षेत्र की रक्षा करे और हिन्द महासागर के मार्ग से होने वाले हमारे व्यापार को अबाध गति से चालू रखे। दूसरे, विमान-वाहक जलयान को प्राप्त करने का विचार त्याग देने के क्या कारण हैं? अण्डमान और कार निकोबार में वायु सेना की आधार-भूमि का विकास किया जाना चाहिए। लक्कादीव और अमिनदीवी द्वीपसमूहों में भी नौसेना की आधार-भूमि बनाई जानी चाहिए।

स्वेज नहर के शेष भाग से ब्रिटीश नौसेना के हटा लिये जाने के निर्णय से हमारी नौसेना की जिम्मेदारी बढ़ी है। हमें जापान, मलयेशिया, आस्ट्रेलिया और इस प्रकार के अन्य देशों के सहयोग से रिक्तता की स्थिति की पूर्ति करनी चाहिए। सोवियत संघ के अणु पनडुब्बियों से सुसज्जित जलयान इस क्षेत्र में आ सकते हैं और हमारा हिन्द महासागर पर कुछ भी नियन्त्रण नहीं रहेगा अथवा प्रशान्त महासागर स्थित अमरीकी नौसेना इस क्षेत्र पर कब्जा कर सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur): It appears from the current events, that every country is worried about its security and trying its best for making preparations. The working of this Ministry has been appreciable as is evident from the speeches made by members.

The broad aim of defence policy of any country is to further the cordial relations with its neighbouring countries and to avoid interference in the internal affairs of another country. But alongwith this, we should defend the integrity and the frontiers of our country. Today we have to watch the activities of our neighbour countries, as their activities are the greatest danger to our security. So far as Pakistan is concerned, it has been violating the provisions of Tashkent Agreement all the time.

A few days back the Prime Minister had said that at present we should not raise the issue of atomic weapons. But this matter needs to be reconsidered in view of the growing atomic power of China.

We have a great danger from Pakistan as well. Pakistan had received military assistance to the extent of 1500 million dollars till 1965. She has received 250 tanks, two squadrons of bombers and 120 Mig aircraft from China after 1965. We would have to bear this aspect also in our mind.

For maintaining high morale of the armed force, it is absolutely necessary to have superior type of weapons. A war to day is not fought merely with weapons, people and the Defence Forces should have a high morale and there should be a feeling of self-confidence in the country and in the jawans of the Defence Forces, which can be there only when we have superior weapons in a large quantity.

There was a provision of 300 crores of rupees for the year 1962, whereas the budget provision for the year 1970-71 is 1151 crores of rupees. I would request the Minister to ensure that the amount is spent in a proper manner. We should pay attention to improving the service conditions of lower ranks of the Defence Forces, particularly the soldiers.

The output of all the seven public section factories was to the tune of 22 crores of rupees during the year 1966-67, which has gone up to the extent of 134 crores of rupees during 1969-70. This is not satisfactory. The Praga Tools Ltd. and the Goa Shipyard have public shares. The shares should not be held by public in the factories engaged in defence production. The Government should take over them and see that the shortcomings therein are removed. All the components and spare parts should be produced within the country.

The Hilly area of Himachal Pradesh is just near the border of China, but there is no Sainik School in Himachal Pradesh. A school may be established in Kangra District. There should also be an air base in Himachal Pradesh. The Third Pay Commission should also consider the service conditions of Defence personnel. The officers should be appointed by promotion from the regular army. The Government should also look after the interests of the retired service personnel. The pensioners should get pension at the enhanced rates with effect from 1st April, 1970.

The retired Defence personnel should be rehabilitated in the border areas of Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Assam, Bengal, Punjab and Gujarat.

The Himachal Pradesh is a border State and we should see that conditions do not deteriorate there. The demands of 1,25,000 non-gazetted employees, who are on strike for the last five days may be considered sympathetically.

श्री जय सिंह (होशियारपुर) : यह पहला मौका है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में पाकिस्तान और चीन के साथ हुए संघर्षों को युद्ध की संज्ञा दी गई है। हमें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हम घृणा और हिंसा के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते, मगर दूसरे देश ऐसा नहीं सोचते। ऐसा मालूम पड़ता है कि युद्ध उनकी राष्ट्रीय नीति है। युद्ध के लिए पूर्णतया तैयार रहने से ही स्थायी शान्ति स्थापित हो सकती है।

यह सोचना पूर्णतया गलत है कि रक्षा की जिम्मेदारी फौजों की है। सेनायें तो अपने क्षेत्र की विशेषज्ञ हैं और उन्हें सरकार के नियंत्रण में कार्य करना होता है। समग्र राष्ट्र सामूहिक रूप से लड़ता है और जीतता अथवा हारता है। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि राष्ट्र की सुरक्षा की दायित्व पूरे राष्ट्र का है और यह प्रश्न दलगत राजनीति से परे हैं।

सफलतापूर्वक युद्ध करने के लिए जनता के मनोबल को बढाना अनिवार्य हैं। हमारे जैसे समाज में जनता के मनोबल को बढाने और उनमें बलिदान की भावना को बढाने में विधायकों की एक विशेष जिम्मेदारी है। दूसरी बात है आर्थिक स्थायित्व, चालू वर्ष का बजट घाटे का है और सरकारी

क्षेत्र के सभी उद्योग घाटे में चल रहे हैं। अधिकांश राज्यों में भी यही हालत है। सब से अधिक आवश्यक बात है वित्तीय अनुशासन। तीसरी बात है हमारी सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्योगों में तकनीकी विकास और अनुसंधान की क्षमता को बढ़ाना। चौथी बात है, कुशल एवं पर्याप्त सेना का होना।

अब मैं देश की सुरक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। चीन का खतरा हमे नजर अंदाज नहीं कह सकते। उन के रेडियो प्रसारण सुनेंगे, तो भारत की ओर उनका रवैया स्पष्टतः मालूम हो जाएगा। आज एशिया में सैनिक संतलन नहीं है और चीन दक्षिण-पूर्व एशिया में किसी भी स्थान पर सफलता पूर्वक लड़ सकता है। चीन अब अमरीका और सोवियत रूस से बाजी कर रहा है और अपने आप को एक अणुशक्ति संपन्न देश समझता है।

चीन का लक्ष्य प्रथमतः पडोसी देशों पर आणविक अस्त्रों से हमला करना है और उसके बाद अणुशक्ति-संपन्न बडे देशों को क्षति पहुँचाना है। समाचार है कि चीन अब तक छोटे और माध्यमिक स्तर के प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण कर चुका है जो समस्त एशिया महाद्वीप के किसी भी देश तक पहुँच सकते हैं। अब आगामी दो या तीन वर्षों के अन्दर चीन अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेणास्त्र छोडने में सफल होगा।

पाकिस्तान निरंतर रूप से अपनी सेना की क्षमता बढा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर उसे अपने मित्र देशों से सैनिक सहायता भी प्राप्त होगी। समाचार मिला है कि पाकिस्तान ने अपने एक मित्र देश की वायुसेना के साथ संयुक्त अभ्यास किया है। इस के वह निरंतर रूप से हमारे अंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। काश्मीर को मुक्त करने के लिए वह अलर्बन अनियमित सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहा है। पाकिस्तान ने भारत को खुलेआम अपना शत्रु घोषित किया है। इस के अलावा एक गंभीर बात और है। 1971 में जब ब्रिटेन की सेना हिन्दमहासागर से हट जाएगी, तो इस क्षेत्र में गड़बड़ी करने के लिये चीन का साहस और बढ़ जायगा। कुछ ऐसे भी संकेत हैं जिनसे पता चलता है कि भविष्य में अमरीका दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व ऐशिया में अपनी, स्थल सेना का प्रयोग नहीं करेगा।

मध्य एशिया में पडने वाले रूस के प्रदेशों के राजनैतिक, औद्योगिक और सैनिक स्वरूप से पता चलता है कि रूस फारस की खाड़ी के रास्ते हिन्द महासागर में कदम जमाना चाहता हैं। रूस हिन्द महासागर के आसपास के देशों के साथ अपनी राजनैतिक एवं वाणिज्यिक संबंधों को बढाने में अधिकाधिक तत्पर दिखायी पडता है। रूस ने अब यह स्पष्ट किया है कि वह भारत और पाकिस्तान के साथ समान आधारों पर बर्ताव करेगा। पश्चिम एशिया, बर्मा और दक्षिण एशिया में स्थिति अधिकाधिक जटिल होती जा रही है। इज़राल के बजट का 40 प्रतिशत सेना की आवश्यकताओं के लिए है। जापान ने भी अपनी सैनिक आवश्यकताओं के लिए बजट में 18 प्रतिशत की वृद्धि की है।

एशिया की वर्तमान स्थिति को देखते हुए और चीन और पाकिस्तान की बढती हुई सैनिक शक्ति को देखते हुए हमारी सुरक्षा संबंधी कार्यवाहियों का और अधिक तेज़ किया जाना अनिवार्य होगा। इस कार्य में हम अन्य देशों से अधिक सहायता की आशा नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भारत के विरूद्ध निकट भविष्य में चीन द्वारा एक बहुत बड़ा युद्ध किये जाने की संभावनायें अब नहीं हैं। जब कभी वह हमला करेगा, बिना किसी चेतावनी दिये ही करेगा और यह बहुत कुछ 1962 के युद्ध की तरह होगा। उस का मुख्य उद्देश्य थोड़ी बहुत भूमि प्राप्त करना और यहां के विद्रोही एवं विध्वंसक तत्वों को प्रोत्साहन देना है। तीसरी बात है कि

पाकिस्तान भी कश्मीर में लड़ाई छेड़ सकता है और पूर्व भारत में हमारे लिये कठिनाइयां पैदा कर सकता है। ऐसी स्थिति में पर्याप्त भर्ती और नई सैनिक टुकडियों को प्रशिक्षिण देना संभव न होगा। इस के साथ यह भी ध्यान रखना होगा कि पहाडी क्षेत्रों की लड़ाइयों में जन शक्ति का बहुत अधिक महत्व है।

भारत–बर्मा सीमा का निर्धारिण 31 मार्च 1970 तक पूरा किया जाना था। इस के पूरा होने के बाद सीमा पर 10 मील दूर तक के लोगों को वहां से हटाकर और कहीं बसाना चाहिए और वहां के जंगल को साफ करना चाहिए। इससे राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटाने में बहुत बडी सहायता मिलेगी।

अब देखना यह है कि वर्तमान सेना पर्याप्त है या नहीं। प्रादेशिक सेना की संख्या यद्यपि 50,000 है उसकी असली संख्या कभी भी 40,000 से आगे नहीं बढी। इस में वृद्धि की जानी चाहिए।

सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिज़र्व पुलीस के संगठन से पता चलता है कि संकट कालीन परिस्थिति में इन दोनों को क्षेत्रीय सेना में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। वैसे ही सीमा-वर्ती राज्यों के होम गार्ड दल को भी आवश्यकता पडने पर इस प्रकार क्षेत्रीय सेना में परिवर्तित करना संभव बनाना चाहिए। इस प्रकार राज्यों की पुलीस सेना का भी इन स्थितियों में उपभोग करने के लिए आवश्यक प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

मैं चाहता हूँ कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि हम ने सुविचारित एवं सुस्पष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्यों को निर्धारित किया है और इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये एक राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति को अपना लिया है। दुसरे, सामरिक महत्व की परिस्थितियों से संबंधित अलग योजनायें बनाई गई हैं; तीसरे नवीनतम सूचना और सामग्री तथा विकसित प्रौद्योगिकी के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लक्ष्यों का नियमित रूप से पुनरीक्षण किया जा रहा है; चौथा, नागरिक प्रतिरक्षा के उपाय तथा केन्द्रीय और राज्य सुरक्षा योजनाओं का नियमित रूप से पुनरीक्षण किया जा रहा है; पांचवें, राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी स्तरों पर कुशल संगठन कायम रहता है और अंत में, सेना संबंधी वास्तविकताओं को हमारी वैदेशिक नीति के निर्धारण में उचित स्थान दिया जाता है।

आणविक अस्त्रों के बारे में सरकार के अधिकांश विचारों से मैं सहमत नहीं हूं। आणविक अस्त्र राजनैतिक अस्त्र भी है। इस के अलावा इन के अनुसंधान और विकास से प्रौद्योगिकी में विकास होगा। शक्ति संपन्न बडे राष्ट्रों के पास आणविक प्रक्षेपास्त्र जो 4,000 गज से लेकर 100 मील तक मार करने में सक्षम है, भारी मात्रा में है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे इस प्रकार के आण-विक अस्त्रों का बिना किसी विलंब के निर्माण करें।

अब मैं प्रतिरक्षा उत्पादन कार्यों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। अगर सेना को एक प्रगतिशील आर्थिक व्यवस्था की सहायता मिलती है, तो वह शांति के समय में राष्ट्र के आर्थिक ढांचे को मज़बूत करने में सहायता करेगी। अब समय आ गया है कि हमें प्रतिरक्षा उत्पादन को एक स्वायत्तशासी संस्था को सुपुर्द करना चाहिए। प्रतिरक्षा उत्पादन को भी हमें वाणिज्यिक संस्था की तरह चलाना चाहिए। अस्त्र-शस्त्र के कारखानों की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए। गैर-सरकारी क्षेत्र को तकनीकी विशेषज्ञों, आयात लाइसेंस आदि द्वारा प्रोत्साहन देना चाहिए। निम्नलिखित मदों को छोडकर बाकी सारी प्रतिरक्षा सामग्री गैर-सरकारी क्षेत्र से प्राप्त की जानी चाहिए।

(1) गुप्त सूची के सभी मद,

(2) घातक हथियार;

(3) वे मद जिन का निर्माण महत्वपूर्ण कारणों से केवल सरकारी कारखानों में ही किया जाता है ।

(4) वे मद जिन का उत्पादन पहले से ही कार्य कर रहे संयंत्रों के उप-उत्पाद आसानी से और लाभकर ढंग से किया जा सकता है ।

(5) वे चीजें जिनका आयात करना ही लाभकर होगा और जिनको काफी समय तक स्टोर में रखी जाने पर भी कोई हानि नहीं होगी । परन्तु इनकी अनुपलब्धता हमारे सुरक्षा प्रयत्नों को गडबड़ न करें ।

प्रागा टूल्स लिमिटेड, और भारत एर्थ मूवर्स लिमिटेड से प्रतिरक्षा विभाग को आवश्यक सामग्री का अधिकांश भाग उपलब्ध नहीं होता । इन दोनों उपक्रमों को सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए ।

यह दुख की बात है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने, 31 मार्च, 1969 को अपने पांचवें वार्षिक प्रतिवेदन में प्रतिरक्षा मंत्रालय के 46 राजपत्रित कर्मचारियों और 214 अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध चेतावनी से लेकर नौकरी से हटाने तक की कार्रवाई की सिफारिश की है और मार्च के अंत तक 89 राजपत्रित और 150 अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें लंबित पड़ी थीं । इस संबंध में उचित कार्यवाही की जानी चाहिए ।

मैं चाहता हूँ कि प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगें मंजूर कर दी जाएं । मैं हमारे प्रतिरक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों को, उनकी निष्ठापूर्वक सेवा के लिए, हार्दिक बधाई देता हूँ ।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : सभापति महोदय, यह खुशी की बात है कि हमारे आयुद्ध कारखानों में प्रतिरक्षा उत्पादन बढ़ रहा है और टैंक-भेदी प्रक्षेपास्त्रों के निर्माण का प्रयत्न किया जा रहा है ।

यह पहला अवसर है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने 10 साल की अग्रिम योजना बनाई ताकि नवीनतम हथियारों का निर्माण किया जा सके । प्रतिरक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए भरसक प्रयत्न किया जा रहा है । कुछ ही समय के अंदर सीमा सड़कों के निर्माण और संचार की सुविधाओं में काफी प्रगति हुई है । उदाहरण के लिए शेहतांग मार्ग से होकर लेह तक जाने वाली जो सड़क है, वह सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा कार्य है ।

मगर मुझे आश्चर्य होता है कि इस मार्ग के निर्माण के पूरा होने के पहले ही पाकिस्तान सेना के गुप्तवार्ता विभाग ने उन की प्रतिक्षा के लिए तैयार किये गए नक्शे में इसे शामिल किया है । हमारी सेना का गुप्तवार्ता विभाग अकुशल है । मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि व अणुशक्ति अनुसंधान संस्थान को कम से कम 1971 के अंत तक एलक्ट्रोनिक्स और हमारे उपग्रहों के निर्माण का आदेश दे । नेपाल में हमारा जो सैनिक मिशन था, वह बहुत अच्छा कार्य कर रहा था । अब पता नहीं, उसके वहां से हटाये जाने के बाद क्या कार्यवाही की गई है । इस प्रसंग में मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर हम 1970 और 1980 के वर्षों में संसार के अन्य देशों की प्रतिरक्षा नीति के लक्ष्यों और उनकी तैयारी को नहीं समझते, तो हम अपनी प्रतिरक्षा की नीति को व्यावहारिक

रूप नहीं दे सकेंगे। चीन ने अपना उपग्रह छोड़ा और उसके पास दूरतक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र भी हैं। यदि चीन अपने परमाणु अड्डे को तिब्बत में ले आये और भारत के ऊपर से हिन्द महासागर में एक प्रक्षपास्त्र छोड़े तो उसका हमारी सेना के मनोबल पर क्या असर पड़ेगा ?

तीन बड़े देशों ने चीन को भी महान शक्ति संपन्न देश माना है। अत: भारत को भी वह दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हमारी तैयारी इस प्रकार होनी चाहिए कि हम किसी भी हमलावर को परास्त कर सकें। हमें आणविक अस्त्रों का निर्माण करना चाहिए और चुनौती का सामना करना चाहिए। पाकिस्तान की सैनिक शक्ति के साथ हमारी शक्ति को तुलना करने से कोई लाभ नहीं है। हमें अपने प्रचलित हथियारों का नवीकरण करना चाहिए। अगर हमारे दिल में दृढ़ता है, तो हम अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकते हैं।

प्रतिरक्षा को मजबूत करने के लिए आर्थिक व्यवस्था का मजबूत किया जाना आवश्यक है। जब जनता भूखी रहती है तो दुश्मनों से लड़ने की शक्ति उन में नहीं होगी। प्रतिरक्षा मंत्रालय को भी इस पर विचार करना चाहिए।

आज विश्व के सभी देशों में प्रचलित पुराने हथियारों को छोड़ दिया जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स के आधार पर युद्ध के कुछ नये तरीकों का विकास किया जा रहा है। हमारे देश में भी इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास किया जा सकता है। चीन ने 15,000 वैज्ञानिकों को आणविक अस्त्रों के विकास के लिए नियुक्त किया है जबकि अणुशक्ति के विकास के लिए हमने केवल 5,000 लोगों को ही नियुक्त किया है। जो भी हो मुझे खुशी है कि हम नये ढंग के पक्षेपास्त्रों का निर्माण कर रहे हैं। फिर भी हथियारों के मामले में हम चीन से 20 साल पीछे हैं। अत: मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि हम भी आणविक हथियारों का विकास करें ताकि 10 साल के अंदर हम किसी भी प्रकार के आणविक हमले का मुकाबला कर सकें। इस वर्ष हम जो 1,100 करोड़ रुपए प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं के लिए नियत कर रहे हैं, उस में से 200 करोड़ रुपए आणविक विकास कार्यों के लिए और शेष परम्परागत हथियारों के लिए उपयोग करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आज भी हम 5 टन अणुगोला बरसा सकते हैं। प्रक्षेपास्त्र द्वारा हम भी एक टन अणुगोला बरसायेंगे तो वह दुश्मनों को बहुत अधिक चोट पहुंचायेगा। अब सवाल यह है कि इस के लिए हमारे पास पर्याप्त राशि है या नहीं। इस बारे में मुझे यह कहना है कि अगर आप चाहते हैं तो काम जरूर बन जाएगा।

आज भी हमारी प्रतिरक्षा सेवा के वैज्ञानिक रासायनिक एवं कीटाणु-बम बना सकते हैं। अत: आणविक, रासायनिक और कीटाणुसंबंधी प्राधिकार का गठन अनिवार्य है जिस में आतंक फैलाने वाले हथियारों के निर्माण के विशषज्ञ शामिल हों।

शान्ति और मैत्री के नाम पर ही सभी अणु विस्फोट होते हैं। अत: शान्ति और मत्री के लिए तथा लोकतंत्र को बचाने तथा प्रभु-सत्ता की सुरक्षा के लिए 1971 तक हमें अणु विस्फोट करना ही चाहिए। यदि हम 1970-71 तक ऐसा कर लेते हैं तो सभी चुनौतियों का सामना हम साहसपूर्वक कर सकते हैं और इससे हमारे देश के सेना के नौजवानों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय इन चुनौतियों का सामना करने में समर्थ है जैसा कि भारतीय सेना को आधुनिक बनाने में उसने पर्याप्त सफलता प्राप्त की है।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय) प्रतिरक्षा मंत्रालय के प्रतिवेदन से पता चलता है कि आत्म-निर्भरता और उत्पादन को बढ़ाने पर डिज़ाइन और विकास पर आवश्यक बल दिया जा रहा है। फिर भी पूर्ण आत्म-निर्भरता काफी दूर है, क्योंकि न तो हमारे पास तकनीकी

जानकारी है और न ही औद्योगिक क्षमता है। फिर भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रतिरक्षा अनुसंधान और विकास के लिए धन की राशि के निर्धारण में वृद्धि हुई है। अब प्रतिरक्षा मंत्रालय को प्रत्येक वर्ष किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और युद्ध-कौशल के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों प्रकार के कुछ साधन और उपाय अपनाये जायेंगे।

इतना कहने पर अब मैं कुछ आलोचनात्मक टिप्पणी करना चाहता हूँ। सदन के सदस्यों की सभा को खाली रखने की प्रथा है और फिर भी वे भारत की सुरक्षा के महत्वपूर्ण पक्ष को जानने के बारे में आत्म-संतुष्ट हैं।

मेरे विचार से यह अच्छी बात है कि सैनिक कर्मचारियों ने पुस्तकें लिखनी प्रारम्भ कर दी हैं। ब्रिगडियर डालवी की पुस्तक पढ़ने से पता चलता है कि किस तरह इस सदन के सदस्यों ने विश्वास-घात किया, उनकी आत्म-संतुष्टता तथा उनकी अनभिज्ञता पर भी प्रकाश डाला गया है तथा किस प्रकार अयोग्य जनरलों तथा असैनिक कर्मचारियों द्वारा विश्वासघात किया गया। इस पुस्तक से इस सचाई का भी पता चलता है कि भारतीय जवान चीनी जवानों के मुकाबले में अच्छा है।

मैं यह आशा करता हूँ कि भारत-पाक युद्ध के बारे में अन्तरंग कहानी भी कुछ उन लोगों द्वारा लिखी जायेगी जो इस युद्ध में अन्तर्ग्रस्त रहे हैं। इससे असली सचाई का पता चलेगा। पिछले वर्ष मने कुछ मुख्य प्रश्न उठाये थे और एक समिति बनाने के लिये भी कहा था। अब मैं इस फिर पूरे जोरदार शब्दों में दोहरा रहा हूँ कि इस सदन के कुछ जानकार सदस्यों को ही हमारे प्रतिरक्षा ढांचे और युद्ध-सामग्री की आवश्यकता पर भली भांति ध्यान देने के लिए एक समिति गठित की जानी चाहिए। जहां तक इस संगठन का संबंध है मेरे विचार से और अधिक एकता बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता है। नेफा पराजय के समय हमें किन स्थितियों का सामना करना पड़ा, ये आप सबको अच्छी तरह पता है।

मेजर जेनरल लूंट के लेख को पढ़ने से पता चलता है कि भारतीय सेना अभी भी ब्रिटिश पद्धति पर चल रही है जिसको अंग्रेज दूसरे विश्व युद्ध के समय यहां छोड़ गये थे। इसके अतिरिक्त किसी प्रतिरक्षा मंत्री ने हमारी सुरक्षा सेवाओं में आवश्यक एकता बनाने के लिए भी कोई विशेष रूचि नहीं ली है।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि प्रतिरक्षा संगठन काफी अपरिवर्तित रहा है। मेरा ऐसा विचार है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय पर असैनिक कर्मचारियों का शासन रहा है। मंत्रिमंडल की प्रतिरक्षा समिति ने सचिवों को दूसरे दर्जे का स्थान दिया है और सेना अध्यक्षों का तो इससे भी नीचे का दर्जा है। इसकी तथा गुप्तचर कहे जाने वाले विभाग की जांच होनी चाहिये। हमारे खुफिआ विभाग को सतर्क होना चाहिये ताकि कोई मुसीबत आने पर यह विभाग साहस से उसका सामना कर सके। नेफा में क्या हुआ? हमें यह भी नहीं पता था कि वहां हमारे पास सड़के नहीं हैं। कच्छ के बारे में यही हुआ।

भारत-पाक युद्ध में भी सैनिक गुप्तचर विभाग की छोटी सी भूल के परिणामस्वरूप इच्छोगिल नहर क्षेत्र में हमारे हजारों सैनिक मारे गये। इसके लिए मैं गुप्तचर विभाग को दोषी नहीं ठहराता हूं। मैं नहीं जानता कि इन सैनिक कर्मचारियों को खुफिया विभाग के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

इस समय सेनाध्यक्ष समिति में भी पुरानी पद्धति चल रही है। जहां तक मुझे मालूम है अध्यक्ष की नियुक्ति बारी बारी से होती है। वरिष्ठता के आधार पर उसकी नियुक्ति होती है। शायद

हमें इसमें थोड़ा संशोधन करना पडे क्योंकि आज हमें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उसके सम्बन्ध में नौसेना के व्यक्ति को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाना अच्छी बात नहीं है ।

लेकिन आज क्या हो रहा है ? प्रत्येक सेवा की अलग पहचान के लिए ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो गई है जिसके परिणामस्वरूप काम तथा खर्चा तीन गुना बढ़ गया है । अत: प्रतिरक्षा प्रतिरूप के सम्बन्ध में किसी प्रकार की एकता अवश्य लानी चाहिए ।

ब्रिगेडियर डालवी अपनी पुस्तक में कहते हैं कि नेफा-पराजय के दौरान वायु सेना को यह नहीं मालूम था कि क्या हो रहा था । अत: रणक्षेत्र में स्थल सेना और वायु सेना के बीच समन्वय की झलक नहीं दिखाई देती थी ।

श्री खेड़ा ने अपनी पुस्तक में कहा है कि सेवाओं में प्रभुत्व स्थापित करने की प्रवृत्ति चल पड़ी है जो कि मानवीय प्रकृति है । असैनिक पदाधिकारियों में साम्राज्य की भावना के परिणामस्वरूप खर्च में अनावश्यक रूप से विशाल वृद्धि हुई है । हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि स्थल सेनाध्यक्ष के रूप में अच्छे अध्यक्ष मिले हैं । नेफा की पराजय के समय क्या हुआ, यह हम जानते हैं । इसके लिए मैं असैनिक पदाधिकारियों को दोषी मानता हूँ । मेरा सुझाव है कि प्रतिरक्षा मंत्री को एक इस प्रकार की समिति से सलाह लेनी चाहिए जिसके अध्यक्ष स्थल सेनाध्यक्ष हों तथा उसमें मुख्य सेना अधिकारियों को होना चाहिए । उनके पास अनुभव तथा कार्यक्षमता होगी और देश में संकट की स्थिति आने पर वे पूर्णरूप से स्वतंत्र सलाह दे सकेंगे ।

जनरलों के प्रशिक्षण के बारे में हमारा अनुभव रहा है कि जहां कहीं भी हम असफल हुए हैं, जनरलों के कारण ही हुए हैं । भारत-पाक युद्ध में हमें कई सफलताएं प्राप्त हुई परन्तु साथ में कई असफलताएं भी मिलीं । परन्तु देश के सामने यही चित्र पेश किया गया कि हमें सफलता ही मिली। ऐसी सूचना मिली है कि हमने युद्ध के बाद 3 मेजर जेनरल, 10 ब्रिगेडियर और 25 लेफ्टिनेंट जेनरल को सेवा निवृत्त किया ।

ग्यारहवीं कोर की क्यों असफलता मिली ? इसका कारण यह है कि यह अपने लक्ष्य को ही प्राप्त नहीं कर सकी । ग्यारहवीं कोर की 9 बैटालियनों के टूटने का कारण क्या है ? इसका कारण यह है कि इन जवानों को कोई सामूहिक प्रशिक्षण नहीं दिया गया । इसी कारण यह बैटालियन खत्म हो गई ।

ऐसी गलतियों के कारण क्या थे ? वस्तुत: ऐसी भूलों पर गौर किया जाना चाहिए और उनको सुधारा जाना चाहिए ।

जहां तक वायु सेना का सम्बन्ध है वैमानिकी समिति ने सुझाव दिया है कि हमारी वायु सेना बड़ी होनी चाहिए । इस समिति ने 45 स्क्वाड्रन नियत किये हैं लेकिन फिर भी कोई ढंग की सूचना नहीं मिलती है । मैंने एक लेख में पढ़ा था कि पाकिस्तान के पास मिरेज की एक स्क्वाड्रन है और यह मिरेज विमान मिग-21 से श्रेष्ठ है तथा यह अग्नि अस्त्रों को दोनों ओर से अर्थात सामने और पीछे से फेंकता है जबकि मिग केवल सामने से अग्नि अस्त्रों को फेंकता है ।

श्री जगन चावला ने अपने लेख में लिखा है कि संसद सदस्यों की एक विशेष समिति नियुक्त की जानी चाहिए । इस समिति के गठन से यह भेद भी पता चलेगा कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के कार्य में बाह्य प्रभाव तथा राजनीति का कहां तक हिस्सा है । अभी तक हम पुरानी योजनाओं पर ही चल रहे हैं । मैंने किसी लेख में पढ़ा था कि नेट विमान अब पुराना पड़ गया है । भूतपूर्व एअर चीफ

मार्शल अर्जुन सिंह ने अपने एक लेख में लिखा है कि विमानों के बिल्कुल न होने की अपेक्षा पुराने विमानों का होना ठीक है। मैं नहीं जानता कि प्रतिरक्षा मंत्री इससे कहां तक सहमत हैं।

जहां तक शस्त्रों के उत्पादन का संबंध है हम अपने लक्ष्य से काफी पीछे हैं। पहाड़ों पर काम में लाई जाने वाली राइफलों का हमारा लक्ष्य एक महीने में 25 का था जब कि हम महीने में केवल 6 अथवा 7 राइफलों का ही उत्पादन कर रहे हैं। इसीलिये मैं इस समिति को गठित कराना चाहता हूँ। इस समिति से हमें अपनी कमियों का पता चलेगा और तब हम सुधार कर सकते हैं।

सरकारी क्षेत्र के कार्य पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सेना अपना ढलाई का कारखाना स्थापित करना चाहती है क्योंकि वे असैनिक कर्मचारियों पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि हिन्दुस्तान स्टील में उत्पादन क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं हो रहा, दुर्गापुर में तोड़-फोड़ हो रही है तथा रूरकेला में धीरे काम करो की नीति अपनाने से उत्पादन क्षमता में काफी कमी आ गयी है। असैनिक कर्मचारियों द्वारा तोड़-फोड़ का इस तरह का कार्य जान-बूझ कर किया जा रहा है। इससे हमारे प्रतिरक्षा प्रयत्नों में असर पड़ता है और ऐसा असैनिक कर्मचारियों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए।

श्री खेड़ा ने कहा है कि ये तीनों सेवाएं पूरी तरह खर्चे से बेखबर हैं और यदि खर्चे के बारे में जागरूकता से विचार किया जाए तो प्रतिरक्षा सुरक्षा पर बिना किसी तरह का असर पड़े खर्चे में 10 प्रतिशत की कटौती की जा सकती है।

भाई-भतीजावाद के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सशस्त्र सेवाओं में इन दिनों उच्च स्तर पर नियुक्तियों के मामले में अधिक से अधिक पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। अन्त में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उपयुक्त सामग्री मिल रही है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् में जनरल चौधरी ने हमें बताया था कि कमीशन में युवकों के 75–80 प्रतिशत प्रार्थना पत्र अस्वीकृत करा दिये गये हैं।

श्री जी० विश्वनाथन (वन्डीवाश) : सभापति महोदय, मैं नौसेना सेवा के से आरम्भ करता हूँ जो कि सशस्त्र सेनाओं का उपेक्षित भाग है। स्वाधीनता के पश्चात नौसेना के बारे में बहुत कम ध्यान दिया गया है। 1963–64 में 816 करोड़ रूपये में से केवल 21 करोड़ रुपये तथा 1964–65 में 805 करोड़ रुपये में से केवल 22 करोड़ रुपये ही नौसेना पर खर्च किये गये थ। गत दो या तीन वर्षों से प्रतिरक्षा मंत्रालय ने नौसेना पक्ष की महत्ता स्वीकार की है।

अपने देश के निर्यात और आयात के लिए हमें पूरी तरह से समुद्री मार्गों पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारे तट की ओर द्वीपों के लिए जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप, मिनीकाय तथा अमीनदीवी द्वीपों की सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी हमारी नौसेना पर ही है।

समुद्र तट के 3500 मील की सुरक्षा भी नौसेना को ही करनी है। हमारी नौसेना की शक्ति क्या है? क्या हम समुद्री तट और द्वीपों की सुरक्षा करने में समर्थ हैं? इस अनुभव को दृष्टि में रखते हुए और अपने दो शत्रु पड़ोसी देशों की बढ़ती हुई शक्ति को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी नौसैनिक सेना की शक्ति को बढाना चाहिये।

चोल राजाओं के शासनकाल में तो हिन्द महासागर चोल राजाओं की एक झील की तरह था। परन्तु आज हमारी स्थिति क्या है? इस समय हमारी नौसेना में लगभग 25,000 जवान है और एक विमान वाहक जहाज है। इस विमान वाहक जहाज के बारे में तो आप जानते ही है।

इसमें तीन पनडुब्बियां, दो क्रूजर जहाज, तीन डैस्ट्रायर्स जहाज 14 फ्रीगेट्स जहाज 16 माईन-स्वीपर जहाज आदि आदि है। परन्तु इसके विपरीत हमारे शत्रु की शक्ति कितनी है ? चीन के पास 1,41,000 जवान है, 969 नौसेना के पोते है, जिन में 33 पनडुब्बियां भी शामिल है। इसके साथ ही वह हर वर्ष के छः से आठ पनडुब्बियां ओर खरीद लेता है। दुसरी ओर पाकिस्तान के पास 9,000 जवान, तीन पनडुब्बियां पांच डिस्ट्रायर्ज जहाज आदि है।

विमान-वाहक जहाज के बारे में प्रतिदिन में 25 पृष्ठ लिखे गये है। इस में कहा गया है कि अपनी अर्थव्यवस्था की दृष्टिगत रखते हुय और अपने वर्तमान साधनों का प्रमाणशाली उपयोग करने के उद्देश्य से अभी हमने दूसरी विमान-वाहक का विचार त्याग दिया है। परन्तु हमारे पास जो एक ही विमान वाहक आई० एन० एस० विक्रान्त है वह भी अब पुराना हो चुका है। हमारे पूर्वी तट के प्रमुख बन्दरगाह विशाखापट्टनम में तो यह दाखिल भी नहीं हो सकता, हमारे प्रतिरक्षा मंत्री का कहना है कि यह विमान वाहक साम्राज्यवादी शासनकाल का बना हुआ है और हमारी स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र के अनुकूल नहीं है। मैं उनसे यह नम्र निवेदन करूंगा कि वह चित्र की दूसकी ओर भी देखे। विमान वाहक एक चलता फिरता विमान अड्डा होता है। इस के पास फाईटर बाम्बर विमानो के दो स्क्वाड्रन लेकर चलने की क्षमता होती है। यह शत्रु पर 40 से 50 मील की दूरी पर आक्रमण कर सकता है और समुद्र तल के जहाजों पर तो यह 100 से 200 मील तक की दूरी तक आक्रमण कर सकता है।

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए]

[SHRI K. N. TIWARI *in the Chair*]

आज के आधुनिक युग में पनडुब्बियों की आवश्यकता और महत्व कुछ कम नही है। हम इस एतिहासिक तथ्य से भी आखें नही मूंद सकते कि नेताजी ने इन्डोनेशिया से जापान तक की अपनी सारी यात्रा एक जर्मन पनडुब्बी द्वारा ही तय की थी। आजकल तो अणु शक्ति वाली पनडुब्बियों का प्रचलन बढ़ गया है। यह पनडुब्बियों हज़ारों मील दूर तक अपना निशाना बना लेती है।। अमरीका की नौसेना तथा वायुसेना को आजकल उड़ने वाली पनडुब्बियों के नक्शों बनाने का प्रयत्न कर रही है। अगर हम इस तरह की आधुनिकतम पनडुब्बियां बनाना आरम्भ न भी करे तो भी हमें कम से कम पैट्रोल से चलने वाली पनडुब्बियों की संख्या तो बढ़ानी ही चाहिये।

अपने लम्बे समुद्र तट पर विभिन्न बन्दरगाहों तथा द्वीपों की सुरक्षा तथा रख रखाव के लिए हमें ही बेड़े रखने चाहियें एक उत्तरी तट पर और दूसरा दक्षिणी तट पर। प्रत्येक बेड़े में पनडुब्बियों आदि के साथ साथ एक विमान-वाहक और एक प्रक्षेपणास्त्र भी होना चाहिये। हिन्द महासागर में अपनी स्थिति सुदृढ करने के लिए हमें तूतिकोरिन बन्दरगाह पर एक नौ सेना का अड्डा भी बनाना चाहिये।

हमारी नौ सेना की भावी आवश्यकताओं तथा वर्तमान क्षमताओं का अध्ययन करने के लिए ऐयरोनाटिक्स समिति की तरह की एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये।

हमारी थलसेना के विषय में प्रतिवेदन में कहा गया है कि इसकी संख्या 8,28,000 निर्धारित कर दी गई है। इस संख्या को बढ़ाने की अपेक्षा अब इसकी पूर्ण क्षमता का पूरा पूरा उपयोग करना ही हमारा उद्देश्य रखा गया है। मैं इस से सहमत हूं कि हमारी थल सेना की स्थिति कुछ हद तक अच्छी ही है। परन्तु उसे 30 लाख की शक्तिशाली चीनी सेना और 3 लाख की पाकिस्तानी सेना का सामना करना है।

हमारी सेना के पैदल जवान अभी तक बहुत भारी उपकरणों से लदे रहते है। उनके उपकरणों के भार को कम करना चाहिये : हमारी विभिन्न सीमा क्षेत्र जंगलो और पहाड़ों से ढके रहते है। इन में सुरक्षा कार्य के लिए हमें पैदल जवानों की अधिक आवश्यकता है। इस ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये।

सेना द्वारा जो पुलिस कार्य किया जाता है मैं उसे अच्छा नही समझता। आन्तरिक कानून व्यवस्था बनाये रखना पुलिस का उत्तरदायित्व है और उसे इस उत्तरदायित्व का निर्वाह करना चाहिये। आधुनिक सेनाध्यक्ष श्री मानकशाह का भी यही विचार है। 'हिन्दुस्तान टाईमज़' के सेना संवाददाता मेजर जनरल पलित का भी यही विचार है कि राजनीतिक हलचलों को दबाने के लिए सेना का प्रयोग नही किया जाना चाहिये।

मुझे यह कहते हुये खेद हो रहा है कि सशस्त्र सेनाओं में और विशेषकर थलसेना में जवानों के साथ अच्छा व्यवहार नही किया जाता। अंग्रेज़ी शासनकाल में उन के साथ दासों का व्यवहार किया जाता था परन्तु आज स्वतन्त्रता के 23 वर्ष बाद भी इस व्यवहार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। आज भी जवान को अपने अधिकारियों के परिवारों तथा उ के सम्बन्धियों की सेवा करनी पड़ती है। उन्हे अच्छा भोजन प्रदान नही किया जाता। यहां तक कि हमारे सेना इस्पतालों में भी घटिया किस्म का भोजन प्रदान किया जाता है। मंत्री महोदय को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये और शीघ्र ही इस अभिशाप को समाप्त करने की कार्यवाही करनी चाहिये।

मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं कि "कितना" धन व्यय किया जाता है मुझे तो केवल यही चिंता रहती है कि धन का व्यय "किस प्रकार" किया जाता है। यद्यपि कुछ मदों के अन्तर्गत होने वाला व्यय नियंत्रक और मदालेखा-परीक्षक की शक्ति-परिधि में नहीं आता। तो भी इस 1151 करोड़ रुपये की धन राशि का जो व्यय 1970-71 में होना है उस का पूरा पूरा लेखा जोखा होना चाहिए।

रक्षा अनुसंधान और विकास परिषद में डा० भगवन्तम ने 6 महीने तक रक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह एक प्रसिध्द वैज्ञानिक है। मंत्रालय ने जो शीघ्रता उन्हें मंत्रालय से बदलने में दिखाई है उसके पीछे क्या कारण है? डा० भगवत्तम ने 'होवर विमान' की खरीद के लिए जो सौदा तैयार किया था अब उसे रद्द करने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है?

निसंदेह हमें 45 स्क्वाड्रन वाली अपनी वायु सेना पर गर्व है। परन्तु वायु सेना की शक्ति उसके प्रभावशाली ढंग से कार्य करने में निहित रहती है। आज हमारे कई ऐसे विमान हैं जिन का प्रचलन समाप्त हो गया है। आज के प्रक्षेपणास्त्र युग में भला केनबारा विमानों पर निर्भर करना कहां तक उचित है? हमें अपनी वायु सेना को आधुनिक विमानों से लेस करना चाहिये। अभी अन्य सुधारों के लिए एरोनाटिक्स समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है। इस के प्रकाशन में न जाने क्यों सरकार देर करती जा रही है। प्रतिवेदन में रडार की सुविधा और व्यवस्था पर काफी बल दिया गया है।

1965 में भूतपूर्व उप प्रतिरक्षा मंत्री श्री डी० एम० राजू ने कहा था कि भारत पांच वर्षों में अत: 1970 में प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर हो जायगा परन्तु 1970 में अब प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री कह रहे हैं कि भारत शीघ्रता से आत्म-निर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है। हमें अपने आयुध कारखानों के उत्पादन को बढ़ाना चाहिय। विश्व की बड़ी शक्तियों पर अपनी

निर्भरता कम करनी चाहिये। हमें अपने देश में बने साधारण उपकरण को विदेश से आये विशेष उपकरण से प्राथमिकता देनी चाहिये। हमें पता चला है कि सरकार आयुध कारखानों के कार्य संचालन के लिए एक संविधिक बोर्ड की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस का अर्थ यह हुआ कि आयुध कारखानों की शक्तियां और बढ़ा दी जायेगी दूसरे शब्दों में उनका उत्तर-दायित्व और बढ़ जायेगा। मेरे विचार से यह एक अच्छा प्रस्ताव है और इसे परीक्षण के लिए स्वीकार कर लेना चाहिये।

सम्पूर्ण एशिया में केवल चीन ही परमाणु शक्ति सम्पन्न देश है और अगामी 10 या 15 वर्षों में यह सब से बड़ी शक्ति बन जाय, व्योम क्लब में भी इसका पांचवा नम्बर होगा। पश्चिमी जर्मन की एक वेधशाला के अनुसार चीन द्वारा छोड़े गये राकेट का इंजन इतना शक्ति शाली है कि वह संसार के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। ऐसे परमाणु शक्ति सम्पन्नशत्रु के विरूद्ध हमारी प्रतिरक्षा क्या है ? क्या हम अपने अहिंसा के मंत्र को युद्धक्षेत्र में साथ ले जायेगें ? परमाणु शस्त्र तो इस प्रकार के राजनीतिक शस्त्र है जिन के केवल रखने मात्र से ही मनोवांछनीय उद्देश की सिद्धि हो जाती है। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं कि हम अपनी परम्परागत युद्ध शक्ति को ही बढ़ाते जाये। आज हमें अपनी नीतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यदि हम 1980 में परमाणु शस्त्र बनाना चाहते हैं तो हमें इसके लिए आज से ही कार्य करना होगा। हां इसके लिए वित्त की समस्या हमारे समक्ष आती है। विशेषज्ञों ने जो आधुनिक आंकड़े दिये हैं उसके अनुसार तो इस पर केवल 750 करोड़ से 800 करोड़ रुपये तक व्यय आने की सम्भावना है। सरकार की इस पर विचार कर तुरन्त ही कोई फैसला करना चाहिये।

अत: मैं भूतपूर्व सैनिकों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इनकी वर्तमान संख्या 30 लाख है और इसमें 40,000 की वार्षिक वृद्धि होती है परन्तु अभी तक इन लोगों के पुनर्वास के लिए किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम किसी भी पंचवर्षय योजना में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कार्य के लिए एक उच्च शक्ति सम्पन्न आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये जो इन लोगों की समस्याओं का अध्ययन कर, इन्हें बसाने के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें।

सेनाओं में भर्ती की प्रक्रिया भी पूर्णतया संतोषजनक नहीं है। भर्ती के लिए लड़कों को कुछ विशेष केन्द्रों में बुलाकर उन का आरम्भिक परीक्षण किया जाता है फिर उन्हें किसी बड़े शहरी केन्द्र यथा बम्बई, मद्रास आदि में बुलाया जाता है। वहां उनका जब चयन नहीं होता तो उन्हें बहुत परेशानी होती है। अत: इस ओर भी सरकारको ध्यान देना चाहिये।

अन्त में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इन सभी प्रश्नों पर विचार करें। इस के लिए या तो उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की पुन: स्थापना करनी पड़ेगी या फिर अमरीका की सुरक्षा परिषद के अनुरुप कोई नई संस्था बनानी पड़ेगी।

Shri Randhir Singh (Rohtak): Mr. Chairman, from defence angle, our country is passing through a critical period. Our service personnels one patrolling 3500 miles long sea coast, and 5500 long border. They are facing various hardships of nature while sitting on a highest of 1500 to 2000 feet. We should send our compliments to these brave heros.

It is a straight thing that India has to face two enemies China and Pakistan. This threat can only be met with our own strength. We can not depend on U. S. A. or Russia for any help. The world is fully aware the bravery of our Jawans. They have established their record in world wars. But I am sorry to say that no heed is being paid to the needs of these Jawans

who have sacrificed their lives for the country. Every year thousands of servicemen come out of service but nothing being is done for them. They are not provided proper employment opportunities. This effects the morale of active servicemen also. This can lead to an explosive situations. China is our greatest enemy whose only philosophy is might and fire. Our future wars with China will not be in the battlefields only but it will be in factories and in other fields also. So we should strengthen the entire Indian machinery with the services of these trained personnels.

I would like to ask the Hon. Defence Minister that why this cold treatment is being given to Jawans. Why I. A. S., I. P. S. and Deputy Commissions etc. are given royal treatment although their sacrifice is much lesser than that of servicemen?

It is an established fact that there is no match to Indian bravery in the World. Indian Jawans can face any mighty force. But what is going to happen if there is an air attack by Hydrogen bombs? How they are going to face it? Are you going to face it only with your words of "peace" "peace" and "peace"? Our brave Jawans have beaten Pakistan twice. They have established their superiority. If at all we have some reverses, it was only due to the fact that our Jawans were not well equipped. We must equip our armies with latest weapons. We must be prepared at every movement. China which has occupied a position among big powers today wants to bring about a revolution in our country and wants to damage our economic and social structure. She has been trying to create internal troubles and disturbances in our country. We should be prepared to face all these challenges.

The Jawans serving our armed and defence forces deserve more pay and additional facilities and they should be given more pensions on retirement.

It is not good that Chiefs of Staff should be subordinate to the joint Secretary in the Ministry. It is below their degnity and status. In order to bring about co-ordination amongst the there wings of our defence forces, a committee of the Chiefs of Staff should be constituted on the USA pattern to be prescribed over by the Chief in rotation and it should be directly under the Minister of Defence.

The Government spend a lot of money on the students in Sanik Schools. But we find that only fifty percent of them are given the Commission in services. These students are the best material of the country and these who are not selected for the Commission should be absorbed in lower ranks.

Our defence forces are a symbol of national integration and groupism or nepotism, which may damage the whole structure, should not be allowed to creep in them.

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): It is not correct to say that the production of Vijayanta tanks in the Heavy Vehicles Factory, Avadi is very low. The target for the production of Vijayanta tanks is being met our production this year has gone up considerably as compared to last year.

H. F. 24 is in our squadron service and Air Force have no complaints against the air-craft. The technical committee have approved the engine. There had been no trouble with the engine of the H.F.-24 which had crashed recently in Bangalore.

During the last two years our effort has been to madernise our ordnance factories and to statistic production. It has been our endeavour to fulfil our targets. We have 28 or 30 ordnance factories with a view to reorganising the

ordnance factories, four Regional Directors at Kanpur, Poona, Calcutta and Jabalpur are being appointed. This is a step towards decentralisation. The General Managers of the factories are being given more powers.

So far as shortage of alloy-steel is concerned, we have now decided to set up an Alloy-steel Plant at Kanpur so that our defence requirements in respect of special alloy-steel are fully met.

As regards the suggestion regarding constitution of Ordnance Production Board, the Government is seized of the matter and wants to set up this Board under the Chairmanship of Secretary Defence Production. Representations of concerned Ministries will be included in the Board. The constitution of the Board will help in taking decisions quickly.

Production potential of our clothing factories was stepped up to meet the increased demand at the time of our conflict with China. Now that demand has gone down and we are not able to make full utilisation of the capacity. We do not want to close these factories and retrench the workers. We want that P & T and Railways should purchase their requirements from our factories. We also want to build up exports for the goods produced in our clothing factories.

So far as the Public Sector undertakings under the Ministry of Defence are concerned, we have seven such undertakings and they are not in curring losses. Only the Prafa Tools Ltd. is suffering a loss and the condition of this undertaking is not good. Although Goa Shipyard Ltd. is not incurring losses, these are certain shortcomings.

The situation in the Bangalore Section of HAL is not as satisfactory as it was last year. There will be improvement next year. A new Division of HAL has been set up at Lucknow for the manufacture of aircraft accessories.

The production of MIG-21 is proceeding according to plan and in some matters we have rather been ahead of schedule. The MIG factories in India will switch over to the production of an improved version of the MIG after 1973-74.

Indigenisation is very necessary in all defence items more especially in aircraft. Perspective planning in the matter of defence items in general and aircraft in particular will be our guideline. It will be our endeavour hence forward to have our own design and to avoid licence production as far as possible.

The report of the Aeronautics was received last year out of 118 recommendations made by the committee, 53 have been accepted. We intend to accept the remaining recommendations also.

So far as manufacture of helicapters is concerned, we are opening a new Design Cell for helicopters in Bangalore. We want to manufacture our own helicopters.

Bharat Electronics Ltd., has increased its production considerably in the last 4 or 5 years. The wages of the workers have been increased and this company has given 20 per cent bonus. Here also our endeavours will be to avoid license production and have our own designs. A new factory for the manufacture of miscrowave and sophisticated radar equipment is being started at Ghaziabad.

The offence is well aware that the first frigate was launched in October, 1968. And now, the second frigate will be launched on May 6 at the Mazgaon Dock Ltd., Bombay. Work on the construction of the hull for the third frigate is expected to commence shortly. The production in this factory has considerably gone up and the factory is earning foreign exchange by undertaking repairs.

Similarly, the production in the Garden Reach Workshops Ltd. has also gone up considerably. March headway is being made in the manufacture of dredgers.

The overall performance of the seven Public Sector undertakings in terms of volume and value of production has been remarkable. The total production has increased from Rs. 89.69 crores in 1967-68 to Rs. 133.7 crores in 1969-70. There has also been a steady increase in the profits earned by these undertakings.

We have made considerable progress in the sphere of defence research. In 1961-62 we had 372 research and development projects in hand. Now 1130 projects are in progress. Due to efforts of our scientists we have saved Rs. 160 worth of foreign exchange by indigenously manufacturing items which we used to import. Our scientists are in touch with the scientists in the Universities and private sector laboratories.

The cardinal principle with the Government has been the achievement of self reliance in essential items of defence requirements and the Government policy in the matter of defence is to produce within the country as far as possible and feasible and to reduce import of defence stores. The private sector will be encouraged to manufacture items which we cannot manufacture in the public sector. There is no conflict between the public and private sectors. Both will work in coordination to achieve self sufficiency in the matter of defence production we import only those items of defence equipment which we cannot manufacture or in respect of which our production is less than our requirements.

The country has made a great headway in the sphere of electronics. No industry has perhaps made as much progress as has been achieved in the sphere of electronics.

About two lakh workers are working in public sector undertakings under Defence Ministry. The relations between the management and workers have improved in all the undertakings. Disciplinary action was taken against about four thousand employees in the Defence production Department for participating in the 1968 September strike. All those employees have been taken back in service except 4 or 5 employees whose cases would also be looked into. We want to implement the principle of Workers' participation in the Management in our undertakings.

Shri Bhogendra Jha (Jainagar): No doubt, the policy of peace declared by our Government is in the interest of the nation from short and long perspective. But the question is what efforts have been made effectively by our Defence Ministry to maintain peace and to pursue the policy of peace particularly when we are not free from external threats. Reference has been made to the launching of satellite by China. The Ministry should pay due attention to our programme of rocket launching. Special attention should be paid to the development of Thumba rocket launching station so that our capacity in the field of rocket launching increases.

Kashmir problem is one of the main reasons for creating bad blood between India and Pakistan. The imperialist powers like U.S.A. and U.K. have used this problem to create a wedge between the two countries. It has been the policy of the imperialist powers to divide people in different countries in Asia. We have to keep these things in view while formulating our defence policy in relation to Pakistan. We should go to the root of the Kashmir problem. It has to be clearly understood as to who is responsible for creating this problem. Britain and U.S.A. had acted against the interests of our country when the Kashmir issue was there in the Security Council. Russia had exercised her veto power in our favour. In spite of all this our army officers are told that Britain and U.S.A. are democracies and our allies while Russia is

a totalitarian and undemocratic country. While this wrong type of mentality was being encouraged in our armed forces, how can we strengthen our defence and safeguard the interests of our country?

The so-called and self-styled President of Nagaland is given shelter in England and not only that he has also been granted citizenship by that country. Similarly, Mr. Dulles, the then Foreign Secretary of U.S.A. had charged India with aggression when we liberated Goa, Daman and Diu. Even then we treat them as our friends and allies, while they always act against the interests of our country.

Even after 22 years of independence the relationship between the officers and jawans is based on the old pattern. There is no mixing between the officers and jawans. We should change the whole basis of the relationship between the officers and jawans. There should be close contacts between the two.

It is also necessary to pay special attention towards the welfare of the families of Jawans so that they should not have any feeling that if they died their families would be neglected.

13 years ago, when a piece of legislation for Navy was brought here it was stated that legislation for other wings of Defence i.e. Army and Air Force would also be brought forward in order to bring about uniformity in procedure for disciplinary action. But that promise has not been redeemed so far. At present there is no uniformity in the provisions of the Acts which lay down procedure for taking disciplinary action etc. for Army, Navy and Air Force. There should be uniformity in these enactments. There should be a provision for appeal against the decision of a court marshal. A judge should be deputed for hearing such appeals.

Sometimes, the Government used the army for enforcement, maintenance and restoration of law and order in disturbed areas. This is not a good practice. The Police Force is there for the purpose and they should care of the law and order problem. It is good that our Chief of Army Staff has raised this question. If army is used to put down the internal disturbances, people will loose their regard for defence services. Army should only be used for the defence of the country. Army should not be used for any such work as may divert their mental apparatus towards politics.

So far as defence equipment are concerned, we cannot depend upon other countries and we should achieve self-sufficiency in this regard. The progress so far made in defence production is slow and inadequate steps should be taken to step up production.

We should build up our naval strength so as to protect our interests in the Indian Ocean.

भारत में विदेशी बैंक

FOREIGN BANKS IN INDIA**

Shri Shrichand Goel (Chandigarh): Sir, the number of foreign banks working in India is 13 and the total amount of their deposits comes to 483 crores of rupees. Now a question which needs to be answered is whether Government's decision to nationalise banks in the country is a political decision and whether it is because of this that it had not nationalised the foreign banks working in our country. It is possible that the Government had thought of the assurances given to foreign countries and, as such, wanted to let their banks run freely; the Government might have thought that if they nationalised the foreign banks, the concerned foreign Governments would also nationalise the Indian banks working in those countries or it could be that the Govern-

*आधे घंटे की चर्चा

**Half an hour discussion.

ment thought that the nationalisation of foreign banks would affect the foreign investment in India. The question is whether all or any of the above considerations come in the way of nationalising the foreign banks; or is there any legal difficulty? The Government should clarify the whole situation and state the reasons responsible for non-nationalisation of the foreign banks.

Some time has passed since the nationalisation of banks was effected. The Government should on the basis of their assessment in this regard inform the House of the achievements of banks nationalisation during this period, Also, they should let us know whether it is a fact that since the nationalisation of banks, there has been a flight of capital from nationalised banks to foreign banks. If it is true, may I know whether Government was prepared to impose some restriction over the opening of new accounts in the foreign banks.

Quazi Committee has been appointed to explore the possibility of converting these 13 foreign banks into one establishment or institution. The Minister should state the progress made by the Quazi Committee. So far and whether they have submitted any interim Report.

One of the main reasons for not nationlising foreign banks in India was that these banks help us in our foreign trade which involves foreign exchange. In that case, they should have their branches only in the post cities such as, Bombay, Calcutta, Madras etc. But these banks have a net work of their branches throughout the country. I want to know whether any step have been taken or proposed to be taken to put some restriction over the opening of new branches and also to reduce the number of existing branches of a foreign bank as also to have the flight of capital from other banks to these banks.

The policy of indiscrimination in regard to nationalisation of banks have created a feeling among people that Government have not nationalised these foreign banks under some political pressure or considerations. It has been reported that the Reserve Bank has issued a directive to the effect that foreign banks are permitted to open new accounts and branches without offering competition to Indian banks. Have any such directions been issued. If so, whether Government will reconsider the matter because the expansion of banking business by the foreign banks is bound to have an adverse effect on the Indian banks. Also the Government should state whether on the basis of the experience of the last few months, it has come to the conclusion that the nationalisation of foreign banks is in the interest of the country and if so, the reasons for not nationalising them?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर): इंगलैंड के विदेशी बैंक लंदन की इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्ज द्वारा निर्धारित नीति पर चलते हैं। हमारे देश में ऋण देते समय यह बक विदेशियों द्वारा नियंत्रित फर्मों को प्राथमिकता देते है। यह धन भारतीयों द्वारा जमा धन में से दिया जाता हैं।

विदेशी बैंकों के माध्यम से मूल्य से कम अथवा अधिक बीजक बनाने को भी प्रश्रय मिलता है। इनके द्वारा नकली विद्यार्थियों के नाम पर विदेशी मुद्रा भेजी गई है और तस्करी के मामलों में भी इन बैंकों का हाथ रहा। उन्हें मुख्य-कार्यालय प्रभार के नाम पर धन बाहर ले जाने की अनुमति दी जाती है। वे देश में नई शाखाएं खोल रहें हैं। क्या यह सच नहीं है कि नैशनल एण्ड ग्रिन्डलेज़ बैंक ने कलकत्ता में एक नई शाखा खोली है? क्या विदेशी बैंकों पर नई शाखाओं के खोलने पर लगी पाबंदी हटा ली गई है। यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं।

मैं मांग करता हूं कि इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए और जबतक ऐसा नहीं होता इनके व्यापार पर नियंत्रण रखना चाहिए।

Shri Randhir Singh (Rohtak): Do these banks provide facilities for loans as nationalised banks do? What is the effect of their existence on nationalised banks? We should either nationalze them or bring them under social control.

Shri Rabi Ray (Puri): U. A. R. took the courage to nationalize Suez Canal in 1956. On the other hand while nationalizing banks, the Government exempted foreign banks under pressure from foreign countries.

Will the Law Minister indicate as to when these foreign banks would be nationalized?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी): उच्चतम न्यायालय ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले में दो बातें उठाई थी। पहली तो यह कि चौदह बैंकों को बैंकिंग कार्य करने से रोका गया और दूसरे उनके चयन में कोई उचित आधार नहीं है। पहली आपत्ति को ध्यान में रखते हुए अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है। दूसरी आपत्ति पर न्यायालय का अपना ही कोई दृढ़मत नहीं था। अतएव उसे वैसे ही रहने दिया गया है।

विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण न करने के कारण कई बार बताए जा चुके हैं। यह बैंक विश्वव्यापी संगठनों का भाग है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में इनके सम्बन्धों के कारण भारतीय बैंकों की तुलना में विदेशी व्यापार के मामले में अधिक सुविधाएं दे सकते हैं।

विदेशी बैंक कुछ विशिष्ट प्रकार की सेवाओं में अधिक दक्ष हैं। इनके माध्यम से विदेशी तकनीकी जानकारी उपलब्ध करने में सहायता मिलती है। हमारे बैंकों की शाखाऐं भी विदेशों में विद्यमान हैं। मलेशिया में हमारे बैंकों की शाखाएं हैं। वहां की सरकार ने उनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया। हम उनके कार्य की शर्तों के बारे में वहां की सरकार से बातचीत कर रहें हैं। विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण न करने में हम पर कोई विदेशी दबाव नहीं था। ऐसा हमने राष्ट्रीय हित में किया है।

विदेशी बैंकों में जमा पूंजी 18 जुलाई, 1969 को 481.9 करोड़ रुपए थी, 27 मार्च, 1970 को 489.1 हो गई। उसमें 1.5% की वृद्धि हुई। जबकि स्टेट बैंक ग्रुप की जमा राशि में 10.9% की वृद्धि हुई और राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा राशि में 7.2% की वृद्धि हुई। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रीयकृत बैंको में जमा राशि कम हुई है।

विदेशी बैंकों की ऋण देने और लेने की नीति रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है। मुख्यकार्यालय को खर्च का थोड़ा भाग दिया जाता है। यह सत्य हैं कि इन बैंकों का लाभांश अधिक है। इसका कारण उनका विभिन्न प्रकार का कार्य करना है। इन्हें पत्तन नगरों को छोड़कर अन्यत्र शाखाएं खोलने की अनुमति नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु: क्या आप भारतीय बैंकों तथा विदेशी बैंकों के सम्बन्ध में पृथक-पृथक आंकड़ें दे रहे हैं जिनमें उनके द्वारा किये गये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी उल्लेख हो।

श्री प्र० चं० सेठी: इस संबन्ध में मेरे पास ब्यौरा नहीं है।

इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया जाएगा? इस सम्बन्ध में सरकार की नीति संबन्धी घोषणा अभी अभी की जा चुकी है। जब तक देश का इस में हित है हम इस नीति पर चलते रहेंगें। परन्तु यदि इनसे देश का अहित होता हो तो सरकार अथवा संसद इस नीति को बदल सकती है।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार 28 अप्रैल, 1970, 8 वैशाख, 1892 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, April 28, 1970/Vaisakha 8, 1892 (Saka).

भा० स० मु० दा०—से. 3—7 लोक सभा/70—9-1-71